Friday, 23 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation
Fumigated On 24.1.84
Parliament Library

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 22—शुक्रवार, 23 अगस्त, 1968/ 1 भाद्र, 1890 (शक)

No. 22—Friday, February 23, 1968/ Bhadra 1, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
632.	दिल्ली में खोखों का गिराया जाना	Demolition of Khokhas in Delhi	1—4
632.	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	4—9
633.	चीनियों द्वारा 'नेफा' में गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण	Chinese Training Guerllas in NEFA	9—15
635.	बिक्री-कर विभाग, दिल्ली	Sales-Tax Department, Delhi	15—16
636.	दक्षिण के राज्यों से हिन्दी समर्थक प्रतिनिधिमंडल	Pro-Hindi Deputation from Southern States	16—19

अल्प-सूचना प्रश्न सं० — SHORT NOTICES QUESTIONS

10.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Leaders of Central Government Employees	19—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

634.	भागीरथी नहर	Bhagirathi Channel	23—24
637.	गान्धी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations	24
638.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
639.	रूस से टी यू-134 विमान की खरीद	Purchase of TU-134 Aircraft from U. S. S. R.	24—25
640.	मनीपुर से राजस्व वसूली	Revenue Collection from Manipur	25
641.	'रीडर्ज डाईजेस्ट' में दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र	Map of S. E. Asia in Reader's Digest	25—26
642.	मिर्जा अफजल बेग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Books published by Mirza Afzal Beg	26
643.	सोफिया में युवक समारोह के लिये प्रतिनिधि	Delegates to Youth Festivals at Sofia	26—27
644.	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास	Government accommodation for I.A.C. Employees	27
645.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed Strike by Government Employees	27—28
646.	काश्मीर में सेना तथा सीमा सुरक्षा दल का प्रयोग	Use of Military and Border Security Force in Kashmir	28
647.	कच्छ में घुसपैठ	Infiltraton in Kutch	28
648.	मजलिसे इतेहादुल मुसलमीन	Majlis-e-Itehadul Musalmeen	29
649.	राज्य विधान मंडलों में दल बदलना	Floor-crossing in State Legislatures	29
650.	मैसूर में संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University in Mysore	29
651.	सरकारी कर्मचारी संघ	Government Employees Association	30
652.	दिल्ली प्रशासन की कोयले का आयात करने की नीति	Coal Import Policy of Delhi Administration	30—31
653.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमें	Corruption cases filed in Courts by C.B.I.	31
654.	एयर इन्डिया द्वारा जारी किये गये मानार्थ पास	Complimentary Passes issued by Air India	31—32
655.	भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान	Indo-American Foundation	32
656.	दिल्ली में हथियारों के भंडार	Arms Dump in Delhi	32—33
657.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	Central Secretariat Service	33

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
658.	बिहार सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bihar Government Employees	33—34
659.	आसाम पर्यटन	Toursim in Assam	34
660.	पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Punjab National Bank Ltd., Officials	34—35

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

5115.	सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work	35
5116.	आसनसोल में भूमि का अर्जन	Acqusition of Land in Asansol	35—36
5117.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में लोअर डिवीजन के क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Lower Division Clerks in Central Hindi Directorate	36—37
5118.	हिन्दी शिक्षण योजना	Hindi Teaching Scheme	37—38
5119.	इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी	I. C. S. Officers	38—39
5120.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या-7	National Highway no. 7.	39—40
5121.	मध्य प्रदेश के डाकुओं के साथ प्रतिरक्षा विभाग के हथियार	Defence Weapons with M. P. Dacoits	40
5122.	आन्ध्र प्रदेश में पर्यटकों को रुचि के स्थान	Places of Tourist Interest in Andhra Pradesh	40—41
5123.	सालारजंग संग्रहालय	Salar Jung Museum	41—42
5124.	उड़ीसा के सम्भलपुर जिले के एकग्राम में पैराशूट से उतरना	Landing by Parachute at a village in Sambelpur District (Orissa).	42
5125.	त्रिपुरा में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education in Tripura	43
5126.	दिल्ली में अँगुली के निशानों की प्रयोगशाला का तोड़ा जाना	Dismantling of Laboratory for Finger Prints in Delhi.	43—44
5127.	बड़े पत्तन	Major Ports	44
5128.	गुजरात में हिन्दी संस्थाओं को वार्षिक अनुदान	Annual Grant to Hindi Institutions in Gujarat.	44—45

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5129.	बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय बस सेवा	Bahadurgarh—Central Secretariat Bus Service	45
5130.	दिल्ली परिवहन की बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय मार्ग पर बसों में अधिक सवारियाँ भरना	Over-loading in D. T. U. Buses on Bahadurgarh—Central Secretariat Route	45
5131.	डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाना	Revising of Pay Scales of Degree College Teachers	45—46
5132.	विदेशी भाषाओं का अध्ययन	Study of Foreign Languages	46
5133.	केन्द्रीय वैज्ञानिक जानकारी संस्था	National Institute for Scientific Information	46
5134.	राष्ट्रीय तकनीकी जानकारी संस्था	National Institute for Technical Information	46—47
5135.	कानपुर के निकट गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga near Kanpur	47—48
5136.	उन्नाव में अपराध	Crimes in Unnao	48
5137.	उन्नाव में लाइसेंस प्राप्त शास्त्रों का दिया जाना	Licenced Arms Issied in Unnao	48
5138.	उन्नाव-पादरी सड़क	Unnao-Padri Road	48—49
5139.	राजस्थान में बनस्थली विद्यापीठ	Banasthali Vidhapeeth in Rajasthan	49
5140.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	49—50
5141.	विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातिओं तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र	Sheduled Castes and Scheduled Tribes in Various Educational Institutions	50—51
5142.	तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों को रियायतें	Concessisns to Scheduled Castes/ Tribes in Technical Institutions	51
5143.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes	51

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5145.	त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Tripura	51—52
5146.	गोहाटी के दंगे	Gauhati Roits	52—53
5147.	शोलापुर के मुस्लिम लीगी नेता की गिरफ्तारी	Arrest of Sholapur Muslim Leauge Leader	53
5148.	दिल्ली नगर निगम को ऋण	Loans to Delhi Municipal Corporation	53—54
5149.	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Schools of Delhi Municipal Corporation	54
5150.	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना	Handing over of D. M. C. Schools to Delhi Administration	54
5151.	केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था, लखनऊ	Central Drug Research Institute, Lucknow	54—55
5152.	दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	Admissions in Delhi Colleges	55
5153.	केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था, लखनऊ	Central Drug Research Institute, Lucknow.	55—56
5154.	रूस और भारत में पीकिंग समर्थक भूमिगत क्रान्तिकारी संस्थायें	Pro-peking Underground Revolutionary Orgnisatons in U. S. S. R. and India	56
5155.	कच्छ के तट पर पाकिस्तान की गतिविधियां	Pak. activities on Kutch Coast	56
5156.	नई दिल्ली नगरपालिका के लिये धन के नियतन के बारे में श्री आर० आर० मोरारका के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Shri R. R. Morarka re. allocation of Funds for N.D.M.C.	56—57
5157.	गांधी जी के चित्रों तथा दस्तावेजों की विदेशों से मांग	Demand from foreign countries for Gandhiji's photographs and douments	57
5158.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान, पिलानी द्वारा निर्मित टेलीविजन सैटों में कमियां	Defective Television Sets Manufactured by C. E. E. R. I., Pilani	57—58
5159.	गोरखपुर रोडवेज के महाप्रबन्धक के कार्यालय में गबन	Embezzlement in office of General Manager Roadways, Gorakhpur.	58

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5160.	राज्य निदेशकों का सम्मेलन	Conference of State Directors	58—59
5161.	नई दिल्ली में एंड्रजगंज के लिये पंचायती हाल	Community Hall for Andrewsganj, New Delhi	59
5162.	बस्तियां बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी	Cheating by Colonisers	59
5163.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद	Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	59—60
5164.	अशोक तथा जनपद होटलों का प्रबन्ध	Management of Ashoka and Janpath Hotels.	60
5165.	रेलवे तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway and Defence Employees	60
5166.	बिहार सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Bihar Government Employees	60—61
5167.	हुगली गदी में नौवहन पर फरक्का बांध का प्रभाव	Effect of Farakka Barrabe on Navietion in Hoogly River.	61
5168.	उत्तर प्रदेश में कुछ जिला परिषदों फी मांग	Demand by certain zila Parishads in U. P.	61—62
5169.	भारत में चीनियों की भारत विरोधी गतिविधियां	Anti-Indian Activities of Chinese in India	62
5170.	भारत का पुनः एकीकरण	Reintegration of India	62
5171.	राजस्थान में कार्तूसों का सम्भरण	Supply of Cartridges in Rajasthan	63
5176.	लक्कदीव द्वीपसमूह के निवासियों को परेशान करना	Harassment of Laccadivis	63
5178.	अन्तर्राष्ड्रीय गिरोहों की भारतीय खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी	Indian Vigil for International Gangs	63—64
5179.	काश्मीर में घुसपैठ	Infiltration in Kashmir	64
5180.	आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A. R. C. Report on Economic Administration	64

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5181.	नागालैंड में विदेशी पादरी	Foreign Missionaries in Nagaland	64—65
5182.	अशोक होटल तथा अन्य सरकारी होटलों में गोमांस की वस्तुएँ देना	Serving of beef in Ashoka Hotels and other Government Hotels.	65
5184.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	65
5185.	गुजरात सीमा में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pakistani intrusions on Gujarat Border	65—66
5186.	उद्योगों की लाइसेंस नीति	Licensing Policy of Industries	66
5187.	कुकी तथा मिजो लोगों द्वारा मारे गये सेना के जवान	Army Personnel killed by Kukis and Mizos.	66
5188.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी में बने टेलीविजन सेटों में त्रुटियां	Defects in Television sets Manufactured at Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani.	66—67
5189.	बांदा जिले (उत्तर प्रदेश) में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses in Banda District (U.P.)	67
5190.	टेलीविजन के लिए उपग्रह	Satellite for T. V.	67—68
5191.	घाघरा पुल	Ghagra Bridge	68
5192.	सरकारी सेवा में बाल्मीकि लोग	Balmikis in Government service	68—69
5193.	कोणार्क के सूर्य मन्दिर में रसायनों का प्रयोग	Chemial treatment of sun-temple, Konarak	69
5194.	वायस आफ अमरीका में काम करने के लिए डा० जार्ज थोमस को अमरीका से धन प्राप्त होना	Receipt of money by Dr. George Thomas form U. S. A. for serving the Voice of America.	69—70
5195.	निर्धारित उड़ानों को रोका जाना	Hold-ups in Scheduled Flights	70
5196.	मनीपुर के नागाओं का शिष्टमंडल	Delegation of Nagas form Manipur	70—71
5197.	कम्पनियों का पुनर्वर्गीकरण	Reclassification of Companies	71
5198.	गुप्त ट्रांसमिटर	Secret Transmitters	71

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5199. समाचार-पत्रों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार	Communal propagunda by papers	71—72
5200. राज्यों को प्रधान मंत्री की हिदायतें	Prime Minister's Instructions to States	72
5201. त्रिपुरा से पाकिस्तान में बह कर चली गई लकड़ी	Timber carried away to Pakistan from Tripura	72
5202. शिलांग और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हथियारों का पकड़ा जाना	Seizure of arms between Shillong and East Pakistan border	72—73
5203. श्री जे० के० चौधरी के विरुद्ध चुनाव याचिका में त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त निर्णय	Verdict of Judicial Commissioner, Tripura in Election Petition against Shri J. K. Choudhury, M. P.	73
5204. डिफेंस सर्विस पब्लिक स्कूल को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Defence Service Public School taken over by Delhi Administration	73
5205. हलदिया में घाट (जैटी) का निर्माण	Construction of Jetties at Haldia	73—74
5206. मनीपुर के नागाओं से ज्ञापन पत्र	Memorandum from Manipur Nagas	74
5207. जम्मू तथा काश्मीर सचिवालय पर ध्वज	Flag on Jammu and Kashmir Secretariat	74
5208. पालम कालोनी में व्यापार चलाये जाने के बारे में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Defence Personnel for Running Business in Palam Colony	74—75
5209. राजस्थान में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Additional Judges in Rajasthan	76
5211. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये अपेक्षित विमान	Planes required for I.A.C.	76
5212. जम्मू तथा काश्मीर राष्ट्रीय राजपथ पर नवी नदी पर पुल	Bridge on River Tawi on Jammu and Kashmir National Highway	77

अता० प्र० संख्या

U. Q.Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5213.	पंजाब में अनुसूचित जातियां	Scheduled Castes in Punjab	77
5214.	बिहार में सारन में श्री विश्वनाथ सिंह की हत्या	Murder of Shri Vishwanath Singh in Saran, Bihar	77—78
5215.	पहाड़गंज नई दिल्ली में जुआ	Gambling in Paharganj (New Delhi)	78
5216.	सिनेमा के टिकटों की चोर बाजारी	Black-marketing in Cinema Tickets	78—79
5217.	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में आग लगा कर जला देने का मामला	Buring Case in Srinivaspuri, New Delhi	79
5218.	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में अराजकता	Lawlessness in Srinivaspuri, New Delhi	79
5219.	शराब का तस्कर व्यापार	Smuggling of Liquor	79—80
5220.	कान्कौर्ड विमान	Aircraft 'Concord'	80
5221.	भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against Former Finance Minister	80—81
5222.	दिल्ली नगर निगम में मजूरी दर	Wage Rate in Municipal Corporation of Delhi	81
5223.	परिवहन विकास परिषद्	Transport Development Council	81
5224.	पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन	Change in Behaviour of Police People	82
5225.	स्कूलों में अनिवार्य छात्र-संघ	Compuslsory Unions in Schools	82
5226.	अध्यापकों और छात्रों के लिये पृथक-पृथक होस्टल	Separate hostels for teachers and students	82
5227.	कालेजों में दाखिले की समस्या	Problem of admissions to Colleges	83
5228.	पुरुलिया जिले में आनन्द मार्ग नामक संगठन के पास से बरामद हथियार	Recovery of arms from 'Anand Marg' Organisation in Purulia District	83
5229.	जयपुर जिले (राजस्थान) में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी	Recovery of explosives in Jaipur District (Rajasthan)	83—84

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5230.	निकोबारी कोप्रा की कीमत	Price of Nicobari Copra	84
5231.	साम्यवादियों के पास हथियार	Weapons with Communists	85
5232.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के लिये पूर्णकालिक निदेशक तथा संयुक्त निदेशक	Full-time Director and Joint Director for N. C. E. R. T.	85
5233.	भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा	Strength of Mercantile Marine	85
5234.	मोदी नगर में माओ साहित्य	Mao Literature in Modi Nagar	85—86
5235.	जम्मू तथा काश्मीर में विशेष पुलिस संस्थान तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो	Special Police Establishmnt and Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir	86
5236.	सिद्धान्तम् पुल को उप-सड़कें	Approach Roads to Siddhantam Bridge	86—87
5237.	मोदीनगर में एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक की गिरफ्तारी	Arrest of Pak National in Modinagar	87
5238.	लुधियानें में गीता मन्दिर का गिराया जाना	Demolishing of Gita Temple in Ludhiana	87
5239.	पूर्वी क्षेत्र की प्रतिरक्षा	Defence of Eastern Region	87—88
5240	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में भर्ती	Recruitment in Commission for Scientific and Technical Terminology	88
5241.	मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी	Personal staff of Ministers	88
5242.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	Aligarh Muslim University	88
5243.	केन्द्रीय हिन्दी, निदेशालय	Central Hindi Directorate	88—89
5244.	हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी	Personnel in Hindi Directorate	89
5245.	अमरीकन अकादमी के लिये रेवा महल	Rewa Palace for American Academy	89—90
5246.	बैट्री सेलों के विकल्प का आविष्कार	Invention of a substitute Battery Cells	90

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5247.	माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के लिये भवन	Buildings for Middle and Primary Schools	90—91
5248.	आनन्द मार्ग के विरुद्ध मामले	Cases against 'Anand Marg'	91
5249.	भारत का प्रगतिवादी महासंघ (प्रोग्रेसिव) फेडरेशन आफ इंडिया)	Progressive Federation of India	91
5250.	मिजो विद्रोही	Mizo Hostiles	91—92
5251.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी एक	C. S. S. Grade I Officers	
5252.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1)	C. S. S. (Grade I) Officers	92—93
5253.	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	I. A. S. Officers	93
5254.	उत्तर प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये दाखिला	Admission for Training Courses in Technical Institutes in U. P.	93—94
5255.	बहुप्रयोजनीय संस्थाओं द्वारा संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	Three-year Diploma Course Conducted by Multi-purpose Intitutions	94
5256.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की बहुप्रयोजनीय संस्थाओं में भर्ती	Admission of Scheduled Castes and Schduled Tribes in Multi-Purpose Institutes	94—95
5257.	उत्तर प्रदेश की बहुप्रयोजनीय संस्थाओं में दाखिला	Admissions in Multipurpose Institutes in Uttar Pradesh	95
5258.	हिमाचल प्रदेश के रोहरू तथा जब्बल क्षेत्र के लिये डिग्री कालिज अथवा पोलिटैकनिक	Degree College or Polytechnic for Rohru and Jubbal Areas of Himachal Pradesh	95
5259.	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery	96
5260.	विदेशियों पर यात्रा संबंधी प्रतिबन्ध	Travel Restrictions on Foreigners	96

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5261.	गुजरात पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक	Former Inspector General of Police, Gujarat	96—97
5262.	राजधानी में सक्रिय डाक चोर	Postal Thieves operating in the Capital	97
5263.	सीमा पार पाकिस्तान जाने वाले मिज़ो लोग	Miozos crossing over to Pakistan	97
5264.	शेख अब्दुल्ला द्वारा श्रीलंका की यात्रा	Sheikh Abdulla's visit to Ceylon	98
5265.	गोआ प्रतिकर भत्ता	Goa Compensatory Allowanec	98—99
5266.	मरमागोआ पत्तन	Mormugao Port	99
5267.	उत्तर प्रदेश में चलने वाली रोडवेज की बसें	Roadways Buses plying in U.P.	99
5268.	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सड़कें	Roads in Gorakhpur District U.P.	99—100
5269.	उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल	Junior High School in Uttar Pradesh	100
5270.	बम्बई तथा दुर्गापुर केन्द्रों में श्रमिकों के लिये स्कूल	School for Labourers in Bombay and Durgapur Centres	100
5271.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कर्मचारी वृन्द को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance paid to I.A. C. Staff	100—101
5273.	उच्च न्यायालयों में हिन्दी	Hindi in High Courts	101
5274.	जम्मू और काश्मीर राज्य में अध्यापकों की पदोन्नति	Promotions of Teachers in Jammu and Kashmir State	101
5275.	पुस्तकालयों में पाण्डुलिपियों का संरक्षण	Preservation of Manuscripts in Libraries	101—102
5276.	दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की पर्यटन सम्बन्धी समिति	Tourism Committee of South East Asian Countries	102
5277.	बांदा जिले (उत्तर प्रदेश) मे सड़कें	Roads in Banda District (U.P.)	102

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5278.	भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में अनिर्णीत मामले	Pending Cases under Defence of India Rules in Tripura	102—103
5279.	सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Sessions Judges	103
5280.	उड्डयन क्लब	Flying Clubs	103—104
5281.	ताइपेह में होने वाली बास्केट बाल चैम्पियनशिप के लिये महिलाओं की टीम	Women's Team for Basket Ball Championship at Taipeh	104
5283.	भारत-फ्रांस विमान सेवा करार	Indo French Air Agreement	104—105
5285.	नई दिल्ली में अनावृत्त जलपान-गृह (ओपन एयर रेस्तोरां)	Open Air Restaurant in New Delhi	105
5286.	दिल्ली में जे० जे० कालोनी में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities to J. J. Colony, Delhi	105—106
5287.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	106
5288.	बाल साहित्य की पुस्तकें	Books for Children	106—107
5289.	टैगोरीय रंगमंच	Tagore Theatures	107
5290.	भारत में रूसी और साम्यवादी साहित्य	Russians and Communist Literature in India	107—108
5291.	पटना में माओ के इश्तिहार	Mao Posters in Patna	108
5292.	डीज़ल इंजनों का आयात	Import of Diesel Engines	108—109
5293.	काशी हिन्दू विद्यापीठ में शिक्षकों की नियुक्ति	Teachers appointed in Kashi Hindu Vidyapeeth	109
5294.	यात्री-विमान चालक लाइसेंस जारी करने के बारे में नियम	Rules re. Issue of Commercial Pilots Licences	109
5295.	विमानों के फालतू पुर्जे	Aircraft spares	109—110
5297.	दिल्ली में टैंटों में चल रहे स्कूल	Running of Schools in tents in Delhi	110
5298.	दिल्ली में कालोनाइजरों द्वारा धोखा	Cheating by Colonizers in Delhi	110—111

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5299.	राजनैतिक दलों के कारण छात्रों में अनुशासनहीनता	Indicipline among Students due to Political Parties	111
5300.	चीन समर्थक प्रचार	Pro-Chinese Propaganda	111
5301.	प्रशान्त महासागर (पैसिफिक) क्षेत्र पर्यटक संस्था द्वारा भारत में पर्यटन सम्बन्धी सर्वेक्षण	Susvey by P. A. T. A. about Tourism in India.	III—112
5302.	कलकत्ता में बम विस्फोट	Bomb Explosions in Calcutta	112—113
5303·	आयात-निर्यात व्यापार में भारतीय कम्पनियों का हिस्सा	Share of Indian Shipping Companies Import Export Trade	113
5304.	मेक्सिको में विश्व ओलम्पिक खेलें	World Olympics at Mexico	113—114
5305.	भारतीय नरतत्वकीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों का निलम्बन तथा नौकरी से हटाया जाना	Discharge and Suspension of Employees in Anthropological Survey of India	115
5306.	भारतीय संग्रहालय (इंडियन म्यूजियम) कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Employeos of Indian Museum, Calcutta	115—116
5307.	शिक्षा मंत्रालय में संसदीय सहायक	Parliament Assistant in Education Ministry	116
5308.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अल्पकालिक एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम	Short-term M. B. B. S. Course at Banaras Hindu University	116—117
5309.	समाज शिक्षा शाखा में शिक्षा अधिकारी	Education Officers in Social Education	117
5310.	हड़ताल में भाग लेने वाले दिल्ली के अध्यापकों को तंग करना	Victimization of Delhi Teachers for taking part in Strike	117
5311.	दिल्ली में प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघ का आन्दोलन	Agitation by Primary Teacher's Association in Delhi	117—118

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5312.	भीम सेनायें	Bhim Senas	118
5313.	दिल्ली के लिये विधान सभा	Legislature for Delhi	118
5314.	कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां	Promotions to Employees on basis of Merit	119—120
5315.	सरकारी उपक्रमों के लिये लोक सेवा आयोग	Public Service Commission for Public Undertakings	120—121
5316.	विमान परिचारिकायें	Air Hostesses	121
5317.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खान-पान प्रबन्ध	Catering in I. A. C.	121—122
5318.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया का विलय	Merger of I..A.C. and Air India	122
5319.	पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Books	122—123
5320.	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee	123
5321.	बिहार सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Bihar Government Employees	123
5322.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1	C. S. S. Grade I	124
5323.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम श्रेणी	C. S. S. Grade I	124—125
5324.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी)	C. S. S. Grade I	125
5325.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम श्रेणी के अधिकारी	C. S. S.Grade I Officers	125—126
5326.	दिल्ली में कारों की चोरी	Cars Stolen in Delhi	126
5327.	बम्बई और फारस की खाड़ी के बीच माल ढोने वाली जहाज कम्पनियों का सम्मेलन	Conference of Shipping Lines for Bombay and Persian Gulf Trade	126—127
5328.	उत्तर प्रदेश में कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Kothari Commission in Uttar Pradesh	127

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5329.	दिल्ली संग्रहालय में कला वस्तुओं की चोरी	Theft of Art Objects in Delhi Museum	127—128
5330.	कलकत्ता में गुण्डों के बीच लड़ाई	Clash among Ruffians in Calcutta	128—129
5331.	सड़कों पर मील पत्थर	Mile Posts on Roads	129—130
5332.	जबलपुर में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Jabalpur	130
5333.	हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Promote Hindi	130—131
5334.	अधिवास प्रमाण-पत्रों का हटाया जाना	Removal of Domicile Certificates	131
5335.	दिल्ली में गुमशुदा बच्चे	Children Lost in Delhi	131
5336.	बिहार की संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assitance to the Bihar Institutions	131—132
5337.	गांधी दर्शन-अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी	Gadhian Philosophy--International Exhibition	132
5338.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये कर्मचारी	Selecton by U. P. S. C. of Personnel for appointment inj C.S.T.T.	132
5339.	बिहार में विचाराधीन बन्दी	Under-Trial Prisoners in Bihar	132—133
5340.	बिहार के इंजीनियर	Bihar Engineers	133
5341.	बिहार के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये अय्यर आयोग	Ayyar Commission for Enquiry of Charges against Bihar Ministers	133—134
5342.	कच्छ में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी नागरिक	Pak. Citizens arrested in Kutch	134
5343.	ऐसे अधिकारी जिनके पास अपने मकान हैं	Officers Owning Houses	134
5344.	कच्छ के रण में सीमा सुरक्षा दल के अधिकारी द्वारा आत्महत्या	Suicide by B. S. F. Officer in the Schedule Areas	134—135

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5345.	अनुसूचित क्षेत्र	Schedule Areas	135—136
5347.	गुजरात में एस० एस० सी० परीक्षा	S. S. C. Examinations in Gujarat	136
5348.	दिल्ली में आग लगने की घटनाएँ	Fire Incidents in Delhi Municipal Area	136
5350.	साम्प्रदायिक कार्यवाहियों सम्बन्धी समिति	Committee on Communal Activities	136
5351.	आई० ए० टी० ए० सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली का अध्यक्ष तथा सचिव	President and Secretary of IATA, Safdarjang Aerodrome, New Delhi	137
5352.	सागर विश्वविद्यालय में मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेज	Technical Officers in Material Planning Production Control Safdarjang.	137—138
5353.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सवारी भत्ता	Conveyance Allowance to Class IV Employees	138
5354.	भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग कर्मचारी संस्था	Anthropological Sufvey of India Association	138
5355.	राज्यों में राज भाषाओं का प्रयोग	Use of Official Languages in States	138—139
5356.	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीकरण	Nationalisation of Text Books	139—140
5357.	रुड़की में संरचनात्मक इंजीनियरिंग गवेषणा केन्द्र	Structural Engineering Research Centre at Roorkee	140
5358.	छोटा नागपुर में आदिवासियों को अनुदान	Grant to Adivasis in Chhota Nagpur	140—141
5359.	सागर विश्वविद्यालय में मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेज	Medical and Engineering College in Saugar University	141
5360.	सेवाओं में हरिजन आदिवासियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Harijan Adivasis in Services	141
5361.	केन्द्रीय सड़क परिवहन सेवा	Central Road Transport Service	142

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5362.	मद्रास का द्वि-भाषा अधि-नियम	Two-language Act of Madras	142
5363.	एच० एस० 748 विमान-सेवा के परिणाम	Operational Results of HS-748	142
5364.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बिना किराया यात्रा	Free travel of Policemen in D.T.U. Buses	143
5365.	होटलों के लिए ऋण	Loans for Hotels	143—144
5366.	आसाम में नक्सलबाड़ी मार्गी साम्यवादी लोग	Naxalits in Assam	144
5367.	सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति	Retirement age of Government Employees	144—145
5368.	दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० लिट० पाठ्क्रम	M. Lit. Course of Delhi University	145
5369.	कोल्हापुर के महाराजा द्वारा पुत्र गोद लेना	Adoption by Kolhapur Maharaja	145
5370.	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर)	National Fitness Corps	145—146
5371.	इलाहाबाद के निकट गंगा नदी पर नया पुल	New Bridge over river Ganga near Allahabad	146
5372.	मार्क्सवादी साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा चीनी-दूतावास से धन प्राप्त करना	Marxist Communist Party Member Receiving money from Chinese Embassy	146—147
5373.	त्रिपुरा में इंजीनिरिंग कालेज	Engineering College in Tripura	147
5374.	विमान कम्पनी संचालक समिति	Airlines Operations Committee	147—148
5375.	सम्बद्ध कालेजों के अनुशासन में सुधार लाने के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय की योजना	Clcutta University's Scheme to improve discipline in affiliated colleges	148

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5376.	नयी दिल्ली में मस्जिद मोठ में शीरे के एक टैंक से विषैली गैस	Foul Gas from Molasses Tank in Masjid Moth, New Delhi.	148
5377.	पटना में आयोजित भाषा सम्बन्धी गोष्ठी	Language Seminar Held in Patna	149
5378.	प्रादेशिक भाषाओं के लिये धन	Fund for Regional Languages	149
5379.	भारतीय विद्यार्थियों का विदेशों में बसना	Settlement of Indian Students in Foreign Countries	149—150
5380.	भारत में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी	Pak. Spies Arrested in India	150
5381.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	151
5382.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	151
5383.	स्मारकों से मूर्तियों की चोरी	Theft of Statues from Monuments	152
5384.	आनन्द मार्ग	Snand Marg	152—153
5385.	काश्मीर पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार	Supreme Court Jurisdiction over Kashmir	153
5387.	कोठारी आयोग	Kothari Commission	153
5388.	शिलांग पोलीटेक्निक संस्था	Shilong Polytechnic Institute	154
5389.	तकनीकी विज्ञान कालेजों में स्नातक	Gradudates in Technical Science Colleges	154
5390.	पर्यटन	Tourism	154—155
5391.	देश के पर्यटकों को रियायतें	Concessions to Home Tourists	155
5392.	उगयार घाट (उत्तर प्रदेश) गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga at Ugiar Ghat (U.P.)	156
5393.	बाराहाल गंजा (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर पुल	Bridge over River Ghaghara at Barahal Ganja (U.P.)	156
5394.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की दिल्ली से सान्ताक्रूज तक उड़ान	Delhi-Santa Cruz I.A.C. Flight	156—157

अतां० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5395.	सुदर्शन झील	Sudarshan Lake	157
5396.	सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	Border Security Force and Central Reserve Police	157—158
5397.	भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिनियुक्ति का कोटा	Deputation Quota for I. A. S.	158
5398.	अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against All India Service Personnel	158
5399.	विदेशी जिन्हें भारत छोड़ने के लिये कहा गया है	Foreigners asked to leave India	159
5400.	राजस्थान और उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs in Rajasthan and Orissa	
5401.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच	Investigations into Crash of Delhi Flying Club.	159
5402.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	Indian Administrative Service	160
5403.	मध्य प्रदेश में काम कर रहे औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings functioning in Madhya Pradesh	160—161
5405.	सड़कों का निर्माण	Construction of Roads	161
5106.	मध्य प्रदेश में उड्डयन क्लब	Flying Clubs in Madhya Pradesh	161—162
5407.	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों की पदोन्नति	Promotions of C. S.S. S. to Stenographers	162
5408.	शैक्षिक मूल्यांकन	Educational Values	162
5409.	पुरी-कलकत्ता बस सेवा	Puri-Calcutta Bus Service	162—163
5410.	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	163
5412.	विभिन्न पत्तन न्यासी से चोरी की गई वस्तुयें	Goods Pilferred from Various Port Trusts	163
5413.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	163—164
5414.	संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Administrative Reforms Commission on Union Territories	164

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5415.	इंडियन इंस्टीट्यूट ग्राफ मेनेजमेंट में प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) की पदोन्नति	Promotions of Professors in Indian Institute of Management	164—165
5416.	दिगलूपुर (उत्तर ग्रंदमान द्वीप) में बसे हुए लोगों द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by Settlers in Diglupur (North Andaman Island)	165
5417.	ग्रंदमान के स्कूल में बंगला भाषा के माध्यम से पढ़ाई	Bengali Medium of Instruction in Andaman Schools	165
5418.	ग्रन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हल पर जोते जाने वाले तथा दुधारू पशुग्रों की कमी	Shortage of Plough and Milch Animals in Andaman and Nicobar Islands	166
5419.	ग्रन्दमान तथा दिकोबार द्वीपसमूह राजस्व विनियम	Andaman and Nocobar Islands Land Revenue Regulations	166—167
5420.	ग्रन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	167
5421.	विदेशी विमान कम्पनियों के विमानों का पर्यटन स्थलों पर उतरना	Landing of Foreign Airlines Planes at Tourist Places	167—168
5422.	केरल में गोपाल सेना	Gopal Sena in Kerala	168
5423.	रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल	Central School at R. K. Puram, New Delhi	168
5424	मध्य प्रदेश में द्विवार्षिक विश्वविद्यालय उपाधि पाठ्यक्रम लागू करना	Implementation of Two-Year University Degree Course in Madhya Pradesh	169
5425.	बम्बई-दिल्ली उड़ान में ग्वालियर में विमान का रुकना	Halt at Gwalior on Bombay-Delhi Flight	169
5427.	भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases	169—170
5429.	पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या	West Bengal Population	170
5430.	राजभाषा ग्रधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये धन का नियतन	Allotment of Funds for implementation of Official Languages Act.	170—171

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5431.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये डगलस डी० सी०–9 विमान	Douglas DC-9 Planes for Indian Airlines Corporation	171
5432.	पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों द्वारा भारतीयों का अपहरण	Indians Kidnapped by Pak. Personnel	171
5433.	यूगोस्लाविया से तेलवाहक जहाज	Oil tankers from Yugoslavia	172—173
5434.	दिल्ली में ब्लेक आउट का अभ्यास	Blackout exercises in Delhi	173
5435.	मिजो पहाड़ियों में विमानों से खाद्यान्न पार्सल गिराने से मृत्यु	Deaths due to Air-droppings in Mizo Hills	173—174
5436.	सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी लोगों की घुसपैठ	Infiltration of Anti-National Elements into border areas.	174
5437.	राजनीतिक दलों को सहायता	Aid to political parties	174
5438.	विश्व प्रताप नामक भारतीय भारवाहक जहाज को क्षति	Loss of Indian Freighter Vishwa Pratap	174—175
5439.	महिला पर्वतारोहियों द्वारा हिमालय पर्वत की कैलाश चोटी पर चढ़ना	Girl climbers touched Kailash Peak of Himalayas.	175
5440.	कलकत्ता साप्ताहिक "नाउ" के लिये इन्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के विज्ञापन	I. A. C. advertisements for Calcutta Weekly 'Now'.	175—176
5441.	नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में तैरने का तालाब	Swimming Pool in National Stadium, New Delhi.	176—177
5443.	सिलचर हवाई अड्डा	Silchar Aerodrome	177
5444.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	177—178
5445.	दिल्ली में एक स्कूल से दुसरे स्कूल में स्थानान्तरण पर विद्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क	Dues paid by students on transfer from one school to another school in Delhi	178

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5446.	दिल्ली पोलीटेक्निक में हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न दिया जाना	Non-disbursement of Scholarship to H. P. students n Delhi Polytechnic	178—179
5449.	सांख नदी पर पुल	Bridge over River Sankh	179—180
5450.	जलपाई गुड़ी के चाय बागान क्षेत्र में स्कूलों की कमीं	Shortage of Schools in Tea Garden Area of Jalpaiguri	180
5451.	पर्यटन पर पूंजी विनियोजन	Investment on Tourism	180—181
5452.	मध्य प्रदेश में भारत स्काउट्स एन्ड गाइडज के कर्मचारियों का वेतन	Salaries of Staff of Bharat Scouts and Guides in M.P.	181
5453.	जामिया मिलिया के विरुद्ध आरोप	Allegations against Jamia Milia	181
5455.	रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सिल्चर	Regional Engineering College, Silchar	181—182
5456.	मणिपुर मन्त्री की नियुक्ति	Appointment of Minister in Manipur	182
5457.	हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने के लिये हि० प्र० का सर्वदलीय विधायक प्रतिनिधि मंडल	All-parties M. L. A. Delegation from Himachal Pradesh for Statehood to Himachal Pradesh	182
5458.	हाथरस में हत्या	Murder in Hathras	182—183
5459.	कूच बिहार के निकट नाव दुर्घटना	Boat Mishap near Cooch Behar	183—184
5460.	एयर-इन्डिया द्वारा नये विमानों की प्राप्ति	Acquisition of New Planes by Air India	184
5462.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	Employees on deputation to Chandigarh Union territory	184
5463.	चंडीगढ़ के अध्यापकों का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण	Transfer of Teachers from Chandigarh to rural areas	184—185
5464.	चन्डीगढ़ में पुरानी पुस्तकें पढ़ाई जाना	Teaching of old books in Chandigarh	185
5465.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission's Report	185

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAES
5466.	एस० डी० एम० सदर (त्रिपुरा) का आचरण	Conduct of SMD, Sadar (Tripura)	185—186
5467.	मंत्रि-परिषद के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट	A. R. C. Report on Council of Ministers	186
5468.	सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग के कारण बिहार में भूतपूर्व कलक्टर श्री शिशिर कुमार लाल का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Shri Shishr Kumar Lal from Collector in Bihar for missue of Government property	187
5469.	हिन्दी में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र	M. A. Hindi passed candidates	187—188
5470.	मद्रास में पूमपुहर में भूतत्वीय तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं	Archaeological Histroic interest in Poom Puhar in Madras	188
5471.	मद्रास राज्य के गेस्ट हाउस की कार को तामिलनाड मुख्य मंत्री को लाने के लिये पालम हवाई अड्डे में न जाने दिया जाना	Madras State Guest House Car not permitted to enter Plam Air port to pick up Chief Minister of Tamilnad	188—189
5472.	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन	Economic and Social Planning in J&K State	189
5473.	त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. infiltrators in Tripura	189—190
5474.	उत्तर प्रदेश में संयुक्त समाजवादी पार्टी द्वारा सत्याग्रह	S. S. SP. Satyagraha in Uttar Pradesh	190
5475.	राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला के कर्मचारी संघ को मान्यता का नहीं दिया जाना	Non-Recognition of the National Metallurgical Laboratory Workers Union	190
5478.	ए और बी श्रेणी के स्कूलों की सहायता में अन्तर	Difference in Assistance to A and B Category of Schools	190—191
5479.	उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर कालेज	Post-Gradudate Colleges in Uttar Pradesh	191

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5480. मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga at Mirzapur	191
5481. पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में नियुक्तियां	Appointment in Public Library, Delhi	192
5482. पंजाब के पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों का पुनर्वितरण	Re-allocation of Staff due to Punjab Reorganistion	192
5483. दिल्ली उच्च न्यायालय के मामलों का हस्तान्तरण	Transfer of cases to Delhi High Court	192—193
5484. मध्य प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Three-Year Degree Course in Madhya Pradesh	193
5486. विकासशील देशों में पुस्तकों का अभाव	Book Famine in Developing Countries	193—194
5487. बड़ौदा हवाई अड्डा	Baroda Aerodrome	194—195
5488. गुजरात में पर्यटन	Tourism in Gujarat	195
5489. गुजरात में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Gujarat	195—196
5490. शास्त्री तथा आचार्य की डिग्रियों को मान्यता	Recognition of Degrees of Shastri and Acharya	196
5491. तिरुपति हवाई अड्डा	Tirupati Aerodrome	196
5492. आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का विकास	Development of National Highways in Andhra Pradesh	196—197
5493. इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा सीटों का आरक्षण करने से इन्कार करना	Denial of Air Reservations by I.A.C.	197
5494. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों में स्थानों का आरक्षण	Air Reservations by I.A.C.	197—198
5496. प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षु प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Scheduled Castes in Training Programme and Apprenticeships	198
5497. सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन सम्बन्धी नियम	Rules for Publication of Books, Articles etc. by Govrnment Servants	198—199

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5498.	नागरिक पुलिस दल	Civil Police Force	199
5499.	भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती	Recuritment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Anthropoligical Survey of India	199—200
5500.	भुज में एक ब्रिटिश विमान का उतरना	Lanuing of a British Plane at Bhuj	200
5501.	विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence course for Teaching Hindi to Foreigners	201
5502.	वैल्लोर में माओ के इश्तहार	Mao Posters in Vellore	201
5503.	पत्रकारों के नेता को गिर-फ्तार किया जाना	Arrest of Journalist Leader	201—202
5504.	भागीरथी नदी का तलकर्षण (ड्रेजिंग)	Dredging of "Bhagirathi"	202—203
5505.	कृषि प्रधान शिक्षा के लिये शिक्षा आयोग की शिफा-रिशें	Education Commission's Recommendations Re:Agricultural biased Education	203
5506.	केशोड और पोरबन्दर में हवाई पट्टी	Air Strips at Kashod and Porbander	203—204
5507.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरा विवाह	Second Marriages by Government Servants	204
5508.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	204
5509.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	C. S. I. R.	204—205
5510.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	205
5511.	विदेशी में बसे इंजीनियर, डाक्टर और विशेषज्ञ	Engineers, Doctors and Experts settled abroad	205
5512.	पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in West Bengal	205—206
5513.	रेलवे लोको शेड बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी	Employees of Railway Loco Shed, Bombay Port Trust	206—207
5514.	उत्तर प्रदेश में पौड़ी देव-प्रयाग सड़क	Puri-Devprayag Road in U.P.	207

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5515, संसदीय सहायक	Parliament Assistants	207—208
5516. दिल्ली के अध्यापकों का आन्दोलन	Agitation by Delhi Teachers	208
5517. पर्यटक बीज शुल्क को समाप्त करना	Abolition of Tourist Visa Fee	208—209
5518. दिल्ली में अधिकारियों द्वारा प्लाटों की बिक्री	Sale of Plots by Officers in Delhi	209
5519. दिल्ली में अवैतनिक दंडनायक (आनरेरी मजिस्ट्रेट)	Honorary Magistrates in Delhi.	209—210
5520. शिमोगों में वीर शिवप्पानायक के महल के स्थान पर गिरजाघर	Church on palace site of Hero Shivappnayaka at Nagara in Shimoga	210
5521. महाराष्ट्र में भाषाई ल्प संख्यकों के लिये शिक्षा सुविधाएं	Educational facilities, to linguistic minoritis in Maharashtra	210—211
5522. मध्य प्रदेश में डकैतियों की समस्या	Problem of dacoity in Madhya Pradesh	211
5524 त्रिपुरा में डकैती	Docoity in Tripura	211—212
5525 बाराटूटी चौक दिल्ली में यातायात नियंत्रण	Traffic regulations at Baratooti Chowk Delhi	212
5526 खुर्जा तहसील के क्षेत्राधिकार के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against area officer of Khurja Tehsil	212
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of Urgent Public Importance	212—215
सामूर पार में ईस्ट पाकिस्तान राइफलस के सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश का समाचार	Reported trespassing of East Pakistan Riflemen into Indian territory at Samur Par.	
श्री बे० कु० दासचौधरी		
श्री ब० रा० भगत		
मंत्री के त्याग पत्र के बारे में	Re. Resignation of Minister	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	216—218
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	218—219

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्राक्कलन समिति	Estimate Committee	
इक्सठवां प्रतिवेदन	Sixty-first Feport	
चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में	Re. situation in Czechoslovakia	219—222
स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक	Gold (Control) Bill	222—227
चैकोस्लोवाकिया के विषय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प के बारे में प्रस्ताव	Motion re. U.N. Security Council Resolution relating to Czechoslovakia	227—246
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री वी० कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधारा	Shri Sriraj Meghrajji Dharangadhra	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Swrimati Indira Gandhi	
तालचेर उद्योग समूह के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Talcher Industrial Complex	247—250
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 23 अगस्त, 1968/ 1 भाद्र, 1890 (शक)

Friday, August 23, 1968/ Bhadra 1, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में खोखों का गिराया जाना

631. श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में दिल्ली में तिलक नगर में कुछ खोखे सरकार की हिदायतों पर गिराये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) से (ग) : मई, 1968 में तिलक नगर, दिल्ली में स्वयं दिल्ली प्रशासन द्वारा कुछ खोखे गिराये गये थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी नहीं की गई थीं।

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, the hon. Minister has stated that these Khokhas were demolished by the order of Delhi Administration. I want to know from him what he means by Delhi Administration. Whether he means the Lieutenant Governor or Chief Executive Councillor or someone else ? Because the Lieutenant Governor and Executive Councillor of Delhi have publicly stated that these Khokhas were demolished without their permission. They had no knowledge about it. When the police went there to demolish the Khokhas and they themsleves took all these actions then will the hon. Minister be pleased to state what is the truth about it ?

Shri Vidya Charan Shukla : I want to draw the attention of hon. member to the statement of Lieuntenant Governor which was made on May 23. There the statement is clear that he want to Najafgarh Road. He saw that there are such Khokhas which are obstacles to the traffic and therefore he instructed the local authorities to remove them. Under these instructions the Khokhas were demolished. He also stated that in the process of demolishing the Khokhas some mistakes occurred which should have been avoided and later on he conducted personal enquiry and instructed to compensate for the errors committed. Later on he also stated that statement was not made by anyone nor the instructions were given. He himself conducted this enquiry and not by any officials.

Shri Hardayal Devgun : There is a considerable distance betewen Najafgarh and Tilaknagar. Whether this order was in respect of Najafgarh or Tilaknagar ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as I know this instruction was for both.

Shri Hardayal Devgun : As far as the demolishion of unauthorised construction or this kind of Khokhas are concerned, the Delhi Development Authority or the Municipal Corporation of Delhi are the proper authorities. The Delhi Development authority did not decide this. His Chairman and Chief Executive Councillor of Delhi was not taken into confidence nor was informed. The Delhi Municipal Corporation was not taken into confidence about it and even the officials of Delhi Municipal Corporation protested when the Khokhas were being domolished. They stated that they receive Tehbazari from them and they are sitting after taking permission from them. The Zonal Assistant Commissioner of that area of Delhi submitted a written statement to the Magistrate that they are sitting with their permission and we realise Tehba zari from them (**interruption**) Then whether it is a fact that the Delhi Development authority has no information about it. The Corporation did not give any order and the police made atrocities even when the Corporation asked them not to do so.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that the incident of demolishing the Khokhas at Tilaknagar or Najafgarh Road was under the supervision of the Lieutenant Governor himself and the action was taken according to his order. I have also stated that the Lieutenant Governor has said that some such Khokhas were demolished which were giving Tehbazari under licence from Delhi Municipal Corporation and he further stated that he has given direction for restoration of these Khokhas at their places which were paying Tehbazari. I presume some action might have been taken in this regard as I have already stated.

श्री बलराज मधोक : सामान्य शिष्टाचार और संसदीय आचरण के अनुसार हमें प्रत्येक सदस्य को माननीय सदस्य और मंत्री को मंत्री महोदय कहकर सम्बोधित करना चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि मंत्री महोदय इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो न उनके लिए सम्माननीय है और न इस सभा के लिए ही। उन्होंने रेड्डी प्रतिवेदन पर सदन को गुमराह किया। उन्होंने यहाँ गलत वक्तव्य दिया। मैंने रेड्डी प्रतिवेदन को देखा है। उन्होंने उस समय सभा को गुमराह किया और आज भी वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

दिल्ली के राज्यपाल ने खोखों को गिराने के आदेश कभी नहीं दिये थे। नजफगढ़ मार्ग में कुछ व्यक्ति अनाधिकारी रूप से यहां आ गए थे और उन्हें हटाना था। उन्हें निगम द्वारा हटाया जाना था क्योंकि वे मुख्य सड़क पर अनधिकृत कब्जा कर रहे थे। ये खोखे पिछले 10 वर्षों से वहाँ विद्यमान थे और वे निगम को नियमित रूप से लाइसेंस की फीस दे रहे हैं। उनके यह फ़ीस न देने का प्रश्न नहीं उठता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्यपाल ने इससे इन्कार नहीं किया है ? राजपाल ने मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली के सामने इन्कार किया है, उन्होंने जनता के सामने यह वक्तव्य दिया है कि उन्होंने इन खोखों को गिराने का आदेश कभी नहीं दिया है। अनधिकृतवासियों को हटाने के लिए आदेश दिए गए थे। खोखे वाले अनधिकृत वासी नहीं हैं और वे पिछले 10 वर्षों से वहाँ बैठे हुये हैं।

दूसरा, खोखों को गिराने वाले दल के साथ जो मैजिस्ट्रेट गया था, उसने क्षेत्रीय परिषद् और निगम के सहायक आयुक्त की बेइज्जती की क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि "हम नहीं चाहते कि इनको गिराया जाय; वे स्थायी लाइसेंस शुदा हैं। कृपा करके इनके खोखों को न गिराया जाय," उसने वहाँ कार्यकारी पार्षद और नगर के पार्षद को गालियाँ दीं।

क्या सरकार तथ्यों को जानने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्ति करने को तैयार है ? मेरा आरोप यह है कि उनके द्वारा दी गई सूचना गलत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने को तैयार है जिससे इस मामले के सब तथ्यों का पता लगाया जा सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने कुछ बातें पूछी हैं और कुछ ऐसे अभियोगों को दुहराया है जिनका मैंने जोरदार शब्दों में इन्कार किया है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस सम्बन्ध में उपराज्यपाल ने जो कुछ विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको उद्धृत करता हूं। 28 मई को जो उन्होंने लिखा था : "जैसा कि आपको मालूम होगा, कि व्यक्तिगत जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उस स्थान पर अधिकारियों में अधिक उत्साह के कारण और अनुदेशों को ठीक न समझने के कारण कुछ ऐसे खोखों को गिरा दिया गया है जो नहीं गिराए जाने चाहिये थे। मैं यह भी समझता हूँ कि गिराये गए खोखों के मालिक अपने दावे को सिद्ध करने के लिये ऐसे कोई प्रमाण दिखा न सके जिनसे यह पता चलता हो कि उनके पास उसी स्थान पर खोखों को लगाये रखने के लिए निगम से अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा इस तथ्य को देखते हुए जैसा कि ऊपर कहा हुआ है, मैं पहिले ही इस निर्णय पर पहुँच चुका हूँ, अतएव आपको इसकी जाँच-पड़ताल में अधिक समय नहीं लगाना चाहिये।"

तब उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है और किसने इसकी जाँच-पड़ताल की। जब दिल्ली के उपराज्यपाल स्वयं जाँच पड़ताल करके एक निश्चित निर्णय पर पहुँचे हैं तो मैं नहीं सोचता कि सिवाय राजनीतिक कारणों से, अगर वह भी माननीय सदस्य के मन में है, तो और किसी कारण से जाँच करने की आवश्यकता है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker. these people charge against the Ministers without any enquiries and make noises without giving attention to the answer of Ministers. (**Interruption**) . I want to know whether it is correct that they do not want to remove those owners of Khokhas and squatters who gave them votes and want to remove those who gave votes to the Congress. I want to ask from the hon. Minister whether it is correct ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री अमीन !

आसाम का पुर्नगठन

632. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : **श्री रा० को० अमीन** :
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री स० क० तापड़िया:**

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम के पुर्नगठन के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा निश्चित की है ?

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस उद्देश्य से ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय पर पहुँचने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ।

Shri Prem Chand Verma : I want to ask from the hon. Home Minister whether the Government has any such scheme to satisfy the people of Hill areas of Assam and whether Government contemplate to take such positive steps so that the people of hill areas may be persuaded, so that there may not be the division of Assam.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमारे पास विकल्प प्रस्ताव है परन्तु मैं उन पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता ;

Shri Prem Chand Verma : Has any definite decision regarding the reorganisation of Assam been taken ? Which areas will be taken out of the State and whether the separated areas will be declared as Union territory, or will be given full statehood. What is the correct position ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है तब मैं कैसे पहले अनुमान लगा सकता हूँ ।

Shri Beni Shankar Sharma: The hon. Minister is aware that there are more than fifty tribes in Assam with their own language which differs from each other. As far as the reorganisation of Assam is concerned, the inhabitants of the Garo, the Khasi and the Jayantia region have been demanding a separate State. Will the Hon. Minister be please to state whether there is any such demand from Asham and other tribes and the policy of the Government regarding these demands ?

I want to say one more thing. After the partition of the country our Government have started the disintegration and division of States in the name of reorganisation of States, with the result, that the disastrous consequences are before us. Will the hon. Minister take into consideration the suggestion given by some thinkers regarding the re-oranisation of States that the country may be divided into four Zones i.e. the country may again be reorganised by dividing it in four zones ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि, जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सरकार ने इसके बारे में अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है कि वह पुर्नगठन के लिये वचनबद्ध

है। और यह स्थिति अभी भी है। जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मेरे लिये यह कहना कठिन है कि पुनर्गठन किस रूप में होगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : सरकार अब तक उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल न हो सकी है कि जनवरी 1967 के निर्णय को क्रियान्वित करने में वह पूरी ईमानदारी रखेगी। आसाम के पहाड़ी लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में देरी करने से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। जो नेता लोग अब तक उदार थे, वे और उनके अनुयायी प्रचंड उग्रवादी बन जायेंगे। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि वह स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि सरकार अगले सत्र के आरम्भ में जनवरी 1967 के निर्णय व घोषणा को क्रियान्वित करने के लिये विधान प्रस्तुत करेगी जिसके द्वारा समस्त उत्तरी-पूर्वी प्रदेश के लिए भारतीय संघ राज्य के भीतर सब घटक इकाइयों को समान दर्जा और प्रतिष्ठा देते हुए एक संघीय राज्य बनाया जायेगा ? क्या सरकार अगले सत्र के आरम्भ में विधान प्रस्तुत करेगा जिससे जल्दी ही इसे क्रियान्वित किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा उद्देश्य इस सत्र के दौरान निर्णय लेने का था और है। हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं इस सभा को वचन कैसे दे सकता हूँ ?

श्री सु० कु० तापड़िया : हम मंत्री महोदय को अगले सत्र का दो महीने तक का समय देते हैं।

श्री रा० कौ० अमीन : क्या इसका कारण यह नहीं है कि पहाड़ी राज्यों को स्वायत्ता देने के कारण मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी हमारी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिये सरकार निश्चय लेने से हिचकिचा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जैसा कि मैंने कहा है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं, वह यह बतलाता है कि यह समस्या कितनी उलझी हुई है।

श्री सु० कु० तापड़िया : परन्तु इन जटिलताओं को तो सुलझाना है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं चाहता हूं कि हम इन कठिनाइयों और जटिलताओं को समाप्त कर दें। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। परन्तु इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है और विभिन्न दलों से सलाह-मशविरा करना है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार जनवरी 1967 के वक्तव्य को पहाड़ी लोगों को दिया गया वचन समझती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं।

श्री स्वैल : पहाड़ी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आसाम के पुनर्गठन का प्रश्न सभा के भीतर और बाहर बार-बार आया है और सरकार कई बार यह वक्तव्य दे चुकी है कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

आपको याद होगा कि यह प्रश्न इस सत्र में और 1967 के शरद्कालीन सत्र में सभा

की कार्यसूची में दो बार आया है। गृह-कार्य मंत्री के इस कथन ने, कि यथासम्भव निर्णय लिया जायेगा, सम्बन्धित व्यक्तियों का विश्वास खो दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 'यथासम्भव शीघ्र' का क्या तात्पर्य है, क्या उनका तात्पर्य कुछ दिनों अथवा सप्ताह अथवा महीनों अथवा वर्षों से है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निश्चय ही इसका तात्पर्य वर्षों अथवा महीनों से नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस सत्य को देखते हुए कि अशोक मेहता समिति ने सर्वसम्मत सिफारिशें की हैं और इस समिति में उन सभी अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के जिनकी यूनिटें आसाम में थीं सब प्रतिनिधि शामिल थे। अशोक मेहता समिति ने विभिन्न पहाड़ी लोगों को अधिकतम स्वायत्तशासन देने की सिफारिश की है; इस सत्य को देखते हुए कि सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन (ए० पी० एच० एल० पी०), जिसने भिन्न पहाड़ी राज्य की माँग को बढ़ावा दिया था, अब एक छोटी सी संस्था हो गई है और इसके नाते यह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और ऐसे लोग भी हैं जो इसे छोड़कर चले गए हैं तो क्यों नहीं सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि वे अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों से आगे जाने को तैयार नहीं हैं जिसने कि आसाम की एकता की तस्वीर बनाए रखने का कोशिश की है जैसा कि वह अब है। क्या मैं सरकार द्वारा ऐसा न करने के कारण जान सकता हूँ ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो कुछ वे कहते हैं मैं उनसे सहमत हो जाऊँ। मेरा उनसे भिन्न मत रखने का भी अधिकार है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न था। मंत्री महोदय को मुझसे भिन्न मत रखने का अधिकार है। साथ ही साथ मेरे साथ सहमत होने का भी उन्हें अधिकार है। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ, चूँकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत हैं क्यों कि सब अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया जिसमें कि आसाम काँग्रेस दल भी शामिल — — — —

श्री रंगा : पहाड़ी लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

श्री हेम बरुआ : मैं अशोक मेहता समिति का सदस्य था और मैं जानता हूँ कि सब राजनीतिक दलों ने यह स्वीकार किया था — —

श्री स्वैल : पहाड़ी लोग इस समिति के सदस्य नहीं थे और मैदानी इलाकों के बहुत से दलों ने इस सिफारिश से अपना समर्थन वापिस ले लिया था। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे सही वक्तव्य दें और सभा के समक्ष गलत वक्तव्य न दें।

श्री हेम बरुआ : चूँकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत हैं और सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन (ए० पी० एच० एल० सी०) संस्था, जो कि अब छोटी रह गई है, के नेताओं की आकांक्षा स्वायत्तशासन प्राप्त करके केवल मंत्री बनने की है तो सरकार अशोक मेहता समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को क्यों नहीं स्वीकार करती ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्य अपनी जगह बैठ जायें। उनको यहां उस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : गृह-मंत्री ने ईमानदारी और गम्भीर प्रयत्न द्वारा सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन, आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति और संसदीय कांग्रेस दल को मिलाने का जो अद्भुत कार्य किया है उसके लिए यह सभा प्रशंसा करती है और प्रोफेसर स्वैल द्वारा व्यक्त चिन्ता तथा गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दिखायी गई उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि वे इस कार्य-केन्द्र में शीघ्रता करेंगे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं शीघ्रता करना चाहता हूँ परन्तु परिणाम केवल धीरे-धीरे प्राप्त होंगे।

श्री उमा नाथ : आसाम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिए हुए पूर्व वचन के बावजूद निर्णय लेने में इतनी देर की जा रही है। मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री चालिहा और यहाँ तक श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने पद त्याग करने की धमकी दी है। स्वयं आसाम कांग्रेस ने भी ऐसा करने की धमकी दी है।

एक माननीय सदस्य : श्री मोरारजी देसाई ने भी पद त्याग की धमकी दी है।

श्री उमानाथ : मैं नहीं जानता। उन्होंने पद त्याग की धमकी दी है अगर केन्द्रीय सरकार अपना वचन पूरा करती है और एक निर्णय पर पहुँचती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या (क) यह सच है कि इसके कारण देरी हो रही है (ख) यह सच है कि आंतरिक दल की फूट को न सुलझाने के कारण भारत सरकार पहाड़ी लोगो के साथ मैदानी लोगों को उचित समानता का अधिकार देने से इन्कार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जहाँ तक पद-त्याग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को सदा की तरह गलत सूचना मिली है। पुनर्गठन के मामले में हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है और इस पर विचार किया जा रहा है। हमारा ध्येय किसी समाधान को प्राप्त करना है। अगर इसी सत्र में इसका समाधान मुझे मिल जाता है तो मैं सभा के समक्ष इसके बारे में वक्तव्य दूँगा।

श्री कार्तिक उरांव:—इस सत्य को देखते हुए कि आसाम के प्रत्येक कोने से लोग अलग राज्य की मांग लेकर आ रहे हैं और इन सब मामलों में अल्पसंख्यक एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और हम बहुसंख्यकों की मांग की उपेक्षा कर रहे हैं। इस समय हमने केवल आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न पर फिर से विचार करना शुरू किया है। क्या सरकार इस समस्या को गम्भीरता से सोचेगी और केवल आसाम राज्य के पुनर्गठन के बजाय भारत के समस्त राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए आगे आयेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बड़ा सोच समझकर किया गया विचार है। यह एक सुझाव है।

श्री धरेश्वर कलिता: यह विषय आसाम के पहाड़ी लोगों में क्षोभ पैदा कर रहा है। भारत सरकार ने इस प्रश्न पर 13 जनवरी को घोषणा की थी। आप जानते हैं कि आसाम के मैदानी लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया था जबकि (ए० पी० एच० एल० सी०) ने इसे स्वीकार कर लिया था। चूंकि आसाम के मैदानी इलाके के लोगों ने इसे अस्वीकार कर

दिया था अतएव भारत सरकार इसको क्रियान्वित न कर सकी । तब अशोक मेहता के नेतृत्त्व में समिति नियुक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय: इसका इतिहास देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री धीरेश्वर कलिता: अशोक मेहता की सिफारिशें इसलिए क्रियान्वित नहीं की गईं क्योंकि पहाड़ी लोगों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था । इस सम्बन्ध में विधान को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व क्या मैं सरकार को इस बात को ध्यान में रखने के लिए मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों के मध्य मैत्रीपूर्ण समाधान निकल सकता है ? क्या वे इस प्रकार का समाधान ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: भारत सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि सम्मत और मैत्रीपूर्ण समाधान निकल सके। अतएव हम दोनों दलों के साथ अलग-अलग और इकट्ठे मिलकर बैठें। वही स्थिति अभी भी है। अगर किसी परामर्श की आवश्यकता है तो वह पहिले ही उनके साथ कर ली गई है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को प्रश्न के गुण-दोषों पर विचार करके निर्णय लेना है । साथ ही साथ अगर सलाह की आवश्यकता है तो भारत सरकार इसको अलग नहीं करेगी।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, the question of the rcorganistation of Assam is very complicated and delicate. The question of reorganisation of any other State is not so complicated as that. The question of United Maharasthra was also not so complicated. Assamese live in these border areas. (**Interruption**) As the Pakistan and China try to annex their boundaries through occupied Kashmir, in the same way our security is being endangered by the agitation of underground people of Nagaland. Under these circumstances it is our duty to honour the sentiments of their oneness with India being shown by the brave people of hill areas. It is a fact that they made demand for a hill State but the hill people also said that their aspirations should be fulfilled under the Constitution. As the Government had given the assurance that they would take a decision in this respect and these people suspended their agitation on this assurance. Keeping in view this point that the agitationing endanger our security, whether the Government would take a step in this session, to convene an all party conference and take such step which is permissible under Constitution, as it has done in other cases.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं;

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही इसका उत्तर दे, दिया है, मैं इस पर निर्णय लूँगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the latest scheme regarding the reorganisation of Assam shows that there is a division in and out of the Congress. And if that scheme is accepted then it will adversely affect on other States. I want to know will the hon. Minister give assurance to the house that no such scheme will be formulated which will endanger the security or affect adversely on other Stats and secondly will be consult the opposition parties also before finalising the report ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस मामले में किसी विशेष प्रक्रिया पर चलने के लिए वचनबद्ध नहीं हो सकता । हमने नेताओं के साथ किसी भी विषय पर वाद-विवाद करने पर अनिच्छा प्रगट नहीं की । हम इन विषयों पर उनसे बातचीत कर चुके हैं।

श्री वी० कृष्ण मूर्ति : इस सत्य को देखते हुए कि गारो, किनलिङ, मिजो और

सिकिम की पहाड़ी राज्य की माँग हमारे देश के सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित है और यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील हैं जहाँ कि बहुत सी भूमिगत कार्यवाहियाँ की जा रही हैं और हमने नागालैन्ड की माँग को स्वीकार कर लिया है जो कि भारत सरकार और जनता के लिए सरदर्द बना हुआ है तो क्या सरकार पहाड़ी राज्य बनाने से पूर्व सौ बार सोचेगी ताकि देश की सुरक्षा कायम रह सके और विदेशी आक्रमण से सीमा की रक्षा हो सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रख लिया है।

चीनियों द्वारा "नेफा" में गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण

*** 633.† श्री नि० रं० लास्कर : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनियों द्वारा "नेफा" के कुछ लोगों को गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में विद्रोहियों की घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह—कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नेफा क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने और घुसपैठ को रोकने के लिये सतर्कता बरती जा रही है।

श्री नि० रं० लास्कर : हम यह महसूस करते हैं कि जहाँ तक नेफा का सम्बन्ध है सरकार पृथक्करण की नीति अपना रही है तथा पृथक्करण की इस नीति के कारण देश के उस भाग में छिपी कार्यवाही करना सम्भव हो गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार समूचे देश में पृथक्करण की नीति समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पृथक्करण की ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई गई है परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि यह एक संघ राज्यक्षेत्र है जिसकी सीमा चीन और भूटान से लगती है जिसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रतिबन्ध, जैसे कि आन्तरिक रेखा क्षेत्र प्रतिबन्ध, लगाने होते हैं। इसके अलावा पृथक्करण की कोई नीति नहीं है। हमने नेफा के निवासियों के लिये भारत दर्शन यात्रा आरम्भ की है तथा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हम कुछ लोगों को बसने के लिये वहाँ भूमि दे रहे हैं। जहाँ तक पृथक्करण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह विचार सही है।

श्री नि० रं० लास्कर : तथापि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने यह कहा है कि देश के उस भाग में कुछ ऐसी कार्यवाहियाँ हो रही हैं। हमारा प्रयास असफल रहा है क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे गुप्तचर विभाग को सफलता नहीं मिली है। परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वहाँ पर गुरिल्ला लड़ाई की हरकतें न हो सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस बारे में पूर्णतया सतर्क हैं।

श्री बूटा सिंह : नेफा में कुछ लोगों को बसाने, देश के अन्य भाग की तरह उस क्षेत्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने की भी योजना बनाई गई थी। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि वह योजना गृह-कार्य मंत्रालय में किस अवस्था में पड़ी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह योजना पहले ही चालू है।

Shri O.P. Tyagi : May I know whether this thing has been brought to the notice of the Government that China has started negotiating with the rebel Nagas in the tone that they are prepared to recognise their rebel Government provided they are prepared to do rebellion in Assam. In that case they are pepared to give them arms also. May I know the reaction of the Government in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : May I tell the hon. Member that this question relates to Nagaland and not Nefa. The question of Assam does not arise.

Shri K. N. Tiwary : China is propagating in Nefa that the Adavasies of that place are of Mangol descent. May I know what steps are being taken to counter-act that propaganda.

Shri Vidya Charan Shukla : Various steps have been taken in this regard. Community-listening sets have been provided and information-sets have also been arranged. Efforts are made day in and day out to counter-act Chinese propaganda.

श्री प० गोपालन : नेफा में हाल में किये गये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नेफा में बहुत गरीबी है तथा रहन–सहन की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर अब भी दासता की स्थिति है। निस्सन्देह लोग रहन–सहन की स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं परन्तु हम जन–आन्दोलन को दबा रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि वहां पर जन–आन्दोलन को दबाने की बजाय क्या सरकार वहां की गरीबी तथा दासता को दूर करने का प्रयत्न करेगी ताकि लोगों के दिल में यह भावना पैदा हो जाये कि वे इस देश के योग्य नागरिक हैं तथा द्वितीय नागरिक नहीं हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस क्षेत्र में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था तथा उससे यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में विकास–कार्य करने की काफी सम्भावनायें हैं तथा उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। हमने उस सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर इस सभा में पहले ही दे दिये हैं।

परन्तु मैं प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, जो चीनी अवैध प्रवेश के शोरोगुल के बारे में उठाया गया है, कुछ कहना चाहता हूँ। इसे ऐसा कहना गलत बात होगी। चीनी अवैध प्रवेश का वास्तव में खतरा है तथा उसका मुकाबला किया जाना है। उस क्षेत्र में दासता का प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक आदिम जातीय संस्था है और इसका विकास किया जाना है। यह कहकर नेफा के लोगों को बदनाम करना गलत बात है कि वहाँ के लोग गुलाम हैं। हम इस के बारे में पूर्णतया सतर्क हैं।

श्री बूटा सिंह : क्या माननीय मंत्री उस क्षेत्र में सेना की उपस्थिति के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ? माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कठोर भाषा का प्रयोग किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री बीरभद्र सिंह : माननीय मंत्री ने अभी ही कहा है कि नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का काम पहले ही चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने भूतपूर्व सैनिकों को नेफा में बसाया जा चुका है अथवा बसाये जाने की संभावना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे स्मरण है कुछ सौ परिवारों को बसाया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य पृथक् सूचना दें तो मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि नेफा की स्थानीय जनसंख्या दस लाख से कम है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वहाँ पर अधिक-से-अधिक संख्या में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है जैसाकि पहले श्री बूटा सिंह ने सुझाव दिया था, जो वहाँ पर जाकर जोखिम का सामना करते हुए बसने का साहस रखते हैं, ताकि वहाँ पर उपलब्ध भूमि काश्त की जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हाँ। माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ एक योजना पहले ही बनाई जा चुकी है तथा भूतपूर्व सैनिकों के सैकड़ों परिवारों को वहाँ पर बसाया जा चुका है। हम यथासम्भव अधिक भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Yajna Datt Sharma : Hon. Members are standing here again and again while I am not. Those Members who follow the rules are not called to speak.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के दल यानि जनसंघ से एक सदस्य को पहले बुला चुका हूँ। मुझे अन्य दलों के नेताओं को भी बुलाना है यदि वह प्रश्न पूछना चाहें।

Shri Rabi Ray : You know that when China had launched aggression on Nefa then the Adivasis of that place had not fought in that spirit as the people had fought in Leningrad. May I know whether Government has thought out any other alternative against Maoism with a view to make the people of that border area strong ? Whether any training in guerilla warfare has been given to them to stand for chinese attack ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I have already stated we are already vigilant ahout the danger to the defence of our country and we are making efforts in that regard. It is not in public interest to give the details in this connection. At the same time I can assure that we are very much vigilant to defend our border areas, especially Nefa ?

Shri M. A. Khan : It is being published in the newspapers and the attention of the House has also been invited to the fact that in the border areas of China, may be Nagaland or Nefa, the guerilla war activities are being intensified. Our people go in China and Pakistan and get training there. Government has failed to check it so far. In this background may I ask whether instead of saying in the House that we are regotiating with them or are adopting some other methods Government propose to take some effective steps to stop going and coming business and check guerilla warfare training, because, that is bad from our security point of view ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have answered this question in the answer to the original question. As far as the question to stop Nefa people from going there is concerned we are tying to make, as far as possible, best efforts.

Shri M. A. Khan : This is the answer, which is always given. May I know what are those steps which have actually been taken so far to put a full stop of their going to that place ?

Shri Vidya Charan Shukla : Neither I can give the details of the steps that are being taken nor do I want to discuss this matter broadly.

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने अपने पहले उत्तर में कहा है कि सरकार इस धमकी को झूठी नहीं समझती है बल्कि वास्तविक। परन्तु किसी को ऐसा नहीं लगता है कि इस धमकी का सामना करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे जीवन की मुख्य तरंग में नेफा को मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या हम अब भी उस पुरानी नीति को अपना रहे हैं जिसके बारे में नेफा में चीनी आक्रमण के समय यह पता लग गया था कि वह बेकार है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्हें गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री महोदय ने इस खतरे को महसूस किया है कि चूँकि अब आक्रमणकारी को लाभ मिलता है इसलिये बेचारे ऐसे नेफा नागरिकों को, जिन्हें प्रशिक्षण के लिये चीन ले जाया गया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो वापिस भारत आ गये हैं, नेफा की तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार द्वारा वैसे ही प्रयोग में न लाये जयें जैसा कि रूसी सरकार को बुलाया गया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं संक्षेप में यह कहना चाहूँगा कि हम नेफा की अर्थव्यवस्था को शेष देश की अर्थ व्यवस्था के साथ कैसे मिलाना चाहते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि सभी से अच्छा एकीकरण संघ राज्यक्षेत्र को अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास और उसे शेष देश की अर्थ व्यवस्था से मिलाने से हो सकता है। इस सम्बन्ध में, जैसा कि प्रश्न के पहले उत्तर में बताया जा चुका है, तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उस आधार पर कई उपाय किये गये हैं। यदि मुझे सही–सही स्मरण है, हमने सभा के समक्ष एक विवरण रखा है कि हमने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है। मैं इस समय इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहाँ तक चीनी खतरे के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि खतरा अवश्य है। जहाँ तक खतरे का मुकाबला करने के लिये कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता हूँ कि सभा में सभी आँकड़े देना मेरे लिये उचित होगा।

Shri Tulshidas Jadhav: In Nefa and other border States people of other parts of the country cannot go and settle there nor they can acquire any property there. Under these circumstances separatist feelings develop in them. May I know the steps Government has taken to prevent separatist feelings in them and allow other persons to acquire property there ?

Shri Vidyacharan Shukla : I have already stated that from the defence point of view some rules have been made to prevent everyone to settle there because in case of no check some such people may go there and settle which may endanger the security of the country as well as Nefa. At the same time you must have seen that we are taking steps to rehabilitate ex- service men there. If such like persons want to go and settle there we have no objection. But if we allow all and sundry then some such things many happen which are not in the interest of the country.

श्री रणजीत सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना बनाई गई है। इस सिलसिले में मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या

केवल नेफा के भूतपूर्व सैनिक ही, विशेषकर मिजो पहाड़ियों से ही, वहाँ जा सकते हैं अथवा देश के अन्य भागों के भूतपूर्व सैनिक भी वहाँ जा कर बस सकते हैं ताकि मिलीजुली संस्कृति तथा अधिक एकीकरण की व्यवस्था हो सके जैसा कि सरकार के राजनैतिक गुरुओं ने एजरबेजान, उजबेकिस्तान तथा ताशकन्द में किया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे स्मरण है इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है । किसी भी भाग का कोई भी भूतपूर्व सैनिक वहाँ जा कर बस सकता है ।

श्री हेम बरुआ : भारत-नेफा सीमा पर प्रतिबन्ध है । देश के अन्य भागों के नागरिक परमिट के बिना नेफा नहीं जा सकते जबकि नेफा के साथ भारत–चीन सीमा एक खुली सीमा है । नेफा के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग चीन जाते हैं तथा चीनी लोग भी नेफा आते हैं । इन दोनों सीमाओं पर रहने वाले लोगों के बीच आपस में विवाह आदि भी होते हैं । माननीय मंत्री ने सतर्कता की बात भी की थी । हम जानना चाहते हैं कि वे कैसी सतर्कता रखते हैं । चीन के आक्रमण के पहले बोमडीला में एक चीनी होटल था तथा मैंने यह बात सरकार के ध्यान में ला दी थी कि वहाँ जासूसी की जाती थी । सरकार ने इस सभा में हमें बताया था कि वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है । चीनी आक्रमण के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रथम पुरुष थे जिन्होंने यह कहा था कि चीनी होटल वहाँ ऐसा कर रहा है । चाहे कुछ भी हो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार हमें यह बताने को तैयार है कि नेफा के साथ भारत चीन सीमा को सीमा पर रहने वाले लोगों के आने–जाने के लिये एक खुला दरवाजा बनाने की बजाय वह उसे बन्द करने जा रही है क्योंकि वह सीमा के इस ओर प्रतिबन्ध लगा रही है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री हेम बरुआ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं परन्तु मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेफा क्षेत्र में आन्तरिक रेखा प्रतिबन्ध हैं तथा यह सुरक्षा की दृष्टि से हैं । जहाँ तक नेफा–चीन सीमा का सम्बन्ध है यह खुली सीमा नहीं है; यह बन्द सीमा है । हम भी इसे बन्द करने का प्रयत्न करते हैं तथा आना जाना रोकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : तब आपस में विवाह-शादियाँ कैसे हो सकती हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ विवाह चोरी छिपे हो जाते हैं परन्तु हमारा प्रयास उन्हें पूर्ण रूप से बन्द करने का है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon-Minister has just now stated that about hundred families have been settled in Nefa. May I know whether they have been provided necessary facilities ? May I also know the number of more facilities proposed to be settled there so that they may be assured that in case there is any trouble there that will be dealt with effectively?

Pro-Chinese are doing propoganda work there. May I know the nature of propaganda being done there? May I also know whether any persons have been apprehended in this connection, if so, their number ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the question of settlement of ex-service men is concerned I have already stated that a few hundred families have been settled there and such a scheme is still in existence. We are giving encouragement to ex-servicemen to go and settle there in as much number as possible. We are providing them land free of cost, we provide them houses, cash grants, pairs of oxen and tillers etc. We also make arrangement of their expenditure for a year or two. I have already given details in this regard.

As far as techno-propaganda is concerned as I have already stated it is going on there. We make efforts to check it as well as its effect. We have set up three or four community centres there where raido sets have been provided, and arrangements have been made to provide them with written material. With all these efforts we try to counteract propaganda there.

Shri Hukam Chand Kachwai : I also wanted to know how many pro-Chinese have been apprehended and the nature of propoganda work being done by them there ?

Shri Vidyaa Charan Shukla : I do not have any such information with me at present. In case any such question is asked I will answer that.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

Shri Hardyal Devgun : I rise on a point of order in regard to question No. 635. It depends upon its admissibility. Under rule 41 such questions cannot be asked. See rule 41(2) :—

प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है : अर्थात :-

× × ×

उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अध्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।"

You will find all thse things in that question. My request is that you should not have admitted this question and now you should not permit this question to be asked because such words as

"on account of inactivity and wrong policies of the Delhi Administration" have been used.

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सी बात अग्राह्य है ?

Shri A. B. Vajpayee: Allegations have been made against Delhi Administration in this question. An allegation to the effect that that body is inactive cannot be levelled in a question. Delhi Administration is an autonomous body. Delhi Administration is being run by a party which is not a ruling party in the Centre. It is not correct to level allegations in the form of question. The hon. Member can ask about the posititin of Sales Tax in Delhi.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। केवल उसी भाग का उत्तर दिया जाये । जैसा आप ने कहा बिक्री कर के बारे में जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं हैं, आप बिक्री कर के बारे में पूछ सकते है, कितना है, कितने मामलों को निपटाया जाना शेष है, कितने मामले निपटाये जा सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह उसी भाग का उत्तर दें जो आपत्तिजनक नहीं है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):मैं इस मामले में सरकार की स्थिति भी स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा यह भी इरादा है कि जो विषय दिल्ली प्रशासन को सौंप दिये गये हैं उनकी महानगरपरिषद में आलोचना करना उनका अधिकार है। हमारा इरादा यहाँ चर्चा में दिल्ली प्रशासन को घसीटना नहीं है। मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ । इस हद तक मैं श्री वाजपेयी से सहमत हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए केवल उसी भाग का उत्तर दिया जाये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे सभा-पटल पर विवरण रखना है। यहाँ पर उठाये गये सभी

प्रश्नों का यह समेकित उत्तर है । यह एक लम्बा विवरण है । अतः मैं इसको सभा–पटल पर रखना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं बातों के बारे में जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने अभी कहा, बिक्री–कर तथा लम्बित मामलों के बारे में उत्तर होना चाहिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरी कठिनाई यह है कि इस प्रश्न के उत्तर में हमने एक विवरण तैयार किया है जोकि लम्बा है और जिसको मैं सभा–पटल पर रखना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : विवरण के बाद आप केवल वही जानकारी दे सकते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि लोक-सभा सचिवालय उसको निकाल दे तो मैं इसको पसंद करूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको पढ़ा है, उसमें किसी दल के विरूद्ध कुछ नहीं है । यह लम्बित मामलों के बारे में अथवा निपटाये गये मामलों के बारे में है । केवल यही विवरण है । आप इसको सभा–पटल पर रख सकते हैं ।

Shri M. A. Khan : You are seeing Sir, that daily allegations are levelled against us and remarks are passed. These people are free to do all these things and restrictions are imposed on us.

Shri A. B. Vaipayee : Such questions should not be entertained in future.

Sales-Tax Department, Delhi

*635. **Shri Sitaram Kesri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report that Government have to bear loss of crores of rupees on account of inactivity and wrong policies of the Delhi Administration and the Sales-Tax Department is wholly responsible therefor ;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the reports that due to negligence on the part of the Sales-Tax Department, 60 per cent of the Sales-Tax cases brought to the courts four years back are still pending ;

(c) if so the reaction of Government thereto ; and

(d) the action being taken by Government in this connection.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : A statement is attached.

Statement

(a) It is not possible to give a precise estimate of the leakage or evasion/sales-tax in revenue, but the possibility of leakage is there.

(b) The total number of cases pending before Courts and other authorities is as follows:

	Total number of cases on 1.7.68	Number of cases pending for over 4 years	Percentage for over 4 years cases.
Assistant Commissioner ..	Appeals 3848	Nil ..	Nil
	Revision 201 ..	1 ..	.5%

Commissioner ..	Revisions 470	36	.. 7.66%
Additional District and Sessions Judge.	Revision 205 ..	*16	.. 7.8%
		(*Out of these 16 cases, 7 have since been decided in July, 1968).	
High Court ..	61	9	14.9%

(c) and (d) The following steps are taken to check leakages of Sales-Tax revenue:

A regular survey of business-premises of dealers is undertaken, as also special surveys near festival days. On receipt of information, a search of dealers' premises and seizure of records is also undertaken. To encourage the necessary flow of information, cash rewards are given for information supplied. Efforts are made to detect bogus dealers. The rules framed under the Bengal Finance (Sales-Tax) Act, as applicable to the Union territory of Delhi, are being amended to make it obligatory on the part of dealers who have annual turn over of Rs. 50,000 or more to issue cash memos/bills for all individual sales exceeding Rs.3. This provision did not exist before. A special Flying Squad is being raised to detect suppressions and leakages of Sales Tax revenue on the spot. The entire survey and registration work will be done by the re-organised survey team consisting of two Sales Officers, six Assistant Sales Tax Officers and 25 Inspectors. To cope with the arrears of work, the existing 29 wards will be increased by 10, for which staff has been sanctioned recently. The Internal Audit Branch is also being strengthened and will work under the direct supervision of a Deputy Commissioner of Sales-Tax. The existing Bengal Finance (Sales-Tax) Act is proposed to be replaced by a comprehensive law based on the practices in the neighbouring States, as also the States of Bombay and Madras. This will contain numerous provisions for plugging loop-holes and leakages.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री प्रकाश वीर शास्त्री !

Shri Sita Ram Kesari : Sir, I have not asked any supplementary question

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। मैंने उसको अस्वीकार नहीं किया है। मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। कोई समझौता करना होगा।

Pro-Hindi Deputation from Southern States

*636. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a pro-Hindi deputation of Southern States led by Shri Nijalingappa met the Prime Minister recently ;

(b) if so, whether it is also a fact that the said deputation offered certain suggestions for the propagation of Hindi ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a), (b) and (c) A statement is attached.

Statement

(a) A deputation of the office-bearers of the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha led by Shri S. Nijalingappa recently met the Prime Minister who is also the President of the Sabha.

(b) In the memorandum submitted by the deputationists, the Sabha had asked for increased financial assistance on a 100% basis for expanding the Hindi propagation schemes handled by the main Sabha and its various State branches to counteract the ant-i-Hindi agitation propaganda in the South and also to meet the situation arising out of the abolition of the three-language formula by the Madras Government.The financial assistance sought was to the tune of Rs. 42.55 lakhs.

(c) The memorandum submitted by the Sabha was considered by the Karyakarini Upasamiti of the Hindi Shiksha Samiti at their meeting held on the 4th and 5th July, 1968 which had also a full-length discussion on the Hindi situation in the Madras State. The Upasamiti recommended that the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha may be asked to formulate a scheme for the opening of some 200 single-teacher Hindi Vidyalayas in select places in Madras State with 100% financial assistance from the Central Government. Such Vidyalayas will not only provide facilities of learning Hindi to those who wish to learn the language voluntarily but will also help in the absorption of the Hindi Teachers who may be retrenched by the State Government as a result of the abolition of the three-language formula. The Upsamiti did not, however, find it possible to recommend 100% financial assistance for the implementation of Hindi propagation schemes in States other than Madras due to paucity of funds. The recommendations of the Upasamiti have been accepted by the Ministry and the Sabha has been asked to prepare and submit a detailed scheme for the opening of Hindi Vidyalays in the Madras State for the consideration of the Government.

Implementation of the Hindi propagation schemes in non-Hindi States other than Madras will continue to be supported as in the past, keeping in view the funds available for the purpose during the current financial year.

Shri Prakash Vir Shastri : It has not been mentioned in the statement given in reply to this question that a delegation of Hindi supporters of the five states of southern India under the leadership of Sri Nijilingappa, Congress President, which met the Prime Minister had emphasized that a University of Hindi medium may be opened in Mysore and that Mysore Government is prepared to provide land and other amenities for the purpose at its own level. The Prime Minister admitted this thing in personal talks and this is also in the knowledge of Home Minister. I would like to know why this has not been included in the statement? The reaction of the Government thereto, if any such suggestion has been given ?

Shri Sher Singh : This is not included in the statement but this suggestion has come. Shri Nijilngappa has given this suggestion in writing also. Eduction Minister, Prime Minister and Shri Nijilingappa are considering this matter and they will take a decision thereon.

Shri Kanwar Lal Gupta : Why Shri Nijilingappa is considering this matter? How is he concerned with Government business ?

Shri A. B. Vajpayee : He is Chairman of the South India Hindi Prachar Samiti. He can consider it.

Shri Prakash Vir Shastri: I would like to know whether the delegation in his memorandum to the Prime Minister has said something like this that arrangements for the employment of those Hindi Teachers may be made who have been rendered unemployed in Madras and which have not been absorbed. If so, the number of such teachers and whether the Central Government have taken any action on the basis of the suggestion given in the memorandum ? I would also like to know whether three-language formula accepted by the Centre has also been accepted by that State. If not, the policy of the Government thereto ?

Shri Sher Singh : The delegation has stated that some teachers have been rendered unemployed as a result of new formula of the Madras Government. I have made personal enquiries about their number. They are about 300 who will be out of their jobs. All the remaining 1200—1300 will be absorbed.

श्री वी० कृष्णमूर्ति : जो कुछ वह कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। किसी को बेरोजगार नहीं रखा जायेगा। वह झूठी जानकारी क्यों देते है ?

Shri Sher Singh : I have got this information after talking to Education Minister and Education Secretary of Madras Government. I have said that thing on that basis.

A meeting of the Executive Sub-Committee of the Education Committee was held on the 4th and 5th July, 1968. The matter was considered in that meeting. Representatives of the South India Hindi Prachar Sabha were also present there. It was suggested to them that they should submit a scheme regarding opening of 200 One-Teachers School.

श्री पी० राममूर्ति : यह सब विवरण में हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां यह विवरण में हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Second part of my question has not been replied. Has the Madras Government accepted the decision of the Central Government about three language formula ? If not, the policy of the Government ?

अध्यक्ष महोदय : यह विवरण में हैं। मैंने उसको पढ़ा है।

Shri Prakash Vir Shastri : There is nothing about three-language formula in the statement.

अध्यक्ष महोदय : यह विवरण में है।

श्री एस० कन्डप्पन : इस तथ्य से 1200 अध्यापकों में से केवल 300 अध्यापकों को रोजगार देना शेष है यह सिद्ध हो जाता है कि राज्य सरकार इनको वैकल्पिक रोजगार देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। अतः इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए।

विवरण से यह पता लगता है कि सरकार ने तामिलनाड में 200 एक-अध्यापक वाले हिन्दी विद्यालय खोलने का निर्णय किया है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या यह निर्णय लेते समय उन्होंने राज्य सरकार से परामर्श किया था। जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है जो कोई दल भी वहाँ पर सत्तारूढ़ होगा वहां पर त्रि-भाषा सूत्र को क्रियान्वित करना असम्भव है। यह नहीं हो सकता। अतः किसी प्रकार का सूत्र बनाना होगा। अतः तामिलनाड में चल रही स्थिति को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने त्रि-भाषा सूत्र को अपनाया है, उन्होंने शिक्षा नीति संकल्प में इसकी घोषणा भी की है

अध्यक्ष महोदय : : आप प्रश्न पूछें ।

श्री एस० कन्डापन : केन्द्रीय सरकार ने त्रि-भाषा सूत्र को अपनाया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब तामिलनाड सरकार ने इस सूत्र को पूरी तरह रद्द कर दिया है तो इस सूत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ किस प्रकार स्थति को बनायेगी ?

Shri Sher Singh : Government of India are not running any school there.

शिक्षा मंत्रालय इस तरह मद्रास में हिन्दी पढ़ाने के लिये कोई स्कूल आरम्भ अथवा स्थापित नहीं कर रहा है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जो कि एक स्वयं-सेवी संस्था है, वहाँ एक-अध्यापक वाले स्कूल आरम्भ करेगी। हम उन्हें धन देंगे क्योंकि हम उन स्वयं

सेवी संस्थाओं को धन दे रहे हैं जो कि हिन्दी के प्रचार के लिये कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार हम दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा को भी धन देंगे।

श्री एस० कन्डप्पन : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहें तो बाद में आधे घन्टे की बहस के लिये कह सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUSTION

केन्द्रीय सरकार के कार्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी :

अ० सू० प्र० 10. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर 2 अगस्त, 1968 को गृह-मंत्री के निवास स्थान के सामने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था;

(ख) उन्होंने किन-किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था;

(ग) क्या उन्हें बाद में मुचलका पर छोड़ा गया था;

(घ) कुछ कर्मचारियों को नौकरियों से मुअत्तिल किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रेस कोर्स रोड और सफदरजंग रोड के चौराहे के निकट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेशों का उल्लघंन करने के लिये ड्यूटी पर तैनात दण्डाधीश द्वारा नारे लगाने के विरुद्ध दी गई चेतावनी पर ध्यान देने से इन्कार करने पर 13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक दण्डाधीश, तुगलक रोड, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(ख) 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 122 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) केन्द्रिय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के नियम 10 (1) (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में कर्मचारियों को निलिम्बत करने की कार्यवाही की गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : पहले तो मैं धारा 144 के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं जो कि दिल्ली के लिये एक मुसीबत बन गयी है। धारा 144 के कारण हम कहीं भी नहीं जा सकते तथा क्योंकि ये व्यक्ति इस। कथित धारा 144 के उल्लंघन करने के अपराध में धारा

188 के अधीन बन्दी बनाये गये थे, उसका कोई नैतिक आधार नहीं है। और नियमों में स्पष्ट लिखा है कि यदि इसमें नैतिक आधार न हो तो उन्हें निलम्बित नहीं किया जाये। मैं जानना चाहूँगा कि गृह-कार्य मंत्री इस बारे में क्या कहेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं उनके सन्देह को दूर करने हेतु उत्तर नहीं दे सकता। मुझे सलाह यह मिली है कि उस नियम के अन्तर्गत उन्हें अवश्य मुअत्तिल किया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : जब उसमें कोई नैतिक आधार ही नहीं है तब उन्हें क्यों मुअत्तिल किया गया? इसे सरकार की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया। वह इच्छा कर्मचारियों के विरुद्ध क्यों प्रयुक्त की गई?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब वे खुले आम कानून का उल्लंघन करते हैं तो कोई क्या करे?

श्री स० मो० बनर्जी : वर्तमान नियम यह कहते हैं कि यदि कोई कर्मचारी पुलिस की हिरासत में 48 घण्टे से अधिक रहे तो उसे मुअत्तिल किया जा सकता है। परन्तु इस मामले में वे 5 घण्टे से अधिक हिरासत में नहीं रहे और उनको व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से क्या गृह-कार्य मन्त्री इस निर्णय पर फिर से विचार करेंगे तथा यह निलम्बन हटायेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मुझे बताया गया है कि उन्हें बिलकुल ठीक ही निलम्बित किया गया है परन्तु सरकार किसी बात पर विचार करने से कैसे इन्कार कर सकती है? हम सदैव ही विचार कर सकते हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : यदि सरकारी कर्मचारी खुले आम कानून तोड़े तथा ऐसा करते हुए मन्त्रियों के निजी निवासों का उत्क्रमण करें तो क्या यह अव्यवहार होगा, और यदि हां, तो इसके विरुद्ध मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब कभी भी ये संघ आदि हम से मिलना चाहते हैं हम कभी इन्कार नहीं करते। इस संघ के प्रतिनिधि भी आये तथा अनेक बार मुझसे मिले। परन्तु अब उन्होंने धरना देने की जिद्द की जब कि धारा 144 लागू थी, तो मैं नहीं समझता कि सरकार के पास यह करने के अतिरिक्त और क्या अन्य रास्ता हो सकता था।

श्री उमानाथ : जिन मांगों के लिये ये प्रदर्शन हुए तथा गिरफ्तारियाँ हुईं, वे गृह-कार्य मन्त्रालय की विभागीय परिषद में उठाई गई थीं और अस्वीकार कर दी गयी थी। मैं समझता हूँ कि इसके बाद 19 अप्रैल को कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह-कार्य मन्त्री से मिला तथा मन्त्री महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया। इन मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये। वे वापस विभागीय परिषद में आये तथा पुनः विचार-विमर्श किया। परन्तु मैं समझता हूँ वे मांगें फिर अस्वीकार कर दी गईं। मुझे नहीं पता लगता कि सहानुभूतिपूर्ण विचार कहाँ हुआ है तथा गृह-कार्य मन्त्री का इससे क्या अभिप्राय था। जब विभागीय परिषद ने सहानुभूति-पूर्ण विचार का वायदा देकर मांगें अस्वीकार कर दीं तथा इसके बाद फिर सरकार ने इस प्रश्न पर भी पंच फैसला लेने के लिये इन्कार कर दिया तब फिर सरकारी कर्मचारियों की उसमें क्या गलती है कि वे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करें? अतः मैं जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ इन प्रजातांत्रिक तथा

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों के सम्बन्ध में धारा 144 को उठवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे तथा उन लोगों को रिहा कराने, उठवाने तथा निलम्बन को रद्द कराने का निश्चय करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य को कदाचित यह नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में उनकी मांगें क्या हैं। इस मामले में पंच फैसले का तो कोई प्रश्न ही नहीं है परन्तु क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जिस चीज को विभागीय परिषद अस्वीकार कर दे तो उसको सीधी कार्यवाही द्वारा तथा कानून तोड़कर ही मनाया जाये। क्या केवल यही मार्ग बचा है?

श्री उमानाथ : उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि इस मामले पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा, तथा फिर उसे अस्वीकार कर दिया, तो फिर अन्य क्या चारा रह जाता है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आश्वासनों का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री उमानाथ : फिर सहानुभूतिपूर्ण विचार का क्या अर्थ था?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे मेरे पास आये हैं। मैं इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ? मुझे सहानुभूतिपूर्ण विचार करना पड़ता है।

श्री उमानाथ : बाद में इसे फिर अस्वीकार कर दिया गया। यदि सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की बात कहकर भी अस्वीकार कर दिया जाता है तो वे लोग क्या करें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो विशिष्ट दल धरना देना चाहता था तथा कानून तोड़ना चाहता था वह मेरे पास कभी नहीं आया। वह इस बार मुझसे मिलने नहीं आये। किसी अन्य फीडरेशन के प्रतिनिधि किसी अन्य उद्देश्य से मेरे पास आये थे तथा उन्होंने उस दल द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं किया।

श्री नाथ पाई : मन्त्री महोदय ने एक वैध प्रश्न उठाया है तथा हम उसे टाल नहीं सकते। यदि कोई आदमी कानून का उल्लंघन करता है, क्या सरकार उसे क्षमा कर दे, विशेषकर जब कानून तोड़ने वाले सरकारी कर्मचारी हों? परन्तु क्या मैं जान सकता हूँ कि अपराध दण्ड संहिता अथवा भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा के अधीन शान्तिपूर्ण धरना देना अर्थात् बैठ जाना एक अपराध है?

मैं भारतीय कानून का एक विनम्र विद्यार्थी हूँ परन्तु अपना कष्ट बताने के लिये कहीं जाना तथा चुपचाप बैठ जाना भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि ये कर्मचारी एक टैक्सी में आये, उससे उतरे और इस प्रकार तो उन्होंने सर्व-शक्तिमान धारा 144 को भी नहीं तोड़ा। गृह–कार्य मन्त्री गलत बात कह रहे हैं कि उन लोगों ने कानून तोड़ा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धरना देना हमारे कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक दलील है। अब उन्हें प्रश्न के बारे में बात करनी चाहिए।

श्री नाथ पाई : मैंने केवल उनकी सहायता के लिये तथा सभा को इस बारे में बताने के लिये यह बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : वह सभा की इस सम्बन्ध में भी सहायता करें कि इस समय अल्प सूचना प्रश्न चल रहा है ।

श्री नाथ पाई : क्या नियमों में यह विधान नहीं है कि निलम्बन योग्य अपराधी बनने से पूर्व एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम 48 घण्टे तक सरकारी महमान होना चाहिए । परन्तु ये लोग तो 24 घण्टे के अन्दर–अन्दर छोड़ दिये गये थे । पहले तो उनका कोई अपराध ही नहीं था । वे चौबीस घन्टे के अन्दर रिहा कर दिये गये थे । फिर यह कैसे हुआ कि उन्हें निलम्बन जैसी कड़ी सजा दी गयी ? यदि कोई कार्य गलत हुआ तो क्या गृह-कार्य मन्त्री उसे ठीक करने की कृपा करेंगे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य कानून के पंडित हैं तथा वह जानते हैं कि निलम्बन एक दण्ड नहीं है ।

श्री उमानाथ : श्रीमान्, क्या आप इनसे सहमत हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी उन्हें मन्त्री महोदय के वेतन का एक-चौथाई मिल जाये तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि यह क्या है ।

Shri D. N. Tiwary : Nothing more is so common in India than to break laws and that too for the Government employees who are well conversant with the laws. I want to know whether the Government are thinking to find out certain ways to ensure the effectiveness of laws and to see that the laws are not ignored, particuarly by the Government employees? Not the section 144, but some other measure may be taken up.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं निश्चय ही माननीय सदस्य से कोई सुझाव चाहूँगा यदि वह इसके लिए कोइ मार्ग निकाल सकें ।

परन्तु इस बारे में मैं सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा । हम सरकारी कर्मचारियों की हर मांग के प्रति सहानुभूति रखते हैं । परन्तु इस सभा ने तथा देश ने दो रास्तों में से एक को चुनना है उन लोगों को एक संगठित रूप देने के लिये संयुक्त परिषद बनाई गई थी जहाँ वे लोग मिल-बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार–विमर्श कर तथा कोई निष्कर्ष निकाल सकें ।

श्री स० मो० बनर्जी : और अब यह (परिषद) मर चुकी है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : क्या हम उन्हें विधि के उल्लंघन की आज्ञा दे सकते हैं। सरकार ऐस नहीं कर सकती ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The main cause of trouble is that Government imposes Section 144 in Delhi. The Central Government employees cannot present their demands before the Home Minister. The General people canot go in front of Russian Embassy. I want to know whether Government would consider the question of lifting Section 144.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा इनसे मतभेद है । धारा 144 से मेरे विचार में दिल्ली में गड़बड़ नहीं होने पायी । हमने किसी से मिलने का इन्कार नहीं किया ।

Shri S. M. Joshi : Sir, their demands are regarding reorganisation. They had trusted the Departmental councils but J. C. M. is in a deadlock. It was out of compulsion that they started the 'Dharna'. Is it proper to suspend them , if not, whether their case would be considered sympathetically and they would be reinstated ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वे अपनी भूल स्वीकार करें और क्षमा मांगें तो उनकी बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्तावित 'धरना' कोई गुप्त षड़यन्त्र नहीं था। इसकी पहले से घोषणा कर दी गई थी। केवल 8 या 9 व्यक्तियों ने धरना दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 4 या 5 तो वहां देखने वाले थे। फिर धारा 144 उसी समय वहां लगायी गई थी। यदि इस प्रकार कर्मचारियों को गृह-कार्य मंत्री से मिलने से रोकने के लिये धारा 144 लगा दी जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या उनकी मांगों के बारे में यह उचित ढंग है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य के अपने विचार और मेरे अपने विचार हैं।

श्री प्र० के० देव : श्रीमान जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह आज की कार्य सूची पर है। आज के समाचार पत्र में छपा है कि श्री अशोक मेहता ने मंत्री के पद से त्याग-पत्र दे दिया है। आज की कार्य सूची में उनके नाम पर एक प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। हमें पहले तो उससे पहले की मदों को लेना है। उचित समय पर मैं आप की बात सुनूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भागीरथी नहर

634. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या परिवहन और नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भागीरथी नहर को गहरा तथा सीधा करने तथा उसमें जमी रेत को साफ करने की कोई योजना बनाई है ताकि फरक्का बांध परियोजना की शाखा नहर से अधिक तेजी से आने वाला पानी बेरोक टोक आ सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवाहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हां। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा भागीरथी तथा हुगली नदियों की प्रणाली में सुधार करने के लिये विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने हेतु एक योजना बनाई गई है ताकि फरक्का बांध से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। यह योजना हुगली नदी को रेत विहीन जल प्रदान करने हेतु भागीरथी को एक कुशल परिवहन नहर बनाने के लिये गठित की गई है, ताकि बहाव की स्थिति में सुधार हो तथा गहराइयां बढ़ें।

(ख) इस योजना में निम्नांकित उपाय करने का विधान है :

(i) बचाव कार्य तथा 19 मील के नदी क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु स्परों तथा पुलिन–रोधों का निर्माण।

(ii) नदी के विभिन्न क्षेत्रों से जहां नदी तल ऊंचा उठ गया है और 6 ऐसे स्थानों से जहाँ फालतू मिट्टी जमा हो गई है, फालतू मिट्टी का निकाला जाना। ऐसे प्रत्येक स्थान पर 123 लाख टन मिट्टी जमा हो सकती है।

(iii) भागीरथी नदी के 153 मील लम्बे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से बाधाओं को हटाना; और

(iv) वर्षो से बनते आ रहे तथा फरक्का बान्ध से छोड़े गये पानी के बहाव से भी न हटने वाले ककुयों तथा बाधाओं के ऊपर नदी को काटना।

(ग) यह प्रस्ताव है कि इस कार्य के आवश्यक भाग को इस प्रकार हाथ में लिया जाये ताकि फरक्का बांध के चालू होने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जायें। दूसरे कार्यों के लिये फरक्का बांध के चालू होने के बाद से पांच वर्ष में पूरा करने की योजना है।

Gandhi Centenary Celebrations

*637. **Shri Mohan Swarup**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 26 countries have expressed their desire to celebrate Gandhi Centenary next year at the request of UNEsco ;

(b) if so, the names of those countries ; and

(c) the broad outliness of the programme of the centenary celebrations ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) According to the latest information available, sixtynine countries are participating in the celebration of the Gandhi Centenary.

(b) and (c) A statement is placed on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT—1845—68**].

प्रशासनिक सुधार आयोग

*638. **श्री रा० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने युक्तियुक्त मूल्य संबंधी नीतियां आदि बनाने में सरकार की सहायता करने के लिये मूल्यों, लागतों तथा प्रशुल्क के सम्बन्ध में एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग बनाने की हाल ही में सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या सरकार ने इन सिफारिशों की व्यवहार्यता के बारे में विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): आर्थिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1846 / 68**] प्रतिवेदन केवल 20 जुलाई, 1968 को प्राप्त हुआ था और अभी तक उसकी परीक्षा की जा रही है।

रूस से टी० यू० 134 विमान की खरीद

*639. **श्री रामेश्वर सिंह**, **श्री निवास मिश्र**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने हाल में मास्को का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त सचिव ने टी० यू-134 विमान को शानदार कार्यक्षमता के कारण उसकी खरीद पर आग्रह किया था;

(ग) सरकार के यह विमान खरीदने का विचार न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) कौन सा विमान खरीदने का अन्ततः निर्णय किया गया और उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जून, 1968 में वाणिज्य मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान एक संयुक्त सचिव भी उनके साथ गये तथा विमानों को भी खरीद की मदों में एक सम्भव सामग्री के रूप में सम्मिलित करने के बारे में चर्चा हुई। टी० यू० 134 के बारे में विशिष्ट रूप से कोई चर्चा नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने के बाद डी० सी० 9-40 विमानों की खरीद की सिफारिश की है। कारपोरेशन के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

मनीपुर से राजस्व वसूली

*640. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में मनीपुर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आश्वासन दिया है कि यदि वे करों की वसूली में वृद्धि करती हैं; तो उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संशोधित प्राक्कलन के अनुसार 1966-67 में 120.36 लाख रुपये और 1967-68 में 165.66 लाख रुपये।

(ख) और (ग) 1968-69 के लिये संघ-राज्य क्षेत्र वार्षिक योजनाओं पर विचार-विमर्श के बाद, योजना आयोग ने विधान-मण्डल वाले 5 संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों को और दिल्ली प्रशासन को सलाह दी है कि यदि संघ-राज्य क्षेत्र सरकार / प्रशासन नये करों के नये उपायों के जरिये या योजनेतर खर्चों में कमी करके अतिरिक्त साधन जुटा लेते हैं तो उस वर्ष के लिये संघ राज्य क्षेत्र के लिये स्वीकृत योजना-लागत उसी सीमा तक बढ़ा दी जायेगी।

Map of S. E. Asia in Reader's Digest

641. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the May issue of Reader's Digest (Indian eddition) in which a map of South East Asia has been published on its page 31 in connection with an article ;

(b) whether it is also a fact that the big Indian cities like Delhi, Madras, Bombay etc. have been shown in that map ;

(c) whether it is also a fact that Kashmir has been shown as a State with bold letters in that map and it has not been shown as an integral part of India and the countries like Afghanistan and Mongolia have also been shown in a similar manner ; and

(d) if so, whether Government propose to express their objecton to the publisher and Indian distributors of the said magazine in this regard and would get necessary amendments carried out in the map so published ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) In the map in question no political boundaries have been shown but same type of capital letters have been used for Kashmir as well as other independent countries.

(d) The publishers have been asked to take steps to avoid publication of such maps which might convey erroneous impressions about the status of Kashmir.

मिर्जा अफजल बेग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

*642. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिर्ज़ा अफ़जल बेग द्वारा प्रकाशित की गई कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया है;

(ख) क्या इन पुस्तकों में शामिल की गई सामग्री भारत से काश्मीर के अलग होने की दुर्भावना को उभारती है; और

(ग) सरकार ने इस लिखित प्रचार का प्रतिकार करने के लिये क्या कार्यवाही की है जो राष्ट्र हित के विरुद्ध है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अनुमानतः माननीय सदस्य उन दो पुस्तिकाओं का हवाला दे रहे हैं जिनमें मिर्जा अफ़जल बेग द्वारा भूमिकाओं के साथ शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य हैं। इन पुस्तिकाओं में यह दर्शाया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर की जनता को अभी यह निर्णय करना है कि राज्य भारत में रहे अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाय अथवा स्वतंत्र हो जाये। सरकार ने समय-समय पर सार्वजनिक वक्तव्यों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का एक भाग होने के कारण जम्मू तथा काश्मीर का मामला अन्तिम रूप के हल हो चुका है।

सोफिया में युवक समारोह के लिये प्रतिनिधि

643. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोफिया में हाल में हुए विश्व युवक समारोह में भारत से कितने प्रतिनिधि गये;

(ख) क्या बहुत से प्रतिनिधि इसलिये नहीं जा सके क्योंकि सरकार ने यात्रा सुविधायें देने से इंकार कर दिया था; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस के लिये कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं होती थी, तो भी भारत सरकार ने ऐसा रुख क्यों अपनाया ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 85

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रारम्भिक समिति ने सोफिया उत्सव में भाग लेने के लिये 100 आदमियों की सूची दी है। इस सूची में पीछे तैयार रहने वाले 15 व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। अतः केवल 85 आदमियों के लिये ही स्वीकृति दी गई है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

*644. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी सरकारी रिहायशी आवास पाने के हकदार नहीं हैं ;

(ख) क्या इस कारपोरेशन ने हाल ही में, अपने कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने बम्बई में 576, कलकत्ते में 464, दिल्ली में 410 और मद्रास में 140 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की योजना बनायी है। ये प्रस्ताव अन्तिम रूप दिये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन क्वार्टरों के निर्माण की लागत लगभग 484 लाख रुपये होने का अनुमान है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

*645. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री जे० एच० पटेल** :

श्री वामानी :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल उन संस्थाओं को छोड़ कर जो कि इन्टक के सम्बद्ध हैं, सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों ने 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह निर्णय इसलिये किया गया है कि क्योंकि सरकार ने न्यूनतम वेतन तथा मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्न पंच-फैसले को सौंपने से इन्कार कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में सूचना है कि उन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को एक सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया है।

(ख) और (ग) सूचनाओं से यह प्रतीत होता है कि मांगों की सूची, जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी और वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के विलय से सम्बन्धित दो प्रश्नों से अधिक व्यापक है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विवाद की अधिकांश बातों पर विचार-विमर्श हुए हैं। सरकार ने वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के विलय के प्रश्न पर आगे बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है और बाद में यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो पंचनिर्णय का उपयोग किया जा सकता है। कीमतों में तेजी को पूरी तरह बराबर करने की मांग पर अभी संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में बातचीत होनी है। सरकार को कर्मचारियों के उस वर्ग के विचारों की जानकारी नहीं है जो हड़ताल की बातें करते हैं।

Use of Military and Border Security Force in Kashmir

*646. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Government of Jammu and Kashmir makes use of Indian Army and Border Security Force posted in Jammu and Kashmir as ordinary local police for tear-gassing and lathi-charging the general public in the name of maintenance of law and order in the State ;

(b) whether it is a fact that such occasions provide an excuse to the anti-Indian elements to propagate anti-Indian feelings among the Kashmiri people ; and

(c) whether Government would consider to improve the situation ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The army is never used and the Border Security Force also is not generally used like the local police.

(b) and (c) Do not arise.

Infiltration in Kutch

*647. **Shri T. P. Shah** : **Shri Brij Bhushan Lal** :
Shri Onkar Singh : **Shri J. B. Singh** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item, appearing in Panchajanya of the 30th July, 1968 to the effect that about 2,000 infiltrators have already entered Kutch and that Pakistan is intensifying its activities in a place named Wadin occupied by Pakistan ;

(b) whether Government apprehend breach of peace in future in any border area; and

(c) the action proposed to be taken by Government to deal with the situation ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Govrnment have no information about the entry of 2,000 infiltrators in Kutch. They are also not aware of any place named Wadin occupied by Pakistan.

(b) and (c) : At present no breach of the peace in any area along the Gujarat-Pak border is apprehended. However, our vigil along the border is maintained at the time.

Majlis-E-Itehadul Musalmeen

648. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Miniter of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the leaders of five prominent institutions of Hyderabad have submitted a memorandum in which they have demanded that 'Majlis-e-Itehadul Musalmeen' should be banned ;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ; and

(c) whether it is a fact that Kasim Rizvi was the leader of this Majlis during the time of the late Nizam ?

The Minister of Home Affairs (**Shri Y. B. Chavan**) : (a) and (b) : A memorandum on behalf of the Area Pratinidhi Sabha, the Sanatan Dharam Sabha, Hyderabad, the Vedic Dharam Prachar Nagar Samiti, Hyderabad, the City Branch of the Hyderabad Jan Singh, and three individuals of Hyderabad has been received. It alleges that the ideology of the Majlis is based on the two-nation theory and that its activities are prejudicial to communal harmony. It has demanded a ban on the organisation. The State Government have been requested for a report on the activities of the Majlis.

(c) Yes, Sir.

राज्य विधान मंडलों में दल बदलना

*649 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राज्य विधान मंडलों में दल बदलने को रोकने के लिये कोई वैधानिक अथवा अन्य कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई अन्य कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) दल-बदल की समस्या पर विचार करने के लिये और सिफारिश करने के लिये 8 दिसम्बर, 1967 को लोक सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में एक समिति नियुक्त की गई है । समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के बाद दल-बदल पर रोक लगाने के लिये विधायी अथवा अन्य कदम उठाने के बारे में सरकार निर्णय लेगी ।

Sanskrit University in Mysore

*650. **Shri Sharda Nand : Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any scheme in regard to the setting up of the first Sanskrit University in Mysore ; and

(b) if so, the details thereof and when it would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (**Shri Bhagwat Jha Azad**):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी कर्मचारी संघ

*651. श्री कृ० मा० कौशिक : श्री महेन्द्र मांझी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल की उपसमिति तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि वेतन में मँहगाई भत्ते के विलय के प्रश्न पर विचार करने के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर विचार करने की कब व्यवस्था की जायेगी ?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में प्रतिनिधित्व वाले कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने 27 जुलाई, 1968 को उप-प्रधान मंत्री, गृह-मंत्री और श्रम-मंत्री से विचार-विमर्श किया था ।

(ख) प्रतिनिधियों को बताया गया था कि महंगाई भत्ते के वेतन में विलय से संबंधित प्रश्न पर बात-चीत नहीं की जा सकती है ।

(ग) इस मामले में एक पृथक व्यवस्था स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन की कोयले की आयात करने की नीति

*652 श्रीमती सुचेता कृपलानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की कोयले संबंधी पुनरीक्षित आयात नीति के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित आपातकर्त्ताओं की संख्या 19 से बढ़ाकर 92 कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयले के विनियंत्रण के बाद किसी लाइसंस क अन्तर्गत आयात की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा बहुत कम कर दी गई है ; और

(ग) क्या प्रशासन की इस नीति के फलस्वरूप छोटे अलाभप्रद कोटों के लाइसेंसधारी इस वस्तु को आयात नहीं करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) दिल्ली प्रशासन के कोयले की आयात नीति के संशोधन के बाद सोफ्ट कोक से सम्बन्धित उन पार्टी अथवा व्यापारियों की संख्या, जिन्हें कि रेकों का नियतन किया गया है, 46 से 92 तक पहुँच गई है और स्लेक कोल के व्यापारियों की संख्या 15 से 51 पहुँच गई है, वर्तमान स्थिति नीचे दी हुई है :

कोयले की श्रेणी	रेक महीने की संख्या	नियतन किए हुए पार्टियों की संख्या
सोफ्ट कोक	31	92
स्लेक कोल	25	31

(ख) इस संशोधित नीत ने सोफ्ट कोक और स्लेक कोल से सम्बधित केवल चार पार्टियों को प्रभावित किया है और जिनका कोटा, जो 2 से 4 रेक के बीच में था, घटाकर प्रत्येक का 1 रेक कर दिया गया है।

(ग) कोयले की आयात की नीति में संशोधन करने के परिणामस्वरूप दिल्ली में प्रति महीने सोफ्ट कोक के लिए नियतन किए हुए रेकों की औसत संख्या स्थिर रही है और स्लेक कोल के लिए यह संख्या 16 से बढ़कर 25 हो गई है। प्रशासन की नीति के परिमाणस्वरूप लाइसेंसों की कुल संख्या काफी बढ़ गई है और इस क्षेत्र में कुछ पार्टियों का जो एकाधिकार था, वह टूट गया है। 19 पार्टियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे बस्तु का आयात नहीं कर सके थे। अन्य 15 पार्टियों को दंड के रूप में माल डिब्बा का नियतन घटा दिया गया है ताकि वे ठीक प्रकार से कार्य करें।

Corruption cases filed in Courts by C. B. I.

*653. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of suits in regard to corruption in public service filed by the Central Bureau of Investigtion in Courts in March, April and May, 1968 ;

(b) the number of persons involved in the said cases who were awarded punishment and the number thereof who were acquitted ;

(c) the number of Gazetted Officers and non-Gazetted employees among those awarded punishment ; and

(d) the number of Gazetted Officers and non-Gazetted employees, Ministry-wise, against whom enquiry has been started by the Central Bureau of Investigation in April, 1968 ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Libary. See No. LT—1847/68**]

एयर इंडिया द्वारा जारी किये गये मानार्थ पास

654. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के अधिकारियों के आश्रित तथा गैर-आश्रित पुत्रों/पुत्रियों को विदेश यात्रा के लिये मानार्थ पास जारी करने के लिये यदि कोई नियम बनाये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) एयर इंडिया के लन्दन स्थित भंडार तथा यातायात विभाग तथा विदेशों में स्थित अन्य कार्यालयों में काम करने वाले जिन अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों को चालू वर्ष में, 15-7-1968 तक भारत में मानार्थ पास जारी किये थे, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) कितने मामलों में एयर इंडिया ने स्वयं पास जारी किये थे तथा कितने मामलों में इन अधिकारियों ने अन्य विमान कम्पनियों से पास प्राप्त किये थे ; और

(घ) एयर इंडिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के अधिकारियों के बीच मानार्थ पास बदलने के लिये कौन से नियम बनाये गये हैं ?

पर्यटन तथा नागर असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) एयर इंडिया ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, अपनी विमान सेवाओं पर अपने कर्मचारियों को निःशुल्क अथवा रियायती यात्रा–अधिकार देने के लिए एयर कारपोरेशन अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत विनियम बनाये हैं । इस स्कीम की मुख्य 2 बातें ये हैं :–

(एक) किसी कर्मचारी को वर्ष में अधिकतम दो निःशुल्क यात्राओं का अधिकार होगा ; और

(दो) ये यात्राधिकार कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरिक किये जा सकते हैं । इन नियमों के प्रयोजन के लिये 'परिवार' का अर्थ है पति/पत्नी, बच्चे, और पूर्णतया आश्रित माता–पिता तथा ऐसे अन्य संबंधी जिन्हें महा-प्रबंधक अनुकंपात्मक आधार पर व्यक्तिशः सम्मिलित करे ।

(ख) और (ग) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिये अन्य विदेशी हवाई कम्पनियों से निःशुल्क अथवा रियायती यात्राओं की उपलब्धि आई. ए. टी. ए. के संकल्प 200 द्वारा शासित है ।

भारत अमरीकी प्रतिष्ठान

*655. **श्री वासुदेवन नायर** : **डा० रानेन सेन** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–अमरीका प्रतिष्ठान स्थापित करने का विचार त्याग दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला अब किस स्थिति में है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में हथियारों के भंडार

*656. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री रा० कृ० सिंह** :
श्री जार्ज फरनेंडीज : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1968 को 'नेशनल हेरल्ड' नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक व्यक्ति ने राजधानी में विभिन्न स्थानों पर हथियार और गोलाबारूद के भंडार दबा रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : किसी व्यक्ति द्वारा दिल्ली में कुछ स्थानों पर गोला बारूद के भारी मात्रा में इकट्ठे किये जाने की सरकार को जानकारी नहीं है । फिर भी, दो हथ-गोले दिल्ली पुलिस के एक भूतपूर्व कांस्टेबल के मकान से बरामद किये गये थे । विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

*657 **श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री द० रा० परमार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लगभग 250 अवर सचिव ऐसे हैं जिन्होने इस ग्रेड में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखपाल सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि अन्य सेवाओं के अधिकारियों को, अवर सचिव (या समकक्ष पद) के ग्रेड में 4-5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सचिवालय में उप-सचिव के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (ख) में बताये गये अधिकतर अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं और रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य सेवाओं, दोनों वर्गों के अधिकारियों को एक ही प्रकार की रिपोर्ट दी गई है ; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । उप-सचिव के पदों पर नियुक्ति की पात्रता के लिये अवर सचिव के ग्रेड में सेवा की अवधि ही कसौटी नहीं होती यदि अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सेवाओं (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अतिरिक्त) से सम्बन्ध रहते हों । यद्यपि विभिन्न सेवाओं के अधिकारी केन्द्रीय सरकार में समान पदों पर कार्य कर रहे हैं उनके प्रतिवेदन प्रत्येक अधिकारी के विशेष पद पर किये कार्य को, जिसको वह सम्भाले है, बतलाता है और इस सम्बन्ध में किया कोई भी सामान्यकरण उचित नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Strike by Bihar Government Employees

*658. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,36,000 non-gazetted employees of Bihar had gone on strike from the 11th to 25th July, 1968 to stress their demands for the Dearness Allowance at Central rates and to stop retrenchments ;

(b) if so, the number of employees arrested, dismissed and suspended separately, during the strike ;

(c) the sections under which arrested emloyees are being prosecuted ;

(d) whether he and the Governor of Bihar had made an announcement that no action of any kind would be taken against the employees after the strike had been called off ;

(e) if so, whether all cases against the arrested persons and the orders of their dismissal and suspension have been withdrawn ; and

(f) if not, the reasons therefor and the number of employees who are still the victims of the above action ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) to (f) : A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See. No. LT—1848/68**].

आसाम में पर्यटन

*659 **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पर्यटन के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से पर्यटक आसाम को इस कारण छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपेक्षित जानकारी और मार्ग-दर्शन प्राप्त नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो आसाम के बारे में अधिक जानकारी प्रकाशित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध वित्तीय साधनों की सीमाओं के अन्तर्गत आसाम में तथा अन्य राज्यों में पर्यटन के विकास की ओर ध्यान दिया गया है । इच्छुक पर्यटकों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कर दी जाती है, लेकिन यात्रा के मुख्य मार्गों से दूर पड़ने के कारण और इस राज्य में विदेशियों के प्रवेश पर लगायी गयी पाबन्दियों के कारण आसाम में बहुत कम पर्यटक जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में नेशनल बैंक के अधिकारियों के वि द्ध आरोप

*660. **श्री अब्दुल गनी दार** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1965 में दिल्ली पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं और कदाचारों के आरोप लगाये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि धोखाबाजी के इन सौदों में, रिजर्व बैंक के कुछ उच्च अधिकारियों का भी हाथ था, और इसी कारण इस मामले में कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई कुछ जांचों के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक के दो भूतपूर्व अधिकारियों और तीन स्टाक व शेयर दलालों के विरुद्ध 17 जून, 1968 को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख और 409 के अन्तर्गत मुकद्दमे की कार्यवाहियाँ आरम्भ कर दी गई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

Use of Hindi in Official Work

5115. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an Office Memorandum No. 2/29/68 O.L. dated the 6th July, 1968, regarding the use of Hindi in Official work has been issued by his Ministry to various Ministries and offices ;

(b) if so, the steps being taken to ensure that the directions contained in the said order are implemented by the various Ministries and offices and that its implementation is not adversely affected by the anti-Hindi feelings in the Central Secretariat ;

(c) whether Government propose to ensure that noting and drafting work regarding administrative matters relating to Peons, Lower Division Clerks, and Upper Division Clerks is done in Hindi with the help of Hindi training scheme ; and

(d) if so, from which date ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Chara Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided that in each Ministry/ Department, a senior officer of the rank of Joint Secretary should assume responsiblity for ensuring that these orders are implemented. A revised proforma to collect quarterly progress reports from the various Ministries / Departments has been issued. These reports will be scrutinised in the Ministry of Home Affairs and follow-up action taken where necessary.

(c) Cntral Government Emloyees are free to use either Hindi or the English language for noting and drafting. However, instructions exist that general orders regarding terms and conditions of service of Class IV employees, charge sheets and instructional orders concerning them and replies to petitions received from them in Hindi are to be issued in Hindi , in addition to English. Instructions were issued recently that all entries in the Service Books of Class IV Employees working in Central Government Offices located in Hindi-speaking areas should be made in Hindi.

(d) Does not arise.

आसनसोल में भूमि का अर्जन

5116. **श्री देवेन सेन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री आसनसोल में भूमि के अर्जन के सम्बध में 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 901 घ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन मामलों से सम्बन्धित तथ्य इकट्ठे कर लिए गए है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । यह निश्चित रूप से बता कर लिया गया है कि 1962 में आसन सोल हवाई अड्डा (जिसे निगा हवाई अड्डा भी कहा जाता है), जिला बर्दवान, के लिए कोई भूमि अधिगृहीत एवं प्राप्त नहीं की गयी ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में लोवर डिवीजन के क्लर्कों की पदोन्नति

5117. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 अगस्त, 1963 को केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में कुछ लोअर डिवीजन क्लर्कों की नियमित आधार पर कुछ की तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1965 में विभागीय परीक्षा से कुछ कर्मचारियों की अपर डिवीजन क्लर्कों के वेतमान में पदोन्नति की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो वर्षों के पश्चात् विभागीय, परीक्षा से पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों को 1953 में नियमित रूप से पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों से वरिष्ठ बना दिया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1963 में जिन व्यक्तियों की पदोन्नति की गई थी उनको 1964 के अन्त में हुई परीक्षा के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया था किन्तु जिनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई थी उन्हें अलग-अलग रूप से संदेशवाहक द्वारा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा परीक्षा की सूचना दी गई थी ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस समय लागू नियमों तथा गृह-कार्य मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अपर डिवीजन क्लर्कों की जब चाहे परीक्षा द्वारा अथवा अन्यथा पदोन्नति की जाती है, तो उनकी आपसी वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ; और

(च) यदि उक्त भाग (क) से (घ) का उत्तर सकारात्मक है तो जिन कर्मचारियों की नियमित रूप से पदोन्नति 1963 में की गई थी उन्हें उन कर्मचारियों से, जिनकी पदोन्नति 2 वर्षों के पश्चात् की गई थी और जो निम्न वेतनमान में कनिष्ठ थे, कनिष्ठ बना देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, हाँ । क्योंकि जिन व्यक्तियों की 1963 में नियमित रूप से पदोन्नति हो गई थी, उनके लिए विभागीय परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं थी ।

(घ), (ङ) और (च) भरती नियमों के अनुसार केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में कार्य कर रहे लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्कों के 50% रिक्त पदों पर पदोन्नत वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर तथा 50% रिक्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन द्वारा किया जाता है । 1963 में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता आधार पर और 1964 में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किए गए अपर डिवीजन क्लर्कों की पारस्परिक वरिष्ठता केन्द्रीय हिन्दी निदे-शालय द्वारा पदोन्नत किए गए दो श्रेणियों को वैकल्पिक स्थान देकर निश्चित की गई, इस प्रश्न

पर, कि क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के नियमों के अनुसार परस्पर वरिष्ठता कठोरता के साथ निश्चित की गई थी, उस मंत्रालय से परामर्श करके जाँच की जा रही है ।

हिंदी शिक्षण योजना

5118· **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने दक्षिण भारतीय कर्मचारियों के लिये एक हिंदी शिक्षण योजना चालू कर रही है और उन सब कर्मचारियों को, जो हिन्दी सीखते हैं, उधार नकद प्रोत्साहन और पदोन्नति दे रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना और प्रोत्साहन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) योजना के प्रति प्रतिक्रिया क्या है और पिछले तीन वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ पास की हैं और उनको प्रोत्साहन के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) उन सरकारी कर्मचारियों की मन्त्रालयवार संख्या क्या है जिन्होंने इस योजना से लाभ उठाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) इस मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के आधीन हिंदी का प्रशिक्षण केवल दक्षिण भारतीय कर्मचारियों को ही नहीं अपितु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के सभी हिंदी न जानने वालों को दी जाती है।

हिंदी सीखने के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जाती है । हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी सीखने वालों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

"योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं"

(एक) इस योजना के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षणार्थियों को तैयार किया जाता है।

(दो) शिक्षा शुल्क तथा परीक्षा शुल्क नहीं ली जाती है ।

(तीन) इसकी कक्षाएँ कार्यालय के कार्य के घंटों में लगती हैं और इन कक्षाओं में उपस्थिति को काम के घंटों में गिना जाता है।

(चार) सवारी किराये की वहाँ प्रतिपूर्ति की जाती है जहाँ कि प्रशिक्षणार्थियों को कक्षाओं में उपस्थिति होने के लिए 1 मील से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है ।

(पांच) पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में दी जाती हैं ।

(छः) परीक्षा में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता / वास्तविक सवारी किराया दिया जाता है ।

जो कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित हिंदी परीक्षाएँ पास कर लेते हैं उनको निम्नलिखित प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(एक) वैयक्तिक वेतन : हिंदी प्राज्ञ/हिंदी टाइपराइटिंग/हिंदी आशुलेखन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर वैयक्तिक वेतन, जो कि एक वेतन वृद्धि के बराबर होता है, 12 महीने के लिए दिया जाता

है। उन आशुलिपिकों को, जिनकी मातृ भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी आशुलेखन परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है,

नकद इनाम : अहिंदी भाषी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रवीण और प्राक्ष परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार दिया जाता है। उन लोअर डिवीजन क्लर्कों और आशुलिपिकों / आशुटंकक को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंनें क्रमशः हिंदी टाईपराइटिंग और हिंदी आशुलेखन की परीक्षाएँ सराहनीय रूप से पास की हैं।

एकराशि इनाम : कार्यालय के कार्यकाल के दौरान जिन परिचालन स्टाफ को हिंदी कक्षाओं में उपस्थित होने देने के लिए छोड़ा नहीं जाता उनको अपने ही परिश्रम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राक्ष परीक्षा पास करने पर एक राशि इनाम दिया जाता है। उन टाईपिस्टों / आशुलिपिकों को भी एकराशि इनाम दिया जाता है जो अपने परिश्रम से ऐसे जगह हिंदी आशुलेखन परीक्षा पास करते है जहाँ कि हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कोई कक्षाएँ नहीं लगतीं।

(ग) निम्नलिखित कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षो में निर्धारित परीक्षाओं में कोई न कोई परीक्षा पास की है :—

वर्ष	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1965 66	4,888	8,737	9,382
1966-67	3,131	5,875	7,398
1967-68	3,533	5,378	6,332

वर्ष	हिंदी टंकण	हिंदी आशुलेखन
1965-66	1,038	201
1966-67	915	203
1967-68	810	183

पिछले तीन वर्षों में नियत परीक्षाएँ सराहनीय रूप से पास करने पर कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार स्वीकृत किये गए :—

वर्ष	रकम
1965-66	1,88,400 रुपये,
1966-67	1,68,750 ,,
1967-68	1,46,050 ,,

(घ) मंत्रालयवार सामग्री नहीं रखी जाती है। विभिन्न मंत्रालय से सूचना एकत्रित करने में परिश्रम प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी

5119. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंडियन सिविल सर्विस के कितने अधिकारी अब भी सेवा में हैं, उनके नाम क्या हैं तथा सामान्य रूप से उनमें से प्रत्येक किस वर्ष तथा महीने में सेवा निवृत होगा ;

(ख) इंडियन सिविल सर्विस के कितने अधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं जो कि अब भी पेंशन ले रहे हैं और उनको कुल कितनी पेंशन दी जा चुकी है ;

(ग) राज्य द्वारा सेवा निवृति के बाद पुनः नियुक्त किये गए इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनको किस क्षमता में नियुक्त किया गया है ;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गए इंडियन सिविल सर्विस के सेवा निवृत अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा वे कौन-कौन सी कम्पनियों में काम कर रहे हैं ; और

(ङ) इंडियन सिविल सर्विस का अन्तिम अधिकारी किस तिथि को सेवा निवृत्त होगा तथा उसका नाम क्या है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) आई० ए० एस० अधिकारियों के सिविल लिस्ट के परिशिष्ट II में 1-1-1968 तक उन आई० सी० एस० आधिकारियों के नाम और संख्या दी हुई हैं जो देश में अभी तक सेवा कार्य कर रहे हैं। भारत में उनके आने के तारीख में, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई हैं, 35 वर्ष जमा करके उनकी सेवा निवृति की तारीख का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ पहुँचने की तारीख नहीं दी हुई है वहाँ 35 वर्ष कार्य ग्रहण के तारीखों में जमा किया जा सकता है जो कि सिविल लिस्ट में दी गई होती है ;

(ख) भारत में 163 सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी हैं। पेंशन के रूप में उन्हें प्रतिवर्ष कुल 1, 7, 85, 527.95 पैसे दिये गए ;

(ग) 1958 से 1967 तक के पिछले 10 वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में पुनः नियुक्त किए गए आई० सी० एस० अधिर्कारियों की सूची संलग्न है [देखिए पुस्तकालय संख्या नं० L० T० 1849/68]

(घ) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है। सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 531-बी के अनुसार आई० सी० एस० अधिकारियों को व्यापारिक नौकरी स्वीकार करने से पूर्व सेवा निवृत्त होने के दो वर्ष के भीतर पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। उसके बाद सरकार को बिना सूचना दिये हुए वे कोई भी व्यापारिक नौकरी स्वीकार करने को स्वतंत्र हैं।

(ङ) अन्तिम आई० सी० एस० अधिकारी सर्वश्री एम० एम० सेन (पश्चिमी बंगाल) और आर० पी० नायक (एम० पी०) हैं जो कि संभवतः सामान्य रूप से नवम्बर 1979 को सेवानिवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7

5120. **श्री देव राव पाटिल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर-हैदराबाद (बनारस से कन्या कुमारी) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7 के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और उस पर अब तक अनुमानतः कितना धन व्यय हो चुका है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) : राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 7 का नागपुर–हैदराबाद भाग वार्धा नदी पर बने पुल और वाडकी के समीप पहुँच मार्गों को छोड़कर एक सीधी सड़क है। फरवरी 1964 में पुल के निर्माण के लिए अनुमानतः 22.05 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई। मार्च, 1966 में कार्य आरम्भ हुआ था और मार्च 1969 तक इसके समाप्त होने की सम्भावना है। मार्च 1968 तक पुल पर 8.92 लाख रुपया व्यय किये गए। 1963 में पहुँच मार्गों के लिए 3.65 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई और 31–3–68 तक किया गया व्यय 1.43 लाख रुपये था। पहुँच मार्गों का कार्य समाप्ति पर है। सड़क के बाकी काम पर किए गए व्यय के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के डाकुओं के पास प्रतिरक्षा विभाग के हथियार

5121. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या गृह–कार्य मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य के बारे में, कि प्रतिरक्षा विभाग के हथियार मध्य प्रदेश के डाकुओं के पास पहुँच गये हैं, मध्य प्रदेश सरकार से इस बीच कोई पुष्टि–पत्र प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश शासन ने सूचित किया है कि 28 फरवरी, 1968 को राज्य विधान सभा में एक प्रश्न के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया था कि मध्य प्रदेश में मुठभेड़ों में मारे गये डाकुओं से प्रतिरक्षा विभाग के हथियार बरामद किये जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटकों की रुचि के स्थान

5122. **श्रीमती बी० राधाबाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई खोजों के कारण, भारत में पर्यटकों की रुचि के नगरों और स्थानों की सूची में प्रतिवर्ष संशोधन किया जा रहा है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा तथा गुंटूर जिलों में पर्यटकों की रुचि के नगरों और स्थानों की संख्या क्या है ; और

(ग) उपरोक्त जिलों में पर्यटकों की रुचि के नये नगरों के बारे में क्या योजनायें हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) पर्यटक रुचि के स्थानों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण नहीं किया जाता। जब कभी आवश्यकता होती है अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के संदर्भ में स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जाता है।

(ख) नलगोंडा और गुंटूर जिलों में जिन पर्यटक रुचि के स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वे क्रमशः नागार्जुनसागर नागार्जुनकोंडा तथा अमरावती हैं।

(ग) भारत सरकार की इन जिलों में पर्यटक रुचि के अन्य स्थानों के विकास की फिलहाल कोई योजनायें नहीं हैं।

सालारजंग संग्रहालय

5123. **श्रीमती बी० राधाबाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 में सालारजंग संग्रहालय का कार्यभार सम्भाल लेने के बाद उसमें क्या-क्या नयी वस्तुएँ लायी गयी हैं ?

(ख) न्यासी बोर्ड के 11 पदेन तथा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या हाल ही में जिस नये भवन का राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था वह कला सम्बन्धी सभी वस्तुओं को रखने के लिये पर्याप्त है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (प्रो० शेरसिंह) :

(क) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड ने 1-7-1961 की सालारजंग संग्रहालय अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सालारजंग संग्रहालय का कार्यभार संभाल लिया था, उस समय से संग्रहालय में जो कला की वस्तुएँ लाई गई हैं उसके बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है, [देखिए **पुस्तकालय संख्या एल० टी० 1850/68**]

(ख) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(एक) श्री खांडुभाई के० देसाई
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के राज्यपाल—अध्यक्ष।

(दो) डा० डी० एस० रेड्डी
उप कुलपति,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

(तीन) श्री जी० के० चंदीरमानी
भारत सरकार के सचिव,
शिक्षा मंत्रालय।

(चार) श्री टी० रंगाचारी, आई० ए० एण्ड ए० एस०,
महा लेखाकार,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।

नाम निर्देशित सदस्य—

(पांच) नवाब अब्बास यार जंग,
हैदराबाद।

(छः) डा० पी० वी० राजामनबार
मद्रास के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश,
मद्रास।

(सात) श्री कार्ल जे० खंडेवाला, न्यायालय में बार,
बम्बई।

(आठ) एच० एच० मेहर ताज सजैदा सुल्तान
भोपाल का शासक, भोपाल।

(नौ) श्री के० एन० अनंतरमन, आई० सी० एस०
सतकर्ता आयोग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

(दस) श्री एम० टी० राजु, आई० सी० एस०, न्यायालय में बार
आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव,
हैदराबाद।

(ग) जी, हाँ संग्रहालय के पुराने भवन से सभी वस्तुएँ संतोषजनक रूप से नये भवन में लायी गई हैं और वहां रखी हुई है।

Landing by Parachute at a Village in Sambalpur District (Orissa)

5124. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that near about 2nd May, 1968 the Police was searching a person in Sambalpur District, who had landed in village Bargarh at a distance of forty miles from Sambalpur with the help of a parachute ;

(b) whether it is also a fact that although the said person was apprehended, yet he was successful in making good his escape on account of carelessness on the part of the Police Inspector ;

(c) the details of the enquiries so far made against the persons concerned ; and

(d) the action taken against the said Police Inspector for carelessness on his part ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It was reported by a person of Bargarh town to the local Police that he found an unknown foreigner in the town and from the dress and belongings of the foreigner he suspected him of having got down in a parachute. Enquiries made on the subject did not substantiate this version. One German tourist with valid travel documents, however, arrived subsequently at Jharsaguda Railway Station from Sambalpur.

(d) Does not arise.

त्रिपुरा में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

5125. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या शिक्षा मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने में असमर्थता के यदि कोई कारण बताये हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त निदेशक सिद्धान्त पर तत्काल कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) ऐसा किया जाना कब तक सम्भव होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) त्रिपुरा में शिक्षा आठवीं कक्षा तक पहले से ही निःशुल्क है जिसका वास्तव में अर्थ यह है कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा निःशुल्क है परन्तु निम्नलिखित कारणों से इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है ।

(एक) जनसंख्या में अधिकतर पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति और आर्थिक रूप से पिछड़ी आदिम जातियां होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई राज्यक्षेत्र की विशेष समस्याएं ।

(दो) इस पर अमल न करने सम्बन्धी दाण्डिक उपबन्धों से लोगों को कठिनाई होने की संभावना है ।

प्रशासन इस समय शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने में लगा हुआ है ताकि शिक्षा को अनिवार्य बनाने से पहले ये सुविधाएं सभी बच्चों को आसानी से उपलब्ध की जा सकें । फिर भी यह बताना संभव नहीं है कि इसे अनिवार्य कब बनाया जायेगा ।

दिल्ली में अंगुली के निशानों की प्रयोगशाला का तोड़ा जाना

5126. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में उस प्रयोगशाला को तोड़ा जा रहा है जिसमें सन्देहास्पद व्यक्तियों के अंगुली छापों का परीक्षण किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजधानी में इस प्रकार की एक ही प्रयोगशाला है ; और

(ग) यदि हां, तो सन्देहास्पद व्यक्तियों के अंगुली छापों का परीक्षण करने के लिये इस समय क्या व्यवस्था की जा रही है तथा भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या योजना बनायी गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : संदेहास्पद व्यक्तियों के अंगुली छापों का परीक्षण करने के लिये राजधानी में कोई प्रयोगशाला नहीं है।

इस समय दिल्ली पुलिस द्वारा अंगुली छाप विशेषज्ञ मत के लिये अंगुली छाप ब्यूरो, फिल्लौर को भेजे जाते हैं ।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक एकाकी अंगुली चिन्ह ब्यूरो स्थापित किया जा रहा है ।

बड़े पत्तन

5127. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पत्तनों की समस्याओं पर विचार करने के लिये फरवरी, 1967 में श्री वेंकटारमन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति को सितम्बर, 1967 से पहले अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने अभी तक अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है क्योंकि औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के पास इस समिति का पूर्ण-कालिक सचिव नियुक्त करने के लिये कोई अधिकारी नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग फरवरी, 1968 में श्री आर० वेंकटारमन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था ।

(ख) इसे अपना प्रतिवेदन छः मास के अन्दर देना था परन्तु अवधि बढ़ाने के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) जी नहीं, पूरे समय के लिये सचिव के रूप में अधिकारी का चयन किये जाने तक आयोग को शुरू से ही एक अशंकालिक सचिव की सेवाएं प्राप्त थीं और काफी प्रारम्भिक कार्य पूरा किया गया । सचिव का चयन गृह-कार्य मंत्रालय के सिब्बंदी अधिकारी की सिफारिश पर किया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में हिन्दी संस्थाओं को वार्षिक अनुदान

5128. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात में हिन्दी संस्थाओं को वार्षिक अनुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक संस्था को वष 1965-66 से 1967-68 के दौरान अलग-अलग कितनी राशि दी गई ; और

(ग) इन हिन्दी स्थाओं को किस आधार पर अनुदान दिये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, जिसमें गुजरात की विभिन्न स्वेच्छिक हिन्दी

संस्थाओं को 1965-66 से 1967-68 तक के दौरान दिये गये अनुदानों की रकमें दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1851/68]

(ग) हिन्दी के प्रचार के लिये अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये, अनुमोदित खर्च के 75 प्रतिशत के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं। हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों को भी उनके घाटा पूरा करने के लिये तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

बहादुरगढ़ केन्द्रीय सचिवालय बस सेवा

5129. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच अन्तर्राजीय मार्ग पर चलने वाली दिल्ली परिवहन की बसों के यात्रियों को खड़े ले जाने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय और बहादुरगढ़ के बीच चलने वाली बसों को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र वाले भाग में यात्रियों को ले जाने की अनुमति है।

(ख) यात्रा करने वाले जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी अनुमति है और दिल्ली मोटर गाड़ी नियम के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है।

दिल्ली परिवहन की बहादुरगढ़ केन्द्रीय सचिवालय मार्ग पर बसों में अधिक सवारियाँ भरना

5130. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलने वाली बसों में भीड़-भाड़ तथा उनके कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दिल्ली परिवहन को इस वर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार अपने कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी भीड़-भाड़ के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) बहादुरगढ़ केन्द्रीय सचिवालय एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है। जब तक सम्बन्धित सरकारें यथा दिल्ली प्रशासन और हरियाना राज्य इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर लेते तब तक दिल्ली परिवहन उपक्रम इस मार्ग में चलने वाली बसों की सेवायें नहीं बढ़ा सकता, इस समय यह प्रश्न दो सरकारों के विचाराधीन है।

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाना

5131. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है;

(ख) क्या इस योजना का अनुमोदन करते समय कतिपय कालेजों को प्राथमिकता देने का कोई सिद्धान्त रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वेतनक्रम बढ़ाने के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

विदेशी भाषाओं का अध्ययन

5132. **श्री जे०एच० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने विदेशी भाषाओं के अध्ययन के महत्व को समझा है; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दो संस्थाएं (इंस्टीट्यूट आफ रशियन स्टडीज तथा स्कूल आफ फारिन लैंग्वेजेज) स्थापित की हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों तथा दूसरे संगठनों में भी विदेशी भाषाओं के अध्यापन का प्रबन्ध है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक जानकारी संस्था

5133. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय वैज्ञानिक जानकारी तथा प्रकाशन संस्था स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेना): (क) और (ख) : जी, हां। 25 नवम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) की शासी निकाय ने केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना तथा प्रकाशन संस्थान की स्थापना को सिद्धान्त रूपेण स्वीकार कर लिया है।

(ग) प्रस्तावित संस्थान की उपयुक्त आयोजना बनाने तथा ब्यौरे तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय तकनीकी जानकारी संस्था

5134. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक राष्ट्रीय तकनीकी जानकारी संस्था स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस प्रकार के किसी संस्थान कीं स्थापना का कोई सुझाव नहीं है । फिर भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र काम कर रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर के निकट गंगा नदी पर पुल

5135. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर-लखनऊ राजपथ पर कानपुर के निकट गंगा नदी पर एक दूसरा सड़क पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि गंगा पर वर्तमान सड़क पुल की मियाद पहले ही पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और पुल कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कानपुर-लखनऊ सड़क पर उन्नाव नगर के निकट मार्ग बदल कर भी दूसरी सड़क बनाने के लिये जो भूमि कई वर्ष पहले अर्जित की गयी थी उसे अब तक नहीं बनाया गया क्योंकि उन्नाव से कानपुर तथा कथित सड़क जिसके मार्ग को बदला जाना है, उसके सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और उन्नाव के निकट मार्ग बदल कर बनी दूसरी सड़क और उन्नाव से कानपुर तक गंगा पर बनाये जाने वाले प्रस्तावित पुल को जोड़ने वाली नई सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां । कानपुर के निकट प्रस्तावित राष्ट्रीय राजपथ मोड़ (डायवर्सन) पर एक नया सड़क पुल बनाने की योजना है ।

(ख) पुल के प्राक्कलन तथा डिजाइन की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है । प्राक्कलन मंजूर किये जाने के बाद टेंडर मंगाए जायेंगे, उपयुक्त टेंडर छांटा जायेगा और काम का ठेका दिया जायेगा । केवल उसके बाद ही काम शुरू किया जा सकता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो । पुल के पूरे होने की तिथि ठेका दिये जाने पर निर्भर करती है ।

(ग) जी नहीं । प्रस्तावित पुल के लखनऊ के ओर का पहुँच-मार्ग उन्नाव नगर में से होकर जायेगा और लगभग मील 36/3 के निकट उन्नाव नगर के थोड़ा उत्तर में लखनऊ-कानपुर सड़क से जा मिलेगा ।

(घ) राज्य सरकार को पुल तथा उप-मार्ग तक पहुँच-मार्गों के निर्माण के बारे में विस्तृत

धरातल सर्वेक्षण योजनाओं सहित प्राक्कलनों का ब्यौरा भेजने के लिये पहले से हा निवेदन किया जा चुका है। राज्य सरकार से प्राक्कलन प्राप्त होने पर इस मंत्रालय में उनकी जांच की जायेगी और पुल के प्राक्कलन स्वीकार किये जाने के बाद, पहुंच-मार्गों के प्राक्कलनों को भी मंजूरी दे दी जायेगी और काम शुरू कर दिया जायेगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। इसलिये काम के पूरा होने की तिथि इस समय नहीं बताई जा सकती।

उन्नाव में अपराध

6136. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से 30 जून, 1968 तक उन्नाव जिले (उत्तर प्रदेश) में हुए विभिन्न प्रकार के अपराधों के वर्ष वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस, बल, थाने तथा पुलिस चौकियां पर्याप्त संख्या में न होने के कारण जिले की अपराध स्थिति बहुत खराब हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपराध-स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा अधिक थाने और पुलिस चौकियां बनाने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1852/68]

(ख) तथा (ग) : अपराध के आंकड़े बताते हैं कि चालू वर्ष के दौरान अपराध में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार जिले में पुलिस बल को शक्तिशाली बनाने तथा और अधिक थाने स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उन्नाव में लाइसेंस प्राप्त शस्त्रों का दिया जाना

5137. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1962 से 30 जून, 1968 तक उन्नाव जिले (उत्तर प्रदेश) में वर्ष वार और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र वार कितनी बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्तौल लाइसेंस जारी किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उन्नाव-पदरी सड़क

5138. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग का विचार जुमका और नेवारना के रास्ते हो कर उन्नाव से पदरी तक एक सड़क बनाने का है और इससे सम्बन्धित प्रारम्भ सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ करने और कब पूरा करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और उचित समय में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ

5139. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ द्वारा लड़कियों के शिक्षा क्षेत्र में किये जा रहे प्रशंसनीय कार्य की जानकारी है ;

(ख) क्या इस विद्यापीठ के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बार-बार अनुरोध किया है कि उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये; और

(ग) क्या लड़कियों के शिक्षा क्षेत्र में इस संस्था द्वारा अद्वितीय तथा रचनात्मक कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके अनुरोध पर उपयुक्त रूप से विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ एक अच्छी संस्था है।

(ख) और (ग) विद्यापीठ ने 1965 और 1966 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत इसे विश्वविद्यालय घोषित करने के लिये भारत सरकार से प्रस्ताव किया था । प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और विद्यापीठ को उसकी सूचना दे दी गई ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

5140. **श्री शिवप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन संविहित तथा अर्ध-सरकारी निकायों ने अपनी सेवाओं में वास्तव में ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण किया है ;

(ख) उन निकायों के नाम क्या हैं, जो आरक्षण के लिए सहमत हो गये हैं, परन्तु जिन्होंने 1 जुलाई, 1968 तक वास्तव में पदों का आरक्षण नहीं किया है तथा उनमें से प्रत्येक निकाय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) उन निकायों के नाम क्या हैं, जो 1 जुलाई 1968 तक आरक्षण करने को सहमत नहीं हुए तथा उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी थी; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) में दर्ज श्रेणियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सूची, जिन्होंने अपने अन्तर्गत नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम

जातियों के लिये पद आरक्षित किये हैं या करने के लिये सहमत हो गये हैं, 19 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा को दी गई थी जिसकी प्रति निर्देश की सुविधा हेतु सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1853/68] इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से निम्नलिखित क्रम संख्याओं के सामने दिखाये गये उपक्रमों ने वास्तव में पद आरक्षित किये हैं :

3, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 18–21, 25-30, 34, 37-44, 47-64, 66-74, 79-93, 95, 97, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 125, 128, 130, 131, 133, 138 और 141

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित उपक्रमों को छोड़कर उपक्रम आदि (परिशिष्ट में) [पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1853/68] पद आरक्षित करने के लिए सहमत हो गये हैं और यह आशा की जाती है कि इन उपक्रमों आदि ने आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार करने के पश्चात् खाली होने वाले पदों के बारे में पद आरक्षित किये होंगे या करेंगे जिसके लिये कि वे सहमत हो गये हैं। उपक्रमों में कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में श्रेणी वार जानकारी, जहाँ तक वह उपलब्ध है, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है [पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1853/68]

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सूची, जो पद आरक्षित करने के लिये अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, प्रश्न संख्या 7704 के उत्तर में सूची 2 में दे दी गयी थी। इन उपक्रमों में श्रेणी–वार कर्मचारियों की कुल संख्या इकट्ठी की जायेगी और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) उपक्रमों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद आरक्षित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है और इस मामले को संबन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों तथा सरकारी उपक्रम ब्यूरो के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रगति के पुनर्विलोकन के लिये गृह–मन्त्री की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी बनाई गई है।

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र

5141. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मन्त्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में बाकी पाँच राज्यों से आँकड़े इस बीच एकत्रित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित किये गये समस्त आंकड़े सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, हां।

(ख) इस मन्त्रालय के वार्षिक प्रकाशन, एजुकेशन इन इन्डिया, वाल्यूम-I, 1964-65 में, एकत्रित सामाग्री को, कार्यवाही करने के बाद, सारणीबद्ध तथा प्रकाशित किया जायगा। इस वार्षिक प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। संस्थानुसार कुल दाखिला अनुबन्ध में दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1854/68]

तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों जनसूचित आदिम जातियों को रियायतें

5142. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मन्त्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, सरकार और मैसूर, बंगलौर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों ने इस बीच अपने अधीन समस्त तकनीकी और शैक्षक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को तीन प्रकार की रियायतें देने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रियायतें देने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कोई ऐसी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने ये रियायतें नहीं दी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

5143. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मन्त्री 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर कितना धन खर्च होगा; और

(ख) क्या अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा आयोग के अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों की कार्यान्विति पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियाँ छपने के तुरन्त बाद लोक-सभा सचिवालय के पुस्तकालय को उपलब्ध कर दी जायेंगी।

त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय

5145. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा वर्ष 1967-68 में त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति श्राय कितनी थी तथा इन दोनों वर्षों में यह सारे भारत की प्रति व्यक्ति श्राय की तुलना में कितनी कम श्रथवा श्रधिक थी;

(ख) क्या वह सच है कि त्रिपुरा में इन वर्षों में श्राय श्रखिल भारत के श्रांकड़ों से बहुत कम थी; श्रौर

(ग) त्रिपुरा में उद्योगों, विशेष रूप से लघु तथा मध्ययम दर्जे के उद्योग तथा कृषि के व्यापक तथा त्वरित विकास के द्वारा त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति श्राय को श्रखिल भारतीय श्रांकड़ों के बराबर लाने के लिये 1968-69 की योजना में क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है श्रौर चौथी पंच वर्षीय योजना में क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्रौर (ख), 1966-67 के लिये त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति श्राय 411.6 रुपये (श्रस्थायी श्रांकड़े) थी जबकि उस वर्ष के लिये श्रखिल-भारतीय श्रांकड़े 481.5 रुपये (तुरन्त श्रनुमान) थे। 1967-68 के लिये श्रांकड़े श्रभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

(ग) राज्यक्षेत्र की प्रति व्यक्ति श्राय उसके श्रार्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करती है श्रौर किसी भी ऐसे कार्य से जिससे श्रार्थिक विकास की गति तेज होती है प्रति व्यक्ति श्राय पर प्रभाव पड़ेगा। विशेष कर, श्रधिक कृषि उत्पादन, श्रौद्योगिक विकास, परिवहन तथा संचार साधनों की पर्याप्त व्यवस्था, बिजली की सप्लाई, श्रच्छी सिंचाई श्रादि से प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि होगी। 1968-69 की योजना के लिये इन विकास कार्यों के लिये त्रिपुरा सरकार के बजट श्रनुदानों में निम्नलिखित राशियों की व्यवस्था की गई है :

	लाख रुपयों में
(1) कृषि कार्यक्रम	61.29
(2) सिंचाई श्रौर बिजली	123.68
(3) उद्योग	17.00
(4) परिवहन श्रौर संचार	87.00

श्राशा है कि वर्ष में उपरोक्त क्षेत्रों में विकास कार्यों से राज्यक्षेत्र की प्रति व्यक्ति श्राय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यक्षेत्र की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावों को श्रभी तक श्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Gauhati Riots

5146. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the residents of Vijaynagar have set up an association to enquire into the Gauhati riots and have named it as Association of Gauhati Riot-affected people ;

(b) whether the Association have submitted a Memorandum to the Commission enquring into the riots and have levelled serious allegations against the Assam Police ;

(c) whether the Marwari traders only were affected by looting in the Gauhati riots and the Police was also involved in these riots and acts of looting ; and

(d) if so, the steps taken by Government to check such riots and compensate the loss to innocent people ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information furnished by the State Government, the residents of Vijaynagar have formed an association called Vijayanagar Upadrab Pirit Sangha.

(b) The Association has submitted a memorandum to the Commission which contains some allegations against the administration and the police.

(c) Besides Marwari traders, Assamese, Bengali, Bihari, Punjabi and Gujarati communities were also affected by looting in the riots at Gauhati. One complaint was lodged for alleged trespass and mischief by armed police sepoys and a case was registered Us 147/448/323/427 IPC.

(d) Adequate precautionary measures to prevent recurrence of such incidents have been taken by the State Government. No compensation for the loss has been given to the victims but gratuitous relief and loans on low rates of interest have been given to the affected persons.

Arrest of Sholapur Muslim League Leader

5147. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Muslim League leader of Sholapur, Sri Abdul Sattar, has been arrested and confidential documents of Maharashtra and Andhra Pradesh Governments were recovered from his possession ;

(b) if so, the number of those documents ;

(c) whether it is also a fact that Sri Abdul Sattar and his companions have a direct link with Pakistan ; and

(d) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no evidence so far to indicate this.

(d) Does not arise.

Loans to Delhi Municipal Corporation

5148. **Shri Bal Raj Madhok** : **Shri Atal Bihari Vajpayee**:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amounts given as loans and grants in a lump sum and also for specific items to the Delhi Municipal Corporation during the last 10 years along with the dates when they were given ; and

(b) the amounts proposed to be given under the aforesaid heads each year during the current year ?

The Miniser of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The statement at annexure 'A' contains the information regarding grants/loans sanctioned to the Delhi Municipal Corporation during the last ten years by the Ministry of Home Affairs. **[Placed in Library. See. No. LT—1855/68]**

(b) The statement at annexure 'B' states the amounts so far sanctioned during the current financial year and the budget provision therefor. **[Placed in Library See. No. LT—**

1855/68] The payments so far made are "on account" only as the pattern of assistance to Delhi Municipal Corporation for this year will be decided on receipt of the interim report of the Morarka Commission, expected shortly.

Central aid to Schools of Delhi Municipal Corporation

5149. **Shri Bal Raj Madhok : Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while Government give 95 per cent of expenses as aid to any of the private schools or colleges in Delhi, it gives only 50 per cent of the expenses as aid to the schools of the Delhi Municipal Corporation ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir. But the grant in respect of Delhi Municipal Corporation schools is paid to the Corporation and not to the schools direct.

(b) Under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, " the establishment, maintenance and aid to schools for primary education subject to such grants as may be determined by the Central Government from time to time" is one of the obligatory functions of the Delhi Municipal Corporation. The Corporation has its own sources of revenue apart from grants from the Central Government and the Delhi Administrtion in respect of its various activities, including maintenance, etc. of schools.

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना

5150. **श्री कंवर लाल गुप्त :, श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने मिडिल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों को दिल्ली प्रशासन को सौंपने के दिल्ली नगर निगम के निर्णय पर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करके इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ

5151. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्दीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ में 1965-67 के दौरान क्या-क्या अनुसंधान कार्य सफलतापूर्वक किया गया; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उनमें से कितने अनुसंधान परिणाम वाणिज्यिक उपयोग के लिये सफल रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : विवरण सभा-पटल पर रखा गया। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1856/68]

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश

5152. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में 10,000 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सके हैं;

(ख) क्या इस संबन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने उनके साथ बात-चीत की थी;

(ग) क्या सरकार का कालेजों में पारी प्रणाली चला का विचार है;

(घ) क्या प्रवेश के मामले में कुछ अनियमितताएं हुई थीं; और

(ङ) क्या अनियमितताओं का पता लगाने के लिये एक जाँच समिति बनायी गयी है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कालेजों का कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अनुसार चलता है जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है। सरकार द्वारा इन कालेजों में पारी पद्धति जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी दिल्ली के कई कालेजों में "कालेज विस्तार योजना" पहले से ही लागू है।

(घ) इस प्रकार की किसी अनियमितता के बारे में न तो विश्वविद्यालय और न ही सरकार को पता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ

5153. **श्री वि० ना० शास्त्री : श्री न० कु० सांघी :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ द्वारा तैयार की गई अथवा आविष्कृत तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पादन हेतु दी गई दवाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस संस्था को स्वामित्व के रूप में कोई हिस्सा मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो उस संस्था को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) (ख), और (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में** रखा गया । **देखिये संख्या एल० टी०** 1857/68)

रूस और भारत में पीकिंग समर्थक भूमिगत क्रान्तिकारी संस्थायें

5154. **श्री मधु लिमये :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेडियो पीकिंग से किये गये प्रसारण की **ओर** दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रूस के वर्तमान नेताओं को गद्दी से उतारने के उद्देश्य से रूस में एक पीकिंग समर्थक भूमिगत क्रान्तिकारी संस्था बनायी गयी है; **और**

(ख) क्या सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि चीनियों ने भारत में भी ऐसी संस्था बनायी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) **और** (ख) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्छ के तट पर पाकिस्तान की गतिविधियाँ

5155. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कच्छ द्वीप के क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली नावों में पाकिस्तानियों के बार-बार आने की घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कच्छ के तट पर पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी, हां । इस प्रकार के मामलों पर उचित कार्यवाही की गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगरपालिका के लिये धन के नियतन के बारे में श्री आर० आर० मोरारका के विरुद्ध शिकायत

5156. **श्री रा० की० अमीन :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्रों में नगर सेवाओं के

विस्तार पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को धन का नियतन किये जाने के बारे में श्री आर० आर० मुरारका के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हाँ। श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने इस शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाये हैं।

गांधी जी के चित्रों तथा दस्तावेजों की विदेशों से मांग

5157. **श्री रा० की० अमीन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देशों ने अपने देश में गाँधी शताब्दी मनाने के लिये गाँधी जी के चित्रों तथा दस्तावेजों की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका अनुरोध पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ।

(ख) गांधी जी पर पुस्तकों की, उनके जीवन को दर्शाने वाले फोटोग्रों की तथा गांधीजी पर फिल्मों की मांग आई थी ।

(ग) मांगों की पूर्ति यथा सम्भव पूरी की गई है । उपलब्ध प्रकाशन और फोटो भेज दिए गये हैं । कुछ प्रकाशन या तो उपलब्ध नहीं है अथवा छप रहे हैं । प्राप्त होते ही इन्हें भेज दिया जायगा । फिल्में तैयार की जा रही हैं और तैयार होते ही भेज दी जायँगी ।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान, पिलानी द्वारा निर्मित टेलीविजन सैटों में कमियां

5158. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी द्वारा बनाये गये टेलीविजन सैटों में कई बड़ी कमियां पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कमियों को दूर करने और टेलीविजनों की किस्म में सुधार करने के लिये क्या उपचारी कार्य किये गये हैं; और

(ग) उक्त संस्थान द्वारा बनाये गये एक टेलीजिजन सैट में सैट के मूल्य की कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्च होती है और विदेशी पुर्जों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने केन्द्रीय इलक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी में तैयार किए गए दो टेलीविजन सेटों का विदेश में निर्मित एक माडल से तुलना करके मूल्यांकन किया था । संस्थान, विशेष रूप से इन सेटों के प्रदर्शन का वस्तुपरक मूल्यांकन करने के लिए आकाशवाणी से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

(ग) 23 इंच के स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट के लिए आयातित पुर्जों की विदेशी मुद्रा लागत आजकल 247 रुपए हैं। सेट की अनुमानित लागत फैक्ट्री से बाहर 1,295 रुपए हैं।

केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी और मेसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०, "डिफ्लेक्शन कायल्स" और "पिक्चर ट्यूब" तथा अन्य वैकम ट्यूब" जिनका टेलीविजन रिसीवर के लिए फिलहाल आयात किया जा रहा है, के विकास और निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

Embezzlement in the office of General Manager Roadways, Gorakhpur

5159. **Shri Vishwa Nath Pandey**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of Rupees fifty thousand of security deposit has been embezzled from the office of the General Manager Roadways, Gorakhpur, Uttar Pradesh, in collusion with officers ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bakat Darshan) : (a) and (b) According to the Government of Uttar Pradesh, an embezzlement of security deposit has taken place in the office of the General Manager, U. P. Government Roadways, Gorakhpur. According to present indications, the amount embezzled is Rs. 27,954.30 paise. The case is under investigation by the Police and also Departmentally ; and it cannot be said at this stage whether or not the embezzlement has been committed in collusion with any officer. However, an Assistant in the General Manager's office, allegedly responsible for committing the embezzlement, who is absconding, has been placed under suspension.

राज्य निदेशकों का सम्मेलन

5160. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मई, 1968 को दिल्ली में राज्य निदेशकों का एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने चौथी योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी शिक्षा की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के निर्माण के लिए निम्नलिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों की सिफारिश की गई थी :—

(i) कोटि और स्तर में सुधार करने के लिए तकनीकी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना;

(ii) तकनीकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण;

(iii) ठीक-ठीक ढंग के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए उद्योग के सहयोग से पालिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विविधीकरण;

(iv) स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(v) डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास, पाठ्यपुस्तकों और अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण;

(vi) प्रयोगशाला उपकरण और उपस्कर का डिजाइन और निर्माण; और

(vii) अध्यापकों के पूर्ण-सेवा प्रशिक्षण का पुनर्गठन।

नई दिल्ली में एंड्रूजगंज के लिए पंचायती हाल

5161. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एंड्रूजगंज, नई दिल्ली के पंचायती कल्याण संघ एक पंचायती हाल के निर्माण का अनुरोध करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां अब तक पंचायती हाल का निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 20-6-68 को एंड्रूजगंज में एक पंचायती हाल के निर्माण का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

बस्तियां बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा धोखा-दड़ी

5162. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बस्तियां बनाने वाले व्यक्ति के सिविल प्राधिकारियों अथवा दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मंजूरी न प्राप्त किये हुए आधे रिहायशी प्लाटों को बेच कर, अनेक लोगों के साथ धोखा-दड़ी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्लाटों का पंजीकरण किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को दिल्ली में कुछ व्यक्तियों से यह शिकायतें मिली हैं कि उन्हें कालोनाइजरों द्वारा ऐसे रिहायशी प्लाट बेचे गये हैं जो स्वीकृत नहीं थे।

(ख) बिक्री लेन-देन के दस्तावेज पंजीकृत किये जा सकते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद

5163. **श्री जे० एस० रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी उपक्रमों अथवा इनके आधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती का पुर्नविलोकन करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में देखते हुए गत पांच वर्षों में उक्त क्षेत्रों में उक्त जातियों के कितने लोगों को भर्ती किया गया है; और

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई केन्द्रीय समिति तथा राज्य समितियां समय-समय पर अपने निष्कर्ष प्रकाशित करती हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1963-67 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के आधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट I से IV में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1858/68]। केन्द्र संघ राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन पदों तथा सेवाओं

में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के बारे में किये गये कार्य का गृह-मंत्री की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिये स्थापित उच्च स्तर समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जायगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । यह अभिप्राय नहीं कि समिति अपने निष्कर्षों पर कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा इसे प्रकाशित करे।

अशोक तथा जनपथ होटलों का प्रबन्ध

5164. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों को अशोक तथा जनपथ होटलों के मुख्य कार्यवाही पदों पर नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह आशा की जाती है कि सैनिक अनुशासन के तरीके से होटलों में कार्यकुशलता बढ़ेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी पद पर नियुक्ति के लिये सेवा-निवृत्त सेना-अधिकारियों तथा सिविलियनों के बारे में विचार करती रही है।

रेलवे तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5165. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम मजूरी, मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने, मंहगाई के पूरे प्रभाव को दूर करने हेतु तदनुसार मंहगाई भत्ता देने, 50 वर्ष की आयु में अथवा 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत्ति आदि प्रश्नों पर विचार करने से इन्कार किये जाने के विरोध में देश भर में रेलवे तथा प्रतिरक्षा कर्मचारी 11 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बातचीत के माध्यम से इसे हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) रेल तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा निकट भविष्य में हड़ताल का मार्ग अपनाने की सूचना मिली है। सांकेतिक हड़ताल के लिये नियत तारीख 19 सितम्बर, 1968 बताई जाती है।

(ख) और (ग) अधिकांश बातों पर संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएँ हुई हैं। सरकार मंहगाई भत्ते के वेतन के साथ विलय के प्रश्न पर और आगे बात-चीत करने को तैयार है। इस संबन्ध में 27 जुलाई, 1968 को राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के कुछ प्रतिनिधियों ने उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा श्रम मंत्री से भेंट की है।

Strike by Bihar Government Employees

5166. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government gave advertisements to the news-

papers of Bihar ona large scale with a view to frustrate the recent strike of their non-gazetted employees ;

(b) whether it is also a fact that the employees who did not participate in the strike have been given double pay ;

(c) if so ,the total amount spent by Government on these items ;

(d) the total amount spent by Government on other items during the strike period ; and

(e) the amount of loss sufffered by the State Government as a result of this strike ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) On the eve of the non-gazetted employees' strike, the Government of Bihar issued certain appeals to the non-gazetted employees not to resort to strike, and also explaining Government's stand on various demands of the non-gazetted employees, explanation of different provisions of Bihar Essential Services Maintenance Act and hardship which the strike was likely to cause to the society as a whole.

(b) Yes, Sir.

(c) The estimate of amount spent or likely to be spent by Government on account of payment of double pay to those who attended their duty during the strike has not been worked out as details of such employees are still being collected.

(d) and (e) The State Government have not been able to work out the amount spent by them on different items during the strike period nor is it possible to do so with any amount of precision ; likewise it is not possible to assess the amount of loss suffered by Government in terms of money as a result of the strike.

Effect of Farakka Barrage on Navigation in Hoogly River

5167. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the construction of the Farakka Barrage would have any effect on the navigation in the Hoogly river ; and

(b) if so, the distance upto which the heavy ships would be able to go and the tonnage of such ships ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The Farakka Barrage which is expected to release 40,000 causecs of water along with other measures such as dredging, river training works and other corrective measures, will help to improve navigation in the River Hoogly for ships calling at Calcutta Port. The beneficial effect of the barrage and other measures will be that ships drawing 26 feet draft can navigate up the River Hoogly to Calcutta Port on almost all days of the year. It is also expected that a draft of about 29 feet will then be available for about 100 days in a year and a draft of about 28 feet for about 200 days in a year.

(b) The factors limiting navigation in the River Hoogly are the drafts and lengths of vessels. With the construction of the Farakka Barrage and perennial headwater supply to River Hoogly, sea-going vessels with an average of 15,000 tonnes and drawing 26 to 29 feet will be able to come up to Calcutta Port over the 102 mile navigable channel.

Demand by Certain Zila Parishads in U. P.

5168. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9723 on the 6th May, 1968 regarding the demand by certain Zila Parishads in U. P. and state the time by which the requisite information is likely to be made available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): Complete information has not so far been received from the Government of Uttar Pradesh. As soon as it is received, it will be laid on the Table of the Sabha.

भारत में चीनियों की भारत विरोधी गतिविधियां

5169. **श्री रा० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में, विशेषकर कलकत्ता में रहने वाले चीनी राष्ट्रिकों ने आजकल अपनी भारत-विरोधी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं;

(ख) क्या चीनी दूतावास के कुछ अधिकारी हाल ही में कलकत्ता गये थे और यदि हाँ, तो वे किस सम्बन्ध में वहाँ गये थे ; और

(ग) चीनियों की भारत-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के तीन अधिकारी 30 जून और 4 जुलाई, 1968 के बीच वाणिज्यक गतिविधियों के सिलसिले में कलकत्ता गये थे ।

(ग) भारत में रह रहे चीनी राष्ट्रिकों की किसी तोड़-फोड़ की गतिविधि पर आवश्यक निगरानी रखी जा रही है और जब कभी आवश्यक होता है कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

भारत का पुनः एकीकरण

5170. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक, भाषायी तथा साम्प्रादायिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सभी देश इन मतभेदों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार पुनः एक सीमा आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है, जिसे यह अनुदेश होंगे कि वह देश को सात खण्डों में विभक्त करने के मार्गोपायों का पता लगाये ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(घ) यह आयोग कब अपना कार्य करना आरम्भ करेगा और इस आयोग के कितने समय में अपना प्रतिवेदन देने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को देश के कुछ वर्गों में प्रादेशिक, भाषायी और साम्प्रदायिक भावनाओं की जानकारी है और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त प्रशासनिक और राजनैतिक उपाय किये जा रहे हैं । यह कहना सत्य नहीं है कि सभी देश इन तनावों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Supply of Cartridges in Rajasthan

5171. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that persons having licenced weapons in District Sriganganagar situated near Pakistan border in Rajashan, are not getting 30 Carbon automatic cartridges for self-defence ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The State Government have reported that there is no difficulty in getting cartridges of 30 carbine in Ganganagar District.

लक्कदीव द्वीप समूह के निवासियों को परेशान करना

5176. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्कदीव द्वीपसमूह के निवासियों के एक प्रतिनिधि मण्डल से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें स्थानीय प्रशासकों द्वारा द्वीपों के लोगों को परेशान करने के मामले को जाँच करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिनिकाय से कुछ स्थानीय नेता अभी शिकायतों तथा मांगों को भारत सरकार के सामने रखने के लिये जून 1968 में नई दिल्ली आये। उनके ज्ञापन में उठाई गयी अनेकों मांगों में से एक मांग यह थी कि आगजनी के सन्देहात्मक मामले में एक स्वतंत्र जांच की जाय, जिसमें 1968 में अमीन का कार्यालय विध्वंस हो गया था। मामले की जाँच के दौरान यह आरोप लगाया गया था कि लोगों को पुलिस ने परेशान किया था।

(ख) मामले में जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार का एक वरिष्ट अधिकारी भेजा जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों की भारतीय खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी

5178. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गुलामों, सोने, चान्दी, हीरों, मादक द्रव्यों और बन्दूकों इत्यादि का चोरी छिपे व्यापार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों के विरुद्ध भारतीय खुफ़िया पुलिस संतोषजनक रूप से निगरानी कर रही है ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय भूमिगत गिरोह के उच्च नेताओं की संख्या क्या है ;

(ग) इस 'इंटरपोल' संगठन के सदस्य कौन हैं ; और

(घ) क्या भारतीय जासूसों ने डा० मार्टिन लूथर किंग के हत्यारों पर नजर रखी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत 'इंटरपोल' संगठन का सदस्य है। यह संस्था विभिन्न सदस्य देशों के पुलिस दलों के साथ अपराध विरोध कार्य में सहयोग करती है जिनमें गुलामों, सोने, चान्दी, हीरे तथा मादक द्रव्यों का चोरी छिपे व्यापार करना भी शामिल है। 'इंटरपोल' के सदस्य देश आवश्यकता के समय एक दूसरे को अपराधों तथा अपराधियों के बारे में सूचित करते रहते हैं तथा सारे सदस्य राष्ट्र ऐसे अधिकारियों पर निगरानी रखते हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय भूमिगत गिरोह के उच्च नेताओं की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) 'इंटरपोल' संगठन के 102 राष्ट्र सदस्य हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1859/68]

(घ) जी, नहीं।

काश्मीर में घुसपैठ

5179. श्री रा० कृ० सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तत्व काश्मीर में घुस आये हैं और वे भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो विरोधी तत्वों को निकालने तथा प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रतिरक्षा के मामले में तथा घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार सतर्क है। उठाये गये कदमों का प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। थोड़े से विदेशी विद्रोही राज्य में छिपे हुये हो सकते हैं किन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे उनके अधिक संख्या में होने का संदेह हो।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

5180. श्री रा० कृ० सिंह : श्री एस० आर० दामानी :

श्री एम० एस० ओबराय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने आर्थिक प्रशासन सम्बन्ध एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रतिवेदन सदन के सभा-पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(ग) प्रतिवेदन केवल 20 जुलाई, 1968 को प्रस्तुत किया गया था और परीक्षाधीन है।

Foreign Missionaries in Nagaland

5181. **Shri Brij Bhushan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 912 foreign missionaries in Nagaland out of whom 350 are women ;

(b) the reasons for granting permission to such a large number of foreign missionaries to enter Nagaland ;

(c) whether it is also a fact that the said number is many times more than that was in the British period ; and

(d) if so, the reasons for changing the policy regarding Nagaland which was pursued in the British period ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri Vidya Charan Shukla**)(a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

Serving of beef in Ashoka Hotels and other Government Hotels

5182. **Shri Brij Bhsuhan Lal**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that beef preparations are served to clients at Ashoka and other hotels run by the Central Government; and

(b) if so, the Government's policy in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रशासनिक सुधार आयोग

5184. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सम्बन्ध में अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर प्रशासनिक सुधार आयोग इस समय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रेलवे पर अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार आयोग को अभी प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात सीमा में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

5185. **श्री अनन्तराव पाटिल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तानी सशस्त्र लोगों द्वारा गुजरात सीमा मे लगातार घुसपैठ की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि घुसपैठिये छोटी नावों में जाते हैं; जिन्हें राज्य पुलिस द्वारा पीछा करने पर वे समुद्र के किनारे छोड़ जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य पुलिस के स्थान पर सीमा सुरक्षा दल को तैनात करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गुजरात तथा पाकिस्तान के बीच स्थल-सीमा को पहले ही सीमा-सुरक्षा दल द्वारा देखभाल की जा रही है। खाड़ी वाले भाग में शीघ्रातिशीघ्र गश्त लगाई जाएगी।

उद्योगों की लाइसेंस नीति

5186. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या-गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने उद्योगों की लाइसेंस नीति के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह शिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 'आर्थिक प्रशासन' पर प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन, जिसमें औद्योगिक लाइसेन्स के बारे में कुछ सिफारिशें समाविष्ट हैं, पहले ही सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) आयोग द्वारा प्रतिवेदन केवल 20 जुलाई, 1968 को ही प्रस्तुत किया गया था और यह अभी परीक्षाधीन है।

कुकी तथा मिजो लोगों द्वारा मारे गये सेना के जवान

5187. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जुलाई, 1968 को इम्फाल और दीमापुर के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर कांग्कोकपी तथा केरांग के बीच एक मुठभेड़ में विद्रोही कुकी तथा मिज़ो लोगों ने सेना के कुछ जवानों को मार डाला था ;

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों द्वारा कितने जवान मारे गये थे ; और

(ग) इन क्षेत्र में सेना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सुरक्षा दलों के दो कर्मचारी मारे गये।

(ग) मिजो-कुक्की विद्रोहियों की गतिविधियों का पता लगाने तथा रोकने के लिये सुरक्षा उपायों का लगातार पुनर्विलोकन किया जा रहा है और उन्हें कड़ा किया जा रहा है।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी में बने टेलीविजन सेटों में त्रुटियां

5188. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी में बनाये गये टेलीविजन सेन्टों में कई दोष निकाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था को ऐसे त्रुटिपूर्ण सेटों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस कैसे और किन परिस्थितियों में दिया गया ;

(ग) क्या त्रुटिपूर्ण सेटों के निर्माण के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(घ) उन त्रुटिपूर्ण सेटों को ठीक करार देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उन त्रुटियों को सरकार का विचार किस प्रकार दूर करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) आकाशवाणी ने केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान पिलानी द्वारा तैयार किये गये दो टेलीविजन सेटों का विदेशों में निर्मित एक माडल से तुलना करके मूल्यांकन किया था। संस्थान, विशेष रूप से इन सेटों के प्रदर्शन का वस्तु-परक मूल्यांकन करने के लिये आकाशवाणी से पत्र-व्यवहार कर रही है।

(ख) इस सेट में लगातार सुधार करने और विकास संबन्धी कार्य को आगे बढ़ाने के लिये बुनियादी उद्देश्य से केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी में केवल समूह (बैंच) उत्पादन किया गया है ।

(ग) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले (उत्तर प्रदेश) में पुलिस की ज्यादतियां

5189. **श्री जागेश्वर यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विन्दसार थाने की पुलिस के अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त थाने की पुलिस ने थाने में अकोल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी ;

(क) क्या सरकार को उस पुलिस थाने में फैले भ्रष्टाचार का पता है ;

(घ) क्या सरकार यह पता लगायेगी कि उक्त थाने के एक हवलदार ने राम खेलावन यादव को इतना पीटा कि उसका फिर से स्वस्थ होना असम्भव है तथा क्या सरकार को यह भी पता है कि यह पिटाई दलगत राजनीति के कारण की जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह प्रतीत करता हुआ कोई साक्ष्य नहीं है कि बांदा जिला में बिस्सेन्दा थाने की पुलिस ने अत्याचार किये हैं और उस थाने में भ्रष्टाचार फैला है ।

ये आरोप है कि जिला अकोना के एक निवासी की 9-1-68 को पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। इन आरोपों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि श्री राम खेलावन यादव पीटा नहीं गया था ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन के लिये उपग्रह

5190. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धी संगठन की इस योजना में कि 1972 में भारत के ऊपर उपग्रह स्थापित किया जाये जिसमें कि 50,000 टेलीविजन सेटों के लिये प्रसारण हो सके, कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना 1972 तक पूरी हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क), (ख) तथा (ग) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धी संगठन के एक शिष्टमंडल ने नवम्बर-सेदिसम्बर, 1967 में भारत की यात्रा की तथा राष्ट्रीय निकास में उपग्रह संचार के प्रयोग के सम्बन्ध में अग्रिम परियोजना की सम्भावना के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा, बड़े पैमाने पर संचार, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकास के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था । शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन विचाराधीन है तथा उस पर कोई निर्णय नही लिया गया है ।

घाघरा पुल

5191. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अयोध्या निवासियों ने अयोध्या में घाघरा पुल के साथ-साथ इस प्रकार बांध बांधे जाने के विरुद्ध रोष प्रकट किया है, जिससे प्राचीन मंदिरों को देखने में रुकावट पेश आती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बांध की इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मन्दिरों के इर्द गिर्द का क्षेत्र गन्दा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंदिरों के इर्द-गिर्द के क्षेत्र का विकास करने की कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Balmikis in Government Service

5192. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of Balmikis is negligible in Government service;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the remedial steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Reservations in posts/Services under the Government of India are made for the category

of Scheduled Castes as a whole and within the category of Schedule Castes, there is no separate reservation for Balmikis or for any other individual group of Scheduled Castes ; so information regarding the number of Balmikis in Government Service is not available, as separate statistics of the number of each group of Scheduled Castes in Government services are not collected.

(b) and (c) : Do not arise.

कोणार्क के सूर्य मन्दिर में रसायनों का प्रयोग

†5193. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोर्णाक के सूर्य-मंदिर में रसायनों के प्रयोग के लिये वर्ष 1966–67 और 1967–68 में कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी व्यय हुई थी ;

(ख) क्या कोणार्क मन्दिर की मूर्तियां समुद्री नमक के कारण धीरे-धीरे जीर्ण होती जा रही हैं ;

(ग) क्या सरकार कोणार्क मन्दिर के संरक्षण के लिये इसके चारों ओर शीशे का या प्लास्टिक का एक भवन बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) उड़ीसा में ऐसे कार्यों के लिये 1968-69 में कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	वर्ष	निर्धारित की गई राशि	व्यय की गई राशि
	1966–67	2,500 रु०	6,260 रु०
	1967–68	4,000 रु०	4,643 रु०

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 5,500 रु०

वॉयस ऑफ अमरीका में काम करने के लिये डा० जार्ज थोमस को अमरीका से धन प्राप्त होना

†5194. श्री ई० के० नायनार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य के डा० जार्ज थोमस को इस देश में वॉयस ऑफ अमरीका के लिये काम करने पर अमरीका से पचास हजार डालर प्राप्त हुए हैं जैसा कि 20 अप्रैल, 1968 के "ब्लिटज्" नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो "ब्लिटज" में प्रकाशित हुए समाचार की केरल राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा पुष्टि कराने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डा० जार्ज थोमस को इंडियन ओवरसीज् बैंक द्वारा 50,000 डालर की राशि प्राप्त हुई जिसे "केरल ध्वनि" समाचार-पत्र

के लिये "ईसाई साम्यवाद विरोधी संघर्ष" ने भेजा था। उक्त राशि उस राशि के अतिरिक्त थी जो 6000 डालर प्रति मास डा० जार्ज थोमस को फरवरी 1960 से तार द्वारा भारतीय गौस्पल मिशन के हिसाब में भेजे जा रहे थे जिसके डा० जार्ज थामस उप-प्रधान हैं।

(ख) यह पता किया जा रहा है कि क्या कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना आवश्यक है।

निर्धारित उड़ानों का रोका जाना

5195. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष में अब तक यंत्रों में खराबी के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कितनी निर्धारित उड़ानों को रोका गया तथा कौन-कौन से स्थान पर ये उड़ानें रोकी गयीं ;

(ख) इस प्रकार रोके गये विमानों के यात्रियों को कितने समय तक रोका गया था ;

(ग) क्या इस प्रकार रोके गये विमानों के यात्रियों को गंतव्य स्थान पर लाने के लिये रोके गये स्थान पर कोई अतिरिक्त विमान भेजने की व्यवस्था है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रे (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1968 से 31 जुलाई, 1968 तक की अवधि के दौरान कुल 45,215 रवानगियों में से 440 मामलों में 30 मिनट से अधिक की देरियां हुईं।

(ख) देरियों की अवधि का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :--

(i) मिनट से अधिक लेकिन 1 घंटे से अधिक नहीं	--132
(ii) एक और दो घंटों के बीच	--120
(iii) दो घंटों से अधिक	--188
	440

(ग) जब विमान यांत्रिक कारणों से मुख्य बेस पर रोक लिया जाता है, और यदि खराबियों को तुरन्त ठीक करना संभव नहीं होता तो इंडियन एयरलाइन्स विमान सेवा को परिचालित करने के लिए स्टैण्डबाई विमान को सेवा पर लगाती है। आउट-स्टेशनों पर इसी प्रकार से विमानों के रोके जाने पर यदि उपलब्ध हो तो निकटतम बेस से सहायता-विमान भेजा जाता है।

मनीपुर के नागाओं का शिष्टमंडल

5196. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मनीपुर के नागाओं का एक शिष्टमंडल नई दिल्ली में प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनका यहां आने का प्रयोजन क्या था तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वह शिष्टमंडल उस क्षेत्र के नागाओं का कहां तक प्रतिनिधित्व करता था और वे किन-किन संगठनों के प्रतिनिधि थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नागा एकता समिति, मणिपुर का एक शिष्टमण्डल प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री से मिला और एक ज्ञापन पेश किया जिसमें उन्होंने मणिपुर के नागा क्षेत्र को नागालैण्ड राज्य के साथ संघटित किये जाने का अनुरोध किया था। सरकार वर्तमान मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के विभाजन के पक्ष में नहीं है किन्तु नागा एकता समिति की शिकायतों पर, जैसा उनके ज्ञापन में बताई गई है, निःसंदेह गौर किया जायगा।

कम्पनियों का पुनवर्गीकरण

5197. श्री न० कु० सांघी : श्री एम० एम० ओबराय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के समवाय विधि-प्रशासन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने हाल में सरकार से यह सिफारिश की है कि कम्पनियों का पुनवर्गीकरण किया जाना चाहिये, ताकि छोटी गैर-सरकारी कम्पनियों को समवाय अधिनियम के असंख्य उपबन्धों के पालन से छूट दी जाये और छोटी कम्पनियों के विकास को बढ़ावा मिले ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का विस्तृत सारांश क्या है तथा क्या सरकार ने उनकी व्यवहारिकता का विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) समवाय विधि प्रशासन पर कार्यकारी दल ने प्रशासन सुधार आयोग को अपने प्रतिवेदन में कम्पनियों के पुनवर्गीकरण का सुझाव दिया है। इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। आर्थिक प्रशासन पर आयोग की रिपोर्ट सरकार को 20 जुलाई, 1968 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें कार्यकारी दल के सुझाव का हवाला है। यह रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

Secret Transmitters

5198. **Shri Ramavatar Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri : Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recently received information about any such transmitters from which information is transmitted to Pakistan secretly ;

(b) if so, whether any special measures have been taken to unearth them ; and

(c) whether it is a fact that such an unlawful activity continues mostly in border areas?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Communal Propaganda by Papers

5199. **Shri Onkar Singh : Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Yajna Datt Sharma : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Nasheman" of Bangalore 'Ibtulwaqt' of Hyderabad, "Davat"

and "Radiance" of Delhi, have been indulging in propaganda inciting communal hatred while supporting "Majlis Itehadul Musalmeen" ; and

(b) if so, the action taken by Government against these papers and the outcome thereof ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs: (**Shri Vidya Charan Shukla**):(a) Government of Mysore have reported that 'Nasheman' has not come to notice for supporting the Majlis, though it has featured objectionable articles of communal nature. Government of Andhra Pradesh have intimated that the ' Ibnul Waqt' publishes exaggerated version of communal incident. No legally actionable material has come to the notice of the Delhi Adminstration in respect of writings in the "Dawat" and the "Radiance".

(b) Government of Mysore has initiated action against the 'Nasheman' under Section 13 of the Press Council Act, 1955, for some objectionable articles which appeared in certain issues in September-December, 1967, and April, 1968. Proseecution has also been launched under Section 505 I.P.C. against an article which appeared in the 23rd April, 1967 issue of Nasheman. The case is pending trial. The Government of Andhra Pradesh has launched prosection against the editor of 'Ibnul Waqt' under Section 505 I.P.C. and Section 153-A I.P.C. and the case is pending trial. Prosecution of the editor of 'Ibnnul Waqt' has also been ordered for certain articles which appeared in its issue of 4-6-1968.

राज्यों को प्रधान मंत्री की हिदायतें

5200. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने कांग्रेसी राज्य सरकारों को हिदायतें दी थीं तथा गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को सुझाव दिये कि वे जम्मू तथा काश्मीर का तरह सभी प्रकार के कालेजों में निःशुल्क शिक्षा तथा रियायतें देने की नीति अपनायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Timber carried away to Pakistan From Tripura

5201. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the floods in rivers in Tripura, a large quantity of timber has been carried away to Pakistan by water currents ; and

(b) if so, the steps taken to get this timler back ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs: (**Shri Vidya Charan Shukla**): (a) No such report has been received by the Tripura Government.

(b) Does not arise.

शिलांग और पूर्वी पाकिस्तान सीमा के बीच हथियारों का पकड़ा जाना

5202. **श्री अम्बुचेजियान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा दल के सैनिकों ने शिलांग और पूर्वी पाकिस्तान सीमा के बीच में पीनुरमुल्ला में विदेशों में बनी हुई शाटगन के 20 कारतूस पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल द्वारा गश्त को बढ़ा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी 26 जुलाई, 1968 को सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने शिलांग और पीनुसुल्ला के बीच एक स्थान पर बस से उतरते हुए व्यक्ति से कुछ चालू 12 बोर हल्की बन्दूक के कारतूस बरामद किये ।

(ख) और (ग) 2 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और राज्य पुलिस को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिए सौंप दिये गये ।

(घ) नियमित और कड़ी गश्त सीमा सुरक्षा दल द्वारा लगाई जा रही है ।

श्री जे० के० चौधरी के विरुद्ध चुनाव याचिका में त्रिपुरा न्यायिक आयुक्त का निर्णय

5203. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के 11 जून, 1968 के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें श्री जोगेन्द्र कुमार चौधरी का निर्वाचन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि श्री चौधरी ने भारत के नागरिकों में विशेषकर त्रिपुरा के आदिम जाति और बंगाली निवासियों में एक-दूसरे के प्रति घृणा पैदा की ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के आदिम जाति और बंगाली निवासियों में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में श्री चौधरी द्वारा एक अपील दायर की गई है और उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः इस दशा में मामले पर आगे कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

डिफेंस सर्विस पब्लिक स्कूल को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

† 5204. श्री अदिचन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि डिफेंस सर्विस पब्लिक स्कूल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली को अपने अधिकार में लिया जाय अथवा इसको एक सहायता-प्राप्त स्कूल बनाया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

हलदिया में घाट (जेटी) का निर्माण

† 5205. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में खाद्यान्न, तेल, कोयले तथा सामान्य माल के लिये पृथक घाटों का निर्माण अनुसूची के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब चालू किया जायेगा ; और

(ग) इस कार्य की प्रगति में किन कारणों से बाधा पड़ी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी हां।

(ख) तेल बन्दरगाह पूरी हो चुकी है तथा शीघ्र ही चालू की जायेगी। गोदी का कार्य जनवरी 1971 में चालू करने की आशा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

मनीपुर के नागाओं से ज्ञापन–पत्र

5206. **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई, 1968 को मनीपुर से आये हुए एक नागा प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन-पत्र दिया था और क्या उसमें यह आरोप लगाया गया था कि मनीपुर सरकार के सब विभागाध्यक्ष मैदानी क्षेत्रों के हैं और वे लोग पर्वतीय लोगों का शोषण करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मणिपुर में 17 विभागाध्यक्ष में से केवल पांच मैदानी क्षेत्र के हैं।

Flag on Jammu and Kashmir Secretariat

5207. **Shri Yashwant Singh Kushwaha** . Will Minister of **Home Affairs** be plaased to state :

(a) the flag which is hosited on the Secretariat of Jammu and Kashmir State;

(b) whether the practice being followd in the Secretriats of other States of the country is similar to that of Jammu and Kashmir ; and

(c) if not, the reasons therefor and the time upto which this dispartity would be allowed to continue ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) to (c) Both the National Flag and the State Flag are hoisted on the Secretariat in J. &. K. State. This differs from the practice followed in other States where only Nati nal Flag is flown. Section 144 of the Constiution of J. and K. provides for a separate flag and this flag is in no sense a rival to the National Flag, whieh occupios the supreme position and has the same status and position as in other parts of India . There is no proposal to change the present position.

पालम कालोनी में व्यापार चलाये जाने के बारे में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

5208. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम कालोनी में कोयला डिपू, मकान बनाने का सामान

आदि का व्यापार करने वाले सीमा सुरक्षा बल, सैनिक सुरक्षा और वायु सेवा के कर्मचारियों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या आचार नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपने या अपनी पत्नी या सम्बन्धियों के नाम पर व्यापार करने की अनुमति है;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) **सीमा सुरक्षा बल** : जून, 1968 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीमा सुरक्षा बल का एक सिपाही पालम कालोनी में बिना लाइसेंस के कोयले का एक डिपो चला रहा है।

सेना : ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

वायु सेना : जून, 1968 में एक शिकायत मिली थी कि वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली का एक वरिष्ठ एन० सी० ओ० अधिकारी भवन निर्माण सम्बन्धी सामान की एक दुकान चला रहा है।

(ख) **सीमा सुरक्षा बल** : केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचार) नियम, 1968 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार अथवा वाणिज्य में भाग लेने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी चाहिये। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार अथवा वाणिज्य में लगा हो तो उसे सरकार को बताना चाहिये।

सेना : जी, नहीं।

नौसेना : भारतीय वायु सेना के विनियमों के अन्तर्गत वायु सेना के कर्मचारियों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती। परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिनके अनुसार वायु सेना के कर्मचारियों की पत्नियों तथा सम्बन्धियों को व्यापार करने से रोका जा सके।

(ग) **सीमा सुरक्षा बल** : उपरोक्त भाग 2 में उल्लिखित शिकायत की जांच करने पर पता लगा है कि यद्यपि सिपाही स्वयं कोयले का डिपो नहीं चला रहा था, उसकी पत्नी एक और महिला के साथ साझेदारी में कोयले, ईंधन तथा चारे की खुदरे की दुकान चला रही है। जून में साझेदारों में कुछ मतभेद हो गये और दूसरी महिला ने अपना हिस्सा अलग कर लिया तथा लाइसेंस ले लिया। अतः सिपाही की पत्नी ने लाइसेंस शुल्क जमा करा कर अपने नाम में लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दे दिया।

सेना : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वायु सेना : उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित शिकायत की जांच किये जाने पर पता चला की एन० सी० ओ० की पत्नी एक निजी मकान में सीमेन्ट का व्यापार चला रही थी। एन० सी० ओ० का कहना है कि उसका इस व्यापार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

(घ) **सीमा सुरक्षा बल** : आचार नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर सिपाही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

सेना : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वायु सेना : इस मामले में अग्रेतर जांच की जा रही है।

राजस्थान में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

† 5209. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) उनमें से कितने न्यायाधीश भूतकाल में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के रूप में राजनैतिक दलों से सम्बधित रहे हैं; और

(ग) उनमें मे से कितने ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति भूतकाल में अस्वीकार कर दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) चार अतिरिक्त न्यायाधीश ।

(ख) सरकार उन व्यक्तियों की राजनीतिक निष्ठाओं के बारे में पूछ–ताछ नहीं करती जिन्हें राज्य प्राधिकारी तथा भारत का उच्च न्यायाधीश, उनके उच्च न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं। न्यायाधीशों को उनकी कानूनी योग्यता तथा चरित्र के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

(ग) चार में से दो व्यक्तियों के बारे में पहले विचार किया था परन्तु उनकी नियुक्ति नहीं की थी। उन्हें बाद में राज्य प्राधिकारियों तथा भारत के उच्च न्यायाधीश की सर्वसम्मत सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था।

Planes required for I. A. C.

5211. **Shri Brij Bhushan Lal : Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Evaluation Committee of the Indian Air lines Corporation had evaluated B. O. A. C. 111, American Boeing 737 and Douglas DC9 and Soviet T. U. 134 when some planes where required by the I.A.C. for Civil Aviation ;

(b) whether it is also a fact that the said Committee has recommended American Boeing 737 after considerable research as it was cheaper by nearly Rs. 60 lakhs although it had 115 seats as in Douglas D. C. 9 plane ;

(c) whether it is a further fact that Soviet T.U. 134 was rejected as it had only 62 to 72 seats ;

(d) if so, whether Government have finally decided to purchase American Boeing 737 ; and

(e) if so, when the purchases would be completed ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c) A team of officers deputed by the Indian Airlines to inspect, examine and make suitable recommendations in regard to the four types of aircraft available, namely, BAC-111, Boeing 737, DC-9 and TU- 134, recommended Boeing 737 as the most suitable aircraft to meet the requirements of the Indian Airlines.

(d) & (e) : The Board of Directors of the Indian Airlines considered the report of the Team of Officers, had it further examined by a Committee of the Board and came to the conclusion that DC-9 was commercially more profitable than the other types of aircraft available for purchase. They have recommended accordingly to Government. This recommendation is now under Government's consideration.

जम्मू तथा काश्मीर राष्ट्रीय राजपथ पर तवी नदी पर पुल

†5212. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने जम्मू में पठानकोट–श्रीनगर, राष्ट्रीय राजपथ पर तवी नदी पर दूसरा पुल बनाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी, हां।

(ख) सुझाव विचाराधीन है।

पंजाब में अनुसूचित जातियां

5213. **श्री सूरज भान** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में विशेष कर दोआबा में जिसमें जालंधर तथा होशियारपुर शामिल हैं अनुसूचित जातियों के लोगों की दशा बड़ी दयनीय है और उन्हें भूस्वामियों तथा पुलिस के हाथों बड़ी ज्यादतियां सहनी पड़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : गृह-मंत्री द्वारा प्राप्त एक ज्ञापन के सम्बन्ध में जलंधर में अनुसूचित जातियां को परेशान करने के मामलां में जाँच करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है। जहाँ तक होशियारपुर का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूस्वामियों तथा पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों को परेशान किया जाना सच नहीं है।

बिहार में सारन में श्री विश्वनाथ सिंह की हत्या

†5214. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : **श्री शशि रंजन** :

क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सारन जिले में छपड़ा में भगवान बाजार में पुलिस ने श्री विश्वनाथ सिंह नामक एक व्यक्ति को निर्दयतापूर्वक संगीनों से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिर–फ्तार नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि छपड़ा के उच्च पुलिस अधिकारी इस हत्या के लिये उत्तरदायी बताये जाते हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त सभी भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार का केन्द्रीय जाँच विभाग के माध्यम से इस मामले की जाँच कराने का विचार है ?

गृह–कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के

अनुसार श्री बिश्वानाथ सिंह जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत अभियुक्त थे ने पुलिस दल पर कातलाना हमला किया बताते हैं तथा अपनी गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए उन्हें बेनट से 8 घाव लगे। उन्हें तुरन्त अस्पताल भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर श्री विश्वानाथ सिंह की मृत्यु के मामले की जांच की जा रही है।

(घ) राज्य सरकार की सलाह से सुझाव पर विचार किया जायेगा।

पहाड़गंज नई दिल्ली में जुआ

5215. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रम्मी क्लब, मेन बाजार, पहाड़ गंज, नई दिल्ली में जुआ और गैर-कानूनी गतिविधियां खुले आम और नियमित तौर पर चल रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस ने इस स्थान पर पहले कई बार छापा मारा;

(ग) क्या यह क्लब इस क्षेत्र के निवासियों के लिये सार्वजनिक बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्लब के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रम्मी क्लब में जुए की कोई अवैध गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) पुलिस नियमित रूप से स्थान की जांच करती है।

(ग) क्लब के मालिक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपद्रव के कारण कार्यवाही की गई थी। क्लब के मालिक ने इस पर उच्च न्यायालय से स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिनेमा के टिकटों की चोर-बाजारी

5216. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पहाड़गंज, नई दिल्ली के इम्पीरियल तथा खन्ना सनेमाघरों में खुले रूप से बड़े पैमाने पर सिनेमा टिकटों की चोर-बाजारी होती है और नये चलचित्रों के आने के पहले चार दिन तक तो टिकटों की चोर-बाजारी विशेष रूप से होती है;

(ख) क्या यह सच है कि यह चोर-बाजारी प्रबन्धकों तक पुलिस से मिल कर की जाती है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस को इन सिनेमा घरों में सिनेमा टिकटों की चोर-बाजारी के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) अभी हाल में दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, नई दिल्ली के इम्पीरियल और खन्ना सिनेमा घरों पर सनेमा-टिकटों की चोर बजारी के बारे में 6 व्यक्तियों को उनके विरुद्ध शिकायत होने पर गिरफ्तार किया था ।

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर उत्तर प्रदेश मनोरंजन अधिनियम की धारा 9–ख के अन्तर्गत पंजीकृत मामले न्यायालय में हैं ।

श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में आग लगाकर जला देने का मामला

†5217. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के तीसर सप्ताह में 'श्रीनिवासपुरी' में आग लगा कर जला देने के दु:खान्त कांड में कोई गिरफ्तारी हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी, हां। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रर किये गये मुकदमे के बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में अराजकता

5218. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली प्रेस में कई बार प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें श्रीनिवासपुरी क्षेत्र, नई दिल्ली में बढ़ती हुई अराजकता की घटनाओं के बारे में कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार का ध्यान एक प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया था जो नई दिल्ली की श्रीनिवापुरी कालोनी में अवैध गतिविधियों के बारे में 29 जून, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी थी ।

(ख) ऐसी सभी रिपोर्टों की आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से सावधानी से जांच की जाती है । प्रभावित क्षेत्रों में दुश्चरित्रों पर निगरानी वर्दी और सादा कपड़ों में पुलिस कर्मचारियों तथा चलती-फिरती गाड़ी द्वारा लगातार, कड़ी और निरन्तर गश्त तथा विधि के अन्तर्गत अन्य निरोधक कार्यवाहियां ऐसी अवैध और अवांछनीय गतिविधियों से निपटने के लिये उठाये गये सामान्य उपायों में से कुछ हैं ।

शराब का तस्कर व्यापार

5219. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने भारत सरकार के एक विशिष्ट व्यक्ति की कार जिसका उपयोग शराब के तस्कर व्यापार के लिये किया जा रहा था, फरीदाबाद में पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उस विशिष्ट व्यक्ति का नाम क्या है; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 23-6-1968 को एक कार से जिसका रजिस्ट्रेशन नं० डी० एल० के० 8301 था, शराब पकड़ी गई और कार दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई। यह कार भारत के एटौर्नी जनरल श्री सी० के० दफ्तरी की थी जो ड्राईवर द्वारा अनधिकृत रूप में मालिक की अनुपस्थिति में, जब वह बम्बई चला गया था, ले जायी गई थी।

इस संबंध में दर्ज मामले की जांच की जा रही है।

Aircraft 'Concord'

5220. **Shri Sharda Nand :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new aircraft 'Concord' would be ready by next year which would have a speed of 1500 miles per hour ;

(b) if so, whether Govrnment also propose to purchase this aircraft ; and

(c) the probable impact of 'Concord' on the Civil Aviation in the country and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no positive information as to when the 'Concord' aircraft would be available for commercial purposes. However, the expectation is that the prototype aircraft will have its trial flight by the end of this year. The performance characteristics such as speed etc. of the aircraft will be known after the trial flight. However, the manufacturers claim its speed would be of the order of Mach.2., approximately 1500 miles per hour.

(b) Air India have reserved two delivery positions for the aircraft but no final decision about its purchase has yet been taken.

(c) It is too early to say what the impact of Concord will be on civil aviation in India, but Government are making plans to develop the four international airports to meet the operational and ground handling requirements of Jumbo Jets and super-sonic aircraft.

भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध शिकायतें

5221. **श्री शारदा नन्द :** **श्री कँवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री टी० पी० शाह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग को एक भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध बजट का राज खुलने, इस्पात मूल्य का राज खुलने तथा अन्य शिकायतों के बारे में कभी कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मंत्री का नाम क्या है और इन रिपोर्टों तथा शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग की जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री, यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग को किसी भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध बजट का राज खुलने, इस्पात मूल्य का राज खुलने की कोई सूचना / शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम में मजूरी दर

5222. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम में प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन की मजूरी की दर 3 रुपये 50 पैसे है जब कि नई दिल्ली नगर पालिका में प्रति व्यक्ति की प्रति दिन की मजूरी की दर 2 रुपये 90 पैसे है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी हां, श्रीमान्। नई दिल्ली नगर पालिका केन्द्रीय सार्वनिक निर्माण विभाग के नमूने पर भुगतान कर रही है।

परिवाहन विकास परिषद

5223. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास तथा तत्सम्बन्धी अन्य विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए परिवहन विकास परिषद् की एक बैठक बंगलौर में हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिषद् ने सड़क कराधान सम्बन्धी केसकर समिति, ग्रामीण सड़कों सम्बन्धी एच० पी० सिन्हा समिति तथा सड़क परिवहन वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी सरैया समिति के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया था और यदि हाँ, तो इन विचार-विमर्शों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) परमिट व्यवस्था तथा मोटरगाड़ी अधिनियमों के सम्बन्ध में इस परिषद् ने क्या सिफारिशें की हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) परिवहन विकास परिषद् की सातवीं बैठक मैसूर में 24 तथा 25 जून, 1968 में हुई थी। बैठक की कार्य-सूची की एक प्रति संलग्न है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1860/68]

(ख) तथा (ग) परिषद् ने सड़कों तथा सड़क परिवहन से सम्बन्धित अन्य मामलों के अतिरिक्त सड़क परिवहन कराधान जांच समिति, सड़क परिवहन वित्त सम्बन्धी अध्ययन दल तथा ग्रामीण सड़कों सम्बन्धी एच० पी० सिन्हा समिति, के प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर विचार किया है। विभिन्न मामलों पर परिषद् द्वारा किये गये महत्वपूर्ण निर्णय बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1860/68]

Change in Behaviour of Police People

5224. **Shri Maharaj R. J. Singh Bharati**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that police in Munich city of West Germany have brought about a revolutionary change in the behaviour of the police people with the help of a psychiatrist as reported in the Hindustan of the 21st July, 1968 ;

(b) if so, the action being taken by Government to make that experiment in India also ; and

(c) whether it is a fact that most of the incidents that take place during demonstrations are atrributable to the maltreatment by the police ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The attention of the Government has been drawn to the news item published in 'Hindustan Times' dated 21st July, 1968.

(b) Debuted information on the subject is being obtained.

(c) The Governments of Assam, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Mysore have reported that most of the incidents that take place during the demonstration are hot attributable to maltreatment by Police. The information from remaining States is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Compulsory Unions in Schools

5225. **Shri Maharaj Singh Bharati** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme under which there would be only one legal and compulsory union of students in each School and it would be obligatory upon every student to become its member and the election of the office-bearers would be held by secret ballot ; and

(b) if so, the number of schools in which Government have been able to implement this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Separate Hostels for Teachers and Students

†5226. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the project of constructing hostels for the students and the teachers, separately, in view of the acute shortage of accommodation ;

(b) the number of teachers and additional students accommodated in the hostels last year and the progress likely to be made in this regard during the current year ; and

(c) whether Government are aware that most of the students in colleges come from villages and if so, the arrangements being made to provide them with residential accommodation ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Problem of Admissions to Colleges

5227. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri J. H. Patel :**
Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of students far exceeds the number of seats available in the colleges of the country ;

(b) if so, the manner in which Government propose to solve the problem of admission of students to colleges during 1968-69;

(c) whether Government propose to introduce correspondence courses to solve this problem ; and

(d) if so, the number of students who received education through correspondence courses during the last year as also the number of those who would receive education in this way during the current year ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The required information is not available.

(b) The matter primarily concerns the State Governments and the Universities.

(c) Correspondence courses have already been started in some universities. Similar proposals in respect of some other Universities are under consideration.

(d) 3,500 students were admitted to the B. A. (Pass) correspondence course of the Delhi University during 1967-68.

Information for the current year in respect of the correspondence courses in Delhi University, as well as the newly started courses in the Rajasthan and Punjabi Universities is not available.

Recovery of arms from 'Anand Marg' Organisation in Purulia District

5228. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some arms were recovered from a religious organisation "Anand Marg" in a Tribal region in Purulia District in May, 1968 ;

(b) if so, the details of arms recovered ;

(c) whether marks of any foreign Ordnance Factory were found on any of the arms recovered ;

(d) the number of persons arrested in this connection ; and

(e) whether Government suspect any foreign power behind this Organisation ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) One D. B. B. L. gun and 16 live cartridges were recovered.

(c) The gun bore the marking "Western field M. W. and C.I.".

(d) Seven persons were arrested.

(e) Government do not have any definite information in the matter.

Recovery of explosives in Jaipur District (Rajasthan)

5229. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police had recovered about 500 boxes of explosive material after conducting a raid in Sanganer village in Jaipur (Rajasthan) in May-June, 1968 ;

(b) if so, the types of the explosive material recovered and the quantity of each;

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them; and

(d) whether Government suspect the hand of some foreign country in the said explosives dump ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**): (a) and (b): 475 wooden boxes containing about 29110 lbs. of fireworks, including sparklers, crakers, coloured matches, etc., were recovered from a house in Sanganer town on May 29, 1968.

(c) None has been arrested. Samples of the recovered material have been sent to the Inspector of Explosives for examination.

(d) No, Sir.

निकोबारी कोप्रा की कीमत

5230. **श्री हुकम चन्द्र कछवाय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय कलकत्ता में निकोबारी कोप्रा प्रति क्विंटल 350 रुपये से भी अधिक और सुपारी लगभग 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा नानकौरी ट्रेडिंग कम्पनी ने आदिम जातीय लोगों को कोप्रा का मूल्य अधिकतम 110 रुपये प्रति क्विंटल तथा सुपारी के मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल दिया है जबकि कलकत्ता में यह दर क्रमशः 350 रुपये और 800 रुपये हैं, आदिम जाति के लोगों के लिये उनके स्थानीय उपज के लिये समुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिये ट्रेडिंक लाइसेंस में विहित न्यूनतम खरीद दरों में अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के मुख्य आयुक्त द्वारा संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कलकत्ता में खोपरे तथा सुपारी के चालू मूल्य निम्नलिखित हैं ।

खोपरा (अंदमान किस्म) 240 रुपये प्रति क्विंटल
सुपारी (कोचीन किस्म) 750 रुपये प्रति क्विंटल

(ख) कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा नानकौरी ट्रेडिंग कम्पनी के व्यापार के लाइसेंस की अवधि पिछले वर्ष समाप्त हो गई थी । परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आन्तरिक निषेधाज्ञा के कारण वे द्वीप में अपना व्यापार चला रहे हैं । मामले के विचाराधीन होने के कारण इस मामले को लेना उचित नहीं है ।

Weapons with Communists

5231. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily Nav Bharat Times of the 15th May, 1968 in which a leader of Swatantra Party, Shri N. Dandekar, is reported to have stated that the Communists are receiving weapons from China and Pakistan ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action Government propose to take in this connection ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Government have no such information.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के लिए पूर्णकालिक निर्देशक तथा संयुक्त निदेशक

5232] **श्री ई० के० नायनार** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की है कि भारतीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में एक पूर्णकालिक निदेशक और एक उप-निदेशक होने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद का अब अपना पूर्णकालिक संयुक्त निदेशक है। पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा

5233. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के व्यापारी जहाजी बेड़े में इस समय कितने जहाज हैं; और

(ख) क्या आपत काल में भारतीय नौ सेना की आवश्यकताओं के लिये इस बेड़े में से कुछ जहाज लेना संभव होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1 अगस्त, 1968 को 238 जहाज थे जिसका कुल टन भार 19,53,990 जी० आर० टी० था।

(ख) जी, हां।

Mao literature in Modi Nagar

5234. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Onkar Singh** :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Marxist Communists are openly propagating Mao's literature in Modinagar, District Meerut ;

(b) whether it is also a fact that most of the said literature has been printed in a press in Delhi ;

(c) whether it is further a fact that a prominent Marxist leader of the said place has made an announcement to set up a Naxalbari group there ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswami): (a) to (d) Facts are being ascertained from the State Government.

Special Police Establishment and Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir

5235. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Special Magistrate of Jammu and Kashmir has given a verdict that Central Investigation Bureau and Special Police Establishment have got no right to function in the State of Jammu and Kashmir ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it also a fact that a few days ago a Registrar of Udhampur has given a decision that the President of India has got no right to purchase land in Jammu and Kashmir;

(d) if so, whether the position in that regard remains the same at present ; and

(e) if not, the latest position in this regard ?

The Minister in the Ministry of Home affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) No, Sir. However in two cases charge-sheeted by the Special Police Establishment, the Court of Special Magistrate for Jammu Province and the Court of Special Magistrate, Jammu and Kashmir have made references under section 432 Cr. P. C. to the High Court of Jammu and Kashmir for authoritative interpretation of certain articles of the Constitution for determination of the question of jurisdiction of the Special Police Etablishment in Jammu and Kashmir. The matter has yet not come upto in the High Court.

(c) to (e) Attention is invited to the statement made by the Home Minister in Lok Sabha on 1st May, 1968, in response to a Calling Attention Notice in this connection. Government have taken up this matter with the State Government, and their reply is awaited.

सिद्धान्तम् पुल को उप-सड़कें

†5236 श्री द० म० राजू :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री आंध्र प्रदेश में सिद्धान्तम् राष्ट्रीय राजपथ के पुल के लिये उप-सड़कों के बारे में 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7901 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर आया है और इस संस्था द्वारा दी गई गलत तकनीकी सलाह के कारण इस पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है; और

(ग) इस अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार वहन करेगी अथवा केन्द्रीय सरकार ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक प्रतिवेदन मांगा गया था और वह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि सिद्धांतम् पुल की कुल 5 मील 6 फरलांग की लम्बाई में से पटरी केवल 10 फरलांग के एक टुकड़े में ही नहीं बन सकी जिसका कारण भारी यातायात और सड़क बनने के तुरन्त बाद भारी वर्षा होना था। सड़क एक नई तकनीक से बनाई गई थी और उसका कारण कोई गलत तकनीकी परामर्श नहीं था। अब 2.28 लाख रुपये की लागत से सड़क पुनः बना दी गई है। समूचे मामले की अग्रेतर जांच हो रही है और यथासम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

Arrest of Pak National in Modinagar

5237. **Shri Onkar Singh :**　　　**Shri T. P. Shah :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in July, 1968, a Pakistani National was arrested in Modinagar and an automatic pistol and some other arms were recovered from him ; and

(b) if so, the action taken by Government against him ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Demolishing of Gita Temple in Ludhiana

5238. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it a fact that in May, 1968, a Gita Temple in Ludhiana was demolished under the orders of the State Government.

(b) whether any deputation of the poeple has called on him and has complained in this regard ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (c) aud (d) Facts are being ascertained from the State Government.

(b) Yes, Sir.

पूर्वी क्षेत्र की प्रतिरक्षा

5239. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं तथा सुरक्षा सेनाओं के बीच वर्तमान मुठभेड़ों को देखते हुए भारत के सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की प्रतिरक्षा के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या आसाम में पहाड़ी लोगों की मांगों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचने तक वर्तमान युद्ध-विराम समझौते की अवधि बढ़ाई जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सैनिक कार्यवाही निलबम्न समझौता केवल नागालैन्ड और मणिपुर के कुछ भागों तक ही लागू होता है। यह आसाम में पहाड़ी लोगों की मांगों से जुड़ा नहीं है।

Recruitment in Commission for Scientific and Technical Termology

†5240. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8725 on the 26th April, 1968 and state :

(a) whether any communication has since been addressed to the U. P. S.C. for regular recruitment on the posts in question ;

(b) if so, the date on which it was addressed ; and

(c) the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of (Shri Sher Singh):(a) to (c) The requisitions for regular recruitment against concerned posts through the U.P.S.C. , are being finalised, and will be sent to the U.P.S.C., shortly.

Personal staff of Ministers

5241. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Central Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers who have appointed their friends or relatives as their Private Secretaries or Assistant Private Secretaries or Personal Assistants ; and

(b) the grades which the said posts carry ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Tale of the House.

Aligarh Muslim University

†5242. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total grant paid to the Aligarh Muslim University in 1966-67,1967-68 and 1968-69;

(b)whether Government have received the details of the expenditure in respect of Central Grant ;

(c) whether it is also a fact that this grant is reported to have been misused ; and

(d) if so, the steps taken to check misuse thereof ?

The Minister of State for Eduction (Shri Bhagwat Jha Azad):(a) to (d): The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Central Hindi Directorate

†5243. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the details of the Schemes being carried out by the Central Hindi Directorate in 1968-69 ;

(b) whether it a fact that a decision has been taken to transfer some of these schemes to other institutions ;

(c) if so, the details of such schemes as would be transferred to other institutions, the names of those institutions and the reasons therefor; and

(d) the details of work which would be undertaken in this Directorate ?

The Minister of State in the Ministry of Eduction (Shri Sher Singh) : (a) : Apart from undertaking translation of Office manuals,forms and other non-statuatory literature of the various Central Government Ministries/Departmnts, the Central Hindi Directorate is implementing the following Hindi propagation schemes :

(i) Correspondence Courses for teaching Hindi to non-Hindi speaking people in the country and foreigners ;

(ii) Preparation of Dictionaries ;

(iii) Preparation of Primers and Readers for non-Hindi speaking people ;

(iv) Preparation of Primers for foreigners ;

(v) Publication of popular Hindi books in collaboration with private publishers ;

(vi) Supply of Hindi books to non-Hindi speaking States ;

(vii) Hindi Extension Programmes ;

(viii) Preparation of omnibus volumes ;

(ix) Development of Devanagari Script;

(x) Publication of Hindi version of the Unesco Courier, etc.

(b) No, Sir.

(c) and (d) : Do not arise.

Personnel in Hindi Directorate

5244. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of officers and employees belonging to different categories, separately, in the Central Hindi Directorate as on the 1st July, 1968.

(b) whether it s fact that some major projects organised by the Directorate are proposed to be entrusted to other institutions ;

(c) if so, whether reduction would be effected accordingly in staff strength also ;

(d) if so, whether the question of merger of the Directorate with the Scientific and Technical Terminology Commission would be seriously considered in view of working conditions of the staff of the Directorate ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) A statement containing the required information is placed on the table.[**Placed in the Library. See No. L. T. 1861/68**].

(b) No, Sir. There is no such decision at present.

(c) to (e) : Do not arise.

अमरीकन अकादमी के लिये रेवा महल

5245. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्रावास के लिये प्रदान किये गये रेवा महल को अमरीकन अकादमी को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महल के छात्रावास को जिसके लिये यह दान दिया गया था, कब प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) यह महल विश्वविद्यालय से दूर होने के कारण कालेज-छात्रावास के रूप में प्रयोग करने के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका और इसीलिये 1965 में 3 वर्ष के लिये बनारस की अमरीकन अकादमी को किराये पट्टे पर दिया गया था।

(ग) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद अक्टूबर, 1968 के बाद भी पट्टा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि पट्टा न बढ़ाया गया तो यह महल कालेज अथवा छात्रावास के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा।

बैट्री सैलों के विकल्प का आविष्कार

5246. **श्री यशपाल सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के श्री डी० जे० नायडू द्वारा आविष्कार के परिणामस्वरूप बैट्री सैलों के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा बची है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आविष्कार के लिये उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं। इन्डिया एयरलाइन्स के एक मकैनिक श्री नायडू ने कारवेल विमानों में उपयोग की जाने वाली साफ्ट (एस० ए० एफ० टी०) बैटरियों के पुर्ननिर्माण एवं पुनर्नवीकरण का एक तरीका ईजाद करने का दावा किया था। उनके दावे की पूरी जांच की गयी परन्तु इस प्रकार की पुनर्निर्माण बैटरियों का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझा गया। वास्तव में पुनर्निमित बैटरियों का विमानों में प्रयोग सामान्य वैमानिक परिपाटी के विरुद्ध है, क्योंकि बैटरी के काम बन्द कर देने की हालत में सम्पूर्णतया बिजली बन्द हो सकती हैं तथा उससे विमान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(ख) तथापि श्री नायडू के सूझ के पुरस्कार स्वरूप उन्हें मार्च, 1967 से दो विशेष वेतन-वृद्धियाँ प्रदान की गयीं।

माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के लिये भवन

5247. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय की एक एजेंसी द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह विदित हुआ है कि भारत में 50 प्रतिशत प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के अपने भवन नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को भवनों के निर्माण के लिये कोई वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार जिन स्कूलों के अपने भवन नहीं हैं, उनकी प्रतिशतता इस प्रकार है :

(एक) प्राइमरी स्तर.... 34.66 प्रतिशत

(दो) माध्यमिक स्तर.... 27.52 प्रतिशत

(ख) यह मुख्यता राज्य सरकार का काम है।

आनन्द मार्ग के विरुद्ध मामले

5248. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के पूर्णिया जिले में आनन्द मार्ग के विरुद्ध कितने मुकदमे न्यायालयों में पड़े हैं; और

(ख) यह मुकदमे किस प्रकार के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारत का प्रगतिवादी महासंघ (प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ इंडिया)

5249. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के प्रगतिवादी महासंघ (प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ इण्डिया) नामक किसी संगठन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस संगठन के वित्तीय साधन क्या हैं; और

(घ) क्या इस संगठन का "आनन्द मार्ग" नामक संस्था से कोई सम्बन्ध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (घ) : बताया जाता है कि भारत का प्रगतिवादी महासंघ आनन्द मार्ग का राजनैतिक स्कन्ध है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आनन्दमार्ग सदस्यता-शुल्क और व्यक्तियों के दान पर निर्भर है।

मिज़ो विद्रोही

†5250. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जुलाई 1968 को इम्फाल–दीमापुर सड़क पर कुछ मिजो विद्रोहियों ने घात लगा कर सुरक्षा दल पर हमला किया था और सुरक्षा दल के दो सैनिकों को मार दिया था;

(ख) यदि हां, तो यह घटना किन परिस्थितियों में हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एम० रामस्वामी): (क) तथा (ख): 18 जुलाई 1968 को लगभग 17,00 बजे कोहीमा से इम्फाल को जाने वाली सुरक्षा दल की टुकड़ी के पिछले भाग पर मिजो कुकी विद्रोहियों ने राष्ट्रीय राजपथ के इम्फाल-दीमापुर भाग के 96 वें तथा 96 वें मील के बीच आक्रमण किया गया। दो सुरक्षा सैनिक मारे गये।

(ग) विद्रोही मिजीओं तथा कुकियों की गतिविधियों को रोकने के लिये कार्यवाहियां तीव्र कर दी गई हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी एक

5251. **श्री रामचन्द्र ज० अमीन:**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव:
श्री द० रा० परमार:
श्री रा० की० अमीन:
श्री महेन्द्र माझी:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवायल सेवा (श्रेणी एक) के अधिकारियों के साथ किये जा रहे कथित सौतेली मां के से व्यवहार के सम्बन्ध में उनका ध्यान 20-7-1968 के समाचार-पत्रों में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा एसोसियेशन के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) उनकी शिकायतों की जांच करने के लिये एक स्वतंत्र समिति स्थापित करने के बारे में उसकी एसोसिएशन द्वारा बार-बार की गई मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): केन्द्रीय सचिवालय सेवा (वर्ग 1) एसोसिएशन द्वारा अपनी आम सभा की बैठक में कुछ शिकायतों पर आवाज उठाने के बारे में कुछ खबरें हैं।

(ख) और (ग): केन्द्रीय सचिवालय सेवा (वर्ग 1) एसोसिएशन द्वारा की गई मांगों पर, जिनमें एक मांग उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिये एक स्वतंत्र समिति के गठन के लिये शामिल है, सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1)

5252. **श्री रामचन्द्र ज० अमीन:**
श्री द० रा० परमार:
श्री रा० की० अमीन:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1) अधिकारी संघ ने 22-7-1967 को हुई अपनी सामान्य बैठक में कुछ संकल्प पारित किये हैं और सरकार को भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक संकल्प की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है;

(ग) क्या संघ को कोई उत्तर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उत्तर की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखने का है; और

(ङ) यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

(ङ) कुछ संकल्पों ने नीति के प्रश्न उठाये हैं जिन्होंने परीक्षा में समय लिया है ।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकार

5253. श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रसाशन सेवा के वे अधिकारी जिनकी राज्य पदालियों में आयुक्तों के रूप में पदोन्नति नहीं की गई है, भारत सरकार के सयुक्त संचिव (आयुक्तों के समान) पदों पर आसीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं; और

(ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए उनका अनुमोदन करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1968 को ऐसे अधिकारियों की संख्या 53 थी ।

(ग) केन्द्र में ऐसे पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति पदों की उपलब्धता तथा उन पर काम करने की उनकी उपयुक्तता के आधार पर की जाती है । इस उद्देश्य के लिये सभी राज्य संवर्गों से एक नियत स्तर की वरिष्ठता के अधिकारियों पर विचार किया जाता है और यह चयन किसी विशेष राज्य संवर्ग तक ही सीमित नहीं होता है ।

Admission for Training Courses in Technical Institutes in U.P.

5254. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of applications received, separately, for admission for training courses in the Technical Institutes such as Northern Regional Institute of Printing Technology, Allahabad ; Government Leather Institute , Agra ; Government Leather Institute, Kanpur; Government Girls Multipurpose Institute, Lucknow; Technical College, Dayalbagh, Agra; School of Paper Technology, Saharanpur; Government multipurpose Instiute, Aryanager, settlement, Lucknow, Government College of Art and Crafts, Luckow, in the years 1966-67, 1967-68 and up to July, 1968, the number of candidates admitted and the number of those who passed ;

(b) the number thereof belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Castes respectively ; and

(c) the courses, number of seats, qualifications required for admission, duration of course and the coditition s for admission in case of each of the said Institutes ?

The Minister of State in the Minitsry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) A statement based on the information available is placed on the table of the House **(Placed in Library. See LT—1862/68)**.

Details regarding the number of applicants to the courses, caste-wise distribution of the applicants and of those who are admitted and caste-wise distribution of those candidates who completed their studies are not readily available.

Three-Year Diploma Course conducted by Multi-purpose Institutions

5255. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of persons who applied for admission to three-year diploma course conducted by the multi-purpose Instituttes of Uttar Pradesh for the purpose of receiving training during the years 1966-67 and 1967-68, the number of those who got admission and of those who passed the examinations in each of the said institutes, separately ;

(b) the number of those among them belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Castes respectively ; and

(c) the details regarding the courses, admission-capacity, qualifications for admission and conditions of admission in each of those institutes ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a), (b) and (c) A statement based on the information available is placed on the table of the House. **[Placed in Library . See No. LT—1863/68]**

Details regarding the number of applicants to the courses, caste-wise distribution of the applicants and of those who were admitted and caste-wise distribution of those candidates who completed their studies are not readily available.

Admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Multi-purpose Institutes

5256. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of candidates who applied for two-year diploma courses in Government Multi-purpose institutes at Lucknow and Nainital in 1966-67, 1967-68 and upto July, 1963, the number of those who got admission and the number of those who passed these courses ;

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates separately among them ; and

(c) the qualifications and conditions prescribed for admission to these Institutes ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The information available about the two institutes is as follows :

Name of Institute	1966-67		1967-68	
	Actual admissions made	No. of candidates who passed	Actual admissions made	No. of candidates who passed

Lucknow Polytechnic, Lucknow.	..	260	137	140	109
Nainital Polytechnic. Nanital.	..	186	**242**	130	151

(b) Information is not readily available.

(c) The minimum admission qualification is High School pass or equivalent with mathematics and science and admissions are made on merit.

Admissions in Multipurpose Institutes in Uttar Pradesh

5257. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of applications received separately for the Three-year Diploma Course in the Government Multipurpose Institute in Uttar Pradesh in 1966-67, 1967-68 and upto July, 1968 ;

(b) the number of candidates admitted and the number who passed ;

(c) the number thereof belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Castes respectively in them ; and

(d) the name, courses, number of seats, in the case of each of the said Institutes and the qualifications required for taking admission and the conditions therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (**Shri Bhagwat Jha Azad**) : (a) to (d) : A statement based on the information available is pleaced on the table of the House.

[Placed in Library. See No. LT—1864/68].

Details regarding the number of applicants to the courses, caste-wise distribution of the applicants and of those who were admitted and caste-wise distribution of those candidates who completed their studies are not readily available.

हिमाचल प्रदेश के रोहरू तथा जब्बल क्षेत्र के लिये डिग्री कालिज अथवा पौलिटैकनिक

5258. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्र के जिले महासू के रोहरू तथा जुब्लल क्षेत्र में कोई भी डिग्री कालेज अथवा पोलिटैकनीक नहीं है;

(ख) क्या महासू जिले में रोहरू में डिग्री कालेज अथला पोलिटैकनिक खोलने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) कालेजों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) रोहरू में एक डिग्री कालेज अथवा पोलिटैकनिक खोलने का अब कोई औचित्य नहीं है।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था

5259. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन तथा भत्ते, छुट्टी और काम के घंटों के प्रश्न संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के गठन के अनुसार मध्यस्थ को सौंपे जा सकने वाले विषय हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मतभेद हो जाने पर ऐसे प्रश्न मध्यस्थ निर्णय को सौंपे जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के गठन के उपबन्ध क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्, यदि वे कर्मचारियों की किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग से संबंधित हों ।

(ख) जी हाँ, यदि वे कर्मचारियों की किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग से सम्बन्धित हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशियों पर यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध

5260. श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने उत्तरीय जिलों में से पाँच जिलों में विदेशियों पर लगाये गये यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को वापस लेने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए उसने क्या कारण पेश किये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है तथा उसकी परीक्षा की जा रही है ।

गुजरात पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक

5261. श्री चेंगलराया नायडू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गुजरात पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक के विरुद्ध कदाचार तथा शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग ने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग के सलाह की जांच की जा रही है।

राजधानी में सक्रिय डाक चोर

5262. श्री वेंगलराया नायडू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में डाक चोरों के एक कुख्यात गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में चैक, अप्रयुक्त टिकटें और चुराई गई भारी डाक पकड़ी गई है ;

(ग) क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) इस सम्बन्ध में 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा 5 अपराधिक मामले दर्ज कियें गये हैं और जाँच की जा रही है ।

सीमा पार पाकिस्तान जाने वाले मिजो लोग

5263. श्री वेंगराया नायडू : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिज़ो नेशनल फ्रंट के सशस्त्र व्यक्तियों की एक टुकड़ी, जिसमें एक चिकित्सा दल भी शामिल है, त्रिपुरा के अशांत तम्पाई पहाड़ी क्षेत्रों के कई गावों से होती हुई सीमा पार कर के पूर्वी पाकिस्तान चली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इन सशस्त्र मिज़ो लोगों ने गांव में एक डाक्टर से मारपीट की और उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि वह इस घटना की जानकारी किसी को देगा तो उसके बुरे परिणाम निकलेंगे;

(ग) यदि हाँ, तो सीमा पुलिस ने किन परिस्थितियों में उन्हें बच कर निकलने दिया ;

(घ) सीमा पार करने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) क्या पाकिस्तान सरकार को इन्हें वापस कर देने के लिये कहा गया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख), (ग) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सुरक्षा दल हमारी सीमाओं के आर-पार विद्रोही तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये सतर्कता बरतते हैं ।

शेख अब्दुल्ला द्वारा श्रीलंका की यात्रा।

5264. **श्री वेंगलराया नायडू :** **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला को इस्लामिक सोशलिस्ट फ्रंट के द्विवर्षीय समारोह में शामिल होने के लिये श्रीलंका जाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने अपने आपको एक भारतीय नागरिक घोषित करने से पुनः इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें एक अस्थायी भारतीय के रूप में पारपत्र देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उन को कोई नया पारपत्र जारी किया गया था अथवा पुराने वाले पारपत्र का ही नवीकरण किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) शेख अब्दुल्ला ने श्रीलंका जाने के लिये पारपत्र के हेतु आवेदन नहीं किया है।

(ख) से (घ)-प्रश्न नहीं उठता।

गोआ प्रतिकर भत्ता

5265. **श्री इरास्मोंडी सेक्वीरा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ प्रतिकर भत्ता कब लागू किया गया था, इसकी राशि कितनी है और इसे लागू करने के क्या कारण हैं ;

(ख) यह भत्ता कब वापिस लिया गया, किस प्रकार वापिस लिया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस भत्ते को जारी रखने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) गोवा, दमन और दीव में नियुक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में गोवा, दमन और दीव सरकार के कर्मचारियों को वेतन के 8 प्रतिशत का एक विशेष प्रतिकर भत्ता दिया गया था बशर्ते कि वह न्यूनतम 7.50 रुपये और अधिकतम 75 रुपये प्रतिमास हो। पहले मामले में भत्ता 1 अक्तूबर, 1962 से और दूसरे में केन्द्रीय वेतनमानों में उनकी नियुक्ति की तिथि से दिया गया था। यह भत्ता स्वाधीनता के पश्चात् उस क्षेत्र में व्याप्त कठिन और अस्थिर दशाओं को ध्यान में रखते हुये दिया गया था।

(ख) भत्ता अभी तक स्वीकार्य है किन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में वापिस किया जा रहा है :—

1-4-1967 से 30-9-1967 तक	1-10-1967 से 31-3-1968 तक	1-4-1968 से 30-9-1968 तक	1-10-1968 से आगे

वेतन का 6 प्रतिशत बशर्ते न्यूनतम 6 रुपये तथा अधिकतम 60 रुपये प्रतिमास हो	वेतन का 4 प्रतिशत बशर्ते न्यूनतम 4 रु० अधिकतम 40 रु० प्रतिमास हो	वेतन का 2 प्रतिशत बशर्ते न्यूनतम 2 रु० तथा अधिकतम 20 रु० प्रतिमास हो	कुछ नहीं

गोआ प्रतिकार भत्ता जो कि विशेष परिस्थिति में दिया गया था, बदली हुई परिस्थितियों में अनिश्चित काल के लिए जारी रखना न्यायोचित नहीं समझा गया और इस मामले में संघ राज्य क्षेत्र को देश के शेष भागों के बराबर करना पड़ा।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) मामले पर गौर किया जा रहा है।

मरमागोआ पत्तन

5266. **श्री इरास्मोडी सेक्वेरा** : क्या परिवाहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागोआ पत्तन के विकास के लिये परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवाहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख) परियोजना से सम्बन्धित आरम्भिक काम शुरु कर दिया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का उपबन्ध करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और ऐसा हो जाने पर परियोजना का काम शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा।

Roadways Buses Plying in U.P.

5267. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarted Question No. 9442 on the 3rd May, 1968 regarding Roadways buses plying in U.P. and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Uttar Pradesh Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the annexed statement. [**Placed in Library. See No. LT—1865/68**].

(c) Does not arise.

Roads in Gorakhpur District U.P.

5268. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9422 on the 3rd May, 1968 regarding roads in Gorakhpur district, Uttar Pradesh and state :

(a) whether the information has since been collected from the Uttar Pradesh Government ;

(b) if so. the details thereof ; and

(c) if not . the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The required informtaion has not yet been received from the Government of Uttar Pradesh. It will be laid on the Table of the Sabha when received.

Junior High School in Uttar Pradesh

5269. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question **No.** 9443 on the 3rd May, 1968 and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (c) Information is still awaited from the Government of Uttar Pradesh, who are collecting it. They have been reminded.

School for Labourers in Bomby and Durgapur Centres

5270. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8650 on the 26th April, 1968 and state :

(a) the reasons for giving preference to the opening of schools for labourers in Bombay and Durgapur Centres ;

(b)when the rest of the eight such schools are proposed to be opened and the locations thereof ; and

(c) the reasons for not setting up the rest of the Centres referred to in parts (c) and (d) above ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Shramik Vidyapeeths are intended to meet the educational needs of different categories of industrial workers and not merely of labourers.

The present project is a pilot project and intended to be tried under different conditions like those in a big industrial city and in a developing industrial complex. Since Bombay and Durgapur best satisfy these requirements, they have been selected for starting two centres in the first instance. In addition, collaboration is available in Bombay with a voluntary organisation that has long experience in social education.

(b) and (c) The question of starting other centres will be decided on the basis of the financial provision in the revised Fourth Five-Year Plan.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कर्मचारी बृन्द को दिया गया समयोपरि भत्ता

5271. **श्री गाडिलिंगंन गौड :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल प्रतिदिन के बकाया काम को ही निपटाने के लिए प्रशासन ने इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारी बृन्द को लगभग तीन करोड़ रुपये समयोपरि भत्ता दिया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसे व्यय को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1967–68 के दौरान, उड़ान कर्मियों और केबिन परिचारकों को छोड़ कर शेष सभी वर्गों के

कर्मचारियों को दिये गये समयोपरि भत्ते की कुल राशि 1.34 करोड़ रुपया थी। समयोपरि भत्ता अधिकांशतः कार्य की मात्रा में वृद्धि होने के कारण दिया गया।

(ग) कारपोरेशन भुगतान किये जाने वाले समयोपरि भत्ते की राशि को यथासंभव कम रखने के लिए कड़ा नियंत्रण रख रही है।

उच्च न्यायालओं में हिन्दी

5273. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में कितने उच्च न्यायालय हैं ;

(ख) उक्त प्रत्येक न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं और उन में से कितने हिन्दी में काम कर सकते हैं ; और

(ग) क्या उक्त उच्च न्यायालयों में नई नियुक्तियां करते समय न्यायाधीशों के लिये हिन्दी का काम-चलाऊ ज्ञान आवश्यक समझा जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) हरयाणा तथा पंजाब के साझे उच्च न्यायालय सहित पांच उच्च न्यायालय।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं।

Promotions of Teachers in Jammu and Kashmir State

5274. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jammu and Kashmr Government are trying to give promotions to teachers of one community in their schools in an illegal manner and depriving teachers of another community of their rights ;

(b) whether it is also a fact that the Supreme Court has held this step of the State Government as illegal ;

(c) if so, whether Government propose to ask the State Government not to give promotions to teachers on communal basis ; and

(d) if not, the reaons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Preservation of Manuscripts in Libraries

5275. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that valuable ancient manuscripts are lyingin a very tattered condition in most of the Government and Semi-Government museums and libraries for want of their porper maintenance ;

(b) If so, whether Government propose to adopt some modern scientific methods to preserve them ; and

(c) If not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) In so far as the Museums and Lbiraries administered or controlled by the Central Government are concerned the ancient manuscripts are being maintained properly. As

regards the museums, libraries owned by the State Governments and/or Semi-Government bodies, these are under the administrative control of the State Government and/or Semi-Government bodies. As such information regarding them is not available.

Tourism Committee of South East Asian Countries

5276. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Tourism Committee of South East Asian countries have, in their meeting held recently, taken some important decisions ;

(b) if so, whether these decisions are likely to have any adverse effect on the foreign tourist traffic ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to counteract this effect ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : No report has so far been received by the Government on the recommendation of the Tourism of Committee of the South East Asian Countries. Government will examine the recommendations, when received, in the context of tourist promotion to India.

Roads in Banda District (U.P.)

5277. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the mileage of *kacha* roads in District Banda of U. P. taken charge of by the Public Works Department for converting them into *pucca* roads so far ;

(b) the particulars of such roads ;

(c) the amount sanctioned for construction of each of these roads ;

(d) whether Kamasin -Banda road has been taken charge of by the Public Works Department for converting it into a *Pucca* road ;

(e) whether Makasin-Oren road is also proposed to be taken charge of by the said Department for the said purpose ; and

(f) whether Baberu-Attara road, only half of which has been convered into *pucca* road, would be completed this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) to (f) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में अनिर्णीत मामले

5278. **श्री घोरेश्वर कलिता :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विभिन्न न्यायालयों में भारत प्रतिरक्षा नियमों की धारा 41 (5) बी के अन्तर्गत कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) क्या सितम्बर, 1965 में हुये भारत-पाकिस्तान युद्ध के तुरन्त पश्चात् ये मुकदमे दायर किये गये थे ; और

(घ) क्या सरकार का इरादा इन मामलों को वापस लेने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल (क) छः ।

(ख) सत्रह ।

(ग) छः मामलों में से चार 27 मई, 1965 को, एक 30 दिसम्बर, 1965 को तथा एक 26 जुलाई, 1967 को दायर किया गया था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति

5279. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों को सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रतिवेदन की परीक्षा करने के बाद सरकार का दृष्टिकोण सूत्रबद्ध किया जायगा।

उड्डयन क्लब

5280. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने उड्डयन क्लब काम चला रहे हैं ;

(ख) सरकार इन क्लबों को कितनी वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ग) ये क्लब प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं ; और

(घ) क्या इन क्लबों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) इस समय देश में 24 फ्लाइंग क्लब हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की उड़ान उपदान योजना में सम्मिलित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में फ्लाइंग क्लबों को उपदान / आर्थिक सहायता देने पर हुआ कुल व्यय निम्न प्रकार है :—

1965-66	34,04,695 रुपये
1966-67	33,72,149 रुपये
1967-68	44,44,168 रुपये

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्लबों में प्रतिमाह प्रशिक्षार्थियों की औसत संख्या निम्न प्रकार है :—

1965-66--710
1966-67--731
1967-68--785

(घ) फ्लाइंग क्लबें कम्पनी अधिनियम या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड निजी संस्थाएँ हैं। उन्हें निर्धारित दरों पर उपदान / आर्थिक सहायता प्राप्त करने से पहले सरकार के साथ एक करार करना पड़ता है। इस करार में उनके उड़ान प्रशिक्षण कार्य-कलापों पर आवश्यक नियंत्रण रखने की व्यवस्था है और उन्हें इस संबंध में नागर

विमानन के महानिदेशक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होता है। इसके मुताबिक नागर विमानन के महानिदेशक को क्लबों की प्रबंध समिति / निदेशकमण्डल में तीन व्यक्तियों तक को मनोनीत करने का अधिकार है। इसके अलावा, क्लबों के लेखे की लेखा-परीक्षा द्वारा जाँच की जा सकती है।

ताइपेह में होने वाली बास्केटबाल चैम्पियनशिप के लिये महिलाओं की टीम

5281. **श्री घोरेश्वर कलिता :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइपेह में होने वाली बास्केटबाल चेम्पियनशिप में महिलाओं के एक दल को भेजने के बारे में अखिल भारतीय बास्केटबाल संघ का अनुरोध सरकार ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, हां।

(ख) दल का नीचा स्तर।

भारत-फ्रांस विमान सेवा करार

5283. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1967 के भारत-फ्रांस विमान सेवा करार के अन्तर्गत पारस्परिक आधार पर क्या रियायत दी गई हैं;

(ख) क्या एयर-फ्रांस और एयर इंडिया को इससे समान लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि करार एयर-फ्रांस के पक्ष में है और इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कार्यवाही करने का है; और

(ङ) क्या लुफ्थान्सा तथा एलिटालिया ने भी ऐसी ही सुविधायें मांगी हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) निर्दिष्ट हवाई करार के अनुसार एयर-फ्रांस को तत्काल दिल्ली से होकर प्रति सप्ताह तीन विमान सेवाएं तथा कलकत्ता से होकर प्रति सप्ताह एक विमान सेवा परिचालित करने के अपने पहले अधिकार के बदले दिल्ली में होकर प्रति सप्ताह तीन विमान सेवाएं तथा बम्बई से होकर प्रति सप्ताह एक विमान सेवा परिचालित करने का अधिकार दिया गया। यह भी तै किया गया कि एयर फ्रांस अप्रैल, 1969 से बम्बई से होकर एक अतिरिक्त अथवा पांचवीं विमान सेवा चला सकता है। इसके बदले में एयर इंडिया को सप्ताह में केवल चार विमान सेवाओं के अपने पहले अधिकार के बदले, तत्काल पेरिस में सप्ताह में 5 विमान सेवाएं चलाने का अधिकार दिया गया। यह भी तै किया गया कि एयर इंडिया अप्रैल, 1969 में पेरिस होकर एक छठी विमान सेवा भी चला सकेगा। एयर फ्रांस की भारत में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्रों में से होकर सेवा परिचालित करने की मांग मंजूर कर लेने के बदले एयर इंडिया को एक आवृत्ति का लाभ मिला।

(ग) और (घ). फिलहाल ऐसा कोई सारभूत संकेत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नजर आया कि करार से एयर फ्रांस को अधिक लाभ है तो हमेशा इस पर आगे बातचीत हो सकती है।

(ङ) लुफ्थान्सा और एलिटालिया बम्बई और दिल्ली दोनों में यातायात अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया के जर्मनी और इटली को/में से होकर परिचालनों से कोई बराबर वाणिज्यिक लाभ अपेक्षित नहीं हैं अतः लुफ्थान्सा तथा एलिटालिया की मांगें स्वीकार नहीं की गयी हैं।

नई दिल्ली में अनावृत्त जलपान-गृह (आपेन एयर रेस्तोरां)

5285. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने रीगल पार्क में एक अनावृत्त जलपान गृह (ओपन एयर रेस्तोरा) बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस जलपान-गृह के खोले जाने का विरोध किया था क्योंकि यह दिल्ली बृहद् योजना में भूमि के निर्धारित प्रयोग के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बृहद योजना तथा दिल्ली विकास प्राधिकार के निदेश का उल्लंघन किये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) मामला उप-राज्यपाल के हवाले किया गया था जिसने दिल्ली विकास अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इस जलपान-गृह की योजना का दिल्ली विकास अधिकरण की ओर से कुछ तरमीमों के साथ अनुमोदन किया था, इस प्रश्न पर, कि क्या इस का जलपान गृह खुलना दिल्ली के लिये मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि-प्रयोग के विरुद्ध होता है, स्वास्थ्य-मंत्रालय के साथ परामर्श करके परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में जे० जे० कालोनी में नागरिक सुविधायें

5286. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारायणा और राजौरी गार्डन के निकट बसाई गई जे० जे० कालोनियों में बिजली तथा पार्कों जैसी नागरिक सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या नगर निगम को आवश्यक धन देने में सरकार की असफलता के कारण जे० जे० कालोनियों में इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने निकट भविष्य में इन कालोनियों की स्थिति सुधारने के लिये कोई योजनायें बनाई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) नारायणा तथा राजौरी गार्डन के निकट स्थापित की गई झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में गलियों

में बिजली लगने तथा पार्कों जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । झुग्गी झोपड़ी हटाने की योजना में पार्कों के विकास तथा घरों में बिजली लगाने के लिए एल० वी० मेन सम्बन्धी व्यय का उपबन्ध नहीं है । धन न होने के कारण झुग्गी–झोपड़ी कालोनियों की योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधायें देने कोई योजना नहीं है । झुग्गी–झोपड़ी हटाने की योजना क्रियान्वित करने का काम दिल्ली महानगर परिषद् की जिम्मेवारी नहीं है । यह काम दिल्ली विकास निगम को सौंप दिया गया है ।

बेरोजगार इंजीनियर

5287. श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरों की अत्यधिक बेरोजगारी के कारण विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) क्या इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिये भीड़ पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ तकनीकी स्कूलों में उपलब्ध स्थानों की अपेक्षा दाखिले के लिये उम्मीदवारों की संख्या कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) प्राप्त अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ राज्यों में पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अवेदन-पत्रों की संख्या विशेषकर पोलिटेक्निकों के लिये कम हैं । वास्तव में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है, इससे संबंधी विस्तृत सूचना तकनीकी संस्थाओं से आनी बाकी हैं ।

(घ) विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर, इस मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

बाल साहित्य की पुस्तकें

†5288. श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री स० कु० तापड़िया

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल-साहित्य की पुस्तकों में प्रायः गलत और गुमराह करने वाली जानकारी दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एसी पुस्तकों का अभाव है जिनसे बच्चों में एकता की भावना का निर्माण हो ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार है और क्या तत्सम्बन्धी कोई योजना तयार की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के ध्यान में कई बार ऐसे उदाहरण लाये गये हैं कि जहां प्राथमिक तथा माध्यमिक

स्तर की पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिजनक बातें पाई गई हों। राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसी पुस्तकों और अन्य शैक्षणिक वस्तुओं की जांच के लिये आवश्यक व्यवस्था करें।

(ख) जी हां, ऐसी पुस्तकें आम नहीं हैं।

(ग) शिक्षा मंत्रालय चालू वर्ष में "नेहरू राष्ट्रीय बाल पुस्तकालय पुस्तकें" नाम की योजना आरंभ करने पर विचार कर रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल के बच्चों में राष्ट्रीय एकता को जागृत करना हैं। इसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर पुस्तकें तैयार की जायेंगी।

(घ) शैक्षणिक गवेषणा तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् ने पाठ्य पुस्तकों और सम्बन्धित वस्तुओं के तैयार करने के काम को हाथ में लिया है। इन वस्तुओं के बनाने का उद्देश्य यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भारतीयता की भावना उत्पन्न की जाये और विभिन्न सामाजिक समुदायों में सौहार्द लाया जाये। आरंभ में यह 14 से 17 वर्ष के बच्चों के लिये है। उपरोक्त परिषद अपनी 'सामाजिक अध्ययन परियोजना' के अन्तर्गत स्कूलों के लिये एकसमान पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय समाज के मान्यताओं के बारे में जानकारी देना होगा।

टैगोरीय रंगमंच

†5289. **श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में अधिकांश टैगोरीय रंगमंच दोषपूर्ण पद्धति से बनाये गये हैं और वे रंगमंच अभिनय के लिये उपयुक्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन दोषों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) रंगमंचों में निर्माण सम्बन्धी कुछ छोटी त्रुटियां पायी गई हैं जिन्हें अब भी ठीक किया जा सकता है। रंगमंचों का प्रबन्ध राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, दल के निष्कर्षों को उनके ध्यान में लाया जायेगा।

भारत में रूस और साम्यवादी साहित्य

†5290. **श्री मुत्तु गौंडर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस द्वारा समूचे भारत में काफी रूसी और साम्यवादी साहित्य का परिचालन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में परिचालन किया जा रहा है; और

(ग) क्या इतने बड़े पैमाने पर साहित्य का परिचालन सरकार की अनुमति से किया जा रहा है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) भारत में रूस के दूतावास द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के नामों वाला एक विवरण संलग्न है । यह जानकारी भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1866/68] ।

(ग) राजनयिक दूतावासों की सूचना एजेन्सियों को अपने प्रचार कार्य में कुछ स्तर बनाये रखना पड़ता है जिसका सार हमारे राष्ट्र के हित में है अर्थात् यह हमारी सामान्य राजनयिक परम्पराओं के विरुद्ध न होकर उनके अनुसार हो ।

Mao Posters in Patna

5291. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is fact that such posters were found stuck on walls in Patna as were containing slogans of "Mao Zidabad" and commendations of China and Naxalbari disturbances ; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) Some hand-written posters with slogans like "Naxalbari Lal Salam", "Adhyakch Mao Tse Tung Ko Lal Salam" were found pasted at certain places in Patna on May 1.

(b) Mere display of posters eulogizing Mao is not punishable under the existing law but where such display constitutes a threat to public peace or which disclaims,questions, disrupts is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India, appropriate action under the law can be taken. In this particular case it is suspected that the posters were put up by the extremist elements whose activities are being kept under a close watch.

Import of Diesel Engines

5292. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether information regarding import of Diesel Engines from abroad for ships has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (**Dr. V. K. R. V. Rao**) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) The particulars of diesel engines for ships imported during 1966-67 are given below :

Name of Shipyard	No. of diesel engines imported	Country from which imported
1	2	3

Hindustan Shipyard ..	2 of 8000 BHP	Poland
	2 of 9000 BHP	Poland
Mazagon Docks ..	2 of 22 BHP	West Germany
	1 of 49.5 BHP	U. K.
	1 of 28.5 BHP	U. K.
	1 of 123 BHP	U. K.
Garden Reach Workshops ..	2 of 265 BHP	Japan
	2 of 500 HP	West Germany
	2 of 332 HP	Holland

(ii) The number of diesel engines which were proposed to be imported in 1967-68 together with their cost are as under :

Naval Headquarters ..	12 at Rs.79 lakhs.
Mazagon Docks ..	2 at Rs.5,84,046
Garden Reach Workshops	1 at Rs. 23,000
Hindustan Shipyard	2 at Rs.98,24,946

Teachers Appointed in Kashi Hindu Vidyapeeth

†5293. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer rhe to reply given to Unstarred Question No. 4887 on the 22nd March, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the teachers appointed in Kashi Hindu Vidyapeeth has since been collected ; and

(b) if so ,the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :(a) and (b) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. LT-1867/68**].

यात्री-विमान चालक लाइसेंस जारी करने के बारे में नियम

5294. **श्री विश्वम्भरन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में यात्री-विमान चालक लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन किये गये थे ;

(ख) क्या नियमों में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वे लोग भी लाइसेंस प्राप्त कर सके हैं जो पुराने नियमों के अनुसार डाक्टरी रूप से अयोग्य थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन नियमों में ये परिवर्तन क्यों किये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वाणिज्यिक विमानचालकों की तीन श्रेणियां होती हैं ; अर्थात् जिनके पास (i) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस, (ii) प्रवर वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस, अथवा (iii) हवाई कंपनी परिवहन विमानचालक लाइसेंस होते हैं । इन लाइसेंसों के जारी किये जाने तथा नवीकरण के लिये अपेक्षित आवश्यकताएं क्रमशः विमान नियम, 1937 की अनुसूची 11 की 'घ', 'ङ' और 'च' धाराओं में दी गई हैं । 1968 में इन नियमों के कोई संशोधन नहीं जारी किये गये थे ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विमानों के फालतू पुर्जे

5295. **श्री पो० विश्वम्भरन्** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 1966-67 में विमान के कोई पुर्जे फालतू घोषित किये ;

(ख) यदि हां, तो फालतू घोषित किये गये पुर्जों का कुल क्रय-मूल्य कितना है ;

(ग) क्या उन फालतू घोषित किये गये पुर्जों को उसी समय बेच दिया गया और यदि हां, तो उसकी बिक्री की कुल कीमत क्या है ;

(घ) क्या सब बेचे गये फालतू पुर्जों को खरीदारों ने खरीद लिया है ; और

(ङ) क्या फालतू घोषित किये गये पुर्जों में से कोई पुर्जे 1967-68 और 1968-69 में खरीदे गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 23·957 लाख रुपये ।

(ग) और (घ) अतिरिक्त फालतू पुर्जों का कुछ अंक 6,51,544.52 रुपये में बेचा गया ।

(ङ) सूचना अभी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

Running of Schools in Tents in Delhi

5297. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shrimati Jyotsna Chanda :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a number of schools are still functioning in tents in Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which such a practice is likely to be stopped in the Capital ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) Demand for opening new schools is outpacing the construction programme of school buildings .

(c) Every effort is being made to replace tents by pucca buildings; it is, however, not possible to give any definite time for the purpose.

Cheating by Colonizers in Delhi

5298. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many colonizers in Dehi have cheated people to the tune of crores of rupees by constructing unauthorised colonies ;

(b) whether it is also a fact that persons, who purchased plots of land in such colonies have sent Memoranda and letters to Government from time to time but no steps have so far been taken in this regard ;

(c) whether Government propose to bring forth a Bill in Parliament to this effect and arrive at a decision so that the persons, whose money has been blocked, may either be allotted land or may get back their money ; and

(d) if so, the time by which such a decision is likely to be taken in the matter ?

The Miniter in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The Government have received complaints from some persons in Delhi that they have been cheated by colonizers in respect of sale of residential plots to them.

The Delhi Police investigates into these complaints and takes action in accordance with the law.

(c) The Government have no such proposal under consideration.

(d) Does not arise.

Indiscipline among Students due to Political parties

†5299. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to State :

(a) whether the tendency to use the students for political purposes is on the increase ;

(b) whether it is also a fact that some politial parties are using these immature children for their self-interest and tendency of indiscipline is increasng in these children as a result thereof; and

(c) if so, whether the question of taking some preventive steps in this regard is under consideration so that there is no hindrance in the studies and development of these students ?

The Minister of State in the Ministry of State Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) Government of India have made no such study. However, the University Grants Committee on Student Welfare and Allied Matters (1965-66) and the Education Commission (1964-65) have stated in their reports that, in a majority of educational institutions, the Students' Unions have tended to function like Trade Unions, presuming to represent students' interests against those of teachers and authorities. Government have no specific evidence that the Students' Unions are plagued by political influences. The reports of the U.G.C. Committee and the Education Commission have been communicated to the Universities and the State Governments for consideration and implementation of the recommendation which they accept.

Pro-Chinese Propaganda

5300. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Pro-Chinese propaganda is on the increase in the country;

(b) whether it is also a fact that large quantity of Pro-Mao literature was seized in a raid of a Press in Lucknow recently ; and

(c) whether any other secrets have also come to light through the persons connected with the above incident ?

The Minister in the Ministry of Home affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Governments,no increase in pro-Chinese propaganda has been noticed in Haryana, Gujarat, Bihar, Kerala, Orissa and Mysore and in the Union Territories of Chandigarh, Goa, Nefa, Tripura, Himachal Pradesh and Delhi. No pro-Chinese propaganda has been noticed in the Unon Territories of Pondicherry, Manipur and A and N Islands. Information from remaining States is awaited.

(b) and (c) A litho offset plate containing composed material of four pages of a Hindi booklet entitled ' Communist Party Marxvadi Ke Karyakram Ki Shav-Pareeksha" were recovered from Tenzim Press, Luckow on June 10, 1968. One Shri Munir Hasan Khan, propiretor of the press, was arrested under section 3/12 of the Press Registration of Books. The police are investigating into the case.

प्रशान्त महासागर (पैसिफिक) क्षेत्र पर्यटन संस्था द्वारा भारत में पर्यटन सम्बन्धी सर्वेक्षण

5301. श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशान्त महासागर (पैसिफिक) क्षेत्र पर्यटन संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण में जो

उन्होंने भारत को पर्यटकों के लिए 'नरक' बताया है ; उनकी इस धारणा में कौन सी मुख्य बातें निहित हैं ;

(ख) इस संस्था द्वारा ऐसी धारणा अपनाये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस सर्वेक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार से हमारे पर्यटन यातायात पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (घ) : 'पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोशियन' द्वारा की गयी 'पैसिफिक विजिटर्स सर्वे' की रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार पर्यटकों की गंतव्यता की दृष्टि से सर्वेक्षित 26 देशों में भारत का स्थान बहुत नीचा है ।

इसमें भारत के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली मुख्य-मुख्य बातें ये बतायी गई हैं : गन्दगी और गरीबी ; निस्तत्व भोजन; कार्यालयों में विलम्बकारिता, अस्वास्थ्यकर वातावरण, अरुचिकर जलवायु, भारत पहुँचने में भारी खर्च, वैयक्तिक सुरक्षा का अभाव, भाषा समस्या, कार्य की कमी, इत्यादि-इत्यादि, इसके विपरीत, भारत के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली मुख्य-मुख्य बातें ये बतायी गयी हैं, मानव रचित सुन्दर कला-कृतियां; दुकानदारी का आकर्षण; मुनासिब कीमतें, नवीन परिस्थितियां ।

पर्यटक यातायात पर इस सर्वेक्षण के सीधे प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है । भारत सरकार ने इस अध्ययन के परिणामों को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उनके मत में इस रिपोर्ट में कुछ त्रुटियाँ हैं तथा इस सर्वेक्षण का सैम्पल (नमूना) न तो पर्याप्त रूप से विस्तृत ही था और न उचित रूप से चयनात्मक (सिलेक्टिव) । तथापि सरकार हमारे पर्यटन के आधार-भूत उपादानो में कमियों के प्रति जागरुक है तथा चौथी योजना की अवधि में इनमें पर्याप्त सुधार करने के लिए कटिबद्ध प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कलकत्ता में बम विस्फोट

†5302. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के हाल के कलकत्ते के दौरे के दौरान लाल बाजार पुलिस थाने, शान्ति निकेतन में और विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के निवास स्थान के निकट जो बम विस्फोट हुए थे, उनके सम्बन्ध में विस्फोटक सामग्री निरीक्षक की क्या राय है ;

(ख) पिछले वर्ष देश में जो अन्य बम विस्फोट हुये थे, उनका ब्यौरा क्या है तथा वे बम विस्फोट किन-किन स्थानों पर हुये और प्रत्येक मामले में क्या क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इन विस्फोटों में मुख्य रूप से अन्तर्गत राजनीतिक दलों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 21 दिसम्बर, 1967 को लाल बाजार पुलिस मुख्यालय की मुख्य बिल्डिंग के निकट फटने वाला बम थोड़ा विस्फोटक था और उसमें समय पर फटने वाली रसायनिक व्यवस्था थी । अध्यक्ष के निवास स्थान के निकट विस्फोट हुआ बम ऐसे मिश्रित पदार्थों वाला था जो चोट या रगड़ आदि से फटने वाला था और शान्ति निकेतन के निकट फटने वाला बम देशी बम था और उसका विस्फोट जीवन के लिये खतरा कर सकत वाला था ।

(ख) तथा (ग) त्रिपुरा, पाण्डिचेरी, चण्डीगढ़, नेफा, अन्दमान तथा निकोबार, गोआ, मनीपुर तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों और केरल, नागालैंड, गुजरात, हरियाणा की सरकारों ने सूचना दी है कि गत वर्ष में उनके यहां कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। पंजाब के गुरदासपुर जिले में धापाई गांव में 8 जुलाई, 1967 को एक बम विस्फोट हुआ था। मामले की जांच की गई थी और बिना पता चले वापिस कर दिया गया था। अन्य राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

आयात निर्यात व्यापार में भारतीय कम्पनियों का हिस्सा

† 5303. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आयात-निर्यात व्यापार का कितने मूल्य का और कितने प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष हमारी जहाजरानी कम्पनियों को मिलता है ;

(ख) हमारी जहाजरानी कम्पनियों की इस व्यापार को करने की कुल क्षमता कितनी है तथा उन्हें सामान्यतया कितने प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा मिलना चाहिये ;

(ग) मुख्य प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं तथा उनका हिस्सा कितना है ;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा प्रणाली हमारी जहाजरानी कम्पनियों के हित के विरुद्ध काम कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो हमारी जहाजरानी कम्पनियों को अधिक व्यापार लेने योग्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मेक्सिको में विश्व ओलम्पिक खेल

†5304. **डा० रानेन सेन:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेक्सिको में होने वाली विश्व ओलम्पिक खेलों के लिये भारत से विभिन्न टीमें भेजने की तैयारियाँ आरम्भ हो गई हैं ;

(ख) क्या कुछ टीमों का चयन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो चयन की गयी टीमों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(घ) भारत कौन-कौन से खेलों में प्रतियोगिता कर रहा है ;

(ङ) इन टीमों का खर्च किस प्रकार पूरा किया जायेगा ; और

(च) इस प्रयोजन के लिए सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) अभी तक केवल हाकी टीम का चयन किया गया है।

(ग) हाकी टीम का गठन इस प्रकार है :

गोली :

1. आर० ए० क्रिसटी
2. मुनीर सेट

फुल बैक :

3. पृथ्वीपाल सिंह (कप्तान)
4. गुरबख्श सिंह (सयुक्त कप्तान)
5. धर्म सिंह

हाफ बैक :

6. बलबीर सिंह
7. पी० कृष्णमूर्ति
8. जगजीत सिंह
9. अजीत पाल सिंह
10. हरमीक सिंह

फारवर्ड :

11. बलबीर सिंह
12. गुरबख्श सिंह
13. बी० पीटर
14. हरबिन्दर सिंह
15. बलबीर सिंह
16. इन्दर सिंह
17. तरसेम सिंह
18. इनामुरेहमान

मैनेजर

19. मेजर जनरल डी० एस० काल्हा

कोच

20. बाल किशन सिंह

(घ) हाकी के अलावा भारत अथलेटिक्स, कुश्ती, निशाने बाजी, और भारत्तोलन में भाग लेगा, बशर्ते वे न्यूनतम स्तर में पाये गये ।

(ङ) से (च) सरकार ने मेक्सिको जाने वाली हाकी टीम की दोनों ओर की यात्रा के व्यय को उठाने की स्वीकृति दी है । अन्य मदों के लिए वित्तीय सहायता के निर्णय के बारे में अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा गठित उपसमिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद किया जायेगा ।

भारतीय नरतत्वकीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों का निलम्बन तथा नौकरी से हटाया जाना

5305. डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित भारतीय नरतत्वकीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय में हाल में कर्मचारियों को नौकरी से हटाने, निलम्बित करने तथा गैर-कानूनी स्थायीकरण के आदेश जारी करने के मामले हुए हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने कर्मचारियों की संस्था को मान्यता प्रदान नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में ज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण में हाल में कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त करने के दो मामले, सेवा निवृत करने का एक मामला और निलम्बित करने के तीन मामले हुए हैं । गैर-कानूनी स्थायीकरण का कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) जी, हां । कर्मचारियों की शिकायतों सावधानी से जांच की गयी और पता चला कि वे सही नहीं थीं ।

(ग) और (घ) भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों की संस्था को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कर्मचारियों की किसी भी संस्था को औपचारिक मान्यता देने के लिये इस समय कोई नियम नहीं है ।

भारतीय संग्रहालय (इंडियन म्यूजियम) कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

5306. डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के कर्मचारी संग्रहालय के निदेशक के विरुद्ध उसके द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध ज्यादती किये जाने, पूर्ण रूप से कर्मचारियों द्वारा चलाये जाने वाले रजिस्टर्ड एकमात्र धार्मिक संघ को मान्यता देने से इन्कार किये जाने, पक्षपात तथा अनियमित स्थायीकरण पद्धति आदि जैसी कर्मचारियों की कुछ अन्य शिकायतों को दूर न किये जाने के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) ये प्रशासकीय मामले हैं भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 (1960 तक संशोधित) के अधीन स्थापित भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड के अधिकार

क्षेत्र में आते हैं, जो एक स्वायत्त-शासी तथा सांविधिक संगठन है। ये मामले समुचित कार्रवाई के लिये न्यासधारी बोर्ड को भेज दिये गये हैं।

Parliament Assistant in Education Ministry

5307. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one person continues to work against one of the two posts of Parliament Assistants in his Ministry since the 30th October, 1958 and he alone has been receiving the benefit ;

(b) if so, whether it is also a fact that many senior Assistants have offered to work against that post ;

(c) whether it is further a fact that another Assistant had been transferred from the post of Parliament Assistant vide Ministry of Education Office Order No. 157/68/E.2 dated the 9th July, 1968 ;

(d) if so, the educational qualifications and the position in seniority list of Assistants of the person who was transferred from the post of Parliament Assistant with effect from the 9th July, 1968 and also the person who has been working against the post of the Parliament Assistant since the 30th October, 1958, separately ; and

(e) in case the former is senior to the latter the reasons for transferring him from that post of Parliament Assistant ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) One of the two persons working as Parliament Assistants in this Ministry has worked in that capacity from November 21, 1963 and piror to it also he was working as Parliament Assistant in the erstwhile Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs since 30-10-1958.

(b) No, Sir. In fact, the question of any person offering himself to work for a post that has not fallen vacant, does not arise.

(c) Yes, Sir.

(d) 1. M. A. Position in the Seniority List of Assistants on the cadre of the Ministry of Education—80.

2. Matriculation ; Position in the Seniority List of Assistants on the cadre of the Ministry of Education—243.

(e) The individual in question was holding the post in a leave vacancy as a temporary measure. This arrangement ceased to exist as soon as the regular incumbent rejoined duties.

Short-Term M.B.B.S. Course at Banaras Hindu University

5308. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission is considering the proposal sent by Banaras Hindu University regarding the introduction of a short-term course of M.B.B.S. for those who have passed A.B.M.S. course from the University ;

(b) if so, the progress made so far and when this course is likely to be introduced ; and

(c) the causes of delay in the matter ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The proposal of the Banaras Hindu University to start a 12 months' Licentiate Course (and not M.B.B.S. course) for those who have passed the A.B.M.S., A.M.S. or an equivalent exami-

nation was considered and the University was informed that there was no objection to the same provided its expenditure could be met from the existing resources of the University. The University was also requested to obtain necessary clearance from the Medical Council of India, which was not in favour of the University starting this course.

Education Officers in Social Education

5309. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of posts of Assistant Social Education Officers and Assistant Education Officers separately in the Social Education Branch of the Directorate of Education (Delhi Administration) ;

(b) the number of posts, among them, which have been reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ; and

(d) the time by which such reservations would be made ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):(a) There are five Assistant Social Education Officers, and no Assistant Education Officer in the Social Education Branch of the Directorate of Education.

(b) One post has been reserved for the candidates belonging to Sheduled Castes and Scheduled Tribes which is lying vacant ; necessary steps are being taken to fill it.

(c) and (d) Do not arise.

हड़ताल में भाग लेने वाले दिल्ली के अध्यापकों को तंग करना

† 5310. श्री वी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों के उन अध्यापकों को, जिन्होंने पिछली हड़ताल में भाग लिया था, उनके तबादले, पदोन्नति में रुकावट तथा अन्य परेशानी के तरीकों से सताया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघ का आन्दोलन

5311. श्री वी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघों के महासंघ ने अपनी मांगें पूरी कराने के लिये सितम्बर, 1968 में नई दिल्ली में एक आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कोठारी आयोग की सिफारशों को तुरन्त क्रियान्वित कराने, न्यूनतम वेतन 150 रुपये निर्धारित कराने, प्राथमिक शिक्षा पर नियन्त्रण, समस्त भारत में समान वेतन-क्रम

और समान पाठ्यक्रम निश्चित कराने और अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का हक देने, जैसा कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में किया गया है, के बारे में उनकी मागों की जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) भारत सरकार को अखिल भारतीय प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघ से कोई नोटिस नहीं मिला परन्तु संघ के अध्यक्ष ने कहा बताया जाता है कि यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया, तो वे सितम्बर, 1968 में आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

(ख) तथा (ग) जब संघ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेगा, उन पर विचार किया जा सकता है।

भीम सेनायें

5312. **श्री बी० चं० शर्मा** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने सभी राज्यों में 'भीम सेनायें' बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भीम सेनाओं के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिवचरण शुक्ल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार भीम सेना का निर्माण अभी हाल में बनी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष, श्री बी० श्याम सुन्दर द्वारा 20 मई, 1968 को औरंगाबाद में एक प्रेस सम्मेलन में घोषित किया था। इस सेना की शाखायें मैसूर राज्य में गुलबर्गा तथा बिदार में संगठित होने की भी सूचना मिली है। बताया जाता है कि इस सेना के लक्ष्य और उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना तथा हरिजनों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना है।

(ग) भीम सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

दिल्ली के लिये विधान सभा

5313. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये एक पूर्ण विधान सभा की मांग फिर से की गई है;

(ग) क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अभी हाल में की गई किसी ऐसी मांग के बारे में सरकार को मालूम नहीं है। तथापि इस मांग की आवाज पहले उठाई गई थी जब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दिल्ली के लिये एक विधान मण्डल स्थापित नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां

†5314. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पदोन्नतियाँ वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होनी चाहिये ।

(ख) क्या सरकार इस आधार पर विचार करेगी यदि योग्यता को सेना की भांति वर्गीकरण से सम्बद्ध कर दिया जाये;

(ग) केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त के दौरान बिना बारी के अधिकारियों की पदोन्नति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार योग्यता के लिये प्रतिनियुक्ति को भी वर्गीकरण से सम्बद्ध करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वि० चरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ । हमने इस बारे में एक समाचार में रिपोर्ट देखी है ।

(ख) चयन पदों अर्थात् उन पदों के लिये कि जिनपर पर्यवेक्षकीय कार्य और जिम्मेदारी अधिक है उन पदों पर योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को चुना जाता है । असैनिक पदों का वर्गीकरण सैनिक पदों के वर्गीकरण के समान नहीं हो सकता । सेना में मेजर के पद तक और लैफटिनेंट कर्नल के टाइम स्केल तक की पदोन्नतियाँ निर्धारित समय के बाद पदोन्नतियाँ की जाती हैं । हां ! उन्हें एक परीक्षा पास करनी होती है और उनका सेवा-रिकार्ड सन्तोषजनक होना चाहिए । लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक चयन से इस प्रकार पदोन्नतियां की जाती हैं ।

(क) एक वरिष्ठता वर्ग के अधिकारियों पर एक चयन बोर्ड इकट्ठे विचार करता है ।

(ख) चयन का तरीका नियत कर दिया गया है । यह मुख्यतः नियुक्तियों के प्रकार और कोर्सों पर आधारित है ।

(ग) वार्षिक गुप्त रिपोर्टों के आधार पर अधिकारियों की योग्यता का अनुमान लगाया जाता है ।

(घ) योग्यता के विशेष मामलों में जहाँ किसी को 'आउटस्टैंडिंग' ग्रेड में रखा गया हो वहाँ शीघ्र पदोन्नति दे दी जाती है ।

असैनिक पदों के लिये योग्यता के आधार पर चयन की प्रक्रिया इस प्रकार है । उन अधिकारियों के नामों पर कि जो चयन के योग्य होते हैं और चयन के दायरे में आते है (दायरे में रिक्त स्थानों के पांच से छः गुने तक नाम आते हैं) विभागीय पदोन्नति समिति विचार करती है । समिति पदोन्नति के अयोग्य अधिकारियों के नाम निकाल देती है और शेष को सेवा रिकार्ड और योग्यता के आधार पर अति उत्तम, बहुत अच्छा, तथा 'अच्छा' घोषित किया जाता है । फिर इनकी ग्रेड अनुसार एक सूची बनायी जाती है। फिर इस सूची के अनुसार ही पदोन्नतियां की जाती हैं । इस सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है ।

"गैर-चयन" के वर्ग के पदों पर पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं हां, अयोग्य व्यक्तियों को नहीं लिया जाता।

योग्यता अथवा अयोग्यता विभागीय पदोन्नति समिति सेवा रिकार्ड के आधार नियत करती है।

कुछ ग्रेडों और सेवाओं के लिये पदोन्नतियां प्रतियोगी परीक्षा जो कि विभागीय कर्मचारियों तक सीमित होती है, द्वारा की जाती हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के बड़े पदों पर नियुक्त करने से पहले उनके औचित्य को देखा जाता है। अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद वे अपने राज्य पदालि को वापिस चले जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति के लिये चयन योग्यता और औचित्य के आधार पर किया जाता है और देखा जाता है कि व्यक्ति उस पद के लिये ठीक है।

सरकारी उपक्रमों के लिये लोक सेवा आयोग

†5315. श्री लोबी प्रभु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये, जिनमें निगमों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, लोक सेवा आयोग का गठन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्यों के सतर्कता आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र; निगमों, नगर पालिकाओं तथा अन्य निकायों पर, जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है, बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन निकायों में भ्रष्टाचार के कुछ विख्यात अड्डों को उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न लाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० रामस्वामी) :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक इस मामले को स्थगित किया गया था। यह रिपोर्ट अक्टूबर, 1967 में मिली थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने, उनके द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल द्वारा प्रकट किये गये विचारों से सहमति प्रकट की है कि सरकारी क्षेत्र के लिये कार्मिक आयोग की नियुक्ति किये जाने से न केवल सरकारी उपक्रमों की स्वयात्तता में कमी होगी बल्कि इसके परिमाणस्वरूप सरकारी उपक्रमों में जन-संयोजन करने में भी विलम्ब होगा।

आयोग द्वारा कार्मिक प्रबन्ध क्षेत्र के बारे में दी गई अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र उपक्रम पहले की सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किये जाने के संकल्प के अन्तर्गत आ जाते हैं। 8 जून, 1968 को पास किये गये संकल्प द्वारा दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उपक्रमों और नगरपालिकाओं के मामले में नहीं कर सकता।

यह राज्य सरकारों और राज्य सतर्कता आयोगों पर निर्भर है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या राज्य सतर्कता आयोग को इन निकायों के क्षेत्राधिकार पर अधिकार होना चाहिये ।

विमान परिचारिकायें

5316. **श्री लोबो प्रभु :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान परिचारिकाओं की तुलना में एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं में देखने में तथा उनके व्यवहार में बहुत अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एयर इंडिया द्वारा अपनाये जाने वाले भर्ती के तरीके नहीं अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह राय का मामला है; लेकिन ऐसे विचार विमान यात्रियों द्वारा कभी-कभी व्यक्त किये गये हैं ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं के लिए निर्धारित योग्यता और उनके चुनाव का तरीका लगभग एकसा है । दोनों मामलों में, चुने गये उम्मीदवारों को एक कड़ी प्रशिक्षण-चर्या में से गुजरना पड़ता है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खान-पान प्रबन्ध

5317. **श्री लोबो प्रभु :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के खान-पान प्रबन्ध में काफी बिगाड़ आ गया है;

(ख) विभागीय खान-पान प्रबन्ध से आर्थिक बचत कितनी हो रही है; और

(ग) यदि कोई बचत नहीं हो रही है तो क्या सरकार का विचार फिर से इस कार्य को प्राइवेट प्रबन्धकों को देने का है अथवा एयर इंडिया के साथ मिलकर खान-पान के साझे प्रबन्ध करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) किसी भी बात से यह प्रमाणित नहीं होता है कि इंडियन एयरलान्स द्वारा परोसे गये खाने के स्तर में विशेष गिरावट आ गयी है, लेकिन खाने के स्तर, विशेषतया शाकाहारी भोजन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । कारपोरेशन ने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अपने बेस किचनों में रसोइयों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए कार्यवाही शुरू की हैं, और यह आशा की जाती है कि इससे विभागीय तौर पर तैयार किये गये खाने के स्तर में सुधार हो जायगा। लेकिन देश में खाने की आदतों के भिन्न-भिन्न होने के कारण सभी की पसन्द का खाना तैयार करना अत्यन्त कठिन है ।

(ख) विभागीय खानपान प्रबन्ध बाहरी खान-पान के मुकाबले 25% से 30% किफायती है। इंडियन एयरलाइन्स बहुत ही सीमित मात्रा में बाहरी खान-पान प्रबन्धकों से खाना लेते हैं। विभागीय खान-पान प्रबन्ध के परिणामस्वरूप होने वाली बचत की ठीक-ठीक राशि उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया का विलय

5318. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया को मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) जब तक दोनों को मिलाना संभव नहीं है, क्या तब तक एयर इंडिया की भारत में उड़ानों में प्रतिदिन खाली रहने वाले स्थान उन व्यक्तियों को देने का सरकार का विचार है, जिन्हें इंडिया एयर लाइन्स कारपोरेशन टिकट देने से इन्कार कर देता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) यद्यपि दोनों एयर कारपोरेशनों के बीच घनिष्ठ संपर्क एवं समन्वय की आवश्यकता है, तथा इस उद्देश्य को एक साझे निदेशक मंडल के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है, एयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण उसके परिचालकों की प्रकृति इंडियन एयरलाइन्स के, जो कि एक अंतर्देशीय कंपनी है, परिचालकों से भिन्न है। इस दृष्टिकोण से दोनों कार्पोरेशनों को अलग-अलग रखने में एक लाभ है। दोनों के विलयन से कुछ अन्य गम्भीर प्रशासनिक समस्याओं के उत्पन्न हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया की अतिरिक्त धारिता का अंतर्देशीय क्षेत्र में उपयोग करने के प्रश्न पर दोनों कर्पोरेशनें फिलहाल विचार कर रही हैं।

Translation of Books

5319. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have got some selected books translated and published with the help of certain private agencies and the translation and publication has not been found satisfactory ;

(b) the total number of such books published so far ;

(c) the total expenditure incurred by Government thereon so far ; and

(d) the reasons for which Government could not make their own arrangements for translation of those books ?

The Minister of State for Education (Shri Sher Singh): (a) It is a fact that the Commission for Scientific and Technical Terminology and Kendriya Hindi Nideshalaya of the Education Ministry have got some selected books translated and published with the help of certain private agencies, but it is not a fact that these books have been found unsatisfactory.

(b) The total number of books published with the help of private publishers upto 1967-68 is 75.

(c) Rs. 4,71,117.15.

(d) The Government wanted to take full advantage of the experience and co-operation of private publishers with regard to the production of books and, therefore, in addition to its own programmes operated directly, it launched the scheme for the preparation, translation and publication of standard/popular books in collaboration with private publishers.

Hindi Advisory Committee

5320. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of sittings held by the Hindi Advisory Committee during the last two years ;

(b) the total expenditure incurred thereo ;

(c) the effect of the decisions taken at the sa ...eetings on the progressive use of Hindi in Government work ; and

(d) the details of the arrangements made by Government for the implementation of the suggestions made by the Hindi Advisory Committee ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Four meetings of the Hindi Salahkar Samiti were held in the years 1966 and 1967. The Samiti was reconstituted in June, 1967.

(b) About Rs. 6,280.

(c) and (d) Copies of the recommendations of the Samiti which are accepted by the Govt. are sent to the concerned Ministries/Departments for implementation. Periodical reports regarding the implementation are also obtained.

Strike by Bihar Government Employees

5321. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Dr. Surya Praksh Puri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the conditions on which the strike of Government employees in Bihar was withdrawn ;

(b) whether some political elements were also active in the said strike ; and

(c) the measures proposed to be adopted to ensure that such a situation does not arise in future ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Non-gazetted Employees Federation had called off the strike unconditionally. However, the Federation made separately a request for sym thetic consideration of their demands.

(b) The strike had the support of some pol cal parties.

(c) The demands of the Non-gazetted Emplc es Federation are receiving consideration of the State Government.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड ।

5322. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री महेन्द्र माझी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य सेवाओं के तुलनात्मक वरिष्ठता और योग्यता वाले अधिकारियों की तुलना में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारियों के लिये उपलब्ध पदोन्नति की सम्भावनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और आवश्यक आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि कोई अध्ययन नहीं किया है तो ऐसा अध्यनन कब किया गया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रायल में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी 1, जैसे आई० ए० एण्ड० ए० एस०, आई० डी० ए० एस० आई० आर० एस० तथा भारतीय डाक सेवा अनिवार्यता : क्षेत्र सेवाएं हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा और क्षेत्र-सेवाओं के अधिकारियों को पदोन्नति के प्राप्त अवसरों में कोई समानता नहीं हो सकती है। अतः सुझाये गये तुलनात्मक अध्ययन करने से कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम श्रेणी

5323. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री महेन्द्र माझी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) के अधिकारियों के लिये उप सचिवों की तालिका, जो 1 जुलाई, 1967 के तुरन्त बाद तैयार की जानी थी, इस बीच में तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी तालिकायें समय पर जारी की जायें इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या एक जुलाई, 1968 के बाद जारी की जाने वाली तालिका को तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) 1968 के लिये तालिका कब जारी किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में रा० मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1967 के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन वर्ग के लिये चयन सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसके बहुत शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है ।

(ग) 1966-67 के लिये चयन सूचियों के जारी करने में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि चयन सूचियों को तैयार करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कुछ समय तक विचाराधीन रही। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अगली चयन सूचियां समय पर जारी हों, कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) 1968 के लिये चयन सूची तैयार करने का कार्य 1967 के लिये चयन सूची के जारी होने के बाद आरम्भ किया जायगा। यह आशा की जाती है कि 1968 के लिये चयन सूची इस वर्ष के अन्त से पहले जारी हो जायगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी)

5324. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) संस्था के अध्यक्ष ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा की विभिन्न अनिर्णीत समस्याओं पर बातचीत करने के लिये नवम्बर, 1967 में अथवा उसके बाद सचिव (सेवाओं) से भेंट करने की प्रार्थना की थी ;

(ख) क्या ऐसी कोई बैठक हुई है और यदि नहीं, तो उसके मंत्रालय के अधिकारियों के संस्था के प्रतिनिधियों के साथ मिलने से हिचकचाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या संस्था के अध्यक्ष ने मंत्री महोदय से मिलने के लिये कोई आवेदन किया है और यदि हां, तो ऐसे आवेदन का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। संस्था के प्रतिनिधि गृह-मंत्रालय में सचिव (सेवाएं) से अन्तिम बार 20 जुलाई, 1968 को मिले थे तथा विचार-विमर्श किया।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी

5325. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि आई० ई० एस०, आई० डी० ए० एस० भारतीय, डाक सेवाओं आदि के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की सभी बैठकों में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य सभापति होता है और सम्बन्धित सेवाओं से अधिकांश सदस्य इन विभागीय पदोन्नति समितियों के सदस्य होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के मामले में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर 'हां' हों, तो प्रथम श्रेणी का विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के मामले में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारती डाक सेवा के सिवाय, आई० डी० ए० एस० और आई० आर० एस० में उच्च नियुक्तियों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों के अधिकांश सदस्य संबंधित सेवा के होते हैं। समिति का अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव तथा उससे ऊपर के उच्चतर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय स्थापना बोर्ड की सिफारिशों पर की जाती है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप-सचिव) की चयन श्रेणी के लिए चयन-सूचियां तैयार करने के उद्देश्य के लिए भी चयन समिति है। बोर्ड के सदस्य भारत सरकार के सचिवों में से घूर्णनआधार पर होते हैं। इस आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित सरकार का एक सचिव अपनी बारी पर 1962 में बोर्ड का एक सदस्य था।

दिल्ली में कारों की चोरी

5326. श्री सीताराम केसरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कितनी कारों की चोरी हुई ;

(ख) कितनी कारें बरामद की गई ; और

(ग) कार चोरी करने वाले गिरोह को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क)	1967	139
	1968 (31-7-68 तक)	137
(ख)	1967	131
	1968 (31-7-68 तक)	116

(ग) मोटर-गाड़ियों के चोरों के विरुद्ध नियतकालिक विशेष अभियान चलाये जाते हैं और जाल बिछाये जाते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के लिये गश्त कड़ी कर दी गई है। ज्ञात कार-चोरों और सेंधमारों के इति-वृत्त रखे जाते हैं और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

बम्बई और फारस की खाड़ी के बीच माल ढोने वाली जहाज कम्पनियों का सम्मेलन

†5327. श्री सीताराम केसरी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और फारस की खाड़ी के बीच माल ढोने वाली जहाजी कम्पनियों का एक सम्मेलन स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा इसमें सरकार का क्या योगदान है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय नौवहन निगम के प्रतिनिधि के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) :

(क) सरकार को ऐसे किसी सम्मेलन के स्थापित किये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने और पश्चिमी एशिया (गल्फ) पत्तनों को भारत से टनभार उपलब्ध होने के बारे में जांच करने के लिये जहाज मालिकों और इस व्यापार में रुचि रखने वाले नौवाहकों, जिनमें भारतीय नौवहन निगम का एक अधिकारी भी संयोजक के रूप में शामिल है, के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है। इस अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

Implementation of Recommendations on Kothari Commission in Uttar Pradesh

5328. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 2 lakh primary school teachers of Uttar Pradesh have decided to launch an agitation from September, 1968 to protest against the non-implemntation of the recommendations of the Kothari Commission ;

(b) if so, the steps being taken in Uttar Pradesh to implement these recommendations; and

(c) the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The State Government has been requested to supply the necessary information. Press reports have stated that nearly 2 lakh primary school teachers of Uttar Pradesh have decided to launch an agitation from September, 1968, as a protest against the non-implementation of the Kothari Commission's recommendations.

दिल्ली संग्रहालय में कला वस्तुओं की चोरी

5329. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी कितने मूल्य की कला वस्तुएँ चोरी हुईं, गुम हुई, क्षतिग्रस्त हुई, बदली गई अथवा गायब हो गई ;

(ख) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) संग्रहालय में कला वस्तुओं की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शेर सिंह) :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, चोरी गई, नष्ट हुई अथवा खोई गयी कला वस्तुएँ निम्नलिखित हैं :—

(i) 4 मार्च, 1967 की रात को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से लगभग 2,080 रुपये के मिलावट वाली चाँदी तथा सोने के 116 आधुनिक आदिमजातीय और लोक आभूषण चोरी गये थे।

(ii) 800/-रुपये के खरीदे गये 4 सुसज्जित चित्र 1966 में वियना, आस्ट्रिया में हुई भारतीय सुसज्जित चित्रकला प्रदर्शनी के दौर में नष्ट-भ्रष्ट हो गये थे।

(iii) 25 रुपये मूल्य के लघु काष्ठ चित्र 1966 में काष्ठमूर्तियों की बीथी से खोये गये थे ।

(ख) आधुनिक आदिमजातीय तथा लोक-आभूषणों की चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी थी, परन्तु अब तक कोई सुराग नहीं चला है । पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल अभी भी की जाती है।

4, सुसज्जित चित्रों के नुकसान की रिपोर्ट भारतीय दूतावास ने वियना की पुलिस को दे दी थी । पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। नुकसान के लिए जीवन बीमा कम्पनी से 5,000 रुपये की राशि वसूल कर ली है ।

काष्टमूर्तियों की हानि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संग्रहालय वस्तुओं को खोजने की और नुकसान के लिये जिम्मेदारी नियत करने की कोशिश कर रहा है ।

(ग) कला-वस्तुओं की हिफाजत के लिये राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है :—

(i) सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को विशेष जागरूक रहने के लिए अनुदेश दे दिए गये हैं ।

(ii) रात की ड्यूटी वाले कर्मचारियों को मजबूत कर दिया गया है ।

(iii) सभी महत्वपूर्ण खिड़कियां में लोहे की सलाखें और अतिरिक्त वोल्ट लगा दिए गये हैं ।

(iv) हीरा जवाहरात तथा सिक्कों की बीथी के दरवाजों तथा खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगा दी गई हैं ।

(v) सोने चाँदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रक्षित मुद्राकोषों को लोहे की सलाखों से सुरक्षित-कक्ष में रक्खा गया है ।

(vi) रात्रि को संग्रहालय भवन में रोशनी करने के लिए फलडलाइट लगाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। वीथियों में बिजली की घंटियों लगाने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है ।

कलकत्ता में गुण्डों के बीच लड़ाई

†5330. श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 24 जून, 1968 की आधी रात के समय कलकत्ता के उत्तर में गुण्डों के दो गुटों के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी, उनके पास विदेशों में बने पिस्तौल थे जिनका खुल कर प्रयोग किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि हाल ही में कलकत्ता में साधारण अपराधियों द्वारा आग्नेयास्त्रों, बमों तथा हथ-गोलों का खुल कर प्रयोग किया जाता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नये खतरे को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि गुण्डों के दो गुटों के बीच 24 जून, 1968 की रात को कोई लड़ाई होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इस बात की सूचना मिली है कि 24/25 जून, 1968 को दो व्यक्तियों ने पिस्तौल दिखाकर बुरतौला पुलिस स्टेशन, कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में, एक पानवाले को लूटने की चेष्टा की थी। शोर मचाये जाने पर लोग एकत्रित हो गये और शरारती व्यक्ति भाग गये। एक चलती-फिरती-पुलिस की गाड़ी, जो घटना स्थल पर थी, ने कुछ लोगों के साथ उनका पीछा किया और काफी पीछा करने के बाद उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने में सफल हो गये। उनमें से एक व्यक्ति के पास विदेशी पिस्तौल थी। इस बारे में कलकत्ता पुलिस ने एक मामला रजिस्टर किया है और यह मामला जांचाधीन है।

(ख) 1 जुलाई, 1968 को केवल एक डकैती के मामले में अग्नेयास्त्रों और पटाखों का प्रयोग किया गया था। जून और जुलाई, 1968 के महीनों में 18 मामलों में पटाखे प्रयोग किये गये लेकिन इनमें से किसी भी मामले में हथगोले और अग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार कानून के अनुसार निवारक उपाय काम में लाती है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है जहां सार्वजनिक रूप से रुपये-पैसे के मामलों का सौदा होता है। शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकारों में आने वाले स्थानों पर गश्त-कार्य में तेजी कर दी गई है।

सड़कों पर मील-पत्थर

†5331. श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों पर मील-पत्थरों के स्थान पर किलोमीटर-पत्थर लगाने का निर्णय कब किया गया था और अब तक कितने मील सड़क पर किलोमीटर के पत्थर लगाये जा चुके हैं और इस प्रकार परिवर्तन पर कितनी लागत आई है ;

(ख) एक मील-पत्थर के स्थान पर किलोमीटर-पत्थर लगाने पर कितनी लागत आती है ; और

(ग) कितने मील सड़क पर अभी किलोमीटर-पत्थर लगाने हैं और उसका अनुमानित मूल्य कितना है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजपथों पर किलोमीटर का पत्थर लगाने का निर्णय अगस्त, 1961 में लिया गया था। ये किलोमीटर के पत्थर पहले से लगे मील के पत्थरों के अतिरिक्त होंगे। इसके परिणामस्वरूप किलोमीटर के वास्तविक पत्थर लगाने और उन पर होने वाले वास्तविक खर्च, समय और श्रम की जानकारी एकत्रित करने के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि कुल लगभग

24 000 मील के पत्थर लगाये जायेंगे और इस पर 13 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा हो चुका है।

जबलपुर में साम्प्रदायिक दंगे

†5332. श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो-तीन वर्ष पहले जब जबलपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे तो उस समय इन दंगों के कारणों के बारे में अपने निष्कर्ष बताने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ख) आयुक्त/आयुक्तों के रूप में किस को/किन को नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या इस आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो क्या उसे प्रकाशित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) फरवरी, 1961 में जबलपुर, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में दंगे हुए थे और इन मामलों की जांच करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग की नियुक्ति की थी।

(ख) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शिवदयाल श्रीवास्तव को जाँच के एक सदस्य आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को 27 फरवरी, 1962 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे सार्वजनिक हित में प्रकाशित नहीं किया गया।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये केन्द्रीय सहायता

†5333. श्री जी० एस० रड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक वर्ष 1967-68 में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये राज्यों को कितनी राशि के केन्द्रीय अनुदान दिये गये थे ;

(ख) 1968-69 के शैक्षिक वर्ष के लिये कितनी सहायता का प्रस्ताव है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में हिन्दी अपनाये जाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा केवल अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को सहायता दी जाती हैं। यह सहायता स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को नियुक्त करने और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालिज स्थापित करने के लिए दी जाती है। 1967-68 में इन प्रयोजनों के लिये केन्द्र द्वारा अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को कुल 88,99,306 रुपये की सहायता दी गई।

(ख) 1968-69 में दी जाने वाली सहायता का निर्णय राज्य सरकारों से उनके

सुझाव प्राप्त हो जाने पर किया जायेगा, जिनकी अभी प्रतीक्षा है। इस प्रकार की सहायता देने के लिये वर्तमान बजट में 108·5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) इसका सीधा सम्बन्ध राज्यों द्वारा प्रशासनिक प्रयोजनों और केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हिन्दी में पत्र व्यवहार को प्रोत्साहन देने से है। इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा लोक-सभा में मार्च, 1968 को श्री हेमराज के तारांकित प्रश्न संख्या 384 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

अधिवास प्रमाण-पत्रों का हटाया जाना।

5334. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति एकता परिषद् के प्रस्तावों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, कालेजों में प्रवेश से पूर्व अधिवास-प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता को हटा देने के निदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या अधिवासप्रमाण-पत्रों का हटाया जाना आन्ध्र प्रदेश के तेलगाना निवासियों के लिये प्रचलित बहुप्रमाण-पत्र प्रणाली के बारे में भी लागू होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत की गई है। फिलहाल मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में गुमशुदा बच्चे

†5335. **श्री जी० एस० रेड्डी** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 में दिल्ली में खोये तथा पाये बच्चों का, उनके पिता का नाम, आयु स्थायी पते तथा उनके पाये जाने के स्थानों समेत ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन बच्चों का पता नहीं लगा, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों द्वारा बच्चों के लिये क्या सामान्य तरीका अपनाया जाता है तथा आम तौर पर कौन बच्चे उठाते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1888/68]

(ग) इन मामलों में बच्चे उठाने वाले किसी दल का दिल्ली पुलिस को पता नहीं लगा है।

Financial Assistance to the Bihar Institutions

5336. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the detailed account of the schemes under which adequate financial assistance would be given to schools and colleges established in backward, tribal and border areas of Bihar in the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether any scheme has been included in the Fourth Plan under which financial assistance should be given to the colleges affiliated to Bhagalpur University and particularl·

to the Nirmala College, catering to the unfortunate children of about one thousand villages lying be'ween the embankments of Kosi river in Bihar ;

(c) whether the tradititional Sanskrit Pathshalas(particularly Kameshwar Sanskrit Univeisty Darbhanga, Bihar) would continue to function and develop more and more ; and

(d) whether efforts would continue to be made to absorb the scholars coming out of these Sanskrit Institutions in remunerative vocations and give them the same honour as is being received by those comig out of English Schools etc. ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Gandhian Philosophy—International Exhibition

5337. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the countries invited to take part in the Gandhian Philosophy—International Exhibition ; and

(b) whether the construction work for a builnding and Hall at the site chosen for the said exhibition (near Rajghat Samadhi) is in progress and whether these would be ready by 2nd October, 1968 ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Selection by U. P. S. C. of Personnel for Appointment in C.S. T. T.

5338. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that many persons selected and recommended by the U.P.S.C. were not appointed against the vacant posts of Research Assistants in the Commission for Scientific and Technical Terminology but the said Commission promoted its certain junior employees having less qualifications to the said posts ;

(b) if so, the names of the persons recommended by the U.P.S.C. and the reasons for their not being appointed ; and

(c) whether Government propose to get this decision reversed ?

The Ministry of State for Education (Shri Pr. of Sher Singh) :

(a) No, Sir.There is no case of any person selected and recomended by the U.P.S.C. for appointment as Research Assistant in the Commission for Scientific and Technical Terminology but not appointed.

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में विचाराधीन बन्दी

5339. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1041 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विचाराधीन बंदियों को लम्बी अवधियों के लिये निरुद्ध करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस समय बिहार की सभी जेलों में कुल कितने विचाराधीन बन्दी हैं और उनमें से कितने 2 महीनों में से अधिक समय से विचाराधीन मामलों के लिये और कितने 3 महीने से अधिक सत्र न्यायाधीश के यहां विचाराधीन मामलों के कारण हैं ; और

(ग) विचाराधीन तथा सत्र न्यायालय में विचाराधीन बंदियों के मामलों के लिये अधिकतम समय-सीमा निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जैसा कि 26 जुलाई, 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1041 के उत्तर द्वारा बताया जा चुका है, विधि आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन में लगा हुआ है और यदि इस संबंध में आयोग द्वारा कोई परिवर्तन आवश्यक समझे गये तो आयोग द्वारा संहिता पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय उपयुक्त सिफारिशें भी की जायंगी ।

बिहार के इंजीनियर

5340. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री बिहार के इंजीनियरों के संबन्ध में 26 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार अधीनस्थ डिवीजनों के बारे में प्रतिवेदन अब बिहार सरकार को मिल गये हैं ;

(ख) क्या विशेष लेखापरीक्षा के बारे में जो पहले ही पूरी की जा चुकी है पूरे प्रति-वेदन केन्द्रीय सरकार को मिल गये हैं ;

(ग) क्या इस मामले को केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि 4 अधीनस्थ डिवीजनों के बारे में प्रतिवेदन की महा लेखाकार से प्रतीक्षा की जा रही है । पटना सर्कल के बारे में प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा जा रहा है । इस प्रतिवेदन में खरीद और आर्डर देने के बारे में कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं ।

Ayyar Commission for Enquiry of Charges Against Bihar Ministers

5341. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a Commission comprising the former Justice of Supreme Court, Shri Ayyaris enquiring into the charges of corruption levelled against the 6 Ministers including the Chief Minister of Bihar ;

(b) whether Government are also aware that there is no popular Government in Bihar and the Bihar Legislatve Assembly has also been dissolved and, if so, whether the Vigilance cell has demanded some action to be taken against some senior officers ; and

(c) whether Central Government propose to entrust this work to the senior responsible officers and if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**)
(a) Yes, Sir.
(b) So far, no action against any official has been suggested.
(c) Does not arise.

कच्छ में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी नागरिक

5342. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से लेकर 1968 तक कच्छ जिले में कितने पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उन्हें किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) उन्हें क्या-क्या दण्ड दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 1966 से 30 जून, 1968 तक कच्छ जिले में 641 पाकिस्तानी राष्ट्रीक पकड़े गये थे ।

(ख) वे बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किये गये थे ।

(ग) कई गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी राष्ट्रीक उचित कानूनी कार्यवाहियों के बाद दोषी ठहराये गये और उनको 1 दिन से 12 महीने तक कड़ी सजा दी गई और 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के जुर्माने किये गये । कुछ मामलों में जांच हो रही है ।

ऐसे अधिकारी जिनके पास अपने मकान हैं

5343. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन सचिवों और संयुक्त-सचिवों के नाम क्या हैं जिनके पास उनके अपने नाम में अथवा उनके माता-पिता, पत्नियों या बच्चों के नाम में, दिल्ली अथवा देश में किसी अन्य स्थान पर मकान (जिनमें पलैट भी शामिल हैं) हैं ;

(ख) इस समय उनका बजार-मूल्य क्या है ; तथा वे किस मूल्य पर लिये गये हैं ;

(ग) किन-किन तारीखों को ये मकान प्राप्त किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकारी अधिकारी को अपनी प्राप्त सम्पत्ति के बारे में नियमित रूप से सूचना प्रस्तुत करनी होती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

कच्छ के रण में सीमा सुरक्षा दल के अधिकारी द्वारा आत्महत्या

†5344. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मार्च/अप्रैल/मई में किसी समय सीमा सुरक्षा दल के एक अधिकारी ने अपने आपको गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई शव परीक्षण किया गया था तथा आत्महत्या के क्या कारण मालूम हुए थे ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 3 मई, 1968 को सीमा सुरक्षा दल के दो सिपाही और एक ड्राइवर कच्छ के रन में कार्य से जीप में यात्रा कर रहे थे। गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से हेडकांस्टेबल और ड्राइवर पैदल चल पड़े। वे रास्ता भटक गये और एक दूसरे से बिछड़ गये। शीघ्र ही सब दिशाओं में खोज दल भेजे गये और खोज दलों का एक दल ड्राइवर को जिन्दा खोजने में सफल हो गया।

बहुत खोज के बाद उसने आत्कबल का शव भी मिल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हैडकांस्टेबल थकावट के कारण गिर पड़ा और किसी के साथ सम्पर्क स्थापित करने में असफल होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली।

(ख) और (ग) शव-परीक्षा के बाद यह पता लगा कि उसकी गर्दन पर गोली का जख्म था। जख्म पर जमा भूरे खून से यह विदित होता है कि गोली बहुत निकट से मारी गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित क्षेत्र

†5345. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने किन-किन क्षेत्रों को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित किया है ;

(ख) क्या पांचवीं अनुसूची की धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार बिहार के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई विनियम बनाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) बिहार में अनुसूचित क्षेत्रों में जिला रांची, टालमन के उप-विभाग को छोड़कर जिला संघमम, चंडिल, सरायकिला उपविभाग का इच्छागढ़ पुलिस स्टेशन, गोंडा को छोड़कर संथल पड़गाना जिला, देवगढ़ उप-विभाग और पालामऊ जिले का लाहिर उप-विभाग शामिल है।

(ख) बिहार के राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत तीन विनियम बनाये हैं।

(ग) 1–बिहार अनुसूचित क्षेत्र विधियां विनियमन, 1950 (1950 का बिहार विनियमन I)

(2) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विधियां विनियमन (1951 का बिहार विनियम I)

(3) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विधियां (संशोधन) विनियमन, 1957 (1957 का बिहार विनियमन I)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में एस० एस० सी० परीक्षा

†5347. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य का एस० एस० सी० परीक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को एस० एस० सी० परीक्षा में बिना अंग्रेजी के विषय के बैठने की अनुमति देता है जबकि गुजरात विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को कालेजों में दाखिला नहीं देता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालय को अपनी नीति बदलने के लिये तथा उच्च शिक्षा के लिये दाखला न पा सकने वाले बहुत से छात्रों के भविष्य को बचाने के लिये उचित कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रकार के मामलों में विश्वविद्यालय को निर्णय लेना होता है।

Fire Incidents in Delhi Municipal Area

5348. **Shri Brij Bhushan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of fire incidents in the Delhi Municial Area during the last two years;

(b) the value of property damaged as a result of these fire incidents ; and

(c) the total amount of compensation paid by Government to the persons affected during the above period ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri VidyaCharan Shukla**) (a) and (b) According to the Delhi Fire Service, the information is as follows :

Year	Number of fire accidents	Estimated loss of property
1966-67	.. 2,134	Rs.30,84,000.
1967-68	.. 2,236	Rs.76,67,989.

(c) The question of Government paying any compensation does not arise ; but loans were given in appropriate cases.

Committee on Communal Activities

5350. **Shri Mohan Swarup** : Wil the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee of experts is being constituted by Government which would function as an Advisory Committee for national integration and for keeping a watch on communal activities ; and

(bi) if so, the manner in which the members of that Committee would be selected and the time by which the Committee would be able to submit its report ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) and (b) The National Integration Council recommended the setting up of a Standing Committee to watch the implementation of the various recommendations of the Council. It was further decided to set up a sub-Committee on communalism to review the communal siutation from time to time and the progress of implementation of the Council's recommendation in regard to communalism, and to advise the Government. These committees are expected to be constituted shortly.

President and Secretary of IATA, Safdarjang Aerodrome, New Delhi

5351. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether its a fact that the Secretary and the President of the unregistered union IATA in Indian Airlines, Safdarjang Aeordrome are entrusted with duty assignment jobs by the officers of the Department ;

(b) whether this facilities is extended under the industrial law and if so, the details thereof ; and

(c) the amount of mothly salary and the over-time allowance drawn by the persons getting this facility, separately ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (**Dr. Karan Singh**) : (a) The President (Central) of IATA who is also the Chairman of Delhi Region of IATA, and the Delhi Regonial Secretary of IATA are working at Palam. Both of them have been, from time to time, issued duty assignment slips by the offiers of their department. The General Secretary of IATA works at Dum Dum, Calcutta and not at Safdarjung or Palam.

(b) No, Sir. This is not necessarily a facility to the employees. This is often required in the interest of the Corporation's work or business. Duty assignment slips are not given under any law but are only an internal procedure followed at Palam and Safdarjung Workshops.

(c) The details are given below :

(i) President of IATA

	Salary (including all allowances)	Overtime
Jan. '68	Rs. 573/-	Rs. 51.48
Feb. '68	-do-	Rs. 67.32
Mar. ''68	-do-	—
April '68	-do-	—
May '68	-do-	Rs. 236·40
June '68	-do-	Rs. 269.59
July '68	-do-	Rs. 71.89

(ii) Regional Secretary, IATA (**Delhi**)

Jan. '68	Rs. 683/-	Rs. 191.48
Feb. '68	-do-	Rs. 49.06
Mar. '68	-do-	Rs. 51.00
April '68	-do-	—
May '68	-do-	—
June '68	-do-	Rs. 52.93
July '68	-do-	Rs. 155.38.

Technical Officers in Material Planning Production Control, Safdarjang.

5352. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Tourism** and **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Charge hand Grade 9 have been doing planning work in the Material Planning Production Control Safdarjang for the last two years but they have not been promoted and instead three Graduates have been newly appointed as Technical Officers (Apprentices) ;

(b) whether it is also a fact that all the three new technical officirs are sons of high officers of the Indian Airlines ;

(c) if so, the reasons for not promoting the persons already working there and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir The two charge hands assist the Officers who carry out planning for material provisioning and production control.

(b) Two of the three new Technical Officrs are sons of Indian Airlines Officials. They were selected purely on merit by a duly constituted selection board.

(c) The two charge hands do not fulfil the minimum Educational Technical qualifications required for the post of Technical Officer.

Conveyance Allowance to Class IV Employees

5353. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of classIV employees working in various Ministries who use cycles or come on foot for attending their duties ;

(b) whether Government have made any survey in regard to the maximum distance which an employee should cover on cycle or on foot every day ; and

(c) whether Government propose to provide free transport or conveyance allowance to employees for their convenience ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla):(a) There are approximately 12,500 lass IV employees in various Ministries Departments of the Government of India. Information as to the number among them who use cycles and who come by foot is not available.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

Anthropological Survey of India Association

5354. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Anthropological Survey of India Employees' Association, 27, Jawahar Lal Nehru Road, Calcutta have addressed letters to Government and Members of Parliament on the 19th July, 1968 in which they have requested Government to re-instate and withdraw all cases against their 175 discharged, suspended and guilty employees; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : A copy of the representation addressed by the Anthropological Survey of India Employee's Association to Members of Parliament has been received in the Ministry. The representation refers to 40 cases of alleged discharge, suspension and victimisation, and not 175.

All the complains have been examined carefully, and found to be without justification excepting two cases of confirmation of employees. The confirmation cases are under consideration.

राज्यों में राज भाषाओं का प्रयोग

† 5355. श्री स० चं० सामन्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रशासित राज्यों के सरकारी कार्यालयों में माध्यम के रूप में संघ सरकार की भाषा के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) कौन-कौन से राज्य इस दिशा में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तथा जहां तक संघ सरकार की भाषा के प्रयोग का सम्बन्ध है केन्द्र प्रशासित राज्यों के प्रशासन में समानता लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग, गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र-प्रशासित राज्यों में हिन्दी के शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कोई धनराशि व्यय की जाती है तथा व्यय करने के लिये निर्धारित की जाती है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से इस काम के लिये प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) केन्द्र प्रशासित राज्यों की सरकार के अधिनियम 1963 के खण्ड 34 के अधीन केन्द्र प्रशासित राज्य की विधान सभा कानून बनाकर केन्द्र प्रशासित राज्य में प्रयोग के लिये एक अथवा अधिक भाषाओं या हिंदी को केन्द्र प्रशासित राज्य के लिये सरकारी भाषा के रूप में अपना सकती है । इस तरह, अपनी निजी विधान सभायें रखने वाले केन्द्र प्रशासित राज्यों के लिये केन्द्र की भाषा नीति लागू नहीं होती ।

(ख) जिन राज्यों में अपनी निजी विधान सभायें नहीं हैं, उनमें से दिल्ली ने अपने सरकारी कार्य के लिये हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का निर्णय कर रखा हैं । अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दूसरे केन्द्र प्रशासित प्रदेश भी केन्द्र सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति को लागू करने से लिये उपाय करेंगे ।

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान हिंदी के प्रचार के लिये अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र प्रशासित राज्यों के प्रशासनों ने जो धन राशि प्रदान की है, वह इस प्रकार है :—

		रुपये
1.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	12,500
2.	मणिपुर	15,000
3.	त्रिपुरा	4,47,000
4.	पांडिचेरी	3,000

इन आंकड़ों में स्कूलों में पढ़ाई जा रही हिंदी के लिये किया जा रहा खर्च शामिल नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय भी इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को सीधे अनुदान दे रहा है ।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

†5356. श्री स० चं० सामन्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शासित राज्यों और क्षेत्रों में पाठय पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय शासित राज्यों और क्षेत्रों में पाठ्य पुस्तकें एकसार हैं और यदि हां, तो क्या प्रकाशक एजेंसियां वही हैं या भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनको एकसार बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रुड़की में संरचनात्मक इंजीनियरिंग गवेषणा केन्द्र

5357. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की स्थिति संरचनात्मक इन्जीनियरिंग गवेषणा केन्द्र पिछले पाँच वर्षों से संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि टाटा स्टील के विशेषज्ञों द्वारा, इस केन्द्र के सहयोग से रीइन्फोर्स कन्करीट के ढांचे के निर्माण की लागत में कमी किये जाने के बारे में अनुसंधान किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इसके प्रयोजन के लिये उन्होंने "टिस्टरोंग" की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें प्रयोग की गई "टिस्टरोंग बार" का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, 1965 में इसकी स्थापना से ही यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

(ख) और (ग) : जी हां, टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी के सहकार से संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र ने कन्करीट रीइन्फोर्स के लिये माइल्ड स्टील की छड़ों के बदले उपयोग में लाने के लिये "ग्रिप बार" के नाम अभिहित उच्च कोटि की शक्तिशाली छड़ों का विकास किया है। इन नए प्रकार की छड़ों के प्रयोग से रीइन्फास कंक्रीट ढांचों का निर्माण व्यय घट जाने की आशा है। "ग्रिप बार" का परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : टाटा आइरन एन्ड स्टील कम्पनी के विकास के अपने निजी प्रयत्नों के परिणाल-स्वरूप बाजारों में "टिस्ट्रांग बार" भी आ गई है। इन सलाखों का परीक्षण संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की ने नहीं किया है।

Grant to Adivasis in Chhota Nagpur

5358. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ninty per cent of the grant given by Government for Adivasis in Chhota Nagpur area is given in the name of Adivasis to those persons who adopt Christiionity and the proor Advivasis are deprived of the said aid ;

(b) whether it is a fact that Shri Daya Ram Poddar, Secretary. Bihar Arya Pratinidhi Sabha had lodged a complaint in this regard with the Government of Bihar ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ;

(d) whether Government are aware of increasing anti-national influence of foreign Missionaries ; and

(e) if so, the measures taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister for Home affairs (**Shri K. S. Ramaswamy**) : (a) to (e) Facts are being ascertained.

Medical and Engineering College in Saugar University

5359. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of Rewa University having been set up, there is no Medical College or Engineering College under Saugar University at present ;

(b) if so, whether Government propose to take steps to open Engineering and Medical Colleges under the Saugar University ;

(c) if not, whether the Saugar University set up by Sir Hari Singh Gaur would be discriminated against in this manner ?

Minister of State for Eduction (**Shri Bhagwat Jha Azad**) : (a) According to the available information one Medical College and one Engineering College, both located at Rewa, were affiliated to Saugar University. No information is available with the Government of India regarding the future affiliation of these colleges.

(b) and (c): These are primarily the concern of the Government of Madhya Pradesh.

Representation of Harijan Adivasis in Services

5360. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even twenty years after the attainment of Independence and in spite of making reservations for the Harijan Adivasis, they have not been able to get full representation in the Central Government,State Governments, Local Governments and aided private establishments ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to give an assurance that the reservations for the said poeple would not be withdrawn until they get full representation ?

The Deputy Home Minister : (**Shri K. S. Ramswamy**) : (a) Reservations are made for schedubl castes and Scheduled Tribes only. Presumably, the refrence in the question of reservation in regard to Scheduled Tribes is that in all posts and services under the Central Government filled by direct recuritment or by promotion whether (i) by selection or (ii) on the results of competitive examination limited to departmental candidates within or to Class II, III and IV posts in grades or services in which the element of direct recructment, if any, does not exceed 50 percent, there exists reservation of 5percent of vacancies for Scheduled Tribe According to the latest information, the percentage of actual appointm nts made against vacancies reserved for them under the Central Government is 3·57 in respect of Class IV posts as on 1-1-'1967. In Class III posts, the percentage as on same date is 1.19, while in higher Class I and Class II posts, the percentage is less than 1.

The figures of employment of Scheduled Tribes under State Governments and Local Governments are not readily available. The orders of reservation do not exstend to aided private establishments.

(b) The main reason for non-appointment of members of Scheduled Tribes to the full extent of the vacancies reserved for them has been non-availability of suiable candidates. Under the existing orders there is provision for relaxed standards being adopted for selection of Scheduled Tribe candidates for appointment to posts reserved for them, but unforunately sufficient number of candidates have not been forthcoming even on the basis of these relaxed standards.

(c) As there is no intention to withdraw the reservations for Scheduled Tribes in the foreseeable future, the question of giving any assurance n this regard does not arise.

Central Road Transport Service

5361. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Transport** and **Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start a Central Road Transport Service in view of the increasing efficiency of road transport as compared to Railways and dwindling goods traffic by rail so as to make up the loss being suffered by the Railways, ; and

(b) if not, whether Government propose to lag behind in the comptition between Government and private transport ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakat Darshan) : (a) The Central Road Transport corporation limited, Calcutta, has already been set up by the Government for operating goods services to supplement the transport capacity in the Eastern region. There is no proposal to set up another such organis cation for the present.

(b) The Government's policy is to promote the development of a co-ordinated system of transport, in which the various modes of transport in the public and private rectors will play their legitimate roles.

Two Language Act of Madras

5?62. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the arrangements being made after the two-language Act of Madras Government, Hindi would be totally boycotted in Madras ;

(b) whether it is also a fact that the Government of Madras have stoped giving grant to the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha ;

(c) if so, the reasons therefor 'and

(d) the steps being taken by Government against the said actinn of Madras Government;

The Minister of State for Education (Shri Sher Singh) : (a) In pursuance of the Resoluition passed by the Madras State Legislative Assembly at a special meeting held on January 23rd, 1968, the State Government has passed and order abolishing the three-language formula in schools and introducing, in lieu thereof, the two-language formula which has result in the elimination of study of Hindi from the curriculum of the schools in the Madras State.

(b) The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha has not been receiving any grant from the Government of Madras for implementation of various Hindi propagation schemes.

(c) and (d) : Do not arise.

एच० एस० 748 विमान–सेवा के परिणाम

5363. **श्री स० कु० तापड़िया** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने अब एच० एस० 748 विमान की सेवा के परिणामों को संकलित कर लिया है;

(ख) क्या एच० एस० 748 विमान-सेवा से इन्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन को लाभ हो रहा है, यदि हां, तो कितना और यदि नहीं तो कितनी हानि हो रही है; और

(ग) एच० एस० 748 विमान की सेवा का पृथक ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : एच० एस० 748 के परिचालन परिणामों का मूल्यांकन 1967-68 के लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है। लेखे के जल्दी ही पूरा किये जाने की उम्मीद है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बिना किराया यात्रा

†5364. श्री न० रा० देवघरे : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक समय में दो पुलिस कर्मचारी दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सभी पुलिस कर्मचारी मुफ्त यात्रा करते हैं और सीटों पर बैठ जाते हैं जबकि किराया देने वाले यात्रियों को खड़ा होने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस कर्मचारियों को अनुचित रियायत न देने तथा जनता की असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। दिल्ली परिवहन की बसों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये, केन्द्र प्रशासित राज्य दिल्ली तक एक समय पर अधिक से अधिक दो वर्दी-धारी पुलिसमैन जो कि हैड कांस्टेबल के पद से ऊँचे पद के न हों ; दिल्ली परिवहन के बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं । परन्तु यदि अन्य यात्री खड़े हों तो वे पुलिसमैन सीटों पर नही बैठ सकते ।

(ख) दिल्ली परिवहन के अनुसार इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार-विरोधी तथा सतर्कता कर्मचारियों के दस्तों द्वारा इस रियायत का दुरुपयोग रोकने के लिये, जिसको कि दण्डनीय अनुशासन भंग करने का कार्य समझा जाता है, आकस्मिक जांच की जाती है ।

होटलों के लिये ऋण

5365. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान होटलों को ऋण देने के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित करने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग ने तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा वे ऋण किन विशिष्ठ उद्देश्यों के लिये दिये जायेंगे ;

(ग) भारत के विभिन्न प्रमुख होटलों में निवास क्षमता कितनी है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निवास क्षमता की अवश्यकता के बारे में क्या अनुमान है ; और

(घ) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रमुख होटलों में निवास-क्षमता को किस प्रकार बढ़ाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना में होटल उद्योग के लिये 7.50 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था

करने के एक प्रस्ताव पर किया जा रहा है। होटलों के निर्माण के लिये तथा विद्यमान होटलों के नवीकरण अथवा विस्तार के लिये इस ऋण के प्रदान द्वारा होटल उद्योग के लिये वित्तीय सहायता के लिये एक विशिष्ट स्रोत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : भारत में होटलों के विभिन्न स्टार वर्गों में वर्तमान शैय्या संख्या की स्थिति निम्न प्रकार से है।

1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार	योग
4090	4785	2682	2152	3107	16816

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में अपेक्षित होटल शय्याओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने एक होटल पुनरावलोकन एवं सर्वेक्षण समिति स्थापित की है। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद ही आपेक्षित होटल शैय्याओं के बारे में अपने अन्तिम प्रक्कलन तैयार करेगी।

आसाम में नक्सलबाड़ी मार्गी साम्यवादी लोग

5366. श्री हिम्मतसिंहका : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में और विशेषकर सिलिगुड़ी क्षेत्र में, जहाँ वे चाय बागान की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, तथाकथित नक्सलबाड़ी मार्गियों की कथित गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में आसाम में उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

5367. श्री हिम्मतसिंहका : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किन-किन राज्य सरकारों ने किया है ;

(ग) क्या ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने भी सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों ने अभी हाल में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से घटा कर 55 कर दी है।

(ग), (घ) और (ङ) : केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु कुछ वर्ष पहले सभी सम्बन्धित कारणों की पूर्णतया परीक्षा करने के पश्चात् 55 से बढ़ा कर 58 की गयी थी। इस निर्णय पर पुर्नविचार उचित ठहराने के लिये परिस्थितियाँ नही बदली हैं।

M. Lit. Course of Delhi University

5368. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that students and many Hindi writers have addressed memorandum to the Vice-Chancellor and the Education Minister in regard to M. Lit. course conducted by the Hindi Department of the Delhi University and also regarding many other irregularities ;

(b) if so, the main points thereof ; and

(c) the action proposed to be taken by the Uriversity and Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to(c) : No such memorandum has been received by the Education Minister.

कोल्हापुर के महाराजा द्वारा पुत्र गोद लेना

5369. **श्री स० अ० आड़ी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि महाराष्ट्र में भूतपूर्व कोल्हापुर रियासत में कोल्हापुर के महाराज द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण किये जाने के बारे में लोगों में बड़ा क्षोभ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस विवाद को निपटाने और राज्य में शाति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल :) (क) कोल्हापुर में जनता के एक प्रभाग में इस गोद लिए जाने के बारे में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है।

(ख) भारत सरकार के विचार में उनकी ओर से कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर)

5370. **श्री धरन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इन्डिया नेशनल फिटनेस कोर इम्पलाइज एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने 1967 में विभागीय परिषद में राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के प्रास्तावित विकेन्द्रीकरण या विघटन के बारे में चर्चा करने की मांग की थी,

(ख) क्या यह सच है कि ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है ;

(ग) क्या नेशनल फिटनेस कोर के प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण से ऐसे मुख्य परिवर्तन नहीं होंगे जिनसे नेशनल फिटनेस कोर के कर्मचारियों की सेवा को शर्तों पर कोई प्रभाव पड़े क्योंकि इससे उन्हें सेवा से निकाला जा सकता है या केन्द्रीय सरकार की सेवा से राज्य सरकारों स्थानीय निकायों और ऐच्छिक शिक्षा संस्थाओं की सेवा में भेजा जा सकता है जिससे वरिष्ठता खराब हो सकती है तथा उपलब्धियों की कमी हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसोसिएशन की प्रार्थना को अस्वीकृत करने से संविधान तथा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की भावना का उल्लंघन नहीं हुआ है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इसे नहीं स्वीकार किया जा सका।

(ग) राष्ट्रीय शिष्टाचार योजना के प्रशिक्षकों के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण को समाप्ति का मतलब यह होगा कि एक जैसी योग्यता रखने वाले प्रशिक्षकों को नए नियोजकों द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों में लगा दिया जायेगा। बहुत सी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाई गयी शर्तों पर विचार कर रही हैं।

(घ) जी, नहीं, राष्ट्रीय स्वस्थता, दल के महा निदेशालय का समय, समय–समय पर अल्प अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है और इसी लिए किसी विशेष बैठक की ज़रूरत नहीं थी।

इलाहाबाद के निकट गंगा नदी पर नया पुल

†5371. **श्री मधु लिमये :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी पर एक नया पुल बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पुल को कब तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ; और

(ग) उस पुल पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है तथा कुल कितना धन खर्च होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) इस पुल की नींव का निर्माण करने का कार्य दिनांक 17 फरवरी, 1968 को आरम्भ किया गया था तथा इलाहाबाद की ओर से पहली तथा आठवीं नींव पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पुल के लिये डाली जानी वाली कुल 13 नीवों की 5,200 फिट लम्बी कुँयें की नीवों में से जुलाई, 1968 तक 456 फिट की ऊँचाई की मेंड़ बांधी जा चुकी है तथा 289·23 फिट लम्बी नींव डाली जा चुकी थी।

(ख) कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि मार्च, 1972 है।

(ग) जुलाई, 1968 तक 17·276 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। पुल के लिये कुल 225·47 लाख की लागत स्वीकृत है।

Marxist C— munist Party Member Receiving Money From Chinese Embassy

5372. **Shri M hu Limaye :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Gove...ment's a ...tion has been drawn to the fact that an outsted member of the Maristx Communist Party ...m Kerala receives money from the Chinese Embassy ;

(b) the names of other Inuian nationals who receive money from the Chinese Embassy for doing their translation work etc ;

(c) the names of the Indian nationals who receive money from Pakistan High Commission for do ...similar work ; and

(d) whether Government propose to place some restrictons on Indian nationals who are receiving money freely from foreign mission ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Attention is invited to the answer given to unstarred question No. 7761 on April 19, 1968.

(b) and (c) : State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana, Gujarat, Mysore, Orissa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Pondicherry, NEFA, Tripura, Manipur Goa, Chandigarh, and Himachal Pradesh have reported that no persons receiving money from either the Chinese Embassy or the Pakistan High Commission for doing translation work etc. have come to notice. Kerala Government have reported that no person receiving money from Pakistan High Commisson for doing translation work etc. has come to their notice. The Delhi Administration have stated that Shri Hukam Chand Seth Ramesh Vidrohi and M.R. Gupta are reported to be receiving money from the Chinese Embassy for doing translation work.

(d) Mere receipt of money for doing translation work etc. is not actionable under the law ut vigilance over such activities is being maintained

त्रिपुरा में इंजीनियरिंग कालेज

†5373. **श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष त्रिपुरा में इंजीनियरिंग कालेज में स्थान 50 प्रतिशत कम कर के केवल 60 कर दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कार ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (ी ाव ा आजाद) :

(क) जी, हां ।

(ख) इन्जीनियरों की वर्तमान बेरोजगारी तथा भविष्य में भी इन कारकों की मांग के बारे में असंदिग्धता को देखते हुए, देश के सभी तकनीकी संस्थानों में, जिनमें त्रिपुरा इन्जीनियरिंग कालेज भी शामिल है, चयन के आधार पर तथा संस्थानों में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश घटा दिये गये हैं ।

विमान कम्पनी संचालक समिति

5374. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प न तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान कम्पनी संचालक समिति ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की माल सूची संबंधी प्रणाली को समाप्त करने, हवाई अड्डों पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों की तथा हवाई अड्डे और प्रसिद्ध होटलों के बीच टैक्सी के किरायों के एक समान प्रशुल्क की व्यवस्था करने की सिफारिश की है जिससे विदेशी पर्यटकों को इस समय होने वाली कठिनाइयों से मुक्त किया जा सके ;

(ख) क्या उक्त सुझावों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नगर विमानन विभाग को विमान कंपनी परिचालक समिति से यात्रि विवरण सूची प्रणाली समाप्त करने तथा हवाई अड्डों पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों की व्यवस्था के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं। परन्तु समिति से हवाई अड्डों तथा मुख्य-मुख्य होटलों के बीच टैक्सी-किरायों के एक समान प्रशुल्क की व्यवस्था के बारे में कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) : यात्रि विवरण सूची प्रणाली को समाप्त करने के सुझाव की विमान कंपनी परिचालक समिति से परामर्श करके जांच की जा रही है। लाइसेंस प्राप्त कुलियों की व्यवस्था के विषय में सुझाव पर विचार किया गया है, परन्तु फिलहाल इस प्रणाली को चालू करना संभव नहीं पाया गया है।

सम्बद्ध कालेजों के अनुशासन में सुधार लाने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की योजना

5375. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय से संबंध सभी कालेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) क्या यह योजना सरकार को भेज दी गई है;

(ग) क्या योजना में इस बात की ओर भी ध्यान दिया गया है कि शिक्षा स्तर के साथ-साथ कालेज जाने वाले छात्रों का अनुशासन स्तर भी गिरता जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) ऐसी कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है। किन्तु मामला कुलपति के विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

Foul Gas From Molasses Tank in Masjd Moth New Delhi

5376. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons died as a result of formation of foul gas in a molasses tank at Masjid Moth, New Delhi ;

(b) if so, the name of the shop from where the molasses were purchased and the name of the mill which manufactured it ;

(c) whether it is also a fact that these molasses were neither tested in a Government laboratory nor checked by the Excise officials at the time of being sent to ships and agencies ; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken against this mill ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) to (d): Shri Mithan Lal, a tombacoo Manufacturer of Masjid Moth, New Delhi, along with his son and his servant died due to formation of poisonous gas in a tank constructed for the storage of Molasses in front of his house. As all the concerned persons died on the spot, it could not be verified as to where from the Molasses were purchased. The Excise Department of Delhi Adminstraton exercised no control on the sale, purchase, transport and storage of molasses in the Union territory of Delhi As such the quetion of takng up any action against the molasses dealer does not arise.

Language Seminar Held in Patna

5377. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether a language Seminar was organised in Patna under the auspices of the Bihar State Civic Education Council from the 25th to 28th July, 1968 ;

(b) if so, the number of thinkers who participated in it and the names of the prominent persons amongst them ;

(c) the main topics which came up for discussion in the seminar and the conclusions arrived at there ;

(d) whether the seminar has also made any recommendation in regard to research-work in the regional languages ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State for Education (**Prof. Sher Singh**) :

(a) to (d) : The Ministry of Education has no information on the subject.

(e) Does not arise.

प्रादेशिक भाषाओं के लिये धन

†5378. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदेशिक भाषाओं के विकास के लिए वार्षिक निधि बनाई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में मैथिली भाषा के विकास पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या मैथिली भाषा के विकास पर सब से कम राशि व्यय की गयी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह):

(क) जी, हां। इस उद्देश्य के लिये हर वर्ष आय-व्ययक में धन राशि रखी जाती है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत जो अनुदान अब तक दिये गये, वे इस प्रकार हैं :—

	मैथिली भाषा	अन्य क्षेत्रिय भाषायें
दूसरी पंचवर्षीय योजना	10,300 रु०	13,74,400 रु०
तीसरी पंचवर्षीय योजना	16,400 रु०	35,96,158 रु०
वर्ष 1966-67 तथा 1967-6 के लिये		8,27,323 रु०

(ग) जी, नहीं।

भारतीय विद्यार्थियों का विदेशों में बसना

5379. श्री शिव चन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले डाक्टरी, प्राकृतिक विज्ञान तथा इंजीनियरी के अधिकांश विद्यार्थी उन्हीं देशों में बस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और उन्हें भारत में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसमें कितनी सफलता मिली; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले दस वर्षों में विषय-वार, कितने ऐसे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में गये तथा कितने भारत लौटे और कितने भारत में कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) से (ग) जो व्यक्ति पिछले दस वर्षों के दौरान विदेश गए अथवा भारत वापस आ गए उन सभी व्यक्तियों के बारे में सूचना उबलब्ध नहीं है । उन वैज्ञानिकों, डाक्टरों और इंजीनियरों के बारे में सूचना उपलब्ध है जिन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी वर्ग के राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश अनुभाग में अपने नाम स्वेच्छा से दर्ज कराएं हैं । विदेश से लौट कर रजिस्टर कराने वाले उन व्यक्तियों की संख्या राष्ट्रीय रजिस्टर में 6704 थी जिन्होंने 1958–67 के दौरान भारत वापस आने पर स्वेच्छा से रिपोर्ट की :—

विज्ञान	2112
इंजीनियरी और टेक्नोलोजी	3199
मेडिसिन	1393
	6704

इन सभी व्यक्तियों के वर्तमान वितर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विदेश गए हुए योग्य भारतीयों के वापस लौटने को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका उल्लेख 2 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 278 के भाग (ग) के उत्तर में किया गया है।

भारत में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस

5380. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अब तक भारत में प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने-कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का सन्देह था ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; तथा कितने मामले अभी तक अनिर्णीत हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : आठ राज्यों तथा नौ संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया है । शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1869/68]

विदेशी पर्यटक

5381. श्री शिव चन्द्र झा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई तथा जून, 1968 के दौरान किन-किन देशों के अलग-अलग कितने-कितने विदेशी पर्यटक भारत आये और और वे भारत में अधिकतर किन स्थानों पर गये; और

(ख) वर्ष 1966 और 1967 में उन्हीं महीनों में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई थी और अप्रैल, 1968 से जून, 1968 तक, महीना वार उनसे कितनी मुद्रा कमाई गई ?

पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अप्रैल और मई, 1968 के महीनों में भारत में आये विदेशियों की संख्या को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। जून, 1968 के माह के अलग-अलग आंकड़ों का अभी संकलन किया जाना है। भारत के वे स्थान जहां कि विदेशी पर्यटक मुख्यतः गये, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा, वाराणसी, जयपुर, बंगलौर, श्रीनगर, अहमदाबाद और औरंगाबाद हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1870/68]

(ख) अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा कैलेण्डर वर्ष के आधार पर प्राक्कलित की जाती है महीनावार या तिमाहीवार नहीं। 1966 में 22.61 करोड़ रुपये और 1967 में 25.23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

पारादीप पत्तन

†5382. श्री दे० अमात : श्री गु० च० नायक :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आये तूफान के कारण पारादीप पत्तन (उड़ीसा) में नेहरू स्मारक स्तम्भ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है और नेहरू बंगला तथा अन्य भवनों को आंशिक रूप से क्षति पहुँची है;

(ख) क्या यह भी सच कि समुद्र की लहरें तट को बहा रही हैं, और इसके परिणाम स्वरूप तट भवन की ओर जा रहा है और क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने पत्तन के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे कोई नये भवन न बनायें; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान भवनों को सुरक्षित रखने के लिये तथा पत्तन के विस्तार और सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (प्रो० के० आर० वी० राव) :

(क) नेहरू स्मारक स्तम्भ जो कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था इस मानसून के दौरान गिर गया है। परन्तु, फलक को पिछले वर्ष हटा लिया गया था। नेहरू बंगला अथवा अन्य भवनों को क्षति नहीं पहुँची है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उत्तरी पनकट के उत्तर में समुद्री किनारे को बचाने के लिये एक समुद्री-दीवार का निर्माण किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इस दीवार ने कटाव को बढ़ने से रोका है।

स्मारकों से मूर्तियों की चोरी

5383. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश के विभिन्न भागों के पुराने स्मारकों से मूर्तियों की अधिक चोरी होने लग गई है ;

(ख) क्या अन्तर्राज्य मूर्ति चोरों के कुछ सदस्यों को हाल में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली मूर्तियों को चोरी छिपे बेचने का विक्रय केन्द्र बन गया है;

(घ) क्या दिल्ली तथा अन्य बड़े-बड़े नगरों में पुरातत्वीय वस्तुओं के व्यापारियों का भी इसमें हाथ है; और

(ङ) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट के सिवाय इस मंत्रालय को कोई अधिकारिक सूचना नहीं है ।

(ङ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) आवश्यक छान-बीन करने और दोषी लोगों का पता लगाने के लिए चोरी होने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चोरी की तुरन्त सूचना दी जाती है ।

(ii) मूर्तियों आदि का प्रलेख पोषण और उन्हें स्मारकों / स्थानों से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना ।

(iii) स्मारकों में नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों को और अधिक सावधान रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है । उपलब्ध धन की वर्तमान सीमाओं में आवश्यकतानुरूप जहां तक संभव हो सका है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है ।

गृह-मंत्रालय ने राज्य सरकारों के प्रधानों तथा मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे अपने-अपने राज्यों में पुलिस तंत्र की कुशलता बढ़ाने और निर्यात के स्थानों एवं कला-सामग्रियों तथा पुरावस्तुओं के क्रय-विक्रय की जगहों पर और अधिक सतर्कता और कड़ाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

Anand Marg

5384. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the followers of Ananda Marg have launched Abhinav Satyagrah from the 2nd June and the Satyagrahis enter in forests unathorisedly and fell the trees ;

(b) if so, the number of them arrested ;

(c) whether it is also a fact that Anand Marg has refused to co-operate in the enquiry which is conducted by Shri R. Ghosh, Commissioner of Vardhman Division in regard to the charges levelled against Anand Marg ;

(d) whether Government are aware of the secret activities of Anand Marg ; and

(e) if so, whether Government would furnish to the House complete details in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramsawamy) : Information is being obtained from the State Government and will be placed on the tabl! of the House.

Supreme Court Jurisdiction over Kashmir

5385. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that a convention was called by teachers belonging to majority community in Srinagar on the 15th July, 1968 in the name of backward classes wherein they instigated the general public not to accept the Supreme Court decision and it was also stated therein tha the Supreme Court has no jursdiction over Kashmir ;

(b) whether it is also a fact that propaganda was made against the appointments and rights of teachers belonging to minorities and anti-Indian slogans were also raised therein ;

(c) whether it is further a fact that a Government school building was provided for holding this convention in Srinagar and the Jammu and Kashmir Government did not take any action against those responsible for passing resolutions opposing the Supreme Court's decision and against India and the minorities ; and

(d) if so. the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) The State Government have intimated that a convention of teachers belonging mainly to the majority community was held in Srinagar on 16th July, 1968 wherein resentment against the Supreme Court decision was expressed.Some Sikh teachers also participated in it. It did not instigate the general public not to accept the Supreme Court decision nor was the jursidiction of Supreme Court over Kashmir discussed.

(b) The convention demanded reservation in services on population ratio so long as the majority community was backward. A few instances of anti-Indian slogans were also reported.

(c) No accommodation was provided by Govrnment for the convention but the teachers on their own utilised the lawns of the Government Higher Secondary School, Dilawar Khan Srinagar for the purpose. No resolution opposing the Supreme Court's decision was passed.

(d) State Government are vigilant in regard to maintenance of discipline and communal harmony. They have initiated steps to solve the problems of regional and commonual imbalances.

कोठारी आयोग

5387. श्री हरदयाल देवगुण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क), (ख) और (ग) दिल्ली स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करते समय जो कि दिसम्बर, 1967 में घोषित किये गये हैं, सरकार द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया था ।

शिलांग पोलीटैक्निक संस्था

5388. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि शिलांग पोलिटैक्निक संस्था 14 मई, 1968 को लगी आग में पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसे अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच से यह पता चला है कि राष्ट्रविरोधी तत्वों की तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण ऐसा हुआ था ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि यह घटना आसाम सचिवालय और उपायुक्त की अदालत में हुए बम विस्फोटों की श्रंखला में शामिल है ; और

(च) यदि हां, तो देश में ऐसी राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग 3 लाख रुपये की हानि का अनुमान है ।

(ग), (घ) और (ङ) :अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और मामले में अभी जांच की जा रही है ।

(च) राज्य सरकार ने आवश्यक पूर्वोपाय कर लिये हैं । तथा समाज विरोधी और उग्रवादी तत्वों पर नजर रखी जा रही है ।

Graduates in Technical Science Colleges

5389. **Shri Onkaral Bohra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the University-wise detail of Graduates in various technical sciences who took their degrees during the last year ;

(b) the efforts made or being made so far to provide suitable employment to them ; and

(c) the total number of trained persons in the country so far who have equipped themselves with training in the various technical fields and the capacity of the Universities in turning out trained persons in future ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwt Jha Azad): (a) A statement based on the information availble is placed on the Table of the House (**Placed in Library, See No. LT—1871/68**).

(b) The various measurs formulaed by Government to meet the present unemployment have been outlined in reply to Starred Question No. 138 on 26th July, 1968 in the Lok Sabha.

(c) It is estimated that there are at present about 300,000 graduate-engineers and diploma technicians in the country. Our engineering institutions will produce about 16,000 graduates a year for the next five years.

Tourism

5390. **Shri Onkarlal Bohra**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of places of tourist attraction in the country including places of historical, archaeological and scenic interest as also hill stations and sea resorts ;

(b) the details thereof ;

(c) whether other places are also being found and developed which might be otherwise attractive and useful to tourists ; and

(d) the details of publicity literature and material brought out or being brought out in foreign and particularly Indian languages relating to these centres and the details of future schemes in this respect, if any ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (**Dr. Karan Singh**) : (a) to (c) India is so rich in varied tourist attractions that it is not feasible to list them all. However an illustrative list, statewise, is laid on the Table of the House. (**Placed in Library. See No. LT—1872/68**).

(d) Publicity literature on the places of tourist interest frequented by foreign tourists is brought by the Tourist Department in English, French, German, Spanish and Italian. Due to drastic economy cuts following the declaration of emergency in 1962, it was decided that State Governments should produce material in Indian languages for the benefit of domestic tourists. During 1968-69, the Tourist Department has plans to produce 24 folders, 3 guide books, 26 inserts, 10 posters and other publicity material covering the tourist attractions of India.

"Concessions to Home Tourists"

5391. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the details of the concessions and incentives being given to the Indian tourists who want to visit the places of interest in India keeping in view the vastness of our country ;

(b) whether it is a fact that crores of our countrymen are still unfamiliar with their own country and with this fact in view, the details of the publicity literature and other material made availble to them in Indian languages ; and

(c) the amount which is spent with a view to attracting the foreign tourists and the manner in which it is spent ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (**Dr. Karan Singh**) : (a) Indian Tourists generally use Rail transport for visiting places of tourist interest. The Indian Railways have accordingly been offering a number of special concessions viz ; hill station concessional tickets (including rail-*cum*-road tickets to Kashmir) ; standard circular tour ticket at $\frac{3}{4}$th of the normal tariff fare and circular tour tickets according to the itineraries suggested by the parties and approved by the Railways.

(b) and (c): The Department of Tourism's advertising compaign in India on the theme "Know your country--meet your people", and the new proposed compagin "We are privileged -we have India".. aims at the promotion of domestic tourism. Due to drastic economy cuts subsequent to the Chinese aggression in 1962, it was decided that the State Governments should produce material in Indian languages while Central Government should concentrate on publicity material for foregn tourists.

It is proposed to spend Rs.66 lakhs for advertising to be released on promotional work in overseas countries. All possible media of communication such as newspapers, exhibitions, photographs, participation in fairs and exhibitions, display units and exhibition of films are utilised. Radio and Television media are used as and when feasible.

उगयार घाट (उत्तर प्रदेश) गंगा नदी पर पुल

†5392. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उगयार घाट, बलिया (उत्तर प्रदेश) पर गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना को मंजूर कर लिया है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश को सड़क द्वारा मिलाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी, हां। यह पुल बन जाने पर उत्तर प्रदेश में उगयार घाट को बिहार में बक्सर से मिलायेगा।

(ख) ज्यों ही डिज़ाइन और अनुमान तैयार तथा तय हो जाते हैं, बिहार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे ; और ठेका दिये जाने पर पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायेगा।

(ग) बिहार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल के डिजाइन सहित उसके निर्माण के लिये विस्तृत अनुमान भी तैयार किया जा रहा है। सही अनुमानित लागत का तो तभी पता लगेगा जबकि भारत सरकार को अनुमान प्राप्त होगा तथा इसकी जांच होगी।

बाराहाल गंजा (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर पुल

†5393. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराहाल गंजा (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर पुल बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) नीव-कूपों का निर्माण वास्तविक रूप से जुलाई, 1968 के अन्त तक पूरा हो चुका है।

(ख) ठेके के अनुसार कार्य के मार्च, 1970 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ग) 163 लाख रुपये।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की दिल्ली से सान्ताक्रुज तक उड़ान

5394. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइंस की बम्बई सांताक्रुज हवाई अड्डे से दिल्ली को एक निर्धारित उड़ान लगभग तीन घंटे विलम्ब से हुई, क्योंकि उड़ान भरने वाले फोकर फ्रेण्डशिप को एक ट्रैक्टर की टक्कर लग जाने से थोड़ी सी क्षति हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं और उड़ानों में विलम्ब से बचने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । 25 जून, 1968 को,इंडियन एयरलाइन्स का फोकर फ्रेण्डशिप विमान वीटी-डीएमयू बम्बई-इंदौर-दिल्ली सेवा परिचालित करने के लिये हैंगर से 'प्रस्थान प्रांगण' (डिपार्चर एप्रन) की ओर ढो कर के ले जाया जा रहा था । उस विमान के साथ-साथ एक ग्राउंड पावर यूनिट भी एक ट्रैक्टर द्वारा टो की जा रही थी । रास्ते में ग्राउंड पावर यूनिट ट्रैक्टर से छुट गई तथा विमान के बायें पार्श्व से टकरा गयी जिससे विमान के 'फ्यूसीलेज' तथा 'प्रोपेलर' को मामूली क्षति पहुँची ।

(ख) कारपोरेशन के प्रवर अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा जांच की गयी है जिस आधार पर यह सिद्ध हुआ कि 'टो-बार' आटो डीजल से इस कारण अलग हुई कि आटो डीजल को टो-बार से जोड़ने वाला पिन पुख्ता तौर पर लाक नहीं किया गया था । कारपोरेशन ने अपने अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि टो करने का कार्य प्रारम्भ करने से पहले इस बात का पूरा निश्चय कर लिया जाये कि पिन पक्के तौर पर लाक कर दिया गया है ।

सुदर्शन झील

†5395. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में जूनागढ़ के पास पुरातत्वीय विभाग ने पता लगाया है कि लगभग 300 वर्ष ई० पू० से 30 वर्ष ई० पू० के बीच जूनागढ़ के पास "सुदर्शन झील" नामक एक झील थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) सरकार के पास सरकारी तौर से कोई जानकारी नहीं है । राज्य सरकार से आवश्यक पूछ-ताछ की जा रही है ।

सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

5396. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री 29 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने पर केन्द्रीय सरकार ने 1967 में तथा 1968 के पहले पांच महीनों में कितना खर्च किया है ;

(ख) कितनी बार और किस-किस अवसर पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के दस्तों को पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर राज्य में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये तैनात किया गया ; और

(ग) उन दस्तों के खर्च के रूप में पश्चिमी बंगाल सरकार को कितनी राशि का भुगतान करना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सन् 1967 में तथा 1968 के पहले पांच महिनों में सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ टुकड़ियाँ पश्चिम बंगाल सरकार को उस सरकार द्वारा मांगने पर विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये क्रमशः नौ तथा चार बार उपलब्ध कराया गया। इन टुकड़ियों पर व्यय का अनुमान सीमा सुरक्षा दल के लिये 20,52,225 रु० तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 28,93,200 रु० है।

(ग) मामला परीक्षाधीन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिनियुक्ति का कोटा

5397. श्री घुलेश्वर मीना : श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि के प्रतिनियुक्त कोटे में राजस्थान तथा उड़ीसा से इस समय पृथक-पृथक कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं और उन्हें भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

5398. श्री घुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में केन्द्र में अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी तथा क्या शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1967-68 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को केन्द्र में अखिल भारतीय सेवाओं के 10 अधिकारियों से सम्बधित 8 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें पदोन्नतियों और नियुक्तियों में पक्षपात, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग, कारों के आवंटन में शासकीय पद का दुरुपयोग, झूठे यात्रा भत्ता की मांग करना, इत्यादि से सम्बन्धित आरोप समाविष्ट थे।

इसी अवधि में केन्द्रीय जाँच विभाग को केन्द्र में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध सात शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में भेंट स्वीकार करने, नियुक्तियां करने में अनियमितताएं, सरकारी वाहनों के दुरुपयोग, बगैर निविदाएं मंगाये फर्नीचर खरीदने, इत्यादि के आरोप हैं।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त 8 शिकायतों में से 6 निराधार पाई गईं और शेष दो परीक्षाधीन हैं।

केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा प्राप्त सात शिकायतों में से दो नस्तीबद्ध कर दी गई हैं क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए थे तथा शेष 5 परीक्षाधीन हैं।

विदेशी जिन्हें भारत छोड़ने के लिये कहा गया है

5399. श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में कितने विदेशियों को भारत छोड़ने के लिये कहा गया है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । कुछ राज्य सरकारों से सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और वह सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान और उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब

5400. श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में लड़कों तथा लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिये राजस्थान और उड़ीसा में पृथक-पृथक फ्लाइंग क्लब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । लेकिन, एक ऐसा क्लब अर्थात् बनस्थली विद्या-पीठ फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब राजस्थान में पहले से मौजूद है, जो कि केवल कन्या छात्राओं को ही उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए है ।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच

5401. श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) नई दिल्ली में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के टाइगरमौथ विमान वी-टी-डी-के-के की 28 अक्तूबर, 1967 को हुई दुर्घटना की जाँच अब पूरी हो चुकी है और जाँच-रिपोर्ट की प्रतियाँ 27 फरवरी, 1968 को संसद् पुस्तकालय को भेज दी गयी हैं ।

जाँच अधिकारी के अनुसार विमान उसके इंजन के उड़ान के दौरान रुक जाने के बाद ऐसे समय पर चक्कर खाने के कारण ध्वंस हुआ जो कि उसको ठीक स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त नहीं था । विमान ने सीधे ऊपर आसमान में उड़ने का रुख क्यों अपनाया इसका कारण ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन यह संभव प्रतीत होता है कि विमान चालक ने यह चालन-युक्ति एक गीध से टक्कर बचाने के प्रयत्न में अपनायी ।

2. उपर्युक्त दुर्घटना के बाद दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा परिचालित किसी भी विमान की कोई अन्य अधिसूचनीय दुर्घटना नहीं हुई हैं ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा

†5402. श्री म० ला० सोंधी : : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस समय पर्याप्त संख्या में अधिकारी हैं ;

(ख) क्या पिछले पांच अथवा छः वर्षों में 70 अथवा 80 रिक्त पदों के लिये विज्ञापन निकाला जाता था लेकिन वर्ग 'आई' (आई० ए० एस०/ आई० एफ० एस०) में प्रति वर्ष लगभग 150 व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या अक्टूबर, 1967 में आयोजित सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 126 व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जिसमें एमरजेंसी कमीशन प्राप्त, शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त सेवायुक्त अधिकारी भी शामिल हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस संख्या में कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 3035 की अधिकृत संवर्ग संख्या की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस समय 2580 अधिकारी हैं।

(ख) पिछले छः वर्षों के दौरान प्रचारित किये गये खाली स्थानों तथा वर्ग I सेवाओं के लिये वास्तव में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या का विवरण पुस्तकालय में रखा गया है। [देखिये संख्या एल० टी० 1873/68]

(ग) जी, हां।

(घ) भर्ती की दर का हिसाब हर वर्ष संवर्गों में वृद्धि की सम्भावना, संवर्गों के रख-रखाव तथा उनके बीच अन्तर के आधार पर लगाया जाता है । संवर्गों के बीच का अन्तर कम हो गया है और इसलिये वर्ष 1967 की परीक्षा के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नतियों में वृद्धि करने के बारे में कई ओर से सुझाव प्राप्त हुए हैं । अभी तक इन सुझाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Industrial Undertakings functioning in Madhya Pradesh

5403. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleasedot state :.

(a) the number of Induatrial Undertakings functioning under the control of the Transport Department of Madhya Pradesh, district-wise ;

(b) the names of the industrial undertakings proposed to be set up in each district during the Fourth Five Year Plan period and the estimated outlay on each of those undertakings ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertaking in Hoshangabad and East Nimad District of Madhya Pradesh so that unemployment in those districts could be eliminated and those districts could be brought at par with other developing districts economically ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) The required information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Construction of Roads

5405. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme under which assistance would be given for the construction of roads on some specific routes ;

(b) if so, the details of such routes in Madhya Pradesh ;

(c) the routes on which construction work has been completed and the routes on which it is in progress ; and

(d) the routes on which construction work has not been started so far and when the work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) The Scheme which the Hon'ble Member has in view, is not clear. Grants-in-aid by the Ministry of Transport and Shipping are given under the Central Aid Programme of State roads of inter-State or economic importance and from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve.If the Hon'ble Member has both these Schemes or any one of them in mind, a separate notice may kindly be given.

मध्य प्रदेश में उड्डयन क्लब

5406. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इस समय कोई उड्डयन क्लब चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) उनमें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या उनमें हेलीकाप्टर चालक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो इसका क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित फ्लाइंग क्लबें कार्य कर रही हैं ।

(i) इन्दौर स्थिति मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब जिसकी एक शाखा भोपाल में है ।

(ii) रामपुर स्थित पूर्वी मध्य प्रदेश फ्लाइंग-क्लब ।

(ग) ये क्लबें निजी विमान-चालक के लाइसेंस के उम्मीदवारों और एन० सी० सी० कैडेटों को उड़ान प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करती हैं ।

देश में किसी भी फ्लाइंग क्लब में हेलिकाप्टर उड़ान प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपकों की पदोन्नति

5407. **श्री सूरज भान :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई योजना के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के निजी सचिव तथा सलैक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये उनके मन्त्रालय ने मार्च, 1968 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के लगभग 1200 आशुलिपिकों की गोपनीय रिपोर्ट मांगी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) ये चयन कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की नयी श्रेणी 1 में नियुक्ति के लिये एक तालिका तैयार करने के लिये 1-10-62 को आशुलिपिकों की सिविल लिस्ट में क्रम संख्या 1200 तक नाम वाले केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 2 के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मंगाये गये थे ।

(ख) और (ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं तथा यथाशीघ्र आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे ।

शैक्षिक मूल्यांकन

5408. **श्री नायनार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 13 मई से 6 जुलाई, 1968 तक मसूरी शैक्षिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिये उनके मन्त्रालय ने कितने अधिकारी प्रतिनियुक्त किये थे और इस अवधि में वहाँ पर काम करने के दिनों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) क्या उन अधिकारियों को, जिन्होंने मसूरी में इस पाठ्यक्रम की मंजूरी की इस बात का पता नहीं था कि एन० आई० ई० कैम्पस में होस्टल गोष्ठी कक्ष तथा दर्शककक्ष है, जो विशेषकर इसी प्रयोजन के लिये बनाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 32,257. 05 रुपये ।

(ख) छः । पाठ्यक्रम की अवधि 55 दिन की थी । रविवार को छोड़कर सभी दिन कार्य दिवस थे । इस प्रकार कार्य-दिवसों की संख्या 48 थी ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को जिसने पाठ्यक्रम संचालित किया था, इस बात की जानकारी थी कि नई दिल्ली के एन० आई० ई० कैम्पस में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, उस समय अन्य कार्य-क्रमों और पाठ्यक्रमों के लिये किया जा रहा था ।

पुरी-कलकत्ता बस सेवा

†5409. **श्री गु० च० नायक :** **श्री जेना :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अप्रैल, 1968 को उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सरकारों

के बीच पुरी से कलकत्ता और क्योंझार से कलकत्ता दोनों ओर के लिये बस सेवायें आरम्भ करने के सम्बन्ध में एक पारस्परिक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या बसों का इन मार्गों पर चलना आरम्भ हो गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजपथ

†5410. **श्री गु० च० नायक :**　　　　**श्री जेना :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया है और कब से ; और

(ख) क्या ये सभी राष्ट्रीय राजपथ बारह मासी सड़कें हैं ; और यदि नहीं तो कौन-कौन से राजपथ ऐसे नहीं हैं और उन्हें कब तक बारहमासी सड़कें बनाने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये एल० टी० संख्या 1874/68]

(ख) जी नहीं । वर्तमान प्रणाली में त्रुटियों की जांच करने के लिये इस समय सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है । इन परिणामों तथा नई चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये आवंटन के बारे में पता लगाने के बाद ही सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को बारहमासी सड़कें बनाने के बारे में कार्यक्रम तैयार करना सम्भव होगा ।

विभिन्न पत्तन न्यासों से चोरी की गई वस्तुयें

†5412. **श्री हेमराज :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न पत्तन न्यासों से 1966-67 और 1967-68 में तथा जुलाई, 1968 तक कितनी वस्तुओं की चोरी की गयी और उनकी लागत कितनी थी; और

(ख) क्या पत्तन न्यास को उन वस्तुओं के लिये कोई विलम्ब शुल्क दिया गया और यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गयी ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विभिन्न पत्तन न्यासों द्वारा बताई गई स्थिति दर्शाने वाला विवरण पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० 1875/68]

बेरोजगार इंजीनियर

†5413. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन इन्जीनियरों की संख्या क्या है जो बेकार थे और जिन्हें विभिन्न राज्यों ने उनके मुख्य मन्त्रियों को दिये गये हाल ही के परिपत्र के अनुसरण में अपने यहां नौकरी पर लगा लिया है; और

(ख) मई, 1968 के अन्त में ऐसे बेकार इन्जीनियरों की संख्या राज-वार क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) रोजगार-विहीन व्यक्तियों के बारे में राज्य-वार सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 31 दिसम्बर, 1967 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत इंजीनियरों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण पुस्तकालय में रखा गया है। [देखिये एल० टी० संख्या 1876/68]

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशानिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन

5414. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और उसे सरकार को पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) की पदोन्नति

5415. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 2 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्त किये गये एक वरिष्ठ अध्यापक 6 मास बाद ही इस संस्थान को छोड़कर चले गये;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) नये निदेशक द्वारा इस संस्थान का कार्यभार संभालने के बाद से अब तक कितने प्राध्यापकों की पदोन्नति की गई है, कितने प्रशासनिक कर्मचारियों के पदों को वर्गोन्नत किया गया है अथवा उनके वेतन में विशेष वृद्धि की गई है, कितने नये प्रशासनिक पद बनाये गये हैं तथा कितने रिक्त स्थानों को भरा गया है; और

(घ) क्या पदोन्नतियों, नये पदों के बनाने तथा रिक्त स्थानों के भरने से सम्बन्धी ये निर्णय संस्था के प्राधिकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार किये गये थे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक औद्योगिक फर्म ने अध्यापन और अनुसंधान कार्य के हेतु अधिक से अधिक 2 वर्षों की अवधि के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता को कार्यकारी की सेवाएं प्रदान की थीं। बाद में, इस फर्म ने अपनी कुछ प्रबन्ध आवश्यकताओं के कारण 6 महीने के अन्दर-अन्दर उनकी सेवाएं वापस ले लीं।

(ग) स्टाफ के 5 सदस्यों को प्रवर प्रोफेसर / प्रोफेसर / सह प्रोफेसर / सहायक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था। पदोन्नत प्रशासकीय स्टाफ की संख्या इस प्रकार है, एक अधिकारी, एक क्लर्क और 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, और स्टाफ के जिन प्रशासकीय कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धियां दी गई थीं, उनकी संख्या 6 है।

जिन नए प्रशासकीय पदों को बनाया गया है उनकी संख्या 16 है, जिन में से 8 पदों को भरा गया है।

(घ) जी, हां।

दिगलूपुर (उत्तर अंदमान द्वीप) में बसे हुए लोगों द्वारा सत्याग्रह

5416. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई-जून, 1968 में उत्तरी अंदमान द्वीप के दिगलूपुर में बसे हुए लोगों ने भूख हड़ताल तथा सत्याग्रह किया था ;

(ख) यदि हां, तो भूख हड़ताल के क्या कारण हैं तथा निवासियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में दिगलीपुर में बसे हुये लोगों द्वारा बस्ती बसाने के लिए दिए गए ऋण बट्टे-खाते में लिखने की अपनी मांग पर दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल आरम्भ की गई थी।

(ग) मामले की परीक्षा की गई थी। सरकार के लिये ऋण को बट्टे खाते में लिखना सम्भव नहीं है।

अंदमान के स्कूल में बंगला भाषा के माध्यम से पढ़ाई

†5417. **श्री के० आर० गणेश** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न सीनियर बेसिक स्कूलों में बंगला भाषा के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) बंगला माध्यम वाले कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, वे कहां-कहां पर हैं और उनमें से प्रत्येक की दूरी पोर्टब्लेयर से कितनी है;

(ग) क्या पोर्टब्लेयर में भी हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिये बंगला माध्यम की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) तीन वरिष्ठ बेसिक स्कूलों में कुल मिलाकर 444 बंगला माध्यम के विद्यार्थी हैं।

(ख) तीन; निम्न स्थानों में से प्रत्येक में एक :

(1) पोर्ट ब्लेयर;

(2) रंगत, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 95 किलोमीटर।

(3) दिग्लीपुर, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 192 किलोमीटर दूर ।

(ग) जी हां। कला के विषयों में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हल पर जोते जाने वाले तथा दुधारू पशुओं की कमी

†5418. श्री के० आर० गणेश : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हल पर जोते जाने वाले तथा दुधारू पशुओं की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या इन पशुओं के खरीदने के लिये ऋण देने के हेतु आय–व्ययक में आवंटित राशि व्यपगत हो जाती है;

(ग) क्या प्रशासन ढोर वाहक जहाजों का प्रबन्ध करने में असफल रहा है ;

(घ) क्या इसके लिये भारतीय नौसेना की सहायता मांगी गई है; और

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिये 'एम० वी० निकोबार" का अस्थायी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में हल से जोते जाने वाले पशु और दुधारू पशुओं की आम कमी है।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से दुधारू पशुओं के लिए आय-व्ययक में आवंटित राशि व्यपगत हो रही है, परन्तु हल से जोते जाने वाले पशुओं के लिए आय-व्ययक में आवंटित राशि व्यपगत नहीं हुई है। केवल 1966–67 में आंशिक रूप से यह व्यपगत हुई थी।

(ग) पशु वाहक जहाज को किराए पर लेने के प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है परन्तु इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) नौसेना से एक जहाज देने के लिए अनुरोध किया गया था पन्रतु दूसरी जगह वचनबद्ध होने के कारण कोई जहाज अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है ।

(ङ) एम० वी० 'निकोबार' को अस्थायी रूप से पशु वाहक के रूप में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है परन्तु इस जहाज को पशु वाहक जहाज में परिवर्तित करने की लागत बहुत अधिक पाई गई। फिर भी एम० वी० 'निकोबार' द्वारा पशुओं को एक फेरे में चार के समूहों में साफ मौसम के दौरान में लाने के प्रस्ताव पर अंदमान और निकोबार प्रशासन द्वारा विचार हो रहा है।

अन्दमान तथा निकोबारी द्वीपसमूह भू–राजस्व विनियम

†5419. श्री के० आर० गणेश :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व विनियम लागू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कृषकों की अकाल से सुरक्षा के बारे में क्या विशेष उपबन्ध हैं ;

(ग) क्या खेती की भूमि पर मौरूसी हक पाने के बारे में कोई सीमा नियत है; और

(घ) क्या नये विनियम लागू होने की तिथि को जिन लोगों का खेती की भूमि पर कब्जा था उन्हें स्वतः ही मौरूसी हक प्राप्त हो जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का अकाल के लिए कोई विशेष उपबन्ध नहीं है परन्तु उन इलाकों में जहां कि किसी वर्ष फसल नष्ट हो जाती है वहाँ भूमि-कर में छूट और निलम्बन करने का उपबन्ध है।

(ग) और (घ) : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि सुधार विनियम, 1966 के धारा 142 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों को 'दखलकारी काश्तकार' में गिना जायेगा :-

(एक) प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1966 के लागू होने से पूर्व अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, (भूमि पट्टा) विनियम, 1926 के उपबन्धों के अन्तर्गत दखलकारी का अधिकार प्राप्त कर लिया हो :

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने बेदखल कारी काश्तकार के रूप में कोई जोत पर, जो कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका बोर्ड के स्थानीय सीमाओं के भीतर न हो, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों भूमि राजस्व और भूमि सुधार बिनियम, 1966 के आरम्भ होने के दो वर्ष से लगातार खेती करता रहा हो अथवा इस प्रकार की काश्तकारी हो, इसमें से जो भी बाद वाला हो, और जो अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियम 1966 के अनुसार हो तथा जिसके पास भूमि राजस्व का बकाया न हो।

अन्दमान विशेष वेतन

5420. **श्री के० आर० गणेश :** क्या गृह-कार्य मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्दमान विशेष वेतन के वर्तमान ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) मामले की अभी परीक्षा हो रही है तथा निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लिया जायगा।

Landing of Foreign Airlines Planes at Tourist Places

5421. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that planes belonging to foreign airlines and chartered by tourists are permitted to land only at International airports of India ;

(b) whether it is also a fact that such planes are not permitted to fly to important tourists places ;

(c) whether Government have received applications from foreign airilines for allowing such facilities ; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) It is a fact that foreign tourist charters are permitted to land only at international airports. A few requests have been received in the past from foreign tourist operators to make first landings in India at other airports, but these have not been agreed to as Customs, Health and Passport clearance facilities do not exist at such aerodromes. Besides, flights over the domestic routes are operated by the Indian Airlines and it would not be in the interests of the national carrier to permit foreign airlines to operate to domestic points.

Gopal Sena in Kerala

5422. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) wheher it is a fact that the Kerala Government have taken a step to recruit soldiers of the so-called "Gopal Sena" in the police by giving them priority ; and

(b) If so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information furnished by the State Government, no such decision has been taken by them.

(b) Does not arise

रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल

5423. **श्री सुब्रावेलू :** **श्री मयावन :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्कूल में गैर सरकारी अधिकारियों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है ; और

(ख) क्या ये दाखिले केन्द्रीय स्कूलों के दाखिला नियमों और विनियमों के विरुद्ध हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है :—

(एक) रक्षा कर्मचारियों सहित, स्थानांतरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे;

(दो) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से सहायता-प्राप्त स्वायत्त-शासी निकाय और प्रायोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे;

(तीन) अन्य अस्थिर जनता जिसमें सिविलियन जनता भी शामिल है और जो ऐसे स्कूलों में अपनाई गई केन्द्रीय अध्ययन पद्धति में दाखिला लेना चाहते हैं।

Implementation of Two-Year University Dregree Course in Madhya Pradesh

†5424. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have taken action to implement the two-year University Degree Course Scheme throughout the State from the current year ;

(b) whether the State Government have asked for any financial help from the Central Government on the basis of the new education scheme ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due ourse.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Halt at Gwalior on Bombay-Delhi Flight

5425. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration that the passenger aircraft on its flight between Bombay and Delhi should daily halt , for a few minutes, at Gwalior, which falls on the said route, to provide air travel facility to the passengers of that city ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No , Sir.

(b) : Does not arise.

भ्रष्टाचार के मामले

† 5427. **श्री भगवान दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 तथा 1968 के पहले पाँच महीनों में, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कितने मामलों में केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा खुली जाँच की गई ;

(ग) उनमें से कितने राजपत्रित अधिकारी हैं;

(ख) भारती सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा तथा भारतीय रेलवे सेवा के इस मामले से सम्बद्ध प्रत्येक अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(घ) उनके विरुद्ध क्या आदेश हैं; और

(ङ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई है और यदि हाँ, तो प्रत्येक मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जनवरी 1967 से मई, 1968 की अवधि में केन्द्रीय जाँच विभाग के विशेष पुलिस विभाग ने ऐसे 1127 मामले दर्ज किये थे जिनमें 1594 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे।

(ख) 1594 अधिकारियों में से 442 राजपत्रित हैसियत के थे।

(ग), (घ) और (ङ): चूँकि बहुत से मामलों पर जाँच-पड़ताल तथा विभागीय कार्यवाही अभी होनी है अतएव नाम व पदों को प्रकाशित करना वांछनीय नहीं होगा।

ये अभियोग अवैध परितुष्टि, सरकारी हैसियत का दुरुपयोग, जानकार आय के स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना आदि।

पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या

5429. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी;

(ख) (1) अनुसूचित जातियों (2) अनुसूचित आदिम जातियों (3) मुसलमानों (4) नेपालियों की कुल जनसंख्या कितनी थी;

(ग) गत दस वर्षों में पश्चिमी बंगाल सरकार की सेवा में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(घ) गत दस वर्षों में (1) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों (2) कितने मुसलमानों (3) अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों तथा (4) कितने नेपालियों को रोजगार दिया गया था?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या 1961 में जनगणना के आधार पर अनुमानित और 1966 में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा न्यादर्श जनगणना से से परिकलित वृद्धि के अनुसार लगभग 4 करोड़ 20 लाख थी।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों, मुसलमानों और नेपालियों की इसी आधार पर अनुमानित कुल जन संख्या 31 दिसम्बर, 1967 को लगभग इस प्रकार थी :–

(i) अनुसूचित जातियां	8,297,000
(ii) अनुसूचित आदिम जातियां	2,473,000
(iii) मुसलमान	8,411,000
(vi) नेपाली	631,000

(ग) और (घ) यथासम्भव सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राज-भाषा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये धनराशि

5430. श्री वीरभद्र सिंह : श्री शि० ना० शास्त्री :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले निगमों और समवायों को राज-भाषा अधिनियम की क्रियान्विति के लिये धन के नियतन के लिये वित्त मंत्रालय से मांग करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी, हां ।

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय का ज्ञापन संख्या 2/29/68-ओ० एल० दिनांक 6 जुलाई, 1968 पुस्तकालय में रखा दिया गया । [देखिये संख्या एल० टी० 1877/68]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये डगलस डी० सी 9 विमान

5431. **श्री वीरभद्र सिंह :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये डगलस डी० सी. 9 विमान खरीदने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन विमानों का मूल्य कितना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए पांच डी० सी० 9 40 विमानों को खरीदने की सिफारिश की है । कारपोरेशन के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों द्वारा भारतीयों का अपहरण

5432. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों ने कितने भारतीयों का अपहरण किया ;

(ख) उनको रिहा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कितने मामलों में उनके प्रयत्न सफल रहे ; और

(घ) उनमें कितने भारतीय अभी पाकिस्तान की हिरासत में हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) : जहां तक पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके बारे में सूचना निम्नलिखित है :

1 जनवरी, 1968 से 31 जुलाई, 1968 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों ने 21 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया । इन सब मामलों में विभिन्न स्तरों में पाकिस्तान के अधिकारियों और राजनयिक स्तर पर विरोध-पत्र दिया गया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपहृत भारतीयों को शीघ्र लौटाने की व्यवस्था करें ।

इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अपहृत 21 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति वापिस आ गये हैं और बाकी 11 अभी तक पाकिस्तान के हिरासत में हैं । उनको रिहा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यूगोस्लाविया से तेलवाहक जहाज

† 5433. **श्री एस०आर० दामानी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तेल शोधक कारखाने के एकमात्र प्रयोग के लिए यूगोस्लाविया की एक फर्म को दो नये तेल वाहक जहाजों का आर्डर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत के पास कितने तेलवाहक जहाज हैं, उनकी टन भार क्षमता कितनी है और पिछले दो वर्षों में प्रत्येक तेलवाहक जहाज द्वारा कितना तेल लाया ले जाया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : जी हाँ ।

भारतीय जहाज निगम ने जून, 1967 में भारत-यूगोस्लाविया ऋण करार के अन्तर्गत दो तेल वाहक जहाज, जिनका प्रत्येक का भार 77, 000/88,000 डी० डब्लयू० टी० और मूल्य 654 लाख रुपये है, का आर्डर यूगोस्लाफिया को दिया है, इन तेलवाहक जहाजों की भुगतान की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

संविदा के हस्ताक्षर के लागत का $7\frac{1}{2}\%$

माल छुड़ाई का $7\frac{1}{2}\%$

भुगतान की शेष राशि जो कि कुल लागत का 85% है उसके 3% वार्षिक व्यय के के साथ 18 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जायेगा ।

ये तेल वाहक जहाज मई और दिसम्बर, 1969 को पहुँचने वाले हैं ।

(ग) भारतीय जहाज कम्पनी के पास इस समय 10 तेल वाहक जहाज हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

संख्या	तेल वाहक जहाज का नाम	डी० डब्ल्यू० टी०
(एक)	एक० टी० रत्नजयश्री	53061
(दो)	एम० टी० अदी जयंती	33015
(तीन)	एम० टी० बिक्रम जयंती	54816
(चार)	एम० टी० देश बन्धु	34294
(पांच)	एम० टी० लाजपत राय	48437
(छः)	एम० टी० देश आलोक	16730
(सात)	एम० टी० देश दीप	11226
(आठ)	एम० टी० देश सेवक	16070
(नौ)	एम० टी० जग ज्वाला	16010
(दस)	एम० टी० दीपक	15000

ये सभी तेलवाहक जहाज या तो विदेशी तेल कंपनियों को अथवा भारतीय तेल निगम को किराए पर दिए गए हैं और इनसे प्रति वर्ष 6.66 करोड़ रुपये किराए के रूप में मिलता है जो कि उनके द्वारा कमाया हुआ विदेशी मुद्रा कमाई / बचत है, जहां तक इन तेल वाहक जहाजों का पिछले 20 वर्षों से तेल की मात्रा ले जाने का प्रश्न है तो इसके बारे में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है, विशेषकर क्योंकि कुछ तेलवाहक जहाजों का प्रयोग विदेशी चार्टर द्वारा भारत के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लेन-देन में किया जा रहा है।

दिल्ली में ब्लैक आउट या अभ्यास

5434. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के दूसरे क्षेत्रों में ब्लैक आउट का अभ्यास करने के क्या कारण थे;

(ख) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इस अभ्यास से इन क्षेत्रों पर वांछित प्रभाव हुआ है;

(ग) क्या इस प्रकार के अभ्यास नियमित अवकाश के पश्चात् चलते रहेंगे और

(घ) सिविल रक्षा के बारे में किये जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० रामास्वामी) :

(क) अभ्यास का उद्देश्य इस प्रकार था :—

(i) नागरिक सुरक्षा संगठन और उसके उपकरण की जांच करना,

(ii) सर्व साधारण नागरिक सुरक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करना और

(iii) जनता को ब्लैक-आउट परिस्थितियों तथा नागरिक सुरक्षा की अन्य आवश्यकताओं के लिये अभ्यस्त करना।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) ऐसे अभ्यास नियतकालिक होंगे।

(घ) नागरिक सुरक्षा उपायों में 12 सेवाएं नामतः हैडक्वार्ट्स, वार्डन, हताहत, बचाव, संचार, प्रावेक्षण, डिपो तथा परिवहन, कल्याण, शव निपटान, उबारण, प्रशिक्षण तथा अग्नि-शमन शामिल हैं तथा इस सब का ध्यान रखा जा रहा है।

मिजो पहाड़ियों में विमानों से खाद्यान्न पार्सल गिराने से मृत्यु

5435. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जुलाई, 1967 को मिजो पहाड़ियों में विमानों के गिराये गये खाद्यान्न पार्सलों से कुछ असैनिक व्यक्ति हताहत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति जख्मी हुए और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या विमानों से खाद्यान्न पार्सल गिराने के बारे में लोगों को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी; और

(घ) क्या प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क), (ख), (ग) और (घ) 26 जुलाई, 1968 को मिजो पहाड़ियों में विमानों से गिराई खाद्य रसद को गिराते समय एक गट्ठा तेज हवा के कारण गिराने वाले स्थान से दूर पास की कुछ झोपड़ियों पर जा गिरा। दुर्घटना के फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और चार घायल हुए। क्षेत्र में एक भवन को भी आंशिक रूप में क्षति पहुँची। प्रभावित व्यक्तियों तथा परिवारों को उदार अनुदान तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जा रही है।

Infiltration of Anti-National Elements Into Border Areas

5436. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the extent to which our Jawans have succeeded in checking the infiltration of anti-national elements into our border areas, keeping in view the security of our Western Borders of Rajasthan, Punjab, Gujarat and Kashmir and also in view of the previous attack launched by Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As a result of various measures taken for the prevention of infiltration of anti-national elements into our border areas, effective check on such infiltration has been brought about.

राजनैतिक दलों की सहायता

5437. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन से राजनैतिक दल हैं जिन्हें विदेशी शक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है; और

(ख) प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से प्राप्त हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पिछले आम चुनावों में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाई गई विदेशी मुद्रा के बारे में गुप्तवार्ता विभाग की रिपोर्ट की अभी परीक्षा की जा रही है।

विश्व प्रताप नामक भारतीय भारवाहक जहाज को क्षति

† 5438. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व प्रताप नामक भारतीय भारवाहक जहाज 16 मई, 1968 को जापान की इचीनोहा बन्दरगाह में जमीन में धंस गया था;

(ख) क्या सम्पूर्ण चालक समूह बचा लिया गया था ;

(ग) इस दुर्घटना से कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति नियुक्त की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवाहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ, 16 मई, 1968 (प्रातः) को ज्वार-भाटा के दौरान भूकंप के परिणामस्वरूप 'विश्व प्रताप' इचीनोहा बन्दरगाह में अपना नौबन्ध को तोड़कर बन्दरगाह में बह गया और फिर जमीन में धंस गया था,

(ख) जी, हां।

(ग) दुर्घटना के कारण हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया हुआ है :—

(एक) मरम्मत की लागत	यान 1.94.008,110
(दो) माल ढोने का व्यय	यान 19,968,400
(तीन) माल की क्षति (अनुमानित 1824 टन उर्वरक)	यान 39,135,818
	कुल यान 253,112,328 अथवा रुपये 52,73,174-00 (अनुमानित)

(घ) और (ङ) चूंकि यह साफ जाहिर था कि दुर्घटना दैवी प्रकोप के कारण हुई थी अतएव कोई जांच समिति की स्थापना नहीं की गई थी।

महिला पर्वतारोहियों द्वारा हिमालय पर्वत की कैलाश चोटी पर चढ़ना

5439. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला पर्वतारोहियों का एक दल हाल ही में हिमालय पर्वत की कैलाश चोटी पर चढ़ने में सफल हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ये महिलाएं किस-किस देश की थीं और इस अभियान का आयोजन किसने किया था ;

(ग) इस अभियान दल का नेता कौन था; और

(घ) क्या निकट भविष्य में विदेशों से इसी प्रकार के अभियानों की आशा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां। इंडो-जापानी महिला अभियान, 1968, के सस्दयों ने 13 मई 1968 को हिमाचल प्रदेश के चम्बा क्षेत्र कैलाश शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी ।

(ख) इस अभियान में 4 जापानी लड़कियां और 6 हिंदुस्तानी लड़कियां थीं। यह अभियान भारतीय परवतारोहण प्रतिष्ठान और जापानी अलपाइन क्लब टोकियो द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। इस अभियान की व्यवस्था भारतीय परवतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी।

(ग) एक भारतीय लड़की कुमारी नन्दिनी पटेल ने इस अभियान का नेतृत्व किया।

(घ) जी, हां। आऊटवर्ड बाउंड माउंटेन स्कूल, कम्बरलैंड (इंगलैंड) से 1968 के बसन्त ऋतु के दौरान एक भारत-ब्रिटिश संयुक्त अभियान के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारतीय परवतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

कलकत्ता साप्ताहिक 'नाउ" के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विज्ञापन

5440. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**   **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री के० कृ० दास चोधरी :   **श्री रवि राव :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा पत्रिकाओं को विज्ञापन किस आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) क्या कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "नाउ" को कोई विज्ञापन दिये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस साप्ताहिक को विज्ञापन देना कभी बन्द कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर और यदि विज्ञापन पुनः देने आरम्भ कर दिये गये हैं, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक स्वायत्त संगठन के रूप में इण्डियन एयरलाइन्स विज्ञापनों के विषय में अपने निर्णय स्वयं करते हैं। उन्होंने सूचित किया है कि वे विज्ञापन बिक्री की अभिवृद्धि अथवा जन-संपर्क के दृष्टिकोण से विविध समाचार पत्र-प्रकाशनों से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर उन पत्रों को भेजते हैं। किसी समाचार-पत्र अथवा पत्रिका को चुनते समय उसके प्रसारण एवं लेखों के स्तर के अलावा उसके पाठकों के प्रकार की ओर भी उचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 1967 में एक विज्ञापन कलकत्ता की 'नाउ' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को उसके वार्षिक अंक में प्रकाशन के लिये भेजा था।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स के कथनानुसार उन्होंने इस साप्ताहिक पत्रिका को विज्ञापन देना बंद करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में तैरने का तालाब

5441 **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेशनल स्टेडियम/नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, नई दिल्ली में हाल ही में एक तैरने का तालाब खोला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता को तैरने के तालाब का उपयोग करने की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो किस श्रेणी के लोगों को तैरने के तालाब का उपयोग करने की अनुमति है ; और

(घ) यदि जनता को अनुमति नहीं है, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)

(क) यह तालाब 17 जून, 1968 को खोला गया था।

(ख) यह तालाब साधारण जनता के लिए नहीं खुला है।

(ग) (एक) 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए,

(दो) शैक्षणिक संस्थाएं,

(तीन) होनहार तैराकों के लिए, और

(चार) तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए।

(घ) चूंकि बच्चों, होनहार तैराकों और शैक्षणिक संस्थाओं को तैरने के तालाब का प्रयोग करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है और उनकी मांगों को पूरा करने के बाद

कोई अतिरिक्त स्थान नहीं बच पाता है अतएव साधारण जनता के लिए यह तालाब उपलब्ध करना सम्भव नहीं है।

सिलचर हवाई अड्डा

5443. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर हवाई अड्डे का विस्तार किये जाने और वहां रात को विमान उतारने की व्यस्वथा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर आगामी शरद् ऋतु में कार्य आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) क्या सिलचर-गोहाटी क्षेत्र अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कलकत्ता–गोहाटी-सिलचर मार्ग पर वाइकांउट सेवा को सिलचर तक बढ़ाने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सिल्चर (कुम्भीग्राम) हवाई अड्डे के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, इस हवाई अड्डे पर इस समय उपलब्ध रात्रि अवतरण सुविधा (अर्थात् गूजनेक फ्लेयर्स) के बदले आवश्यक उपस्कर मिलते ही जिसका कि पहले ही आर्डर दिया जा चुका है, विद्युत धावन-पथ रोशनियां लगा दी जायेंगी। इस कार्य के समय-क्रम को निर्दिष्ट करना अभी इस स्थिति में संभव नहीं है।

(ग) सिलचर-गोहाटी सेक्टर पर वहन किये गये यात्रियों की संख्या पिछले एक वर्ष से लगभग एक–सी रही है।

(घ) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स इस समय गोहाटी-सिलचर सेक्टर पर स्काईमास्टर किस्म के विमान से सप्ताह में तीन सेवाएं चला रही है। 1.11.68 से शुरू होने वाली आगामी शीतकालीन समय-सूची के अनुसार उनका एफ- 27 विमान से इस सेक्टर पर सप्ताह में चार सेवाएं परिचालित करने का विचार है जो कि इस बीच यायायात में हुई किसी भी वृद्धि के लिए पर्याप्त होंगी।

विदेशी पर्यटक

5444. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत आये तथा पिछले वर्ष इस अवधि में उन पर्यटकों की संख्या क्या थी; और

(ख) देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1967 के 6 महीनों में भारत आये 80,865 विदेशी यात्रियों के मुकाबले में इस वर्ष की इसी अवधि में अनुमानतः 88,598 विदेशी यात्री भारत आये।

(ख) एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1878/68]

दिल्ली में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण पर विद्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क

†5445. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण पर विद्यार्थियों को विद्या फीस, खेल शुल्क तथा अन्य फीसें दूसरे स्कूल में पुनः देनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों को उन स्कूलों में भी खेल शुल्क देना पड़ता है, जिनमें न तो खेल के मैदान हैं; और न ही खेल का कोई समय ही निर्धारित होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि वहां पर खेल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं किन्तु फिर भी खेल शुल्क लिया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : दिल्ली शिक्षा संहिता के उपबन्धों अनुसार शुल्क और फंड वसूल किए जाते हैं । जो खेल-शुल्क स्कूल में वसूल किए जाते है उनका उपयोग विभिन्न अनुमोदित शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधि, खेलकूद आदि के लिए किया जाता है, जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं वहां विद्यार्थियों को खेल के समान दिए जाते हैं, जिससे कि वे खुले स्थान में, जो उनके पहुँच के भीतर हैं, अथवा शिक्षा निदेशक, दिल्ली द्वारा प्रदत्त मैदानों में अथवा किराए में लिए गए खेल के मैदान में खेल सकें। छोटे स्थानों में खेलने की भी सुविधाएं दी जाती हैं ।

Non-Disbursement of Scholarship to H. P. Students in Delhi Pelytechnic

5446. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the students of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh studying in the Polytechnic institutes in Delhi are getting scholarships on the recommendations of their respective States when no recommendation letters are received from the Governments of Himachal Pradesh and other States as a result of which the students of these States studying in the capital are deprived of the scholarships ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to exchange correspondence in this regard with the Governments of Himachal Pradesh and other States to ensure that the students of these States studying in Delhi are not deprived of the scholarships ; and

(d) the names of the State Governments from which recommendation letters have been received during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : Two categories of scholarships are awarded to the students studying in Polytechnics in Delhi :—

(i) Merit and Merit-Cum-Means Scholarships awarded by the Delhi Administration; and

(ii) Government of India Post-Matric Scholarships for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other low-income groups

Scholarships under the first catogory are awarded according to the eligibility conditions prescribed without any reference to the Governments of the States to which the students belong.

The second category of scholarships are awarded by the State Governments concerned on the basis of the applications received from the polytechnic students, Payment of the scholarships is made by the State Governments through the Polytechnics. No recommendatory letters are needed for these scholarships from the State Gouernments concerned.

Sanction of such scholarships has been received from the Governments of Punjab, Haryaua, U. P. and Himachal Pradesh for their respective students studying in polytechnics in Delhi.

(c) In view of the position explained in reply to Parts (a) & (b), this issue does not arise.

(d) Sanction of Government of India Post-Matric Scholarships for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other low income Groups has been received from the Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for their respective students studying in polytechnics in Delhi.

सांख नदी पर पुल

5449. श्री कार्तिक उराव : क्या परिवाहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची जिले में गुमला से लगभग 18 मील की दूरी पर सांख नदी पर एक पुल के द्वारा गुमला-जसपुर को मिलाने का कोई प्रस्ताव है जिससे बिहार और मध्य प्रदेश मिल जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बिहार और मध्य प्रदेश के बीच इस महत्वपूर्ण पुल को बनाने की आवश्यकता पर विचार करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जीं, हां। तो मई, 1954 में अनुमोदित अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व वाली राज्य सड़कों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश की जसपुर नगर-गुमला सड़क के सुधार कार्य जिसमें सांख नदी पर पुल के निर्माण का कार्य भी शामिल है, के कुल अनुमानित व्यय (20 लाख रुपये) का दो-तिहाई भाग पूरा करने के लिये 13.34 लाख रुपये का सहायक अनुदान देने का प्रस्ताव किया।

(ख) और (ग) : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सांख नदी पर बांध बनाने के सुझाव के कारण, इन वर्षों में पुल निर्माण का कार्य नहीं हो सका। अभी हाल में ही बिहार सरकार से यह सूचना मिली है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जल विद्युत परियोजना को न तो चौथी योजना में और न ही अगली योजना में बना रहा है और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को परिवर्तित स्थिति के बारे में सूचना दी है तथा यह विनती की है कि आसाम में निर्मित मार्ग-रेखा को अपनायें और उसमें सांख नदी के पुल के स्थान को भी समिलित कर लें बिहार सरकार से 14 मार्च, 1968 को निवेदन किया गया था कि वे इसकी पुष्टि कर लें कि जल विद्युत परियोजना के बाद में बनाने की स्थिति में तथा जिसके परिणामस्वरूप सड़क की मूल मार्ग-रेखा पर सांख नदी पर बनाये गये पुल तथा इसके पुल और सड़क तक जाने के मार्गों के जलाशय के जल में डूब जाने की स्थिति में जलविद्युत अधिकारी एक सुनिश्चित स्थान पर दूसरे पुल के निर्माण तथा उस स्थान के पहुँच मार्गों की लागत को सहन करने के लिये तैयार होंगे। इसकी पुष्टि तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश सरकार को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है और यह परामर्श दिया गया है कि वे इस मामले को बिहार सरकार से सीधे रूप में तय कर लें।

जलपाई गुड़ी के चाय बागान क्षेत्र में स्कूलों की कमी

5450. श्री कार्तिक उराव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान क्षेत्रों में, जहां कुल संख्या में से 80 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है, हिन्दी माध्यम स्कूलों की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण आदिवासियों को मिशन स्कूलों में दाखिला लेना पड़ा है और उन्होंने ईसाई धर्म धारण कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो चाय बागान क्षेत्रों के आदिवासियों को उनकी पसन्द की शिक्षा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी पं० बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है तथा इसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पर्यटन पर पूंजी विनियोजन

5451. श्री कार्तिक उरावं : पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों के दौरान पर्यटन पर प्रतिवर्ष कितना धन लगाया गया ;

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी-मुद्रा की कमाई हुई ; और

(ग) वर्ष 1968-69 के लिये कुल कितना आबंटन है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1874/68]

मध्य प्रदेश में भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्ज के कर्मचारियों का वेतन

5452. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में भारत स्काउट्स एंड गाइड्ज् के कर्मचारियों को पिछले आठ/नौ महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बकाया वेतन तुरन्त दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

जामिया मिलिया के विरुद्ध आरोप

5453. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अगस्त, 1968 के 'आर्गेनाइजर' में जामिया मिलिया के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) इसी प्रकार के आरोपों की जो पहले भी प्राप्त हुए थे, जांच की गई थी और उन्हें निराधार पाया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर

5455. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर (आसाम) के शासी बोर्ड ने कालेज के भवन के लिये आये टैंडरों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किसको काम दिया गया है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है और उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोई भी टेंडर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि

वे सब के सब तकनीकी दृष्टि से खराब थे। कालज के अधिकारियों ने कम प्रवेश क्षमता तथा नये टेंडर आमंत्रित करने के लिये भवन की योजनाओं में संशोधन करने का निर्णय किया है।

(ग) भवन निर्माण का कार्य तब आरम्भ होगा जब कोई टेंडर स्वीकार किया जायेगा और काम सौंपा जायेगा।

मणिपुर में मंत्री की नियुक्ति

5456. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के मुख्य मंत्री ने इच्छुक दलों को संतुष्ट करने हेतु परिषद में एक पांचवां मंत्री अथवा और अधिक मंत्रियों की नियुक्ति के लिये सरकार को अनुमति देने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने के लिये हि० प्र० का सर्वदलीय विधायक प्रतिनिधि मंडल

5457. श्री एम० मेघचन्द्र : श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश से एक सर्वदलीय विधायक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से हिमाचल प्रदेश के पूरा राज्य बना देने वाली अपनी सर्वसम्मत मांग के बारे में भेंट की; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसे किसी प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री या गृह मंत्री से भेंट नहीं की।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

हाथरस में हत्या

5458. श्री बूटा सिंह : श्री राम सिंह आयरवाल :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य के पुत्र की अलीगढ़ जिले में हाथरस में 26 जुलाई, 1968 को 10 बजे म० प० हत्या की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है।

(ग) क्या यह भी सच है कि मृत व्यक्ति के पिता ने उत्तरप्रदेश के गृह विभाग को कई बार लिखा था कि किसी राजनैतिक शत्रु के कारण उनका तथा उनके परिवार के सदस्यों का जीवन खतरे में था ;

(घ) यदि हां, तो आने वाले चुनावों को विशेष रूप से देखते हुए ऐसी राजनैतिक हत्याओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उस मामले की जांच करने के लिये वहां केन्द्रीय अपराध जांच विभाग के अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है और यदि हां, तो उनकी प्रार्थना पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नागला नाई पुलिस स्टेशन, हाथरस के श्री तुलसी प्रसाद के पुत्र, श्री चन्द्रपाल नामक एक हरिजन युवक की 26 जुलाई, 1968 को हत्या की गई थी ।

(ख) सूचना मिलने के तुरन्त बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और जांच-कार्य आरम्भ किया गया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज तीनों व्यक्तियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं ।

(ग) राज्य सरकार को व्यक्ति के पिता से ऐसी कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उसके अपने जीवन तथा उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरों का आरोप लगाया गया हो ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ङ) जी, हां । राज्य सरकार की सलाह से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कूच बिहार के निकट नाव दुर्घटना

5459. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जुलाई, 1968 को कूचबिहार जिले में कूचबिहार नगर के निकट टोरशा नदी में एक नाव, जिसमें 70 यात्री थे, उलट गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ग) इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इन व्यक्तियों के परिवारों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तोरशा नदी के आर-पार फासी घाट, कूचबिहार नगर से सूक्तवाड़ी घाट को अनुमानतः 55 व्यक्ति ले जाते हुए एक नौका कूच बिहार की ओर के तट से 15 गज की दूरी पर उलट गई ।

(ख) एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है । इसके अतिरिक्त तीन व्यक्ति लापता हैं और अनुमान किया जाता है कि वे डूब गये हैं ।

(ग) नाव तोरशा नदी में तेज प्रवाह के कारण उलट गई थी।

(घ) दुर्घटना में मृत्य व्यक्ति के परिवार को मुफ्त राहत दी गई है।

एयर इंडिया द्वारा नये विमानों की प्राप्ति

5460. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री सीता राम केसरी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर-इंडिया अपने विमान, बेड़े के लिये नए विमान प्राप्त कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो अगले पाँच वर्षों के लिये इनके प्राप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम हैं ;

(ग) इस प्रकार विमानों को प्राप्त करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : एयर इंडिया ने यू० एस० ए० की बोइंग कम्पनी को एक बोइंग 707-320-सी विमान की खरीद के लिये जिसका कि अगस्त, 1968 में वितरण किया जाना है तथा दो बोइंग 747 विमानों की खरीद के लिये, जिसका कि 1971 में वितरण किया जाना है, आदेश दिये हैं। इन विमानों की खरीद के लिये 6·950 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा की मात्रा अपेक्षित होगी। एयर-इंडिया ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो और बोइंग 747 विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। परन्तु सरकार अभी इस पर विचार कर रही है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

5462. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र बनने से ले कर अब तक उसके शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभागों में पंजाब तथा हरियाणा से कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

शिक्षा विभाग	पंजाब	हरियाणा
(1) संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना के समय	536	422
(2) 1-11-66 से	84	46
स्वास्थ्य विभाग		
(1) संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना के समय	136	96
(2) 1-11-66 से	14	13

चंडीगढ़ के अध्यापकों का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण

5463. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में काम करने वाले बहुत से अध्यापकों को जुलाई,

1968 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जब कि सामान्य तबादले अप्रैल, 1968 में किये जा चुके थे ;

(ख) यदि हां, तो उन अध्यापकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनका तबादला किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चन्डीगढ़ में पुरानी पुस्तकें पढ़ाई जाना

5464. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सामाजिक अध्ययन और भूगोल की पुस्तकों में अभी भी पंजाब की क्षेत्रीय सीमाएँ वही दिखाई गई हैं जो पंजाब के पुनर्गठन से पूर्व थीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो पुरानी पुस्तकों में संशोधन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)

(क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

5465. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसूर प्रदेश कांग्रेस द्वारा की गई इस चेतावनी की ओर दिलाया गया है कि यदि महाजन आयोग के पंचाट को बिना किसी और विलम्ब के क्रियान्वित नहीं किया जायेगा, तो सारे मैसूर राज्य में व्यापक अशांति और हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस झगड़े को यथाशीघ्र निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

एस डी० एम० सदर (त्रिपुरा) का अनाचार

5466. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बीरेन दत्त (साम्यवादी दल-मार्क्सवादी) ने पश्चिम त्रिपुरा चुनाव क्षेत्र से लोक-सभा के कांग्रेसी संसत्सदस्य श्री जोगेन्द्र कुमार चौधरी के विरुद्ध चुनाव मुकदमा दायर किया है ;

(ख) क्या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त ने श्री जोगेन्द्र कुमार चौधरी के विरुद्ध चुनाव को रद्द कर दिया है तथा नये चुनाव का आदेश दिया है ;

(ग) क्या न्यायिक आयुक्त ने अपने 11 जून के अधिमत में सदर के तत्कालीन एस० डी० एम० श्री एस० आर० चक्रवर्ती का चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रति उनकी सेवा के लिये विशेष रूप से नाम लिया है;

(घ) क्या जनवरी-फरवरी, 1967 के दौरान, त्रिपुरा सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक व्यय किया जिसको कि न्यायिक आयुक्त ने सामान्य खर्च स्वीकार नहीं किया ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्याय-निर्णय के आधार पर सदर के एस० डी० एम० तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, एक निर्वाचन याचिका, न कि मुकदमा, दायर किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

(घ) इस बात की सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि त्रिपुरा सरकार द्वारा निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिप अभी प्राप्त नहीं की गई है ।

(ङ) इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च नयायालय में श्री चौधरी द्वारा एक अपील दायर की गई है और उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः इस दशा में मामले में आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रि-परिषद के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

5467 **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशानिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के कार्यकरण के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उस रिपोर्ट में औद्योगिक विकास मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के विलय का सुझाव दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी 20 जुलाई, 1968 को आर्थिक प्रशासन पर सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने वाणिज्य तथा उद्योग के विषयों को मिला कर केवल एक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सुझाव दिया है । यह रिपोर्ट परीक्षाधीन है ।

Suspension of Shri Shisir Kumar Lal former Collector in Bihar for misuse of Government property

5468. **Shri Surendranath Dwivedy : Shri S. M. Joshi : Shri Shreedharan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1967, the former Revenue Minister of Bihar had ordered the suspension of Shri Shishir Kumar Lal, the then Collector of Hajipur and present Under Secretary, Police-Political, Bihar for grave offence of misuse of property worth lakhs of rupees of Bihar Government in Patepur Sector in Muzaffarpur District in Bihar State ;

(b) whether it is also a fact that the former Deputy Chief Minister and Chief Minister of the State had also ordered the suspension of the above officer on the 17th January, 1968 ; and

(c) if so, the propriety of not implmenting the suspension orders so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The then Revenue Minister had recommended suspension of Shri Shishir Kumar Lal for irregularities in rent fixation cases of Patepur in the year 1957 when Shri Lal was posted as L. R. D. C. there. Shri Lal's suspension was also recommended to the Chief Minister by the then Deputy Chief Minister on January 26, 1968. The Chief Minister approved of the recommendation on 27-1-1968.

(c) The United Front Government fell on the 25th January, 1968, and all the decisions taken after that date were placed before the successor Government for review. On 16th February, 1968, the Successor Chief Minister ordered that Shri Lal's explanation should be obtained first and only after examining the same final decision should be taken as the matter was too old being of 1957, and no explanation had been obtained from Shri Lal. His explanation has since been reeceived and it is under examination of the State Government.

हिन्दी में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र

5469. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ऐसे उम्मीदवारों को विदेशों में भेजने का है, जिन्होंने हिन्दी में एम० ए० परीक्षा पास कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक विदेशों में भेजे गये हिन्दी में एम० ए० पास उम्मीदवारों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1967-68 की प्रतीक्षा सूची में दर्ज ऐसे उम्मीदवारों के नाम राज्यवार क्या-क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा विदेश में हिन्दी पढ़ाने के लिए सांस्कृतिक / हिन्दी अध्यापकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भारतीय इतिहास और संस्कृति पढ़ाने के लिए और जब कभी विदेशों से ऐसे व्यक्तियों के लिये मांग प्राप्त होती है तब हिन्दी पढ़ाने के लिए भेजा जाता है ?

(ख) परिषद् ने 3 सांस्कृतिक/हिन्दी प्राध्यापक और 4 विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भेजा है जो अभी विदेश में हैं; उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

सांस्कृतिक हिन्दी प्राध्यापक

(1) श्री महातम सिंह (सुरीनाम)

(2) श्री योगी राज (गायना)

(3) श्री हरिशंकर अदेश (त्रिनिदाद)

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर

(1) प्रो० एच० एन० रे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय (आस्ट्रेलिया)

(2) प्रो० आई० पी० पाडे, बुखारेस्ट विश्वविद्यालय (रूमानिया)

(3) डा० ए० पी० चांद, ज़गरेब विश्वविद्यालय (युगोस्लाविया)

(4) डा० एम० के० हलदार, वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय (त्रिनिदाद)

(ग) परिषद् सांस्कृतिक / हिन्दी प्रध्यापकों की सूची रखती है जो एक स्थायी चालू रिकार्ड है। राज्यवार या वर्षवार के आधार पर कोई सूची नहीं रखी जाती है। परिषद् के रजिस्टर में लगभग 239 ऐसे व्यक्ति हैं।

मद्रास में पूमपहा में भूतत्वीय तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं

5470. **श्री सुब्रावेलू :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में पूमपहा (कावेरी पूमपहीनम) में बड़े ऐतिहासिक महत्व वाली भूतत्वीय वस्तुएं पाई गई थीं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मुआवजा न दिए जाने के कारण खुदाई कार्य में बाधा पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास राज्य के गेस्ट हाउस को कार को तामिलनाड मुख्य मंत्री को लेने के लिये पालम हवाई अड्डे में न जाने दिया जाना

5471. **श्री दीवीकन :** **श्री मयावन :**

श्री सुब्रावेलू :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में तामिलनाड के मुख्य मंत्री को लेने के लिये मद्रास राज्य अतिथि-गृह की कार को पालम हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां ।

परिचालनात्मक सुरक्षा विषयक कारणों को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि कारों को अवाई अड्डे के प्रागंण (एप्रन) तक बहुत कम हालतों में जाने दिया जाय, तथा वह भी, परिस्थिति के मुताबिक, एस्कॉर्ट के साथ । जब मद्रास के मुख्य मंत्री 18 जुलाई, 1968 को पालम पहुँचे तो मौसम बहुत प्रतिकूल था, एवं यह तै किया गया कि एप्रन पर किसी प्राइवेट कार को न चलने दिया जाय ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन

5472. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची 3) की मद 20 अर्थात् आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की और जम्मू तथा काश्मीर की आयोजन प्रक्रिया में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में जम्मू तथा काश्मीर को अन्य राज्यों के समान करने और इस भेद भाव को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह प्रविष्टि जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये

5473. **श्री किरित विक्रम देववर्मन :** क्या गृह-कार्य मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने से लेकर उन्हें देश से निकालने तक अपनाई जाने वाली प्रकिया का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

भारत में घुसपैठ करने वाले गिरफतार किये गये पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और नियमों तथा विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये देश छोड़ो आदेशों के प्रति निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किये गये अभ्यावेदनों को विशिष्ट रूप से गठित न्यायाधिकरण के पास भेजा जाता है । सम्बन्धित व्यक्तियों को न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से उसी समय अवगत कराया जाता है जब ये निष्कर्ष देश छोड़ो आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते हैं । यदि न्यायाधिकरण द्वारा यह बताया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है तो देश छोड़ो आदेश को लागू किया

जाता है । यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है वह भारतीय नागरिक है तो देश छोड़ो आदेश रद्द कर दिया जाता है ।

S. S. P. Satyagraha in Uttar Pradesh

5474. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Governor of Uttar Pradesh had issued orders for the withdrawal of cases of all the Satyagrahis of Samyukt Socialist Party by the State and also of their release ;

(b) whether it is a fact that the District Officers of Pauri-Garhwal had received the said order on the 16th July, 1968 through a radiogram ;

(c) whether it is also a fact that the said District Officers defied the orders of the Governor and released the said Satyagrahis in the evening of the 20th July, 1968 and personal bonds for Rs. 500 were taken from them before their release ;

(d) whether the Governor had issued orders to the said District Officers to this effect:; and

(e) if not, the action taken against the said District Officers for this illegal act ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e) : The facts are being ascertained from the State Government and will be placed on the table of the House.

Non-recognition of the National Metallurgical Laboratory Workers Union

5475. **Shri K. Lakkappa :** **Shri Surendra Nath Dwivedy :**
Shri Lakhan Lal Kapoor :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great discontentment among the workers of the National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur as a result of their Union being not recognised ; and

(b) if so, the reasons for not according the recognition ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The National Metallurgical Laboratory Employees' Association which is registered as a Trade Union under the Trade Union Act, has made representations from time to time for the recognition of their Association.

(b) The Association has not been recognised by the Council of Scientific and Industrial Research since it does not conform to the norms laid down by the Government of India for recognition of such Associations.

ए और बी श्रेणी के स्कूलों की सहायता में अन्तर

5478. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा श्रेणी ए० और बी० के स्कूलों को दिये जाने वाले प्रति छात्र अनुदान की राशि में कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) ए० और बी० श्रेणी के क्रमशः कितने स्कूल हैं, उनमें क्रमशः कितने छात्र पढ़ते

हैं तथा उन्हें क्रमशः कितना अनुदान दिया जाता है ;

(घ) इन दोनों श्रेणियों के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम क्या हैं ; और

(ङ) ए० श्रेणी के स्कूलों को प्रतिछात्र वार्षिक अधिकतम कितना अनुदान दिया जा रहा है तथा श्रेणी बी० के स्कूलों को प्रतिछात्र वार्षिक न्यूनतम कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) : ये मामले मुख्य रूप से राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और अपेक्षित जानकारी भारत–सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर कालेज

5479. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय स्नातकोत्तर कालेज हैं तथा क्या उन कालेजों में दाखला लेने की इच्छुक प्रत्याशियों से कम स्थान हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणाम-स्वरूप प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश के बाहर के कालेजों में दाखला लेना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार की नीति उच्च शिक्षा प्राप्त करना रोकने की है और यदि नहीं, तो छात्रों को दाखला देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में एक और स्नातकोत्तर कालेज खोलने का है ताकि दाखला लेने के इच्छुक सभी छात्रों को दाखला दिया जा सके और यदि हां, तो यह किस तारीख तक खोला जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ऐसे तीन कालेज हैं और उनकी प्रवेश क्षमता उचित समझी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

Bridge Over River Ganga At Mirzapur

5480. **Shri Bansh Narayan Singh** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have sent any proposal to the Central Government for the construction of a bridge over the river Ganga in Mirzapur ;

(b) if so, whether this has been included in the Fourth Five Year Plan ; and

(c) if so, when the construction work would start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government would be primarily responsible for the construction of this bridge, as it would fall on a State road. They propose to include it in the State's new Fourth Five-Year Plan commencing from 1-4-69 and have asked for Central loan assistance for its construction. This request is at present being examined.

(c) After the project is included in the State's Fourth Plan and the estimate and design for the bridge have been approved by the State Government, tenders ill have to be invited by the State P. W. D. for the work. The construction of the bridge can start only after the contract for the work is awarded by the State Government.

Appointment in Public Library, Delhi

5481. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an official appointed for the time being in the scale of Rs. 400-680 in the Delhi Public Library was suspended and dismissed from his previous employment on charges of corruption;

(b) if so, the reasons for his appointment in the Library ;

(c) whether it is also a fact that he had not sent his application through proper channel from his office; if so, the reasons for not rejecting his application; and

(d) whether Government have received some written complaints against him and the action proposed to be taken by Government there on ?

The Minister of State for Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise,

(c) The candidate in question was not employed at the time of submitting his application for the post and therefore the question of his sending his application through any office did not arise.

(d) Govenment did receive a written complaint which was pseudonymous and which on examination was found to be baseless.

पंजाब के पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों का पुनर्वितरण

5482. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्मचारियों के पुनर्वितरण के बारे में समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मुख्य सचिवों की समिति की 53 विभागों के सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। लगभग तीन विभागों के बारे में सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा ।

(ख) और (ग) : 50 विभागों से संबंधित सिफारिशों पर निर्णय किये जा चुके हैं। अन्य विभागों से संबंधित सिफारिशों की राज्य सरकार के परामर्श में परीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली उच्च न्यायालय को मामलों के हस्तान्तरण

5483. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना के समय दिल्ली की अधीनस्थ सिविल अदालतों के समक्ष अनिर्णीत 25,000 रुपये से अधिक राशि वाले कितने मामले उच्च–न्यायालय को हस्तान्तरित हुए थे ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों में से 5 अगस्त, 1968 तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने कितने मामलों को निर्णय के द्वारा और कितने को समझौतों द्वारा निपटाया;

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना के दिन से 5 अगस्त, 1968 तक 25,000 रुपये से अधिक राशि के कितने मामले न्यायालय में दायर किये गये ; और

(घ) 5 अगस्त, 1968 को 25,000 रुपये से अधिक राशि वाले कितने मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निलम्बित थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 822 मामले ।

(ख) निर्णय द्वारा निपटाये गये वाद ---212
समझौते द्वारा निपटाये गये वाद -- 27

(ग) 950 मामले ।

(घ) 1302 मामले ।

मध्य प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

5484. श्री स० चं० सामन्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की शिक्षा पद्धति के स्थान पर फिर पुरानी पद्धति आरम्भ कर दी है और अब उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम हाई स्कूल स्तर तक सीमित है तथा डिग्री पाठ्यक्रम बढ़ा कर चार वर्ष का कर दिया गया है ;

(ख) क्या तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पद्धति संतोषजनक साबित नहीं हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा फिर पुरानी पद्धति अपनाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विकासशील देशों में पुस्तकों का अभाव

5486. श्रीमती तारा सप्रे : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एशियाई महाद्वीप में पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि विकासशील देशों में इस समय पुस्तकों की बहुत कमी हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है कि भारत में भी ऐसी ही स्थिति हैं और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ ।

(ख) कुछ हद तक ।

(ग) पुस्तकों की कमी दूर करने के लिये भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है :—

(1) सभी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में देश में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये मार्ग-निर्देशन नियम निर्धारित करने के लिये राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड (नेशनल बुक डेवलपमेंट बोर्ड) स्थापित किया गया हैं ।

(2) अनेक विदेशी सरकारों के सहयोग से अमेरिका, यू० के०, तथा रूस से निकलने वाली अच्छे स्तर की पुस्तकों को पुन: छाप कर विद्यार्थियों के लाभ के लिए सस्ती कीमत पर उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(3) सस्ते कीमतों पर भारतीय लेखकों की पुस्तकों को पुनः छापने के लिये भारतीय प्रकाशकों को सहायता देने के लिये सीमित कार्यक्रम है ।

(4) देश में प्रकाशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अगली योजना अवधि के लिये बजट में पाँच करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया हैं ।

(5) जर्मनी संघ गणतन्त्र सरकार द्वारा कम्पोजिंग, पुनरुत्पादन, मुद्रण, जिल्दसाजी आदि की आधुनिक मसीनरी तथा उपकरण वाली तीन मुद्रण प्रेसों को देने के लिये किये गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है । इन प्रेसों को मैसूर, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ में स्थापित किया जायगा तथा इनका उपयोग स्कूल की पुस्तकों तथा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में अन्य शैक्षिक साहित्य को छापने के लिये किया जायेगा ।

(6) शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिये भारतीय भाषाओं में साहित्य के उत्पादन के लिये एक योजना बना रही है इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार स्वदेशी पुस्तकें तैयार करने के लिये राज्यों को व्यय की गई राशि के 75 प्रतिशत के आधार पर सहायता देने का प्रस्ताव है ।

(7) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पास की पाठ्य पुस्तकें तथा स्कूलों के लिये अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार करने का विस्तृत कार्यक्रम है ।

बड़ौदा हवाई अड्डा

5487. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा हवाई अड्डे में नई हवाई पट्टियों के निर्माण तथा मरम्मत के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस हवाई अड्डे की मरम्मत के काम पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ;

(ग) क्या यह मरम्मत कार्य किसी राज्य अभिकरण को दिया गया है अथवा उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर रहा है ; और

(घ) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) बड़ौदा हवाई अड्डे के मुख्य धावन-पथ का ग्रेड परिवर्तन किया जा रहा है तथा उसे अधिक सशक्त किया जा रहा है । लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) लगभग 25.70 लाख रुपये।

(ग) निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

(घ) फरवरी, 1969 तक।

गुजरात में पर्यटन

5488. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पर्यटन के विकास के लिये गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की गई योजनाओं की संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में किन योजनाओं को आरम्भ किया जायगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : गुजरात में पर्यटन के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू की गयी स्कीमों तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित स्कीमों को दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1880/68]

गुजरात में पर्यटन केन्द्र

5489. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलेवार कितने पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र में पर्यटकों के आकर्षण की क्या-क्या चीजें हैं;

(ग) क्या सरकार गुजरात में ऐसे केन्द्रों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या उनमें बड़ौदा जिले के पावागढ़ तथा चम्पानेर स्थानों को शामिल करने का सरकार का विचार है क्योंकि वहां एक ऐतिहासिक किला है, जिसमें चारों ओर प्राकृतिक छटा भी दर्शनीय है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए स्थानों का चुनाव जिलेवार नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत पर्यटक आकर्षणों, उनकी सुगम्यता और पर्यटकों द्वारा उन्हें दी गयी तरजीह के आधार पर किया जाता है। गुजरात में पर्यटन केन्द्रों की सूची जहां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सुविधायें प्रदान की गई हैं और चौथी योजना अवधि के दौरान प्रदान करने का विचार है, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1881/68)

(घ) जी, नहीं ।

शास्त्री तथा आचार्य की डिग्रियों को मान्यता

5490. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शास्त्री तथा आचार्य की डिग्रियों को क्रमशः बी० ए० और एम० ए० के बराबर मान्यता किन राज्यों ने दी है ;

(ख) किन राज्यों ने उपर्युक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लेने से बाद भी शास्त्री तथा आचार्य के डिग्रीधारियों को वह वेतनक्रम नहीं दिये हैं जो कि इस समय क्रमशः बी० ए० और एम० ए० के डिग्रीधारियों को दिए जाते हैं ;

(ग) शास्त्री और आचार्य के डिग्रीधारियों को अधिक वेतन-क्रम न देने के लिये राज्य सरकारों ने क्या कारण बताए हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) : सूचना राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र की सरकारों/प्रशासनों से एकत्र की की जा रही है ।

ति पति हवाई अड्डा

5491. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आन्ध्र प्रदेशों में तिरुपति में एक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस हवाई अडडे पर कितनी लागत आने का अनुमान है और कब तक उसके चालू हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डनन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) इस संबन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) भूमि की तथा पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) के निर्माण की लागत को छोड़कर लगभग 33 लाख रुपये ।

चूंकि हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इसके चालू होने की तारीख का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का विकास

5492. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1968-66 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1968-69 के लिये सुझाये गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) माननीय सदस्य के मस्तिष्क में शायद कुछ कार्य सम्बन्धी बात है जो वर्ष 1968-69 के लिये राज्य सरकार के बजट प्रस्तावों में शामिल है।

(ख) इस कार्य में एक तो वह कार्य शामिल हैं जिनका भारत सरकार ने पहले ही अनुमोदन किया है, तथा नये कार्यों में सड़कों, पुलों, सेतुओं तथा अन्य जल निकास कार्यों के निर्माण अथवा सुधार का काम शामिल है। मंजूरी प्राप्त-कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च 89.95 लाख रुपये का था तथा नये कार्यों के लिये 71.78 लाख रुपये का।

(ग) अनुमोदित कार्यों के खर्च के लिये 40 लाख रुपये के आबंटन की मंजूरी संभव हुई है। नये कार्यों के लिये कोई आबटन मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक आन्ध्र प्रदेश में किसी भी ऐसे कार्य के लिये मंजूरी नहीं दी है।

इंडिया एयरलाइन्स के विमानों द्वारा सीटों का आरक्षण करने से इन्कार करना

5493. **डा० कर्ण सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीटें उपलब्ध होते हुए भी यात्रियों के लिये विमानों में सीटों का आरक्षण नहीं किया जाता है, उदाहरणार्थ 30 जुलाई, 1968 को उड़ान संख्या 183 बम्बई / दिल्ली विमान में 40 स्थान खाली थे, और फिर भी कई यात्रियों के लिये सीटों का आरक्षण नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि 30 जुलाई, 1968 को उड़ान संख्या आई० सी–183 बम्बई, दिल्ली पर कुल 54 यात्री बुक किये गये और ले जाये गये। इस उड़ान पर यात्रियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों में स्थानों का आरक्षण

5494. **श्री डा० कर्ण सिंह क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उसी समय विमान से अविलम्ब यात्रा करने के के इच्छुक यात्रियों को दिल्ली जैसे राजधानी शहर तथा बम्बई जैसे प्रेसिडेन्सी बड़े शहर में वापसी यात्रा के लिये स्थान के आरक्षण का आश्वासन नहीं दिया जा सकता जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी बाहर की यात्रा को भी रद्द करना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें भारी असुविधा तथा नुकसान होता है और इसके साथ-साथ राजकोष तथा इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन को भी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : वापसी यात्रा के आरक्षण की पुष्टि, जहाँ आवश्यक होत्रा है, टेलीग्राम अथवा टेलीप्रिंटर द्वारा की जाती है तथा इस प्रकार की सामान्यता शीघ्रता से की जाती है। परन्तु ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जहां या तो संचार प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण अथवा जिन उड़ानों में आरक्षण चाहिये उनमें सीटें न उपलब्ध होने के कारण विलम्ब हुआ हो। इंडियन एयरलाइन्स ने अपने संचार कार्य के क्षेत्र विस्तार के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। विमानों के बेड़े को, विशेषकर मुख्य मार्गों पर, बढ़ाने के बारे में प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे आरक्षण पर दबाव कम हो जयेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षु प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण

5496. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 5 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री यार्दी की अध्यक्षता में गये गृह-कार्य मन्त्रालय के अध्ययन दल द्वारा तकनीकी व्यापार में प्रशिक्षुता समेत प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के बारे में की गई विशेष सिफारिशें तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने के लिये प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : मामला सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन सम्बन्धी नियम

5497. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** **श्री अ० कु० किस्कु :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा, उसकी पदेन अथवा व्यक्तिगत हैसियत से, कोई पुस्तकें, पुस्तिकायें, लेख आदि प्रकाशित किये जाने के बारे में अधिकार तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कोई विशेष नियम और आदेश हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये नियम/आदेश सभी कार्यालयों तथा संगठनों और भारत सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(घ) यदि नहीं, तो इस संबन्ध में, यदि कोई अपवाद अथवा विशेष व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी गैर-सरकारी प्रकाशन के लिये कोई संकलन करने अथवा लेख आदि तैयार करने के लिये कार्यालय कर्मचारियों का तथा सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देने की कोई व्यवस्था है ?

गृह-मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 8 के उपनियम (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका एक उदाहरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) : जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) जी नही, श्रीमान् ।

नागरिक पुलिस दल

5498. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 से अब तक प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक वर्ष नागरिक पुलिस दल में कर्मचारियों की अधिकृत तथा वास्तविक संख्या के श्रेणीवार अथवा वर्गवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस सेवा में विभिन्न श्रेणियों वर्गों में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितना प्रतिनिधित्व दिया गया था ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : संबन्धित राज्य सरकारों से सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

5499. **श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नरतत्वीय सवक्षण विभाग की केन्द्रीय सेवा शुरू में कब बनाई गई थी तथा इसके लिए विशिष्ट नियम कब बनाए गए थे ?

(ख) इस सेवा के आरम्भ में इसमें कितने कर्मचारी थे तथा तब से अब तक प्रति वर्ष कितने-कितने व्यक्ति इसमें भर्ती किए गए हैं; और

(ग) इस सेवा को आरम्भ करते समय इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गए तथा तब से अब तक प्रतिवर्ष किनने-कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) भारत के नरतत्वीय सर्वेक्षण के कर्मचारियों के लिये कोई अलग से सेवा का गठन नहीं किया गया है और उक्त विभाग के सभी पद भारत सरकार की आम केन्द्रीय सेवा के तदरूप वर्गों में शामिल है किन्तु प्रत्येक वर्ग के पदों के लिये भर्ती के नियम अलग हैं।

(ख) और (ग) : भारत के नरतत्वीय सर्वेक्षण का गठन, एक अलग विभाग के रूप में 1-12-1945 को किया गया था, जिसमें आठ व्यक्ति थे और जिनमें अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति शामिल था किन्तु अनुसूचित कबीले का कोई नहीं। दिसम्बर, 1945 तक की गई भर्ती और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित कबीलों के भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1882/68]

भुज में एक ब्रिटिश विमान का उतरना

5500. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री वि ना० शास्त्री**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश दम्पति एक निजी ब्रिटिश विमान में भुज में उतरा था;

(ख) क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और विमान को रोक लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पूछताछ का क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। एक ब्रिटिश दम्पत्ति, श्री और श्रीमती विलियम जोर्ज राइट, जो ग्लासगो (स्काटलैंड) के निवासी थे, 3 अगस्त, 1968 को भुज के हवाई अड्डे पर अपने एक इन्जन वाले विमान (ब्रिटिश रजिस्टर्ड बीगल टेरीयर जी-ए एस सी जी) से रि-फ्यूलिंग, के लिये अनाधिकृत रूप से उतरे। वे आस्ट्रेलिया जा रहे थे, जहाँ वे स्थायी रूप से बस जाना चाहते थे।

क्योंकि भुज हवाई अड्डा के प्राधिकारियों को उनके आने की कोई सूचना नहीं थी इसलिए उन्होंने विमान को भुज पर रोक लिया तथा विमान की सीमाशुल्क, पुलिस और वायुसेना के प्राधिकारियों ने एक साथ मिलकर छानबीन की। रवन्ना मिलने तक की अवधि के दौरान वे अपने खर्च पर एक स्थानीय होटल में रहे तथा उन पर निगरानी रखी गयी, क्योंकि वे संदेहात्मक परिस्थिति में उतरे थे। बाद में उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी गयी तथा वे 6 अगस्त, 1968 को भुज से रवाना हो गये।

Correspondence course for Teaching Hindi to Foreigners

5501. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to start correspondence course for teaching Hindi to the foreigners ;

(b) if so, when the said scheme will be implemented ; and

(c) the number of foreigners likely to be benefited by this Scheme?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : A Correspondence Course for teaching Hindi to non-Hindi-speaking people in the country and for foreigners was started in March, 1968. 45 foreigners were admitted to the course. About 100 more applications have been received from them after the Course had been started. It is also proposed to admit them to the Course.

वेल्लौर में माओं के इश्तहार

5502. श्री मधु लिमये : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेल्लौर नगर की दीवारों पर हस्तलिखित इश्तहार लगाये गये हैं जिनमें माओ को यह कहते हुए दिखाया गया है कि "पावर स्प्रिंग फ्राम बैरल आफ ए गन" अर्थात् बन्दूक के बल से शक्ति प्राप्त होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि माओ आन्दोलन समर्थकों ने यह घोषणा की है कि वेल्लौर में एक बड़ी सभा में उनके "माओ आन्दोलन" का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 4 अगस्त, 1968 को वेल्लौर में म्युनिसिपल मार्किट के अहाते की दीवार तथा अन्य स्थानों पर तामिल में हस्तलिखित कुछ दीवारों के इश्तहार जिसमें माओ का कथन था कि बन्दूक के बल से शक्ति प्राप्त होती है, लगे पाये गये थे।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वेल्लौर में उग्रवादियों की नई समिति बनाने की जोरदार कोशिशें की जा रही हैं।

(ग) घटनाओं पर सावधानी से निगरानी रखी जा रही है।

पत्रकारों के नेता को गिरफ्तार किया जाना

5503. श्री देवेन सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के जलूस का नेतृत्व करते हुए भारतीय पत्रकार संघ के उप-प्रधान श्री सत्यानन्द भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार उनको तत्काल रिहा करने के लिये आदेश जारी करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री सत्यानन्द भट्टाचार्य 24 जुलाई, 1968 को गिफ्तार किया गया था और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत इस दृष्टि से नजरबन्द किया गया था ताकि वह लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य न करे । क्या वह समाचार-पत्र के कर्मचारियों के जलूस का नेतृत्व कर रहा था, यह राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

भागीरथी नदी का तलकर्षण (ड्रेजिंग)

5504. श्री स० चं० सामन्त : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध तथा हल्दिया की सहायक बन्दरगाह के शीघ्र पूरा हो जाने से कलकत्ता बन्दरगाह की बहुत सी कठिनाइयां कम हो जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से भागीरथी नदी के ऊपरी क्षेत्र का तलकर्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ताकि फरक्का बांध से पानी बह कर आ सके; और

(ग) क्या कलकत्ता और हल्दिया के बीच का भी अब काफी तलकर्षण किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी हां । फरक्का बांध के शीघ्र पूर्ण होने से हुगली नदी पुनर्जीवित हो जायगी तथा इससे अच्छी गहराई के लिये रास्ता बनेगा और ज्वार-भित्ति बन्द हो जायेगी जो इस समय नदी में नौबन्धों तथा जेटीयों के स्वतंत्र उपयोग में अवरोध पैदा करती हैं । हल्दिया पर सहायक गोदी (डौक) पद्धति के निर्माण से गहरे डुबाव वाले जलयानों को चलाने में सहायता मिलेगी जो अशोधित धातु, कोयला, तेल, खाद्यान्न आदि जैसे खुले माल के परिवहन के उपयोग में लायी जाती हैं तथा जो इस समय डुबाव तथा लम्बाई में प्रतिबन्ध होने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हल्दिया की नई गोदी पद्धति कलकत्ता बन्दरगाह की क्षमता को भी बढ़ा देगी तथा इस प्रकार यातायात के विस्तार को सुगम बनायेगी ।

(ख) भागीरथी तथा हुगली नदी पद्धत्तियों को सुधारने के लिये अनेक प्रशिक्षण कार्यों के लिये 10.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक योजना बनाई गई है ताकि फरक्का बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके । इस सुधार योजना की एक मुख्य बात भागीरथी को हुगली नदी को सिल्टमुक्त जल सप्लाई करने के लिये एक कुशल प्रवहण जलमार्ग

बनाना है ताकि बहाव स्थिति में सुधार हो और गहराई में वृद्धि हो । योजना सरकार के विचाराधीन है,

(ग) हल्दिया और कलकत्ता के बीच हुगली नदी में अनेक रोधिकाओं का गहन पैमाने पर तलकर्षण किया जा रहा है, फरक्का बांध के बनने पर तथा नदी प्रशिक्षण कार्यों के पूर्ण होने पर जिसमें भागीरथी तथा हुगली की सुधार योजना भी शामिल है, तलकर्षण का कार्य काफी कम हो जायेगा ।

कृषि-प्रधान शिक्षा के लिये शिक्षा आयोग की सिफारिशें

†5505. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि प्रधान शिक्षा के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, उन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में इस बात का उल्लेख है कि कृषि के प्रयोजन के लिये शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये । इसकी क्रियान्विति का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर है जिन्हें राष्ट्रीय नीति संकल्प की प्रतियां भेज दी गयी हैं ।

केशोड और पोरबन्दर में हवाई पट्टी

5506. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केशोड तथा पोरबन्दर की हवाई पट्टियां ठीक न होने के कारण बम्बई-केशोड-पोरबन्दर उड़ान अभी कई सप्ताहों के लिए स्थगित कर दी गई हैं ;

(ख) क्या एक वर्ष से अधिक समय से उनकी स्थिति ठीक नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समय पर मरम्मत नहीं कराई गई ; और

(घ) उड़ानें कब पुनः चालू होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । उड़ानें 22 जून, 1968 से स्थगित की गई थीं। परन्तु इंडियन एयरलाइन्स ने 5 अगस्त, 1968 से बम्बई और पोरबन्दर के बीच केशोड में बिना रुके एक सेवा पुनः परिचालित कर दी है ।

(ख) संबंधित राज्यों का विलयन होने पर जिस समय भारत सरकार के नागर विमानन विभाग ने धावन-पथों को अपने हाथ में लिया उस समय भी धावन-पथ निर्धारित स्तर से निम्न कोटि के थे ।

(ग) संधारण के लिये आवश्यक मरम्मत के कार्य नियमित रूप से किये गये परन्तु और अधिक प्रयोग एवं टूट-फूट के कारण ज्यादा बड़े पैमाने पर मरम्मत आवश्यक हो गयी ।

(घ) पोरबन्दर को डकोटा परिचालनों के लिये पहले ही खोल दिया गया है। केशोद में अच्छे मौसम की हवाई पट्टी के अक्तूबर, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरा विवाह

5507. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को किन कारणों से तथा किस उपबन्ध के अन्तर्गत दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई है, जब कि पहली पत्नी अथवा पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना निषिद्ध है और उसके कारण कैद की सजा भी दी जा सकती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

5508. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मन्त्री 9 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्यों पर कितनी राशि व्यय हुई तथा उनमें से किस सदस्य ने अधिकतम राशि प्राप्त की और वह कितनी है ; और

(ख) बकाया छः अध्ययन दलों तथा कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 31-7-68 तक श्री व्ही० शंकर को छोड़ प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्यों पर व्यय की राशि रु० 1,03, 765.60 है। श्री शंकर, जो कि भारत सरकार के सचिव भी हैं, सरकारी नियमों के अनुसार अपने मंत्रालय से आयोग के काम के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करते हैं। श्री एच० व्ही० कामथ अधिकतम राशि नामतः रु० 37, 174.45 ले चुके हैं।

(ख) आयोग ने बताया है कि वह निश्चित तिथि बतलाना सम्भव नहीं है जिस तक शेष अध्ययन दलों तथा कर्मचारी दलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी, आशा है कि अपना कार्य कुछ महिनों में पूरा कर लेंगे तथा अपने प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

5509. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं की, उनकी स्थापना के समय से अब तक नौकरी छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा नौकरी छोड़ने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : "कार्यालय पद्धति-संहिता" में निर्दिष्ट भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत फाइलें, जो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र,

मृत्यु तथा सेवा-समाप्ति के कारण सर्विस छोड़ते हैं, पांच वर्ष की अवधि के बाद नहीं रखी जाती हैं। इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशी पर्यटक

5510. **श्री जुगल मंडल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में भारत में कितने विदेशी पर्यटक आये ;

(ख) उसके परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) उक्त अवधि में होटल उद्योग के माध्यम से पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के प्राक्कलनों का संकान कैलेण्डर वर्षों के आधार पर किया जाता है। पिछले चार वर्षों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा के प्राक्कलन निम्न लिखित हैं :—

वर्ष	संख्या	आय (करोड़ रुपयों में)
1964	1,56,673	23·00
1965	1,47,900	21·59
1966	1,59,603	22·61
1967	1,79,565	25.23

(ग) : अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशों में बसे इंजीनियर, डाक्टर और विशेषज्ञ

5511. **श्री जुगल मन्डल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विदेशों में बसे भारतीय इंजीनियर, डाक्टर और वैज्ञानिक विशेषज्ञ कितने हैं ; और

(ख) प्रति वर्ष अमेरिका जाने वाले विशेषज्ञों की कितनी संख्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1967 के वित्तीय वर्ष में अमेरिका के लिए आप्रवासी, भारतीय इंजीनियरों, डाक्टरों और वैज्ञानिक व्यक्तियों की संख्या 1425 बताई जाती है। उन्नत देशों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय स्कूल

5512. **श्री जुगल मंडल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में कुल कितने केन्द्रीय स्कूल है तथा उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं; और

(ख) इन स्कूलों में किन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल में 5 केन्द्रीय स्कूल हैं और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1458 है ।

(ख) इन स्कूलों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं ही शिक्षा का माध्यम हैं ।

रेलवे लोको शैड बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी

†5513. **श्री जुगल मंडल** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लोको शैड, बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों ने मई, 1968 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल का जिन रेलवे जोनों पर प्रभाव पड़ा था, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांग क्या थीं तथा उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां । बम्बई पत्तन न्यास के स्टीम एवं डीजल लोको शैड के कर्मचारियों ने (कुल मिलाकर लगभग 350 व्यक्तियों ने) 16 मई, 1968 की आधी रात से ले कर 25 मई, 1968 की आधी रात तक हड़ताल की थी ।

(ख) बम्बई पत्तन न्यास रेलवे पर हड़ताल का प्रभाव पड़ा था । हड़ताल की अवधि में पत्तन से लेकर और पत्तन तक कोई रेलगाड़ी नहीं चली थी । ट्रंक रेलवे के किसी रेलवे जोन के कार्य संचालन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा था परन्तु पत्तन न्यास रेलवे के साथ रेल–डिब्बों का परस्पर कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था ।

(ग) कर्मचारियों की मांगों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई के श्री ए० टी० जम्बरे के पंचाट के विरुद्ध बम्बई पत्तन न्यास की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपील को वापिस लिया जाना ; उल्लिखित पंचाट को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना ; बम्बई पत्तन–न्यास रेलवे के सभी लोको ड्राइवरों को रुपये 150-290 का वेतन मान दिया जाना, लोको ड्राइवरों की पारियों को निश्चित कर देना; कर्मचारियों के कुछ वर्गों की पारियों के बीच कम से कम 12 घन्टे के अन्तर की व्यवस्था करना, और पदों के निर्माण को दक्षता प्राप्त वर्गीकृत करना । बम्बई पत्तन न्यास और बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी संघ के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गयी थी इस समझौते में इस बात पर सहमति हुई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने तक पहले से नियुक्त किये गये 14 ग्रीजरों की नियुक्ति जारी रहेगी और

ड्राइवरों की सहायता के लिये कार्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः अतिरिक्त मजदूरों की व्यवस्था की जाती रहेगी। जहां तक ड्राइवरों के वेतन-मान का सम्बन्ध है यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी एक अपील निलम्बित है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक डीजल इंजनों को चलाने वाले ड्राइवरों को 5 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन मिलता रहेगा। अन्य लोको ड्राइवरों को 5 रुपये प्रतिमास का विशेष भत्ता इस शर्त पर दिया जायेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो जाने के बाद उस के अनुसार उसका समायोजन अथवा वसूली हो जायेगी। निश्चित पारियों के प्रश्न पर अब विचार नहीं किया जायेगा। पारियों के बीच कम से कम 12 घन्टे के अन्तर व्यवस्था करने की सम्भावना के प्रश्न की छानबीन प्रशासन करेगा। दक्षता प्राप्त पद बनाने की मांग पर भी प्रशासन विचार करेगा।

Pauri—Deoprayag Road in U.P.

5514. **Shri Bishwanath Roy :** **Shri Bhola Nath Master :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 10510 on the 10th May, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the date by which the construction of Pauri-Deoprayag road was to be completed, has since been collected ; and

(b) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) yes, Sir. The reconstruction and improvement of the Pauri- Deoprayag road in a length of ten miles was approved by Government of Uttar Pradesh at a cost of Rs.4 lakhs under the Read Development Scheme, covering the three Hill Districts of Garhwal Almora and Tehri and expenditure sanction was accorded on 23-9-67. However, consequent on the preparation of a detailed estimate, the amount sanctioned was found inadequate. A revised estimate is accordingly being pepared by the State Chief Engineer and the work can be started after the revised estimate is approved by the State Government.

(b) Does not arise.

Parliament Assistants

5515. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) the educational qualifications of the persons appointed against the posts of Parliament Assistant in various Ministries, their length of service as Parliament Assistant in the same Ministry and the names of permanent Assistants out of them and the names of those who are temporary ;

(b) the names of the Ministries which, in pursuance of the Ministry of Home Affairs Office Order No. 21/31/63- C. S. (a) dated the 24th December, 1963 have posted other persons in place of such Parliament Assistants as have completed three years' service in their respective posts ;

(c) the names of the Ministries which have not so far replaced those Parliament Assistants who have been working on these posts for more than three years as well as the names of the Parliament Assistant : and

(d) the steps proposed to be taken by the Ministry of Home Affairs in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Arffairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) The Home Ministry's instructions dated 24th December, 1963, provided that except where the interests of efficiency of the work dictate otherwise, appointments to the post of Parliament Assistant should be made by rotation from amongst qualified and capable persons, the period of rotation not exceeing three years. These instructions were advisory in nature and allowed discretion to Ministries to continue ny incumbentain the post of Parliament Arssistant in the interests of efficiency of work so long as considered necessary. A change in the incumbency of the post after every three years is not, therefore, obligatory.

दिल्ली के अध्यापकों का आन्दोलन

5516. श्री कंवरलाल गुप्त : श्री हिम्मतसिंहका :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अध्यापकों का विचार अपने वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के लिए आन्दोलन आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को अध्यापकों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : दिल्ली के अध्यापक-संगठन की संयुक्त परिषद् द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आन्दोलन पुन: शुरू करने की धमकी दी गई है । परिषद् का प्रतिनिधि मण्डल 26 जून, 1968 को शिक्षा मंत्री से मिला । उनकी मुख्य मांगें शिक्षा आयोग की सिफारिश के बारे में थीं और प्रथम तथा द्वितीय डिवीज़न प्राप्त कर्त्ताओं को अग्रिम वेतन-वृद्धि की मंजूरी, सादृश्यता व समता के आधार पर प्राथमिक स्कूल-अध्यापकों के वेतनक्रमों में आगे संशोधन तथा अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए चुनाव ग्रेड की व्यवस्था के लिए थीं। इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

पर्यटक बीजा शुल्क को समाप्त करना

5517. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटक बीजा शुल्क समाप्ति करने के लिये सरकार ने कुछ देशों के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन देशों के साथ करार किया गया है ;

(ग) क्या वीजा को बिल्कुल समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मैत्रीभाव एवं पर्यटन की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित 14 देशों के साथ पारस्परिक आधार पर पर्यटकों तथा अन्य सब प्रकार के विज़ाओं दोनों ही के संबंध में विज़ा फीस समाप्त कर दी हैं:-

1. यूगोस्लाविया	8. ऊरुगाय
2. यू० एस० एस० आर०	9. अफगानिस्तान
3. हंगरी	10. चैकोस्लोवाकिया
4. रूमानिया	11. पश्चिमी जर्मनी
5. डेन्मार्क	12. ईरान
6. यूनान	13. सान मेरिनो
7. मंगोलिया	14. स्वीडन

(ग) और (घ) : कुछ अन्य देशों के साथ भी पारस्परिक आधार पर विज़ा समाप्त करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

दिल्ली में अधिकारियों द्वारा प्लाटों की बिक्री

5518. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्लाटो को बेच कर लाभ कमाये जाने के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और क्या सम्बद्ध व्यक्तियों से कमाया हुआ लाभ सरकार को लौटा देने के लिये कहा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली राज्य सरकार भवन निर्माण समिति के कुछ सदस्यों ने अपने प्लाट बेच दिये हैं और लाभ कमाये हैं। उनके लाभ बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1883/68] मामले पर गौर किया जा रहा है ।

दिल्ली में अवैतनिक दंडनायक (आनरेरी मैजिस्ट्रेट)

5519. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अवैतनिक दण्डनायकों के नाम तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन में से कुछ दण्डनायक मैट्रिक पास भी नहीं हैं ; और

(ग) इस व्यवस्था के विरुद्ध जोरदार जनमत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इसे समाप्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1884/68] ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यकारी कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक, 1968 के अधिनियमित हो जाने के बाद दिल्ली में कोई अवैतनिक न्यायिक दण्डनायक नहीं होगा। फिर भी विधेयक में अवैतनिक कार्यकारी दण्डनायकों की नियुक्ति के लिये प्रावधान रहने दिया गया है ताकि आवश्यकता होने पर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें नियुक्त किया जा सके ।

शिमोगा में वीर शिवप्पानायक के महल के स्थान पर गिरजाघर

5520. श्री स० अ० अगड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में शिमोगा में नागरा में वीर शिवप्पानायक के महल के स्थान पर एक गिरजा घर का प्रस्तावित निर्माण-कार्य सुरक्षित स्मारकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ; और

(ख) क्या गिरजाघर के निर्माण कार्य को रोकने और उस स्थान पर लटकाये गये 'क्रास' चिन्ह को हटाने के लिये कोई आदेश दे दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अभी तक अंतिम रूप से यह साबित नहीं हो सका है कि प्रस्तावित चर्चों का निर्माण संरक्षित सीमा में आता है अथवा नहीं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा चर्च भवन के और आगे निर्माण को रोकने के लिए पहले ही कदम उठा लिये गये हैं। किन्तु इस समय स्थान के स्वामित्व-अधिकार के निर्णय होने तक 'क्रास' को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

महाराष्ट्र में भाषायी अल्प संख्यकों के लिये शिक्षा सुविधाएं

5521. श्री स० अ० अगड़ी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में भाषायी अल्प संख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिये उचित सुविधायें नहीं दी जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले में कन्नड़ में कोई पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं की जाती हैं ; और

(ग) शोलापुर जिले में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों की संख्या कितनी हैं, तथा उनमें कुल कितने विद्यार्थी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) शोलापुर जिले में कन्नड़ माध्यम वाले प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या वर्ष 1966-67 में क्रमशः 117 और 7 थी । इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 13,016 और 2409 थी ।

मध्य प्रदेश में डकैतियों की समस्या

5522. श्री वे० वि० सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पांच उत्तरी जिलों, अर्थात् भिंड, मोरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया में और पांच पूर्वोत्तर जिलों, अर्थात् सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में डकैतियों की समस्या चिरकाल से चली आ रही है, इस तथ्य को देखते हुए क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन क्षेत्रों में इस आतंक की एक राष्ट्रीय आधार पर प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के लिये कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समस्या का ठीक ढंग से अध्ययन करने की दृष्टि से सरकार ने अपने अभिकरणों या मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इस बारे में कोई तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि इन जिलों में डकैतियां कितने समय बाद डाली जाती हैं, उन का स्वरूप क्या होता है, इन से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं, तथा डाके मारने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ; और यदि हां, तो कब और इनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई निर्णय किये गये हैं तो क्या और इस आतंक को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के लिये क्या योजना तैयार की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा में डकैती

5524. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के आरम्भ से ही त्रिपुरा में डाकेजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जनवरी से उक्त संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और पिछले दो वर्षों में इसी अवधि के मुकाबले यह संख्या कम है अथवा अधिक और प्रत्येक अवधि में कितने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका ;

(ग) त्रिपुरा में डाकेज़नी की घटनाओं के बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) उक्त प्रत्येक अवधि में जन धन की कितनी हानि हुई ; और

(ङ) उस संघ राज्य क्षेत्र में अपराध को रोकने और जन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ङ): एक विवरण सलंग्न है।

बाराटूटी चौक, दिल्ली में यातायात नियंत्रण

5525. श्री सीताराम केसरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाराटूटी चौक, दिल्ली में यातायात किसी यातायात-सिपाही अथवा स्वचालित सिगनल मशीन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिये उस चौक में यातायात के नियंत्रण की कब तक व्यवस्था कर दी जायगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। बाराटूटी चौक पर यातायात एक यातायात सिपाही द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Complaints against Area Officer of Khurja Tehsil

5526. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have received some complaints against the Area Officer of Tehsil Khurja in District Bulandshahr ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सागूर पार में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों का भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध प्रवेश का समाचार

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"त्रिपुरा में केला सहर सब-डिवीजन के सामूर पार में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों के भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध प्रवेश तथा उनके द्वारा सीमा स्तम्भों को भारतीय राज्यक्षेत्र के काफी अन्दर ले जा कर लगा दिये जाने के समाचार"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): पाकिस्तान के नागरिकों ने जिनको ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का समर्थन प्राप्त था, केला सहर पुलिस स्टेशन (त्रिपुरा) के समरूचेरा क्षेत्र में लोहे के एक सीमा स्तम्भ को हटा दिया था और उसको बाद में भारतीय राज्य क्षेत्र के 100 गज अन्दर पुनः लगा दिया था। जब भारतीय नागरिक उस क्षेत्र में जहां से स्तम्भ हटाया गया था खेती करने गये तो उनको ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स से सैनिकों द्वारा धमकाया गया।

2. त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्वी पाकिस्तान में सिल्हट के आयुक्त को 20 जुलाई, 1968 को एक विरोध पत्र भेजा है और प्रार्थना की हैं कि स्तम्भ को उसके मूल स्थान पर लगा दिया जाये। उन्होंने पाकिस्तान अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को भी कहा है। त्रिपुरा के पुलिस इन्सपेक्टर जनरल ने भी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सेक्टर कमाण्डर को इसी प्रकार का विरोध पत्र भेजा है। त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव ने भी 10 अगस्त, 1968 को ईस्ट पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को तार द्वारा उठाया है। समूरचेरा क्षेत्र में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों के जमाव के बारे में 18 अगस्त, 1968 को एक और तार भेजा गया था।

3. त्रिपुरा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ओर के सैक्टर कमाण्डरों की 'फ्लैग' बैठक के बाद ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक उस क्षेत्र मे हट गये हैं, स्तम्भ को उसके मूल स्थान पर लगा दिया गया है और सम्बन्धित भारतीय नागरिकों ने खेती शुरू कर दी है।

श्री ब० कृ० दास चौधरी : माननीय मन्त्री अपने वक्तव्य के तीसरे पैरा में बताया है कि भारतीय किसानों ने उस क्षेत्र में खेती करना शुरू कर दिया है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय किसानों ने किस तारीख को उस क्षेत्र में खेती करना आरम्भ किया है। इससे सन्देह उत्पन्न हो गया है कि क्या वास्तव में हमारी सरकार ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? वक्तव्य के पैरा 2 में बताया गया है कि त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने 20 जुलाई, 1968 को विरोध पत्र भेजा था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के 20 जुलाई से 18 अगस्त तक इस मामले के बारे में चुप रहने के क्या कारण है। अन्य मामलों में हमने रिपोर्ट से देखा है कि सरकार ने सीमा उल्लंघन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कारणों के उल्लंघन के लिये 3000 बार विरोध पत्र भेजे हैं। चार क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हैं परन्तु किसी भारतीय किसान को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। लाठी टीला डूमा बाबारी भी भारतीय क्षेत्र है जो कि अभी तक अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन सभी क्षेत्रों को जो कि अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, वापिस लेने के लिये सरकार सख्त कदम उठायेगी तथा यदि आवश्यक हो तो अपनी सेना भी भेजेगी? दूसरे मैं यह

कहना चाहता हूँ कि भारत के कुल क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार अपना क्षेत्र खो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है परन्तु यह अवसर इस पर चर्चा उठाने का नहीं है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि इन सभी तथ्यों को तथा जिस प्रकार हम अपना क्षेत्र खो रहे हैं इसको ध्यान में रखकर सरकार खोये गये क्षेत्रों को वापिस लेने के लिये सख्त नीति अपनायेगी और पाकिस्तान तथा अन्य देशों को भूमि देने की नीति को सदा के लिये छोड़ देगी।

श्री ब० रा० भगत : हमारी नीति कठोर है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है स्तम्भ को पुनः मूल स्थान पर लगा दिया गया है खेती शुरू कर दी गई है और माननीय सदस्य को इस बारे में कोई शंका नहीं करनी चाहिए।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I would like to know the area which could have been included in Pakistan following the removal of this pillar ? I would also live to know how far the Indian armed pursonnel were, stationed from the pillar ? How many times the pillar have been removed and protests have been lodged with Pakistan ? How many times reply have been received from Pakistan ? I would also like to know whether Government of Tripura had sent any letter to Government of India ? If so, the action taken by the Government of India on this lettre ?

Shri B. R. Bhagat : I have given complete details in my statement. The pillar was fixed 100 yards inside our territory ?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : पाकिस्तान रूसी हथियारों से भारत के विरुद्ध अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां बढ़ा रहा है, स्तम्भों के हटाये जाने पर केवल राज्य सरकार द्वारा विरोध पत्र भेजा गया है। केन्द्रीय सरकार अब तक इस मामले पर सो रही थी। क्या स्तम्भ हटाये जाने की यह घटनाएं किसी बड़ी घटना का पूर्वाभास हैं। यदि हां, तो सरकार भारत की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न है हम इस पर निरन्तर निगाह रख रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटती है अथवा सैनिकों का सामान्य से अधिक जमाव होता है तो हम आवश्यक प्रत्युपाय करेंगे। इस क्षेत्र में सैनिकों का पहले कुछ जमाव था। हमने इस मामले को बैठक में उठाया था। उन्होंने अपने सैनिक वहां से हटा लिए थे। इस समय हम यह नहीं कह सकते कि हस क्षेत्र में कोई तनाव है।

श्री हेम बरुआ : यदि मैं यह कहूं कि पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भ हटाये गये थे

तो आप मेरे साथ सहमत होंगे। इसके बावजूद जब हम स्तम्भ को पुनः उसके मूल स्थान पर लगाने गये तो हमें पाकिस्तान से अनुमति लेनी पड़ी।

श्री रंगा : (श्री काकुलम) : क्या ऐसा है।

श्री ब० रा० भगत : इसमें अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि स्तम्भ के बारे में कोई झगड़ा हो अथवा स्तम्भ हटाया जाता है तो उसको संयुक्त रूप से लगाया जाता है। पाकिस्तान अथवा भारत अपने तौर पर ऐसा नहीं कर सकते।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों पर सरकार ने कड़ी निगाह रखी हुई है क्योंकि स्तम्भ को 100 गज दूर लेजाकर एक रात में अथवा चोरी छिपे नहीं लगाया जा सकता। यह खुले आम किया गया था और स्थानीय जनता देखती रही थी। जिस व्यक्ति ने विरोध किया उसको मारा पीटा गया था। लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने अथवा इस क्षेत्र पर निरन्तर निगरानी करने जैसी क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात् इस क्षेत्र का सीमांकन अभी किया जाना शेष है। ये स्तम्भ 1947 से पहले के हैं। और कृषि के मौसम में यह धान की फसल में छिप जाते हैं। अतः यह सम्भव है कि कुछ शरारती लोग इनको रात को हटाकर कहीं और लगाये। इस क्षेत्र में गश्त की जा रही है और निरन्तर निगाह रखी जा रही है। इस क्षेत्र में सुरक्षा के अभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

मंत्री के त्यागपत्र के बारे में

RE : RESIGNATION OF MINISTER

अध्यक्ष महोदय : कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं मैं उनको सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ।

श्री प्र० के० देव : (काला हांडी) मैं कार्यसूची के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। यह गलत तथा अपूर्ण है। जब भी कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो वह देश तथा सभा में वक्तव्य देना होता है। कल श्री अशोक मेहता ने प्रधान मंत्री के प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था। अतः उनको यथासम्भव शीघ्र वक्तव्य देना चाहिए। कार्यसूची में उनके वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल के भी कुछ सदस्य सुबह मेरे पास आये थे और उन्होंने यही मामला उठाने को कहा था। मैंने उन्हें बताया कि वे उचित समय पर ऐसा कर सकते हैं। श्री नाथ पाई तथा श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी मेरे पास आये थे। मैंने उनको भी यही उत्तर दिया था। मैं मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जब दोनों नेता मेरे पास आये तो मैंने इसको कार्यसूची में शामिल करवा दिया था।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं (1) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यास के 1966-67 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) काण्डला पत्तन न्यास के 1966-67 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्कालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1837/68]

(2) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौवहन (मस्टर्स) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 13 जुलाई 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1284 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये। संख्या एल० टी० 1838/68]

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभ-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गयी उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 की धारा 50 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 मई, 1968 की अधिसूचना संख्या सी० आई० (आर०) 3670। -पन्द्रह-39 (74)-1966 में प्रकाशित हुआ था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(द) ऊपर की अधिसूचना की सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1870/68]

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1966-67 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1888/68]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1426 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीज्ञा) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1427 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1815/68]

(तीन) जी० एस० आर० 1428 जो दिनांक 3 अस्गत, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 30 मर्च, 1968 की जी० एस० आर० 590 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(चार) जी० एस० आर० 1476 जी दिनांक 10 अगस्त, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(पांच) जी० एस० आर० 1477 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम 1955 में एक संशोधन किया गया।

(छः) जी० एस० आर० 1478 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुशूची- तीन में एक संशोधन किया गया।

(सात) जी० एस० आर० 1479 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची तीन में कतिपय संशोधन किये गए।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1835/68]

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (दसवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2348 टी / तीस-वी- 70 पी / 61 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (नवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2841-टी/ तीस-बी-7 पी / 66 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (सातवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4962-टी/तीस–वी-पी-61 में प्रकाशित हुये थे । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(चार) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7110-टी/तीस–वी–85–पी / 66 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1842/68]

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत नारियल जटा रेटिंग (लाइसेन्स देना) आदेश, 1968 की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 31 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2747 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1847/68]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू साल के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त दो विधेयक सभा–पटल पर रखता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

61वां प्रतिवेदन

श्री वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)–

वन अनुसंधान संस्था तथा कालेज देहरादून -के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 78 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) के विषय में प्राक्कलन समिति का 61वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में

RE: SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसा समाचार मिला है कि श्री दुबचेक की हत्या कर दी गई है। यह भी कहा गया है कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति को देश से बाहर ले जाया गया है और उनकी मंजिल का पता नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास क्या नवीनतम जानकारी है और क्या वह इस बारे में कोई वक्तव्य दे रही है।

Shri A. B. Vijpayee (Balrampur) : Some arrangements should be made to take the House into confidence regarding the happening in Czechoslovakia. The Government should clear its position in this regard. The Government should also inform the House about the attitude which they are going to adopt in the Security Council.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know two things . First of all may I know whether the Government is going to vote against the motion now before the Security Council or will abstain from it according to the wishes of their master Breznef (**interruptions**) and will obey just like slaves.

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। (अन्तर्बाधायें)

श्री मु० अ० खान (कासगंज) : यह आपत्तिजनक है। इस प्रकार की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

Shri Madhu Limaye : I am statating it very seriously.

अध्यक्ष महोदय : आप ने ऐसा नहीं किया है। आप तथ्यों का उल्लेख कर सकते थे। आपने कुछ ऐसी असंगत बातों का उल्लेख किया है जिससे इसकी गम्भीरता समाप्त हो गई है। आपने अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है।

Shri Madhu Limaya : Secondly, I want to know whether Shri Ashok Mehta has expressed any desire to make a statement and whether you are giving him the permission.

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : I request that those words should be exempted from the proceedings of the House.

Shri M. A. Khan : They are unparliamentary sentences and, therefore, they should not be recorded in the proceeding of the House.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : माननीय सदस्य, जो श्री विलसन और श्री जोनसन के अनुभायी हैं, औरों को भी दूसरों का दास समझते हैं। क्या आप उन्हें उनके शब्द वापिस लेने के लिये मजबूर कर सकते हैं ?

श्री जे० भा० कृपालानी (गुना) : इसका निर्णय आपने करना है कि सदस्य द्वारा कहे गये शब्द असंसदीय हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय :मुझे उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में विनिर्णय देना है।

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : प्रश्न यह है कि सदस्य द्वारा कहे गये शब्दों से क्या भारतीय संसद की गरिमा को आघात पहुँचता है अथवा नहीं (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : कुछ शब्द असंसदीय नहीं होते लेकिन वे बहुत आपत्तिजनक होते हैं··

श्री मधु लिमये : वे सर्वथा उचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन्हें उचित समझ सकते हैं। लेकिन सभा में बहुमत का ऐसा विचार नहीं है।

यदि सभा का एक पक्ष अपशब्द कहेगा तो दूसरा पक्ष भी उसी प्रकार से जवाब देगा।

श्री मधु लिमये : मैंने अपशब्द नहीं कहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये असंसदीय नहीं हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं इसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित न करूं। आपत्तिजनक शब्दों को सभा की कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता। केवल असंसदीय शब्दों को ही सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं।

अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि यदि रिकार्ड देखने के बाद इसमें कोई असंसदीय बात मिलेगी तो हम उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं करेंगे।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) विदेशों में इस बात की बड़ी अफवाह है कि सुरक्षा परिषद् की बैठक के समय हमारे वहां विद्यमान प्रतिनिधि को यह सलाह दी गई थी कि वह कुछ देशों द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर किये गये आक्रमण के विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करें। इस बारे में हम सरकार से निश्चित जानकारी चाहते हैं।

हम इस बारे में एक वक्तव्य चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद् में भारत के मान को फिर कोई आघात न पहुँचे।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : इस बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। स्थगन प्रस्ताव हमेशा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में होता है। श्री अशोक मेहता ने कल त्यागपत्र दिया था। अतः इस विषय के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है कि क्या इस विषय में सरकार असफल रही है। यदि सरकार इस मामले में असफल नहीं होती तो श्री अशोक मेहता, जो कि इतने कर्त्तव्यनिष्ट सदस्य हैं त्याग-पत्र न देते। सरकार की नीति इस मामले पर असफल होने के कारण ही उन्होंने त्याग-पत्र दिया।

इस बात के भी समाचार प्राप्त हुए हैं कि श्री दुब्चेक की हत्या कर दी गई है। मुझे आशा है कि सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। बहुत से विपक्षी सदस्यों के ये विचार हो सकते हैं लेकिन श्री अशोक मेहता द्वारा किये जाने वाला कार्य कोई व्यक्ति ही कर सकता है ।

प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि सरकार चेकोस्लोवाकिया के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध है । लेकिन सरकार द्वारा श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थानापन्न प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने से हमें इस विषय में चिन्ता होने लगी है कि सरकार संयुक्तराष्ट्र संघ में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पायेगी ।

क्या सरकार इस बारे में कोई आश्वासन दे सकती है ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह सुरक्षा परिषद् के अपने प्रतिनिधि को यह निदेश देगी कि वह राष्ट्र वहां समस्त राष्ट्र की भावना व्यक्ति करें और केवल कुछ सरकारी व्यक्तियों के विचार व्यक्ति न करें ।

अध्यक्ष महोदय : हम सबको यह बताया गया कि श्री दुब्चेक की हत्या कर दी गई है । इससे सम्पूर्ण मानवता को धक्का पहुँचेगा ।

यह किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है । मैं श्री नाथ पाई द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय दे सकता हुँ अन्य बातों के बारे में नहीं । श्री अशोक मेहता जो कहना चाहें कह सकते हैं । मैं उन्हे वक्तव्य देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता अतः मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN HOURS OF THE CLOCK

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

TH LOK SABHA REASSMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : सब सदस्य अपने स्थानों पर बैठें । मैं प्रत्येक सदस्य का नाम पुकारुंगा। प्रत्येक दल के सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान किया जायेगा। (अन्तर्बाधाएं)

कुछ माननीय सदस्य उठे ।**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने नियम 109 के अन्तर्गत चर्चा को समाप्त करने का नोटिस दिया है । दो मिनट के बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

**सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not Recorded.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We have lost the balance of our mind when we came to know that the Indian representative abstained in the Security Council . (**Interruptions**) The Prime Minister should be sent for.

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) प्रधान मन्त्री दूसरे सदन में हैं और वह कुछ समय बाद सभा में आयेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की बाधाओं की अनुमति नहीं दे सकता । कृप्या सब सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें ।

डा० रामसुभग सिंह : इस समय किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यदि माननीय मन्त्री कुछ पढ़ेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत मैं यह सहन नहीं कर सकया । मुझे नियमों का पालन करनद्र होगा (अन्तर्बाधाएं) श्री अशोक मेहता के नाम जो विषय है मैं उसे स्थगित करता हूँ ।

स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक—जारी

GOLD CONTROL BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे।

Shri Atal Behari Vajpayee (Blalrampur) : Sir, I beg to move that the discussion on Gold Control Bill may be postponed under Rule 109. (**Interruptions**)

By invading Czechoslovakia, Russia, has acted against the principles of U. N. Charter. India abstained at the time when a motion to condemn Russia for their action against Czechoslovakia was brought in the Security Council. This is all against the assurances given by the Prime Minister. At the time of this resolution in the Security Council we remained neutral.

It appars as is Government has come under the pressure of Russia and it has not performed its duty correctly. This Government has not acted as it should have been and, therefore, we should be given time to discuss the situation in Czechoslovakia.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हमें आज सुबह इस बात की जानकारी मिली कि भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि मण्डल को यह निदेश दिये थे कि वह सुरक्षा परिषद में ऐसी आक्रमण की निन्दा करने के बारे में पेश किए गए प्रस्ताव पर तटस्थता का रुख अपनायें।

यह बहुत शर्म की बात है कि इस प्रस्ताव पर जिससे रूस सरकार की चौकोस्लोवाकिया. पर आक्रमण करने के लिए निन्दा की गयी थी, भारत तटस्थ रहा अतः कल प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की ओर ध्यान दिलाना तत्संगत होगा । हम उनके कहने पर विश्वास नहीं करते थे इसीलिये कल सभा में मत विभाजन हुआ ।

प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि चैकोस्लोवाकिया के संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य पत्र के अन्तर्गत आने वाले चैकोस्लोवाकिया के अधिकारों की हर सूरत में रक्षा की जायगी।

फिर भी उन्होंने अपने राष्ट्र संघ स्थिति प्रतिनिधि को ऐसे निदेश दिये........ (अन्तर्बाधाएं)

मैं उन पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने इस सभा के साथ विश्वासघात किया है, उसे गुमराह करने की कोशिश की है और देश को गुमराह किया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये। हम सभी को इस मामले पर चिन्ता है। सरकार ने इस मामले में जिस ढंग से बर्ताव किया है उस पर हमें शर्म आती है।

श्री एस० कन्डप्पन (मंटूर) मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री तथा सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने इस महान, सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संसद तथा इस राष्ट्र के लोगों के साथ धोखा किया है। प्रधान मन्त्री ने अपने कल के वक्तव्य में जो उन्होंने इस सभा में दिया था केवल एक बात कही थी वह यह कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निश्चित रूप से चौकोस्लोवाकिया का समर्थन करेंगे। आज का निर्णय स्पष्टत: विश्वासघात है और विश्वास हनन है। चूंकि सरकार इस देश का गौरव तथा आत्म सम्मान रखने में असफल रही है इसलिये हम माँग करते हैं कि वह तुरन्त त्याग-पत्र दे। यदि उसमें लेशमात्र भी आत्म सम्मान है तो मानवता और सम्मान के नाते उनको सुरक्षा परिषद में चौकोस्लोवाकिया का समर्थन करना चाहिये अथवा त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

Shri S. M. Joshi : (Poona) : Sir I rise to support the Motion moved by my hon. friend Sri A. B. Vajpayee.

On this issue, I feel, we are full of anger and anguish. We are naturally angry at what has been committed on Czechoslovakia and its people and our sorrow is that we are asharmed of the manner in which our Government have behaved. The Government's decision has made every citizen of this country sink in shame. We are told every time that Government have to take decisions keeping in view the interest of the country. I would like to say that we have given up our noble sentiments when we had when we were struggling for our freedom and now we have reached a stage where I wonder whether it is real freedom that we got. It feel and I can say that the freedom which can be made subservient for the sake of taking some forign aid is not real.

During these twenty years of our independence, we have tried to maintain world peace. But the tragic events that have taken place in Czechoslovakia have pushed back the world peace by ten years. Today majority of the countries in the world are facing a cold war of which Czechoslovakia has already become a victim. We may also meet the same fate tomorrow. We are, no doubt, a very poor country. But we want to live with dignity and self-respect. We don't want any foreign aid which is doing us more harm than good.

Let us take a balanced view of what has happened in Czechoslovakia today. We must condemn Russia for its action in that country. They have not only violated the U.N. Charter but also committed a crime against humanity. The Government should have courage to say so openly. Instead we have rendered ourselves to a position in which we have become a party to that guilt. It would like to demand the immediate resignation of the Government for their having betrayed and misled this House and the country.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम इस सम्बन्ध में जो कुछ कह रहे हैं वह किसी दल विशेष के हित में नहीं बल्कि जो कुछ हुआ है उससे हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है और उसके साथ समझौता किया गया है, कल हमने सुना कि चौकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का अपहरण हो गया है और आज हम सुन रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि के तटस्थ रहने से हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा मलिन हो गई है । प्रधान मन्त्री ने कल जो गंभीर प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था उससे स्पष्ठतः मुकरने में क्या औचित्य है ? उन्होंने हमें जो वचन दिया था वह केवल शब्द ही थे न कि कोई गम्भीर प्रतिज्ञा । प्रधान मन्त्री ने कल हमें तथा देश के लोगों को गम्भीर रूप से यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार सुरक्षा परिषद के माध्यम से संयुक्त राट्र संघ चार्टर द्वारा चैक लोगों को दिये गये अधिकारों का समर्थन करेगी लेकिन आज उनके प्रतिनिध के तटस्थ रह कर इसका उल्लंघन किया है और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है । रूसी सेना को एक राष्ट्रको सैटेलाइट (अनुधावी) बनाना पड़ा । मैं पूछता हूँ क्या हम किसी सेना के प्रयोग के बिना ही पिछलग्गू राज बन रहे हैं। क्या प्रधान मन्त्री द्वारा कल की गई गंभीर प्रतिज्ञा कांग्रेसियों की देशभक्ति का केवल एक दिखावा था ? आप भी पुराने कांग्रेसी होने के नाते महसूस करेंगे कि इसमें कुछ बुनियादी गलती है । इस देश में जीवन की पवित्रता ही क्या है यदि संसद के साथ इस तरह उपहास किया जाता है अथवा उसमें विश्वास नहीं किया जाता । हमें सरकार के विशेषतः प्रधान मन्त्री के इस व्यवहार से भारी चोट पहुँची है और यह एक गंभीर मामला है। आखिर इस बर्ताव का मतलब क्या होता है ।

सरकार ने भारत के नाम को उससे भी अधिक हानि पहुँचाई है जितना कि चीनी अथवा पाकिस्तानी पहुँचा सकते थे । आज हमारा सिर शर्म से झुक रहा है । एक राष्ट्र पर जो अत्याचार हुआ है उसमें हम यह अपराधी बन रहे हैं । जब स्वतन्त्रा का खुले आम गला घोटा जा रहा है और यह समझा जाता है कि संसद केवल एक मौन दर्शक है, अथवा उसमें एक पार्टी है, तो मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूँ कि यदि वह यह समझती हैं कि भारत के लोग इस मामले में उसके साथ हैं, तो हमें संसद को विघरित कर दें और इस प्रश्न पर देश में चुनाव लड़ें और जनता की राय मालूल करें और उसका निर्णय स्वीकार करे और जनता को इस बात का निर्णय करने का मौका दें कि क्या वह रूस के आक्रमण की निन्दा करने की नीति चाहती है या सरकार द्वारा अपनायी गई अपराध में स्वीकृति देने की नीति का समर्थन करती है ।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, we have not yet received detailed and authoritative information about what has happened in the Security Council. We have not heard full details on Radio, but if what has been heard on Radio is correct, we are very much concerned about the matter and share the feelings expressed by the Members of the opposition. The Congress party always fought for and follows certain principles and ideals. We should discuss the matter and express our views on the issue. But it should be done in a peaceful manner. We should not lose our temper and try to exercise restraint while dicussing the matter. The only question involved is whether the Government have gone back on the assurance or the promise which the Prime Minister made yesterday in the House and whether there was justification for the Government to do so. So let

us first listen patiently to the Government, then discuss the matter in peaceful manner, and take a decision in the light of the latest developments.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : sir, the Statement which the Prime Minister made day before yesterday on the develoments in Czecholovakia gave an indication that there was something black at the bottom. The Prime Minister and the hon. Speaker appealed to the House to give requisite time to the Government in order to enable them to Shidy the whole suitation and then make a statement on the floor of the House. During yesterdays debtate itself the Government should have supported a resolution condemning Soviet Union for its action in Czechoslovkia, but far form this they did not accept a simple resolution moved by Shrimati Sucheta Kripalani which only said that the Soviet action has violated the U. N. Charter. But now a most shameful thing has happened. The Prime Minister had something elsein her mind. She had already issued instructions to her representative in the U. N. O. to abstain himself from the voting on the resolution which sought to condemn the Soviet aggression in Czechoslovakia. Thus the role played by our Representative in the U. N. O. has damaged and tarnished the honour and prestige of our motherland and we have to bow our heads in shame and we have lost face before mankind.

I congratulate Shri Asok Mehta for his bold step he took and the courage he has shown on this issue. By doing what it has done, the Government has ceased to have any right to govern the country.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Humanity and human values have been murdered and human rights encroached upon by what has happened in Czechoslovakia.The Soviet action in that country deserves condemnation.According to our traditions and the ideals of Gandhiji for which he stood, we have always been upholding the cause of freedom and the cause of those whose rights have been trampled upon.We must, therefore, condemn Soviet Union for its action in Czechoslovakia and sympathise with the beleeding Czechoslovakas in their hour of travail.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : विवादास्पद प्रश्न यह है कि चैकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है उस सम्बन्ध में हमारा क्या रवैया रहा है और इस बारे में सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि ने किसी तरह काम किया है। कल इस सभा ने केवल इस विनय पर संकल्प स्वीकार नहीं किया कि वह निन्दात्मक है। प्रधान मंत्री द्वारा कल दिये गये वक्तव्य के अनुसार सुरक्षा परिषद् में हमारा रवैया इस बात पर निर्भर है कि वहां वह संकल्प किस रूप में आता है, इसलिये संकल्प के प्रति अपना रवैया अपनाने से पूर्व कोई पहलुओं पर विचार करना होता है, हम शीत युद्ध में उलझना नहीं चाहते। यदि वह संकल्प दूसरे किस्म का होता, तो हम उसका समर्थन करने के लिये तैयार हो गये होते। लेकिन उसमें 'निन्दा' शब्द का प्रयोग किया गया था जिस पर हम सहमत नहीं हो सके।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : हमें यह सुन कर भारी दुःख हुआ है और गहरी चोट पहुँची है कि सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि ने सरकार की हिदायते पर चैकोस्लोवाकिया के मामले में एक विशेष संकल्प पर मतदान नहीं किये और तटस्थ रहा। ऐसा लगता है

हम अब भी गुलाम हैं। ऐसी दलील देने में कोई तथ्य तथा लाभ नहीं है कि उस संकल्प में "निन्दा" शब्द होने के कारण भारतीय प्रतिनिधि के लिये उसके समर्थन में मतदान कठिन था।

आज सुबह केवल यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रधान मंत्री अथवा भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से यह बतायेगा कि सुरक्षा परिषद् में भारत के प्रतिनिधि को क्या हिदायतें दी गईं थीं। लेकिन इस प्रश्न का सरकार की ओर से कोई जबाब नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि यदि भारत प्रतिनिधि को उस संकल्प के पक्ष में मत देने में कठिनाई महसूस होने लगी थी तो उसने खुद कोई संकल्प प्रस्तुत क्यों नहीं किया और उसने इस मामले में दूसरों का इन्तजार क्यों किया और जिसका समर्थन करने में उसे कठिनाई मालूम हुई? अगर यह भी मान लिया जाये कि वह मतदान करने की स्थिति में नहीं था, तो क्या वह अपना दृष्टिकोण भी व्यक्त नहीं कर सकता था और इस बारे में उसने जो कुछ महसूस किया, उसे भी वह नहीं कह सकता था।

वास्तविकता यह है कि हम सचाई से मुख मोड़ रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र है और भी हम इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम, जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियों के सामने अपने सीने ताने थे, आज किसी देश की सलाह पर भयभीत हो गये हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यदि शब्दों का कोई अर्थ होता है, तो मैं समझता हूं कल हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम एक राष्ट्र को, जिसका गला घोंटा गया है, न्याय दिलाने के लिये हर प्रयास का समर्थन करेंगे। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कहीं।

मैं समझ नहीं पाता कि सरकार ने अपने प्रतिनिधि को मतदान से अनुपस्थित रहने का आदेश किस कारण दिया? हमें तो वहां पर अपनी ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था। हमें तो यह बताया गया था कि भारत चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न को उठायेगा और उस देश के पक्ष में आवाज उठायेगा। रूस के कार्य सभी पक्षों ने निन्दा की है। साम्यवादी दलों ने भी ऐसा ही किया है। अब ऐसी शंका होने लगी है कि छोटे देशों को थोड़े ही समय में अधीन कर लिया जायेगा। इन्डोनेशिया जैसे देश चीन के आगे नहीं टिक सकेंगे। ऐसी स्थिति में सिद्धान्त तो समाप्त ही कर दिये गये हैं। भारत द्वारा इस प्रकार का रुख अपनाना बड़े खेद की बात है। यह वही भारत है जिसने विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी थी और उससे स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। आज का भारत का रवैया गांधी के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। क्या गांधी जी भारत से यही आशा करते थे? भारत ने स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा और बिना किसी प्रकार के भय के। आज शायद भारत पर दबाव डाला जा रहा है और उसके फलस्वरूप भारत ने सत्य और न्याय का मार्ग त्याग दिया है। यह बहुत अनुचित है। हमारे समक्ष एक छोटे राष्ट्र का एक बड़े राष्ट्र द्वारा गला घोंटा जा रहा है और हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

यह कहा जा रहा है कि रूस को खतरा हो गया था। क्या चैकोस्लोवाकिया ने किसी पूंजीवादी देश के साथ समझौता कर लिया था ? ऐसी कोई बात नहीं थी। आज चैकोस्लोवाकिया ने गांधी जी के मार्ग पर चल कर दिखा दिया है। वह सच्चा सत्याग्रह कर रहा है। आज सभी कांग्रेस वालों को विचार करना चाहिये कि क्या उनका रवैया ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री स्थिति के बारे में बतायेंगी।

श्री जा० भा० कृपालानी : यदि सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें तो समय की कोई हानि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के स्थगन प्रस्ताव पर थोड़े समय तक विचार होता है। नियम 109 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यदि सदस्य चर्चा स्थगित करना चाहते हैं तो मैं प्रस्ताव को मतदान के रखूंगा अथवा हमें प्रधान मंत्री के विचारों को सुनना चाहिए।

———

चैकोस्लोवाकिया के विषय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : U.N.SECURITY COUNCIL RESOLUTION RELATINGTO CZECHOSLOVAKIA

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने कल भी और उससे पहले दिन भी कहा था कि बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी यहां पर हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के बारे में उल्लेख किया गया है। मुझे उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : * *

श्री रंगा : * *

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। प्रधान मंत्री को अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री जा० भा० कृपालानी : * *

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमान मैं दूसरे सदन में वाद-विवाद में भाग ले रही थी कि मुझे पता चला कि मुझे चैकोस्लोवाकिया के बारे में यहाँ स्थिति स्पष्ट करनी है। अब यदि माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं बोलूंगी।

* कार्यवही में शामिल नहीं किया गया।

* Not recorded.

श्री बलराज मधोक : हम उनसे जानकारी चाहते हैं उन्हें ऐसे कह कर बैठ नहीं जाना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसे कहा गया है कि हमने अपने कहने के अनुसार आचरण नहीं किया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

मैं स्पष्ट कर दूं कि सुरक्षा परिषद् में रखे गये प्रस्ताव का 'हमने समर्थन किया है और उस प्रस्ताव के अन्तिम पैरे में 'निन्दा' शब्द के स्थान पर हम 'दुख प्रकट करना' शब्द रखना चाहते थे। इस प्रकार हमने केवल एक पैरे में एक शब्द के बारे में असमति व्यक्त की थी। हम चैकोस्लोवाकिया में अन्य देशों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं। हमने मांग की है कि चैकोस्लोवाकिया से विदेशी सेनाओं को अविलम्ब हटा लिया जाना चाहिये। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया कि हमें अपने सिद्धान्तों पर कामय रहना है और सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव में शब्द "निन्दा" के स्थान पर "दुख प्रकट करना" शब्द रख दिया जाना चाहिये। इसका निर्णय हमने किया। इसीलिये हमारे प्रतिनिधि ने माँग की कि प्रस्ताव के सभी पैरों पर पैरावार मतदान होना चाहिये। इस प्रकार हम सभी बातों के लिये मतदान करते और केवल एक शब्द का विरोध करते। अभी हमारे पास सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा नहीं आया है। इस सम्बन्ध में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी : हमें प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा करनी चाहिये। हमें अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सहमति है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। परन्तु यह कल हो सकती है।

डा० राम सुभग सिंह : अब तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, you have heard them, we should also be given an opportunity. We also sympathise with that country. But these people are bent upon (**Interruption**) :

An Hon. Member : Shri Pandey has shown his chappal (**Interruptions**).

Shri Atal nihari Vijayee (Balrampur) : Sir, he has taken out his chappals.

An Hon. Member : Shri Sarjoo Pandey has shown his chappal to Shri Yajna Datt Sharma.

श्री हेम बरुआ : बड़े खेद की बात है। चप्पल दिखायी जा रही हैं।

श्री वी० कृष्ण मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, हमें यह संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की और अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस प्रकार चप्पल दिखाया जाना बहुत अनुचित हैं। श्री पाण्डेय का श्री शर्मा के विचारों से मतभेद हो सकता है परन्तु इस प्रकार का व्यवहार सर्वथा अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी ने नहीं कहा कि इस प्रकार करना उचित है। श्री पाण्डेय को क्या कहना है ?

Shri Sarjoo Pandey : Sir, I am sorry for this incident. I lost my mental balance. I am sorry.

Shri Vajna Datt Sharma: Sir, as he has expressed regrets, the matter may be dropped here and now.

अध्यक्ष महोदय : संसद में चप्पल दिखाने की अनुमति नहीं है।

Shri Atal Bihari Vijpayee : Sir, as Government hs not got the full details of proceedings of Security Council, I request you to postpone the discussion on this matter.

श्री नाथ पाई : मैं श्री वाजपेयी की बात का समर्थन करता हूँ। परन्तु मुझे सरकार के सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधि द्वारा मतदान में भाग न लेने पर बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय में संकल्प दिये हैं। प्रधान मंत्री ने भी विस्तृत रूप से बता दिया हैं। अतः हम इसको अभी ले सकते हैं। (व्यवधान)

अब सभा के समक्ष श्री वाजपेयी का यह संकलप है :—

"सुरक्षा परिषद में भारत रुख के बारे में प्रधान मंत्री के 23 अगस्त, 1968 के वक्तव्य पर विचार किया जाये"

आप इस पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि संकल्प को अभी ले लिया जाये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): We are ready for discussion even now.

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी का संकल्प पहले आया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने उससे भी पहले अपना संकल्प दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री वाजपेयी अथवा किसी अन्य के संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एस. कन्डप्पन (मेट्टूर) : हम नहीं जानते कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधियों ने संकल्प के किस भाग का समर्थन किया है और किस भाग का समर्थन नहीं किया है। प्रधान मन्त्री भी नहीं जानती कि स्थिति क्या है। मेरा सुझाव है कि सरकार के पास जो भी सामग्री है वह हमें बताई जाये।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : नियक 333 इस प्रकार है :—

"कोई सदस्य किसी ऐसे प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की सूचना दे सकेगा, जिसे वह चाहता हो कि ऐसे अन्य कार्य की समाप्ति पर लिया जाये जिस पर यह प्रस्ताव संभाव्य हो और यदि ऐसी सूचना अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली जाये तो उसे कार्य सूची में, यथास्थिति, प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की संभाव्य सूचना शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।

संभाव्य सूचना ऐसे रूप में होगी जो अध्यक्ष विहित करे और सभा में इस कार्य के निबटाये जाने के बाद ही ली जायेगी जिस पर कि सूचना संभाव्य हो । इसके पश्चात् नियम 334 इस प्रकार है ।

"सचिव प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सूचना या पत्र की एक प्रति जिसकी इन नियमों के अनुसार सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध किये जाने की अपेक्षा है परिचालित करने का भरसक प्रयत्न करेगा ।

कोई सूचना या अन्य पत्र प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध किया गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रति ऐसी रीति से और ऐसे स्थान में रख दी जाये जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दें।

नियम 332 यह कहता है ।

"कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी, और संसदीय सूचनालय में छोड़ दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़ कर प्रत्येक दिन समय-समव पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा ।

संसदीय सूचनालय में उपनियम (i) के अन्तर्गत अधिसूचित समय के बाद छोड़ी गई सूचनायें अगले खुलने वाले दिन दी गई समझी जायेगी ।"

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आज ग्राह्य नहीं किया जा सकता ।

श्री क० नारायण राव : (बोव्विली) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर पूर्ण अव्यवस्था है और मैं व्यवस्था बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं । मेरा सुझाव है कि चर्चा अभी कर ली जाये ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमें अभी इस समय चर्चा उठाना नहीं चाहते । हम कल चर्चा उठाना पसन्द करेंगे ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें सभा के कार्य को स्थगित करने को कहा गया है । इस प्रस्ताव पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई । जब तक इस प्रस्ताव का निबटारा नहीं हो जाता तब तक किसी अन्य कार्य को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको स्वीकार करता हूं... (अन्तर्बाधायें)

श्री हेम बरुआ का प्रस्ताव पहले आया था मैं उसको पढ़ता हूं : यह इस प्रकार है ।

"कि चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प के बारे में 23 अगस्त, 1968 को सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये । क्या हम इस प्रस्ताव को लें ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जी हां । यह ठीक है । मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प के बारे में 2 अगस्त, 1968 को सभा में प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) मैं श्री वाजपेयी से अपील करूँगा कि वह दल का नेता होने के नाते अपने दल के सदस्यों को कार्यवाही में बाधा डालने से रोकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नेताओं से सहयोग की आशा करता हूँ।

श्री जे०भा० कृपालानी (गुना) प्रधान मन्त्री के लिए यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने विरोधी दलों के सदस्यों को कार्यवाही में बाधा डालने से नहीं रोका है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं क्षमा याचना करती हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि श्री वाजपेयी अपना संकल्प प्रस्तुत करते तो मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था।

मुझे प्रधान मन्त्री का वक्तव्य सुनकर आश्चर्य तथा दुख हुआ है। प्रधान मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि सुरक्षा परिषद के समक्ष जो संकल्प हैं वह पूर्ण है तथा उसके अलग-अलग भागों पर मतदान नहीं किया जा सकना। अतः वह मतदान में भाग न लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते थे। संकल्प का भार आक्रमण की निन्दा करना था। यह देश तथा सभा भी यह चाहती थी। प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा था कि वह समय चाहती है ताकि सुरक्षा परिषद् में जो संकल्प है वह उसके प्रति अपने रवैये के बारे में कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त कर सकें। परन्तु अब यह कह कर उनके संकल्प इस तथा उस भाग का समर्थन किया है वह संकल्प के भार से हमारा ध्यान हटाना चाहती है। सरकार ने मतदान में भाग न लेकर भारत की संसद तथा भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।

सुरक्षा परिषद् के संकल्प में शक्ति के प्रयोग की निन्दा की गई है। हम भी चेकोस्लोवाकिया को उसकी प्रभुसत्ता के बारे में आश्वासन देना चाहते हैं। परन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि हमारी नीतियों पर बाह्य प्रभाव है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में हमारे प्रतिनिधि के निर्णय लेने के लिए कुछ समय माँगा है। वास्तव समय रूस को चाहिए था जिससे कि चेकोस्लोवाकिया को पूर्णरूप से समाप्त किया जा सके। इस महान् देश भारत से यह आशा नहीं थी कि वह इस संकल्प का समर्थन न कर देश को अपमानित करेगा। स्थानापन्न प्रस्ताव न रखे जाने के क्या कारण है। यदि वह इस घटनाओं की निन्दा करना चाहते थे तो उनको एक अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए था। भारत सरकार ने जो कुछ किया है भारत के लोग उसका समर्थन नहीं करते, वे मांग करते हैं कि सरकार को इस मामले पर त्याग पत्र देना चाहिए। प्रश्न चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध रूस के आक्रमण का नहीं बल्कि यह है कि क्या कोई देश अपना भविष्य, अपनी नीति तथा भाग्य का निर्माण अपनी इच्छा

अनुसार कर सकता है ? चाहे अमरीका हो चाहे रूस बड़ी शक्तियाँ यह नहीं चाहती कि छोटे देश समृद्ध हों । छोटे देशों के प्रति बड़ी शक्तियों की नीति एक ही है ।

चेकोस्लोवाकिया वर्तमान नीतियों से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को कोई खतरा नहीं था । खतरा था तो वह था रूसी साम्राज्यवाद को । रूस के विखंडित होने का भय था । अतः इसी कारण चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया। मुझे विश्वास है कि यदि इस मामले में चेकोस्लोवाकिया अपने पांव पर खड़ा हो जाता तो न केवल पोलैण्ड और हेंगरी बल्कि स्वयं रूस में भी क्रान्ति और परिवर्तन होने की सम्भावना थी । इसमें कोई सन्देह नह कि रूसी नेताओं में भी इस मामले पर गम्भीर मतभेद है । रूस में जो नई पीढ़ि पनप रही है, जो लेखक तथा अन्य लोग है वे स्वतंत्रता चाहते हैं और वे सरकार के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करना चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री ने अपने कल के वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट नहीं कि संकल्प या मतदान में भाग न लेने के क्या कारण हैं । यदि सरकार इसी नीति पर चलना चाहती है, जिसका उल्लेख उन्होंने कल सभा में किया हैं तो मैं कहूँगा कि वह देश को धोखा दे रहे हैं और लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे है । मैं चाहता है कि सभा का कार्य पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जाये क्योंकि यह सरकार त्यागपत्र नहीं दे रही है । यदि इस सरकार को देश का कुछ ध्यान है तो उसको अपनी इस गलती के लिए राष्ट्र से क्षमा मांगनीं चाहिए । यदि सरकार ने संयुक्तराष्ट्र में अपने प्रतिनिधि को देश की नीति के अनुसार कार्यवाही करने के अनुदेश दिये होते तो मुझे कोई संदेह नहीं कि उन्होंने संकल्प के पक्ष में अपना मत डाला होता । यह सरकार रूस के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रही है । अतः इसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री जार्ज फरनेन्डोज (बम्बई-दक्षिण) : स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move substitute motion no. 7.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : मुझे भी अवसर प्रदान किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सूची मिलने पर आपको बुलाया जायगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई-दिल्ली) : भारत और चेकोस्लोवाकिया के लोगों के आदर्श लगभग समान है। यह आदर्श है सच्चाई और विजय।

चेकोस्लोवाकिया ने 'हुस्दवा' जैसे महान धार्मिक व्यक्तियों को जन्म दिया है।

जब हम सुरक्षा परिषद् के सदस्य बने थे तो हमने कई संकल्प प्रस्तुत किये थे और हम अनेक मामले परिषद् के समक्ष लाये थे, हमें आशा थी कि इस बार भी हमारे प्रतिनिधि उसी ढंग से काम करेंगे। चार्टर में इस बात की घोषणा की गई है कि सदस्य इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये।

यदि हम एक बात कहें और उस पर अमल करें तो मुझे विश्वास है कि भारत की की आवाज भी विश्व में सुनी जायेगी। परन्तु तथ्य यह है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह आश्चर्य की बात हैं कि हमने शब्द 'डेप्लोर' और 'कन्डेम' में मतभेद किया है, मैं ऐसे कई संकल्पों का हवाला दे सकता हूं। जो कि भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिनमें शब्द 'कन्डम' प्रयोग किया गया है।

मैं जानता हूं कि यदि भारत अपना दृष्टिकोण उपस्थित करना चाहता तो उसके लिए मतदान में भाग न लेने का ही एक तरीका नहीं है बल्कि उसके लिए पर्याप्त कानूनी साधन है, और अपने अनुभव का प्रचार करने की हमारे में योग्यता है और उसके लिए पर्याप्त पूर्वाद्धहरण भी है। हमें स्वयं की पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहिए जिसने कि किसी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया है और जिसको कि लोकतन्त्र के बारे में बहुत कम जानकारी है। पाकिस्तान ने मानव अधिकारों के लिए शायद ही कभी चिन्ता व्यक्त की हो। हम ऐसे अन्तराष्ट्रीय कानून तथा सिद्धान्त बनाने से लिए है जिनसे कि विश्व को अगली शताब्दी में युद्ध की विनाशकारियों से सुरक्षित किया जा सके।

चेकोस्लोवाकिया के लोगों महात्मा गांधी तथा गुरुदेव टैगोर का बहुत सम्मान करते हैं। चालर्स विश्वविद्यालय में संस्कृत तामिल, मल्यालम, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषायें पढ़ाये जाने की व्यवस्था है। चालर्स विश्वविद्यालय यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय मुझे ऐसा विश्वास हैं कि यदि आप रूस की यात्रा के बजाये प्राग की यात्रा का कार्यक्रम बनाते तो इस दुःखद घटना को टाला जा सकता था।

मैं अपने ध्यान में ला सकता हूं। एक ऐतिहासिक महत्व की घटना मुझे याद है। हमारे वर्तमान उपप्रधान मंत्री चेकोस्लोवाकिया गये थे। उस समय वह वित्त मंत्री थे। चेकोस्लोवाकिया के प्रधान मंत्री श्री शिरोकी ने जो स्टालिन के अनुयायी थे, श्री देसाई को कुछ सीख देनी चाही जो कि हमारी विचारधारा के विरुद्ध थी। श्री देसाई ने उनकी बात सुनने से इन्कार कर दिया। इस पर श्री शिरोकी का गुस्से से चेहरा लाल हो गया और भेंट वहीं समाप्त हो गई। इस पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि किसी ने तो भारत के मान का ध्यान रखा है।

ग्राज वह भावना समाप्त हो गई जान पड़ती है। इस समय चेकोस्लोवाकिया में क्या हो रहा है? हम प्रार्थना करते हैं कि वहां के नेता श्री डुबचेक ठीक रहें। इस नेता ने अपने देश के लोगों आत्मविश्वास और निर्भीकता की भावना को जागृत किया है।

चेकोस्लोवाकिया में तीस वर्षों के बाद पुनः नया इतिहास लिखा जा रहा है। इस की अपनी परम्पराएं है और वे उनको अमूल्य समझते हैं। वहाँ प्रचीन काल से बड़ी-बड़ी संस्थाएं कार्य कर रही है।

चेकोस्लोवाकिया में ऐसे-ऐसे भवन है जिन पर बम वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पर अभी वहाँ की सरकार कार्य कर रही है। उनके रेडियो स्टेशन समाचार प्रसारित कर रहे हैं। हमें ऐसी स्थिति उनकी सहायता करनी चाहिये।

भारत के लिये यह एक अच्छा अवसर है कि सुरक्षा परिषद में मानवता से अपील करे और बताये कि रूस ने क्या किया है। रूस अपनी इस कार्यवाही से बहुता बदनाम हो गया है। उसकी सभी निन्दा कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय कानून को दृष्टि में रखते हुए स्पष्ट बात कहनी चाहिये।

बर्बरता की निन्दा करनी चाहिये। हमें चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता की कामना करनी चाहिये। हमें रूस को ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये। भारत को सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाना चाहिये।

आज विश्व में बहुत से संकट खड़े हुए हैं बड़े-बड़े देश भी फंसे हुए है। ऐसी स्थिति में भारत को विश्व जनमत पर प्रभाव डालते हुए रचनात्मक समाधान लाने चाहिये। आज जो कुछ चेकोस्लोवाकिया में हुआ, यह कल को रूमानिया और यूगोस्लाविया में हो सकता है। इस बारे में हमें उनकी सहायता की घोषणा करनी चाहिये।

मुझे इस सरकार के बारे में शिकायत हैं कि इसने देश के साथ विश्वासघात किया हैं। इसके लिये इसे पश्चाताप करना चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा आप से सुझाव है कि आप कृपया इस संसद की ओर चेकोस्लोवाकिया की संसद को सन्देश कि हम उनके साथ एक मत हैं।

श्री शिवाजी राव देशमुख (परभणी) : वरिष्ठ सदस्य श्री बाजपेयी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। वक्तव्य में तो केवल यही बताया गया था कि भारत किन कारणों से सुरक्षा परिषद में मतदान से अनुपस्थित रहा। सुरक्षा परिषद एक राजनैतिक संगठन है। वहां अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल खेला जाता है। शीतयुद्ध में सुरक्षा परिषद असफल रही है हमें आज के समूचे विश्व की राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते पुए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को और उस पर मतदान को ध्यान में लाना चाहिये। प्रायः यह देखा गया है सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्र सदैव अपने राजनैतिक हितों के लिये कार्य करते हैं। हमने देखा है कि सुरक्षा परिषद एक देश प्रभुसत्ता की रक्षा करने में असफल रही है। यदि हम भी मतदान में भाग लेते तो यह स्पष्ट था कि हम भी बड़े राष्ट्रों की चालों में आ गये हैं। हमें स्वयं निर्णय करना चाहिये कि कौनसा उचित मार्ग है।

चीन की कम्यूस्निट पार्टी ने रूस की निन्दा की है। यह उसने रूस के प्रति पहले की शत्रुता की पृष्टभूमि में किया है। यदि हम भी प्रस्ताव के समर्थन में मत देते तो हम भी अमरीका के साथ माने जाते। हमारा उस प्रतिवेदन को आंशिक समर्थन हमारी विदेश नीति के अनुसार था। आज विश्व में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में दरारें आ गई हैं।

यदि हम सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करते, तो हमारे में और अमरीका जैसे देशों के रुख में कोई अन्तर नहीं होता। अतः हमें अपना स्वतन्त्र और न्यायोचित रुख अपनाना पड़ा। हम किसी पक्ष के पिछलग्गू का रूप धारण नहीं कर सकते। मेरे विचार में भारत का मतदान से अनुपस्थित रहना बिलकुल ठीक था।

अब हमने दिखा दिया है कि हम किसी के इशारे पर नाचते नहीं हैं। हम सभी विषयों के गुण दोष देख कर निर्णय करते हैं। यदि प्रत्येक पैरे अंगल से मतदान होता तो हम एक पैरे को छोड़ कर सभी पैरों का समर्थन करते। इस प्रकार हम खुले शब्दों में रूस के आक्रमण को अनुचित घोषित करते। अब स्थिति को देखते हुए मतदान में भाग न लेना ही ठीक था।

हम अपने देश को अमरीका अथवा रूस के हितों की रक्षा के लिये प्रयोग में नहीं लाने दे सकते। हम स्वतन्त्र रूप से विचार करने के बाद निर्णय करते हैं। श्री सोंधी ने बहुत मार्मिक शब्दों में चेकोस्लोवाकिया के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। परन्तु वह नहीं जानते उनके दल की विचारधारा तो चेकोस्लोवाकिया के लोगों की विचारधारा के बिलकुल विपरीत है। श्री सोंधी तो इस अवसर का लाभ उठा कर सरकार की अलोचना पर उतारू हैं। जब श्री सोंधी चेकोस्लोवाकिया में थे, उस समय वहां सम्पूर्ण शान्ति थी।

सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान काश्मीर में से अपनी सेनाएं हटायेगा। क्या इस पर अमल हुआ है। अब यदि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में एक शब्द के स्थान पर लगभ उन्हीं अर्थों वाला अन्य शब्द रख दिया जाये तो इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। हमें भी चेकोस्लोवाकिया के लोगों के पूरी पूरी सहानुभूति है। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो बातें रखी है मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था रूस की सेनाएं तुरन्त वापिस जानी चाहिये। किसी देश के आन्तरिक देश में वाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। सभी देशों की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का मान होना चाहिये। हमें इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्न करना होगा।

Shri Prakash ir Shastri (Hapur) : It is matter of shame for us here that India abstained from voting in Security Council on the resolution regarding Czecholovakia. The Prime Minister is saying that we had convne a Cabinet meeting to consider our stand on the resolution in Security Council, is nothing but hollowness of our policy on such a vital matter.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Similarly Government had to hold a Cabinet meeting in 1965 to decide whether the use Air Force against Pakistan or not. It is not the proper way of running a successful Government.

We expected from this Government that itwould come out with clear condemenation of marked aggression of Czecholovakia by Soviet Russia. But it has continued to follow its policy of indecision. The lastest development in Czecholovakia are going to have very serious international repercussion. The very existence of U. N. O. is in danger. How can it be allowed tht a member nation should mount aggression against a small member nation.

India should move a resolution in Security Council demanding a collective action against the aggressor. There is such a provision in the Charter of U. N . O. India should decide its foreign policy itself. It should not go according to the dictates of forign countries.

We should not recognize the Government which is established by Russia in Czechoslovakia. India should reconsider its telations with Soviet Union.Our own interest should be given first priority.

श्री के० आर० गणेश (अन्दमान निकोबार दीप समूह) : इस समय हम भारत के सुरक्षा परिषद से प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव पर मतदान में भाग न लेने पर विचार कर रहे हैं। भारत की अपनी स्वतन्त्र नीति है। हमने प्रस्ताव के मुख्य भाग का समर्थन किया था हमने केवल "निन्दा" शब्द से असहमति व्यक्त की थी।

चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में हमने जो प्रतिक्रिया दिखाई है वह वैसी ही है जैसे हमने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में दिखाई थी। हमने वियतनाम, संयुक्त अरब गण-राज्य पर ब्रिटेन और अमरीकी आक्रमण संयुक्त अरब गणराज्य पर इसरायली आक्रमण आदि मामलों के बारे में थी वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाई थी। इसलिये चेकोस्लोवाकिया के मामले में हमारे प्रधान मंत्री ने जैसी भाषा में अपना वक्तव्य दिया वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में हमारी प्रतिक्रिया के अनुरूप था।

यदि सुरक्षा परिषद् के अग्रनीय नेता इस समस्या को वास्तव में हल करना चाहते थे तो उन्हें रूस और वारसा संधि वाले देशों को निकालने के लिये तुरन्त एक जैसा संकल्प लाना चाहिये था। परन्तु उनका उद्देश्य चेकोस्लोवाकिया में लोकतंत्र को बचाना ही नहीं था बल्कि वे शीत युद्ध का वातावरण पुनः पैदा करने के लिये सुरक्षा परिषद् के मंच का प्रयोग करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने संकल्प को इस प्रकार बनाया जिससे सभी देश अध्ययन न हो सकें।

हमने इस सभा में चेकोस्लोवाकिया में हुई घटनाओं की बहुत निन्दा की है। हमने यह इच्छा प्रकट की है कि इस परीक्षण के अवसर पर चेकोस्लोवाकिया के लोगों में एकता होनी चाहिये। यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया में चेकोस्लोवाकिया साम्यवादी दल तथा चेकोस्लो-वाकिया के लोग साम्यवादी शासन को उदार बनाना चाहते थे। परन्तु वहां ऐसे भी लोग थे जो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे जिससे साम्यवादी प्रणाली समाप्त हो जाये।

चेकोस्लोवाकिया में चाहे कैसी भी स्थिति हो, वहां पर रूस तथा वारसा देशों द्वारा आक्रमण किया जाना अति निन्दनीय है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करने से रूस ने अपने 50 अथवा 60 वर्षों से बनाये हुये गौरव को समाप्त कर लिया हैं। इसलिये यह उसके हित में है कि वह अपनी सेना को वहां से तुरन्त वापिस बुला ले। हमारे मित्र चेकोस्लो-

वाकिया में लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं परन्तु वे इस देश के प्रधान मंत्री को वैसे बोलने के लिये कहते हैं जैसा वे चाहते हैं ।

श्री पीलू मोड (गोधारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सभा को यह चेतावनी दी थी यदि हमने पूर्व इतिहास से सबक न सीखा तो हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है। चाहे मैं सम्बोधित आपको ही करूंगा परन्तु मैं कांग्रेस दल के उन लगभग 200 सदस्यों को सुनाना चाहूंगा जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं । उन्हे इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि आज जो कुछ चेकोस्लोवाकिया में हुआ है कि वह भारत के प्रति भी हो सकता है ।

विगत काल में भारत सरकार ने कई अवसरों पर मतदान किया है उदाहरणार्थ जब इसराइल के बारे में निन्दामय शब्द का प्रयोग किया गया था परन्तु आज वे उस शब्द के शब्द-कोष अर्थ के विशेषज्ञ बन बैठे हैं । वे इस सभा में केवल यही बहाना प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन 500 शब्दों में से एक शब्द निन्दा के कारण उन्हें अनुपस्थिति रहकर सम्पूर्ण संकल्प के विरुद्ध मतदान देना था। यह बहुत शर्म की बात है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा । कि चेकोस्लोवाकिया से एक चलचित्र चोरी हो गया है जिसमें वह सब कुछ दिखाया गया है जो वहां पर गत दो अथवा तीन दिनों में हुआ है । इस चलचित्र को प्रत्येक टेलीविजन में दिखाया जायेगा । मैं यही चाहता हूं कि उसकी एक प्रति ला कर इन लोगों को दिखाई जाये। तथा उनकी प्रतिक्रिया देखी जाये । मैं यह समझता हूं कि रूस ने जो कुछ चेकोस्लोवाकिया में किया है उससे सारे विश्व में साम्यवाद को बड़ा धक्का पहुँचा है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं कल से बोलने का प्रयास कर रही हूं परन्तु मुझे सफलता नहीं मिली है मैं आज भाषण नहीं देना चाहती हूं मैं प्रधान मंत्री से एक दो प्रश्न पूछना चाहती हूं जो हमारे देश तथा कांग्रेस दल के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । मैं समझती हूं कि उन्होंने सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत किये गये सारे संकल्प को पढ़ा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि भारत सरकार ने सभी कंडिकाओं का समर्थन किया है तथा एक कंडिका में कहा गया है कि घोषणा-पत्र का उल्लंघन किया गया है । मेरे संशोधन में भी यही कहा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चाहे हमारी संसद् ने उसे स्वीकार नहीं किया है परन्तु अयक्त संसद अर्थात् सुरक्षा परिषद् में उसे स्वीकार कर लिया गया है।

प्रधान मंत्री ने संकल्प की प्रत्येक कंडिका को पढ़ा है तथा इससे पता चलता है कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये हैं तथा विभिन्न सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे भी यह पता चला है कि छोटे देश की अखण्डता को तोड़ा नहीं जाना चाहिये, किसी देश के भीतरी मामलों में सेना के प्रयोग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने भाग्य को बदलने का अधिकार होना चाहिये । क्या विदेशी क्षेत्र को निकाला जाना चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने इसका समर्थन किया है ।

हमने केवल एक शब्द "कंडैम" के बारे में आपत्ति की थी। हम उस शब्द को नहीं चाहते थे तथा हम उस शब्द के स्थान पर 'डिप्लोर' शब्द रखना चाहते थे। परन्तु अब कोई भी यह जानना चाहेगा कि हमें किसकी निन्दा करने के लिए कहा गया ? कंडिका में कहा गया है कि 'सोवियत रूस तथा वरसा संधि के अन्य सदस्यों द्वारा चेकेस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा की जानी चाहिये।" मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हम सैनिक हस्तक्षेप की भी निन्दा नहीं करना चाहते हैं ? यह हस्तक्षेप के एक विशिष्ट कार्य की निन्दा है जिसके बारे में हमने पहले ही कहा है कि यह हमें पसन्द नही है। तथापि हमने इस शब्द के कारण वैसा नहीं किया है। इसलिये हमने संकल्प के बारे में मतदान न देने का निर्णय किया हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमने 'कंडेम' शब्द को एक तरफ तथा अन्य हर वस्तु को, अपने विचारों आदि को, हमारी तरफ रख दिया है।

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगी कि वह यह बतायें कि सुरक्षा परिषद् में भारत ने जो रवैया अपनाया हैं क्या इसका तात्पर्य यह है कि उनके लिए चेकेस्लोवाकिया के हित के बारे में तथा वहां की स्वतन्त्रता के बारे में कोई महत्व नहीं है तथा उनके लिये सबके महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रूस को किसी प्रकार नाराज नहीं कर सकते।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुलूर) मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अपने उन भाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं जो चेकोस्लोवाकिया में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। हमारे देश की एक बड़ी परम्परा और संस्कृति है। इसका अपना धर्म है और धर्म में विश्वास है। धर्म हमें यह सिखाता हैं कि हमें सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। मैं यह साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की विदेश नीति असफल रही है। हमने चेकोस्लोवाकिया के बारे में निश्चित नीति नहीं अपनाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम रूस का इसलिए समर्थन कर रहे है क्योंकि हमें डर है कि कहीं वह हमें हथियार देने बन्द न कर दें। मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी देश की शक्ति उसके शस्तास्त्रों से नहीं आंकी जाती है बल्कि वह वहां के धर्म से आंकी जाती है तथा वहां की उचित नीति से आंकी जाती है। अब तक भारत जिस नीति को अपनाता रहा है उसे हमारे प्रधान मन्त्री तथा हमारे कांग्रेसी भाइयों ने तोड़ दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा मान मिट्टी में मिल गया है। हमारा मान केवल तभी बढ़ सकता है यदि हम चेकोस्लोवाकिया में किये गये आक्रमण की निन्दा करने लग जायेंगे।

ऐसी आशा की जाती है कि हमारी प्रधान मन्त्री सही रास्ते पर चलेंगी तथा वह आक्रमण की निन्दा करेंगी और वह कहेंगी कि चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया है। मैं उनका अब भी बहुत आदर करता हूँ और उनसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनमें यह घोषणा करने का साहस होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आक्रमण हो वह उसकी निन्दा करें, जहाँ वह दयानतदारी देखे उसकी प्रशंसा करें तथा जहाँ अन्याय हो रहा हो वह उसकी निन्दा करने में संकोच न करें।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह एक अच्छी बात नहीं है। जो कुछ रूस ने किया

है यह विशेषकर इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि रूस लगभग दस बारह वर्षों से उदारता की नीति पर चल रहा था। विधि की विडम्बना यह है कि रूस ने यह एक ऐसी बात की है जिसकी संसार के विभिन्न देशों ने भर्त्सना की है। हमने उनके प्रति मित्रता का दृष्टिकोण अपनाया है तथा हमने ऐसे शब्दों में अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं जिनसे उनका विरोध होता है।

हम चाहते हैं कि चेकोस्लोवाकिया के लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे। उनके लिये समाजवाद का अर्थ अपनी मर्जी से काम करना भी है। उन लोगो के शांत आन्दोलन की हम प्रशंसा करते हैं।

ऐसी स्थिति में हमें शांति के लिए काम करना है। जहाँ कहीं आक्रमण करना हो हमें उसे समाप्त कराने के लिये प्रयत्न करना चाहियें। दक्षिण अमरीका में भी आक्रमण हुए हैं। यदि वहाँ पर कोई सरकार अमरीका के अनुरूप नहीं है तो वह उसे बदलने के लिए बल प्रयोग करता है। विदेशों में धन खर्च करना भी एक तरह का हस्तक्षेप है।

रूस ने गलत कदम उठाया है और उसे ठीक करना जरूरी है। हमने इतने वर्षों में रूस के साथ जो मित्रता स्थापित की है हमें उसका लाभ उठा कर रूस को इस आक्रामक कदम को वापस लेने के लिये राजी करना चाहिये।

जहाँ तक शांति का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद् ने कोरिया को छोड़कर अन्य किसी संकट में गम्भीर रूप से हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिये सन्देह है कि वह वर्तमान संकट में भी प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं। सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही शब्दों तक ही सीमित रहती है।

हम नहीं चाहते कि सुरक्षा परिषद् में हमारा योगदान केवल चर्चा तक सीमित रह कर ही समाप्त हो जाये इससे तो शीत युद्ध शुरू हो सकता है जो विश्व शांति के हितों के विरुद्ध होगा। इसलिए हमने सुरक्षा परिषद् में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। जो भी बात कहना आवश्यक होगा हम अवश्य ही कहेंगे। हम रूस से कहेंगे कि उसने गलत कदम उठाया है और हमने ऐसा करके दिखाया है। हमारे देश ने ही यह पहल की है। सरकार ने इस संसद में रूस की कार्यवाही के विरूद्ध अपनी प्रतिक्रिया बड़े शानदार ढंग से व्यक्त की है। हमने विश्व शांति के हित में वियतनाम के बारे में साफ-साफ अपने विचार व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया है। हम हमेशा प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता के हामी रहे हैं चाहे वह चेकोस्लोवाकिया हो या वियतनाम हो या अन्य कोई देश हो।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : इस सभा के सामने सीधा सा प्रश्न यह है कि सरकार ने सुरक्षा परिषद् में जो रूख अपनाया है क्या वह सरकार के कल के वक्तव्य के अनुरूप है। हालांकि सरकार ने सुरक्षा परिषद् में जो रुख अपनाया है वह सरकार के कल के वक्तव्य के अनुरूप है फिर भी कुछ माननीय सदस्य उसका अनुमोदन नहीं करते। उसी चीज को बार-बार दोहराया जा रहा है। कुछ विपक्षी सदश्यों ने मानव अधिकारों और अन्य अनेक प्रश्नों के बारे में बड़े भावुकतापूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं।

[अध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair)]

हम सब चाहते हैं कि मानव अधिकारों पर कोई कुठाराघात न हो । परन्तु यह भावुकता उस वक्त कहां थी जब अमरीका में नीग्रो लोगों के अधिकारों के दमन के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में न उठाने के लिये सरकार की निन्दा करने की बात थी । वियतनाम के लोगों पर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र में मामला न उठाने के लिये सरकार की निन्द करने में उन्होंने वह भावुकता क्यों नहीं दिखाई ? कांगो में जब ज्वाला भड़क रही थी उसके प्रधान मंत्री का उड़ा ले जाकर उनकी अकारण ही हत्या कर दी गई थी उस समय इन लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया । जैसा कि मैंने कल कहा था इस सारे मामले में केवल मानव अधिकारों तथा उन सब बातों का ही प्रश्न नहीं है जो इन लोगों ने कही हैं । जहां तक उस समस्या का सम्बन्ध है मैंने अपने दल का रुख स्पष्ट कर दिया है । इसलिये उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता ।

इस समस्या की आड़ में विदेशी नीति में परिवर्तन करने की मांग की जा रही है । वे लोग चाहते हैं कि हम अमरीका के हामी बन जायें । वे लोग इस अवसर को खोना नहीं चाहते ।

यहां पर यह बात भी उठाई गई है कि जब हंगरी का प्रश्न उठाया गया था तो हम चुप्पी साधे रहे । चेकोस्लोवाकिया के बारे में मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ । हंगरी के बारे में मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । सामाज्यवादी तथा साम्यवादी शक्तियों के बीच विश्वव्यापी संघर्ष चलता रहा है । हम किसी दूसरे देश में क्रांति का निर्यात नहीं कर सकते । क्रांति तो स्वयं उस देशवासियों द्वारा ही लायी जा सकती है । परन्तु जब एक प्रति-क्रांति बाहर से लाई जाती है और उसके पीछे विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियाँ होतीं हैं तब हमारी राय में समाजवादी राष्ट्रों का यह केवल कर्तव्य ही नहीं अपितु जिम्मेदारी हो जाती है कि वे सीधे हस्तक्षेप करें और उस प्रति-क्रांति को समाप्त करें ।

भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में जो रुख अपनाया है वह प्रधान मंत्री के कल के वक्तव्य के अनुरूप है । प्रश्न यह नहीं है कि मैं था अन्य कोई व्यक्ति उसे पसन्द करता है या नहीं । यदि प्रतिपक्षी सदस्य समूची विदेश नीति में परिवर्तन चाहते हैं तो उस पर अलग से चर्चा की जानी चाहिये और उसे किसी अन्य तरीके वे उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । इस लिये मैं इनमें से किसी संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता ।

Shri Yogendra Sharma : (Begusarai) : One question under dispute in this House is whether the stand taken by the Indian representative in the Security Council was in accordance with the wishes of this House. I do not agree that there is any difference between the stand taken by the Indin representative in the Security Council and the diredtive given to him by the Centre.

We are at one with every body else that the soeverinity and indepence of Czechosolvikia should be respected, but there is a difference as to the object behind that feeling. Our concern

is how the national independence of Czechoslovakia should be defended together with socialism of that country. If this issue is made a subject of international cold war, it will harm the cause of Czecholovakia. Shri Ashok Mehta has sold India to American imperialists by restoring to devaluation of Indian rupee. If he now tenders his resignation form the Cabinet on the issue of Czecholovakia its does not serve the cause of that country. We should use our good office to find a solution of this issue keeping in view the interests of our country and the Czecholovak poeple.

श्री कार्तिक उराव (लोहरडग) : चेकोस्लोवाकिया के बारे में हम सब को बड़ी चिन्ता है। परन्तु तथ्य यह है कि हमें चेकोस्लोवाकिया के बारे में इतनी चिन्ता नहीं है जितनी हमें "कंडेम्ड" और "डिप्लोर्ड" शब्द के बारे में है। हम मानव अधिकारों तथा मानवता के बारे में विचार कर रहे हैं। यह तो प्रकृति का ही नियम है कि समाज के शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर अत्याचार करते हैं। इस सभा को एक हरिजन लड़के के जलाए जाने के बारे में सूचित किया गया है। मानव अधिकार तथा ऐसी ही अन्य बातें देश के हित के संदर्भ में सोची-विचारी जाती हैं। पाकिस्तान और चीन हमारे शत्रु हैं। मिजो, नागा तथा गारो लोग राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं। 21 देशों के साथ हमारे सहयोग करार हैं। इसलिये बिना सोचे समझे किसी देश की शत्रुता मोल लेना हमारे देश के हित में नहीं होगा। हमारा देश ही इस आक्रमण की निन्दा करने से पहल क्यों करे ? हम यह मानते हैं कि रूस ने जो कुछ किया है वह सह-अस्तित्व के सिद्धान्त तथा समाजवादी राज्यों के सम्बन्धों के विपरीत,है और वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी है। परन्तु हम क्या कर सकते है ?

हमें जो भी दृष्टिकोण अपनाना हो वह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि समझ कर अपनाना चाहिये।

एक स्वतंत्र तथा शांतिप्रिय देश का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे और उनके लिये अधिकारों की मांग करे और हमने ऐसा ही किया है। भारत सरकार ने जब कभी कोई रुख अपनाया है वह देश के हितों को ध्यान में रखकर अपनाया है। सुरक्षा परिषद् में भारत के प्रतिनिधि ने अपने देश के दृष्टिकोण को बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत किया हैं और ऐसा करके उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Today our country has come to a turn where we have to decide whether we have to follow Mahatma Gandhi or the policies enunciated in imported books. No country has such a glorious history as ours becaue we have always fought for the cause of truth and the down-trodden poeple. It was as a result of this fight that countries like Indonesia, Malaysia and others got their independence.

The stand taken by our representative in the Security Council on the resolution regarding Czechoslovakia shows that we have gone astray from the path shown by Gandhiji. If the Government of India did not like the use of the word" condemnation" in the resolution, our representative could have brought forward an amendment to that effect or put fortha separate resolution expressing our voice in softer words so that the world could know that India is still firm on the policy which is being pursued since the days of Mahatma Gandhi.

I have one more objection . The Prime Minist er said that she had consulted the Cabi-

net in regard to our stand on the resolution before the Security Council. But this was not enough. It was her duty to call the leaders of the opposition parties and consult them.

The matter was discused in the Cabinet meetting. They had right to do so. But it was also their duty to call those persons in that conference who also participated in freedom movement.

Our country has to play a very important role. Pakistan has forceably captured our terri tory. Under the Taskhant Agreement we were compelled to leave our territory.

It is very unfortunate that Russia sent her forces to a small country.

Now the time has come when the country has to follow the principles of Gandhiji. Gandhiji did not hesitate to raise sologans against the Britishers even at that time when they were in power.

The Prime Minister sho uld also rethink over it and should raise the voice of her conscience. We should make a pledge that all of us are united against a cruel country whether it may be Russia or America.

The policy of Russia has changed. She believed in "Live and let others live". But Russia has changed her policy in a second (interruption) . Srimati Sucheta Kripalani and Shri Ashoka Mehta went against Srimati Indira Gandhi because they were of one view that the Prime Minister was not following the path of Gandhiji.

Shri Madhu Limaye (Monghry) : I do not understand why the Government hesitate to condemn the Russian action in Czechoslovakia.

When England, France and Israel attacked Egypt in 1956, The then Prime Minister said "that the starting of Military Operations against Egypt by the United Kingdom and France and, more particularly, the bombing of parts of Cairo city came as a profound shock not only to the poeple in India but people everywhere".

Whether it will not he applicable to Russia? In the case of Russia Government forgot its principles.

Czechoslovakia is a netural country. The people of Czechoslovakia have condemned this occupation by Russia. The leaders of Czechoclovakia have called it " most brutal form of violation of soveriegnity and territorial integrity".

Rumania is a member of Warsaw Pact. Its leaders have the courage to condemn the Russian action. They demanded for sittings of the National Assembly. China has also condemned the attack of Russia. She has called it a shameless act.

It is a blot on our nation to abstain from voting at the time of the resolution in connection of occupation of Czechoslovakanian territory was brought against Russia in the National Assembly.

It is very unfortunate that Russia used her forces against Czechoslovakia which is a Communist Country and which is also one of the members of Warsa Pact.

The leaders of Czechoslovakia are of the view to from a Government which may have the favour of the people.

Russia should accept their demands and should not send tanks and air force to Czechoslovakia.

Whether India will condemn this invasion in the General Assembly and would suggest the measures to finish that invasion.

It matters a great that the Czechoslovakia's people are sacrificing their lives before the Soviet tanks.

The policy of cowardiness should not be adopted by India in this matter. We should follow the footprints of Gandhiji. But in any case we should not surrender overselves to the wrong aetion of the invader.

श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधारा (सुरेन्द्रनगर): प्रधान मंत्री को कल सुनने के बाद और अन्य सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् इस बात की कोई शंका नहीं रह जाती है कि सुरक्षा परिषद् में या तो भारत को यह मामला उठाना चाहिये था और यदि मामला किसी और देश ने उठा ही लिया तो भारत को रूप के इस क्रूर बरताव के विरूद्ध मत देना चाहिये था। जनता की भावनाओं के विरूद्ध कार्य करना जनता के साथ गद्दारी करना है।

हमारे प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया था कि संकल्प पर खंडवार मतदान किया जाये ताकि हम अधिकांश खडों पर के पक्ष में मत दे सकें। एक खंड में 'निन्दा' शब्द प्रयोग किया गया था इसे बहुत कठोर शब्द समझा गया जबकि वहां लोग अपनी जानों को रूसी टैंकों के सामने फेंक कर न्यौच्छावर कर रहे हैं। हम इसराइल के मामले में भी निन्दा शब्द प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाये थे जबकि वह आक्रमण नहीं था।

देश को स्वतन्त्रता प्राप्त होने से भी पूर्व हमारा देश दूसरे देश पर आक्रमण करने वाले देश की निन्दा करने में सर्वप्रथम रहा है। अब जबकि हम स्वतन्त्र हो गये हैं और हमारे देश का विश्व में एक मजबूत मत है क्या हमें अपनी परम्परागत नीति से हटना न्यायोचित है?

यह उचित है कि दल के अनुशासन के बारे में विचार करना होता है लेकिन कभी कभी हमें दल से ऊपर उठना होता है और मानवीय परिवार के रूप में सोचना होता है। मैं सभा के सब पक्षों से अपील करता हूं कि वे मान-पत्र तथा सभ्यता के मूल अधिकारों पर हुए अघात की एक मत से निन्दा करें।

Shri Sheo Narain (Basti) : We have to maintain our independence. We should be alert in this matter.

The Government should act according to the principles advocated by it in the Parliament. The Prime Minister should see that the prestige of the country may not suffer. We should live unitedly in the country.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

विश्व के सब लोगों ने चेकोस्लोवाकिया में की गई कार्यवाही पर चिन्ता व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों में रेडियो और समाचार-पत्रों में हिंसा और वहां के नेताओं की हत्या के बारे में समाचार प्राप्त हो रहे हैं।

श्री दुब्चेक के बारे में भी कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। हमने इस बारे में चेकोस्लोवाकिया स्थित भारतीय प्रतिनिधि से भी सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया है। हमने सुरक्षा परिषद् में एक पैराग्राफ के उप-भाग को छोड़कर लगभग पूर्ण संकल्प का समर्थन किया है। इसी के अनुसार हम संकल्प पर मतदेना चाहते है ।

हमारे प्रतिनिधि ने संकल्प के प्रस्तावक को इस पर खंडवार मतदान के लिये कहा था। दुर्भाग्य से वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ ।

इन परिस्थिति में हमारे प्रतिनिधि के पास केवल एक शब्द को छोड़ कर संकल्प के सब भागों को स्पष्ट करने के अतिरिक्त कोई चारा न था। अतः हमारे प्रतिनिधि ने इसे एक ही संकल्प मान कर इस पर मत विभाजन में भाग नहीं लिया ।

जिस शब्द के बारे में इतनी आलोचना की जा रही है। वह शब्द है "निन्दा"। चेकोस्लाविकया के लिये जो ज्यादा आवश्यक है वह है वहाँ से सेना का हटाया जाना और वहां की कानूनी सरकार को उसके अधिकारों को वापिस दिया जाना। हम इन उद्देश्यों के पक्ष में है और हमारे विचार से निन्दा करने मात्र से उन उद्देश्यों के प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकती।

जिस प्रक्रिया से शक्ति सेना को यूरोप और विश्व के अन्य भागों में शान्ति सेना को भारी धक्का पहुँचा है हमें उसे प्रक्रिया को को समाप्त करना है।

इससे ही विश्व और यूरोप को हित सम्भव न और इसके परिणाम स्वरूप ही चेकोस्लोवाकिया की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता निश्चित हो सकती है। इसी प्रकार से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यपत्र को पूरा करने का वातावरण तैयार किया जा सकता है। (अन्तर्बाधाएं)

तथ्य यह है कि जिन देशों ने इस संकल्प के एक भाग के पक्ष में मत दिया था, जिसके बारे में हमने मामूली संशोधन किये हैं, वे देश भी चेकोस्लोवाकिया की हमारे से अधिक सहायता करने के लिये जैसे चेकोसलोवाकिया से सेना का वापिस बुलाया जाना और वहां के लोगो के अधिकारों की रक्षा किया जाने, के लिये तैयार नहीं हैं।

रूस के लिये कठोर शब्द न प्रयोग किये जाने के लिये हमें उसके पिट्ठू कहा जा रहा है। माध्यमिक रास्ता अपनाने वालों को ऐसा ही कहा जाता है।

सदैव से ही हमारी नीति तनाव कम करने की रही है। यह राष्ट्र के हित के लिये आवश्यक है। हमे उन लोगों को जिन्हे दबाया गया है और धमकी दी गई है को न्याय दिलाने के लिये लड़ना चाहिये। इसके लिये हम प्रयास भी कर रहे हैं।

इस बारे में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने अपनी नीति के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ, नई दिल्ली स्थित चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि और चेकोस्लोवाकिया स्थित अपने राजदूत को स्पष्ट कर दिया था।

सबसे पहले जब यह मामला सामने आया था तो भारत सरकार ने ही चेकोस्लोवाकिया से मित्रता निभाई थी।

आपको स्मरण होगा कि इससे पूर्व सभा में हुई चर्चा के समय इन देशों की आलोचना की गई थी । यह कहा गया था कि ये हमारे मित्र देश नहीं हैं और हमें इनसे इतने अधिक निकट के सम्पर्क नही बनाने चाहिये ।

अतः मैं सभा को यह सूचित करना चाहती हूँ कि हमने वही किया है जो वास्तविक स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिये था। हमने चेकोस्लोवाकिया का आरम्भ से ही समर्थन किया हैं। हम इस मामले में अपने विचारो पर जमे रहे हैं। इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिये।

मैं समझती हूँ कि शक्ति के दो गुटों के बीच तनाव को कम करे तथा अच्छा वातावरण बनाने में भारत ने जो भाग लिया है, उसकी पूर्ण उपेक्षा करना अनुचित होगा । यह एक ऐसी बात है जिसमें हमारी अधिक रुचि है और हम इस नीति पर चलते रहेंगे । यदि यह कहा गया है कि हमें सावधानी से चलना चाहिये अथवा हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिये तो इसका कारण यह नहीं है कि हम किसी से डरते हैं तथा हम किसी को रुस्ट नहीं करना चाहते अथवा किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि हम समझते हैं कि यह एक ऐसा क्षण है जब हमें केवल वर्तमान को ही नहीं देखना चाहिये। यदि ऐसा करने में हमने सक्रिय पहलुओं पर बल न दिया होता तो माननीय सदस्य का कथन उचित होता कि हम हिचकचा रहे हैं किन्तु हम इस मामले के सक्रिय पहलुओं पर बल देने तथा उन्हें बार-बार दोहराने में कभी हिंचकिचाये नहीं हैं। हम यह भली भांति अनुभव करते हैं कि ऐसी दशायें पैदा की जानी चाहिये जिनसे विश्व को इस दुखद भाव में तनाव कम करने में सहायता मिले।

मैंने श्री ड्यूबचेक तथा उनके साथियों के बारे में पहले भी कहा था और मुझे विश्वास है कि सभा हमारी चिन्ता व्यक्त करने में मेरा साथ देगी। हमें नवीनतम समाचारों से पता चलता हैं कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति पहले ही मास्को जा चुके हैं। उनके वक्तव्य से पता चलता है कि वह स्वेच्छा से वहां गये हैं । श्री स्वोबोदा ने अपने लोगों से कहा है कि वे उन पर विश्वास दिलाया है कि वह उन्हें सब बातें बताने के लिये आज रात को ही लौट आयेंगे । उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि वह प्रधान मंत्री सर्निक के अतिरिक्त किसी को भी प्रधान मंत्री स्वीकार नहीं करेंगे।

मैं चेकोस्लोवाकिया के संकट के समय वहां के लोगों से अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूं तथा वे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके शान्तिपूर्ण स्वरूप के लिये उनकी प्रशंसा करना चाहती हूं। हमें इस अवसर का एक दूसरे की निन्दा करने के लिये प्रयोग नहीं करना चाहिये तथा इसे चेकोस्लोवाकिया के विचारों को व्यक्त करने के लिये प्रयोग करना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के कल के तथा आज के भाषण में कोई अन्तर नहीं है, यह आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री ने दलील दी है कि जब सुरक्षा परिषद् में संकल्प पर चर्चा की गई तथा उसे स्वीकार किया गया तब तक केवल इसके एक भाग का समर्थन नहीं करना चाहते थे तथा नियम हमारे मार्ग में बाधक थे।

यह बताया जाना चाहिये कि क्या हमारे प्रतिनिधि को उन नियमों की बिलकुल जानकारी नहीं थी।

इस वाद-विवाद में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कल प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने 'निन्दा' शब्द का प्रयोग करना पसन्द नहीं किया क्योंकि हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिये जहां हम वास्तविक रूप से राष्ट्र संघ में अपना कर्तव्य निभा सकें। उन्होंने कल यह भी कहा था कि हम राष्ट्र संघ में चेकोस्लोवाकिया के घोषणा-पत्र का समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के एक क्रियात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सोवियत कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का उल्लंघन है, हमने इस बात का समर्थन क्यों नहीं किया ? यह दो प्रकार के प्रमाण है। हमने पहले सुरक्षा परिषद् में ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया जिसमें कुछ कामों की निन्दा की गई थी, इस्राईल के मामले में, स्वेज नहर के संकट के मामले में तथा जातीय भेदभाव के मामले में क्या हुआ है ? क्या इन सभी कार्यवाहियों की निन्दा करने वाले संकल्प पारित नहीं किये गये हैं; हमने सदा उनका समर्थन किया है। हम इस मामले में क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहीं नहीं बताया है कि सरकार क्या ठोस कार्यवाहियां कर रही है, उन्होंने कहा है कि हम सदा यह देखकर कार्य करते हैं कि संसार में तनाव में कमी हो। यदि इस सम्बन्ध में उनके मन में कोई प्रस्ताव हो बात समझ में आ सकती है। वह यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि हम स्वयं यह प्रश्न सभा में उठा रहें हैं।

सोवियत संघ वारसा संधि देशों ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया है और उसकी निन्दा नहीं की गई है। वे वहां तक कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहते हैं। सम्भव है कि एक अथवा दो दिन में यह घोषणा हो जाये कि वहां एक कठपुतली सरकार स्थापित की गई है। सैनिक दस्ते तब वापिस बुला लिये जायेंगे। क्या हमारी सरकार यह प्रतीक्षा कर रही है कि सोवियत संघ वहां एक कठपुतली सरकार स्थापित कर सके ? यदि हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ऐसी किसी बात के विरुद्ध हैं तो हमें उसे अपने कामों द्वारा सिद्ध करना चाहिये। आपने रेडियो से सुना होगा कि स्वडेन तथा नार्वे जैसे देशों ने पूर्वी जर्मनी में होने वाले लीपजिग मेले में शामिल होने से इन्कार कर दिया है ताकि पूर्वी जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया में सेना भेजने के प्रश्न पर विरोध प्रकट किया जा सके।

अब हम लोग इस प्रश्न पर इकट्ठे हो गये हैं। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई युद्ध नहीं चाहता नहीं कोई मानवीय अफिकारों का दमन चाहता है। हम चाहते हैं कि इस देश को कहीं भी माननीय अधिकारों के दमन के विरुद्ध अपनी नैतिक आवाज उठानी चाहिये। यदि हम इस देश की मर्यादा तथा सम्मान बनाये रखना चाहते हैं तो हमें इस आक्रमण की निन्दा करनी चाहिये तथा हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में उन सभी देशों के साथ, जिनके द्वारा इस आक्रमण की निन्दा की गयी है, खड़ा होना चाहिये।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अतः हमारे लिये सभा से बाहर जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्री (श्री भगवन्त राव चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

*(1) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 23 अगस्त, 1968 की उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा उन्होंने पंजाब राज्य सरकार के सब कृत्यों को अपने हाथ में ले लिया है।

*(2) उपरोक्त मद संख्या (8) की उद्घोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिये गए दिनांक 23 अगस्त, 1968 के आदेश की एक प्रति।

*(3) पंजाब के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये दिनांक 21 अगस्त, 1968 के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1844/68]

तालचेर औद्योगिक समूह*

TALCHER INDUSTRIAL COMPLEX**

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि वे इस मामले में विलम्ब कर रहे हैं और इसी कारण मैं चर्चा उठाना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि मंत्रालय में किसी स्तर पर षडयन्त्र चल रहा है। अन्यथा विलम्ब का कोई कारण नहीं है।

[श्री रा० डो० भाण्डारे पीठासीन हुये।
Shri B. D. Bhandare *in the chair*]

जैसा कि हम जानते हैं, यह योजना 1964 में शुरू की गई थी, परियोजना पर केवल 44 करोड़ रुपये ही व्यय होना था परन्तु इसके परिणाम स्वरूप हमारे संसाधनों में बृद्धि होगी तथा उस विशेष क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी होगा।

जब इन मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना था। तथा मंत्रि मंडल कुछ अधिक सूचना चाहता था तो यह विलम्ब हो गया। इस्पात तथा खान मंत्रालय में कोई इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। वे इसकी पुनः छानबीन करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि सिद्धान्त रूप में यह अच्छी चीज है परन्तु उनका कहना है कि इसे पूर्ण रूप से आरम्भ न किया जाये। इसे दो

आधे घंटे की चर्चा
Half an hour Discussion

किया जा सकता है। क्या इसका कारण यह है कि जांच में चरणों में आरम्भ तीन वर्ष लगेंगे। तब तक चतुर्थ योजना समाप्त हो जायेगी। यही उनकी चाल है।

जैसा कि आप जानते हैं, यदि तालचेर औद्योगिक समूह परियोजना का क्रियान्वित किये जायें तो इस में परादीप पत्तन का विकास होगा पत्तन को समाप्त करने की चाल पहले ही चली जा रही है। आज वह बुरी दशा में है। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कराने में वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार में अन्य लोग बाधक हैं, यदि तलचर औद्योगिक समूह सफल हो जाता है तो उससे पत्तन को सहायता मिलेगी तथा सभी को लाभ होगा।

इस विशेष परियोजना के लिये कई आंकड़े इकठ्ठे किये गये हैं, हिसाब लगाया गया है कि यहां बना उर्वरक दुर्गापुर तथा अन्य स्थानों में बने उर्वरक से अधिक सस्ता होगा, तलचर में कच्चे लोहे की परियोजना से मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा दूसरे पड़ोसी राज्यों के, जहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः उन्हें यह डर है कि यदि यह किया जाता है तो इससे इधर-उधर के बड़े बड़े उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार के विरुद्ध मुझे यह शिकायत है कि यदि किसी अन्य स्थान की बात होती तो उसकी उपेक्षा उस प्रकार न की जाती जैसी कि इस मामले में की गई है। हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट बताये कि योजना को प्राथमिकता दी जायेगी। यह सिद्धान्त पहले ही माना जा चुका है। अतः यह निर्णय किया जायेगा कि बिना किसी विलम्ब के धन का कुछ भाग पेशगी के तौर पर दिया जायेगा तथा योजना का काम जल्दी ही शुरू हो जायेगा। सरकार को अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिये अन्यथा उन पर पक्षपात, और उपेक्षा देश के औद्योगिक विकास के मामले में तोड़फोड़ का आरोप लगेगा।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

श्रीमान्, आरम्भ में ही मैं इस बात से इन्कार करना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। रुड़केला इस्पात संयंत्र तथा परादीप पत्तन उस राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में भारत सरकार के योगदान का स्पष्ट प्रमाण हैं।

तलचेर औद्योगिक समूह के प्रस्ताव पर औद्योगिक विकास निगम ने 1964 में विचार किया था। उनका प्रस्ताव दिसम्बर, 1964 में मिला था। 1966 में तक्नीकी व्यवहारिकता प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तथा 1966 से अब तक इस मामले पर विभिन्न समितियों में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा चुका है। उस समूह से 1,68,000 टन कच्चा लोहा तथा 1,38,000 टन यूरिया के उत्पादन की आशा की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाना है। इसमें नई विधि तथा इसके साथ ही नई टैक्नालोजी भी शामिल हैं।

कच्चे लोहे का उत्पादन लो-शाफ्ट भट्टी में करना होता है तथा नान कोकिंग कोयले को कोयले में बदला जाता हैं तथा इसके पश्चात् लो-शाफ्ट भट्टी में कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिये इसका प्रयोग होता है। तक्नीकी जांच सी० एफ० आर० आई०, सी० ई० डी० बी०, एन० एम० एल० तथा जर्मन सार्थ क्रप के साथियों द्वारा की गई है। उन सभी ने

इस बात की तृष्टि की है की यह सम्भव है और यही कारण है कि सचिवों की समिति में इस पर विचार किया गया था और मंत्रि-मंडल उपसमिति में भी इस पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि यदि यह सम्भव है तो इसे शुरू किया जाना चाहिये।

इससे कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए थे। मूल परियोजना की लागत 37 करोड़ रुपये हैं। परियोजना की लागत में अब तबदीली की गई है तथा वर्तमान लागत 46 करोड़ रुपये तक बढ़ने की सम्भावना है। सी० एफ० आई० आर० ने तक्नीकी छानबीन की थी और उसने यह सिफारिश की है कि केवल एक धमन भठ्ठी स्थापित की जाये। उन्होंने यह कहा हैं कि यदि एक भठ्ठी की निश्चयात्मक जांच सिद्ध हो जाती है तो दूसरे चरण में यह समूचा समूह शुरू किया जाना चाहिये परन्तु अन्त में मंत्रि-मंडल विशेष समिति ने सोचा कि एक प्रश्न यह है कि क्या एक लम्बे कार्यक्रम में हम लो-फासफोरस वाला कच्चा लोहा लगातार प्राप्त कर सकते हैं। इसे निश्चित रूप से सिद्ध करना होगा और इसके पश्चात् वे आगे जांच करना चाहते हैं। इस में सन्देह नहीं कि हमें राज्य सरकार से एक अभ्यावेदन मिला है तथा राज्य सरकार ने पुनः यह कहा है कि अब और आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सी० एफ० आर० आई०, सी० ई० डी० बी०, एन० एम० एल० तथा जर्मन विशेषज्ञों ने भी कहा है कि कोई विशेष जांच करने आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि यदि समूचा समूह आरम्भ नहीं किया जा सकता तो कम से कम उर्वरक भाग अवश्य ही आरम्भ किया जाना चाहिये यदि उर्वरक परियोजना आरम्भ की जाती है तो अकेले उर्वरक कारखाने की लागत लगभग 63 करोड़ रुपये होगी। किन्तु अब समूचे प्रश्न पर पुर्नविचार किया जा रहा है और यह पुनः मंत्रि-मंडल की उप समिति तथा योजना आयोग के पास जायेगा। प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल की उप समिति के योजना आयोग से भी पूछा है कि क्या यह परियोजना व्यवहारिक है तथा क्या इसे चतुर्थ योजना काल में आरम्भ किया जा सकता है, श्री द्विवेदी को यह विचार त्याग देना चाहिये कि उड़ीसा राज्य की उपेक्षा की जा रही है।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल): कुछ दिन पहले पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कोरबा के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के स्थानान्तरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तलकोर में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसमें विलम्ब कर दिया है। इसे इधर से उधर भेजा जा रहा है और ईश्वर जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। 1969 में चतुर्थ योजना तैयार की जा रही हैं, इसे शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये ताकि उसे चतुर्थ योजना में शामिल किया जा सके। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि तक्नीकी बातें इसके मार्ग में बाधा नही बनेंगी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : 1966 में श्री बर्वे योजना आयोग में इस विभाग के भारसाधक अधिकारी थी। उन्होंने वचन दिया था कि इसकी जांच की जा रही है और इसे चतुर्थ योजना में शामिल किया जा सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर निर्णय समय पर किया जायेगा ताकि इसे चतुर्थ योजना में शामिल किया जा सके ? इस पर होने वाले अनुमानित व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

Shri Rabi Ray (Pauri) : This matter is being discussed between Government of India and Orissa since 1964, but no decision has been taken so far. I would like to know from the Government whether it is being delayed as a result of a conspiracy in his minsitry. Certain elements in the Government of India do not want that the backward State of Orissa should progress.

Orissa is an agriculture-oriented State. The fertilizer plant is very necessary to increase agricultural production in Orissa and the adjoining areas of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. I would, therefore, like the hon. Minister to give an assurance that this plant will be included in the fourth Plan.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The Minister has tried to explain that no discrimination is being practised against the State of Orissa, but I am fully convinced that a policy of discrimination is being followed in respect of Orissa and Bihar.The undeveloped States are not being extended the facilities and they are, therefore. lagging behind. I would also like to know when orissa will be brought at national level in the matter of development.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को चतुर्थ योजना के प्रारूप में तलचेर उद्योगिक समूह शामिल करने के लिये कहा है और यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने उसे योजना में शामिल किया है ? क्या केन्द्रीय सरकार इस पर व्यय का अपना भाग ही देगी अथवा इसे चतुर्थ योजना केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किया जायेगा ।

Shri P. C. Sethi : The Ministry had placed thi question before cabinet sub-committee and Planning Commission after the receipt of technical feasibility report.The question of its inclusion in the fourth-Plan will be decided by the cabinet sub-committee and Planning Commission taking into consideration the resources of the country and relative priorities.The Ministry is trying to help in,the matter as much as it can, but the matter will have to be referred to concerned ministries for deciding other points.

The question of malafides torwards Orissa or Bihar does not arise.

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 24 अगस्त, 1968/2 भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON SATURDAY, AUGUST 24, 1968/Bhadra 2, 1890 (SAKA)

Printed by ihe Manager, Tirthraj Press, Allahabad.